आज़ादी का
अमृत महोत्सव
1947-2022

सामाजिक विज्ञान

पाठ्यपुस्तक

वेद-भूषण - III वर्ष / प्रथमा - III वर्ष / कक्षा आठवीं

महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद संस्कृत शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मन्त्रालय भारत सरकार द्वारा स्थापित एवं मान्यता प्राप्त)

अव सृजा वनस्पते देव देवेभ्यो हविः ।
आप ओषधीरुत नोऽवन्तु द्यौर्वना गिरयो वृक्षकेशाः।
दश कूप समा वापी, दशवापी समोह्रद :।
दशह्रद समः पुत्रो, दशपुत्र समो द्रुमः॥
शुनं वाहाः शुनं नरः शुनं कृषतु लाङ्गलम्।
सा नः पयस्वती दुहामुत्तरामुत्तरां समाम्।
कृते योनौ वपतेह बीजम्।
अचिक्कदद्वृषाहरिर्म्महान्मित्रोनदर्शत॰॥ स ँ सूर्य्येणदिद्युतदुदधिर्न्निधि॰।
निधिं बिभ्रती बहुधा गुहा वसु मणिं हिरण्यं पृथिवी ददातु मे।
वसूनि नो वसुदा रासमाना देवी दधातु सुमनस्यमाना॥
तस्यै हिरण्यवक्षसे पृथिव्या अकरं नमः ।
त्वं नो अग्ने सनये धनानां यशसं कारुं कृणुहि स्तवानः।
ऋध्याम कर्मापसा नवेन देवैर्द्यावापृथिवी प्रावतं नः।

महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन (म.प्र.)

(शिक्षा मन्त्रालय, भारत सरकार)

Phone : (0734) 2502266, 2502254, E-mail : msrvvpujn@gmail.com, website - www.msrvvp.ac.in

सामाजिक विज्ञान

पाठ्यपुस्तक

वेद-भूषण - III वर्ष / प्रथमा - III वर्ष / कक्षा आठवीं

महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद संस्कृत शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मन्त्रालय भारत सरकार द्वारा स्थापित एवं मान्यता प्राप्त)

महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन (म.प्र.)

(शिक्षा मन्त्रालय, भारत सरकार)

वेदविद्या मार्ग, चिन्तामण, पो. ऑ. जवासिया, उज्जैन - 456006 (म.प्र.)

Phone : (0734) 2502266, 2502254, E-mail : msrvvpujn@gmail.com, website - www.msrvvp.ac.in

लेखकगण :- 1. डॉ. प्रकाश प्रपन्न त्रिपाठी,
राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय, उज्जैन (मध्यप्रदेश)
2. श्री रविन्द्र कुमार शर्मा,
श्री वीर हनुमान ऋषिकुल वेद विद्यालय, ग्रा. नांगल भरडा, चौमू,
जयपुर (राजस्थान)
3. श्री विजेन्द्र सिंह हाडा
श्री कर्णेश्वर वेद विद्यालय, कनवास, कोटा (राजस्थान)
4. श्री विक्रम कुमार बासनीवाल
श्री मुनिकुल ब्रह्मचर्याश्रम वेद संस्थानम्, बरुन्दनी (राजस्थान)

आवरण एवं सज्जा :- श्री शैलेन्द्र डोडिया

चित्राङ्कन :- .....

तकनीकी सहयोग, टङ्कण एवं संशोधन :- 1. श्रीमती किरण परमार
2. श्री अनिल चौहान
3. श्री नरेन्द्र सोलंकी

अक्षरविन्यास :- .....

पुस्तक परामर्श :- .....

© महर्षिसान्दीपनिराष्ट्रियवेदविद्याप्रतिष्ठानम्, उज्जयिनी

ISBN :- .....

मूल्य :- .....

संस्करण :- .....

प्रकाशित प्रति :- .....

पेपर उपयोगः :- आर.सी.टी.बी. वाटरमार्क 80 जी.एस.एम. पेपर पर मुद्रित

प्रकाशक :- महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रिय वेदविद्या प्रतिष्ठान
(शिक्षामन्त्रालय भारत सरकार की स्वायत्तशासी संस्था)
वेदविद्या मार्ग, चिन्तामण, पो. ऑ. जवासिया, उज्जैन - 456006 (म.प्र.)
email : msrvvpujn@gmail.com,
Web : msrvvp.ac.in
दूरभाषा (0734) 2502255, 2502254

प्रस्तावना

(राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के आलोक में)

शिक्षा मन्त्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग), भारत सरकार ने माननीय शिक्षा मन्त्री जी (तत्कालीन मानव संसाधन विकास मन्त्री) की अध्यक्षता में राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान की स्थापना दिल्ली में 20 जनवरी, 1987 को सोसायटी पञ्जीकरण अधिनियम, 1860 के तहत की थी। भारत सरकार ने वेदों की श्रुति परम्परा का संरक्षण, संवर्धन, प्रसार और विकास के लिए प्रतिष्ठान की स्थापना का संकल्प संख्या 6-3/85-SKT-IV दिनाङ्क 30-3-1987 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया था। वेदों के अध्ययन की श्रुति परम्परा (वेद संहिता, पद पाठ से घनपाठ तक, वेदाङ्ग, वेद भाष्य आदि), वेदों का पाठ संरक्षण, वैदिक स्वर तथा वैज्ञानिक आधार पर वेदों की व्याख्या का दायित्व वेद विद्या प्रतिष्ठान को दिया गया था। वर्ष 1993 में राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान के कार्यालय को उज्जैन में स्थानान्तरित करने के पश्चात् संगठन का नाम महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान कर दिया गया। वर्तमान में यह संगठन मध्यप्रदेश सरकार द्वारा प्रदत्त भूमि- परिसर, महाकाल नगरी, उज्जैन में स्थित है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1986 के संशोधित नीति-1992 और कार्यप्रणाली (प्रोग्राम ऑफ एक्शन)-1992 में भी वैदिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान को उत्तरदायित्व दिया गया था। भारत के प्राचीन ज्ञान कोष, मौखिक परम्परा और इस तरह की शिक्षा के लिए पारम्परिक गुरुओं को संयोजित करने के उद्देश्य को 1992 के कार्यप्रणाली (प्रोग्राम ऑफ एक्शन) में उल्लेखित किया गया था।

राष्ट्र की आकांक्षाओं के अनुरूप, राष्ट्रीय स्तर पर वेद और संस्कृत शिक्षा के लिए एक बोर्ड की स्थापना के पक्ष में राष्ट्रीय सहमति, जनादेश, नीति, विशिष्ट उद्देश्य और कार्यान्वयन रणनीतियों के अनुरूप, भारत सरकार के माननीय शिक्षा मन्त्रीजी की अध्यक्षता में महासभा और शासी परिषद् के समावेश में ''महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद संस्कृत शिक्षा बोर्ड'' की स्थापना 2019 में हुई है। MSRVVP का वेद संस्कृत शिक्षा बोर्ड भी वैदिक शिक्षा का एक भाग है और MSRVVP के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक है जैसा कि MoA और नियमों में संकल्पना की गई है। महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद संस्कृत शिक्षा बोर्ड को शिक्षा मन्त्रालय,भारत सरकार तथा भारतीय विश्वविद्यालय संघ,

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त है।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के शिक्षा मन्त्रालय द्वारा वर्ष 2015 में श्री एन. गोपालस्वामी (पूर्व चुनाव आयुक्त) की अध्यक्षता में गठित समिति ''संस्कृत के विकास के लिए विजन और रोडमैप - दस वर्षीय परिप्रेक्ष्य योजना'' की रिपोर्ट में अनुशंसा की गई है कि माध्यमिक विद्यालय स्तर तक वेद संस्कृत शिक्षा के पाठ्यक्रम मानकीकरण, संबद्धता, परीक्षा मान्यता, प्रमाणीकरण के लिए राष्ट्रस्तर पर वेद संस्कृत परीक्षा बोर्ड की स्थापना की जाए। समिति की अनुशंसा थी कि प्राथमिक स्तर का वैदिक एवं संस्कृत अध्ययन अभिप्रेरक, सम्प्रेरक एवं आनन्ददायी होना चाहिए। आधुनिक शिक्षा के विषयों को वैदिक और संस्कृत पाठशालाओं में सन्तुलित रूप से सम्मिलित करना भी आवश्यक है। इन पाठशालाओं की पाठ्यक्रम सामग्री को समकालीन समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप और प्राचीन ज्ञान का उपयोग करते हुए आधुनिक समस्याओं का समाधान खोजने के लिए प्रारूपित किया जाना चाहिए।

वेद पाठशालाओं के सम्बन्ध में समिति ने यह संस्तुति की है कि संस्कृत और आधुनिक विषयों की श्रेणीबद्ध सामग्री के परिचय के साथ-साथ वेद पाठ कौशल संवर्धन और वेद उच्चारण में मानकीकरण की आवश्यकता है ताकि वेद छात्र अन्ततः वेद भाष्य के अध्ययन तक पहुंच सकें और छात्रों को आगे की पढ़ाई के लिए मुख्यधारा में लाया जा सके। उचित स्तर पर वेदों के विकृति पाठ के अध्ययन पर बढ़ावा दिया जाना चाहिए। समिति के सदस्यों ने यह भी चिंता व्यक्त की है कि वैदिक सस्वर पाठ पूरे भारत में समान रूप से नहीं फैला है, इसलिए वैदिक सस्वर पाठ की शैलियों और शिक्षण पद्धति की क्षेत्रीय विविधताओं में हस्तक्षेप किए बिना स्थिति में सुधार के लिए उचित कदम उठाया जाना है।

यह भी अनुभव किया गया कि वेद और संस्कृत अविभाज्य हैं और एक दूसरे के पूरक हैं और देश भर में सभी वेद पाठशालाओं और संस्कृत पाठशालाओं के लिए परीक्षा मान्यता और सम्बद्धता की समस्याएँ समान है, इसलिए दोनों के लिए एक साथ वेद संस्कृत हेतु एक बोर्ड का गठन किया जा सकता है। समिति ने यह पाया कि बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं को कानूनी रूप से वैध मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, जो शिक्षा की आधुनिक बोर्ड प्रणाली के साथ समानता रखे। समिति ने पाया कि महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान उज्जैन को ''महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद संस्कृत विद्या परिषद्'' के नाम से

परीक्षा बोर्ड का दर्जा दिया जाये, जिसका मुख्यालय उज्जैन में रहे। परीक्षा बोर्ड होने के अतिरिक्त अब तक जो सभी वेद कार्यक्रम और वेद पर गतिविधियाँ हैं, वे सभी प्रतिष्ठान में जारी रहेंगे।

वैदिक शिक्षा का प्रचार भारत की गौरवशाली ज्ञान परम्परा का एक व्यापक अध्ययन है और इसमें वैदिक अध्ययन (वेद संहिता, पद पाठ से घनपाठ तक, स्वर का सम्यक् प्रयोग ज्ञान आदि), सस्वर पाठ कौशल, मन्त्र उच्चारण और संस्कृत ज्ञान प्रणाली सामग्री की बहुस्तरीय श्रुति परम्परा सम्मिलित है। प्रतिष्ठान में NEP 2020 अनुरूप 3 + 4 (सात साल तक) के वेद अध्ययन की योजना में पारम्परिक छात्रों को मुख्य धारा में लाने की नीति के परिप्रेक्ष्य में अन्य विभिन्न आधुनिक विषयों जैसे संस्कृत, अंग्रेजी, मातृभाषा, गणित, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, कम्प्यूटर विज्ञान, दर्शन, योग, वैदिक कृषि आदि पाठ्यक्रम के अनुसार तथा वैदिक शिक्षा पर केन्द्रित नीति निर्धारक निकायों में राष्ट्रीय सहमति, समय की उपलब्धता के आधार पर सभी अध्ययन संयोजित हैं। अध्ययन की यह योजना NEP 2020 के परिप्रेक्ष्य में भारतीय ज्ञान प्रणाली पर ध्यान केन्द्रित करने वाले पाठ्यक्रम सामग्री में आधुनिक ज्ञान के साथ एवं भारतीय ग्रंथों से तैयार वैदिक ज्ञान के उपयुक्त सामग्री के साथ है।

प्रतिष्ठान बोर्ड की वेद पाठशालाओं, गुरु शिष्य ईकाइयों और गुरुकुलों में, पाठ्यक्रम मुख्य रूप से सम्पूर्ण सस्वर कण्ठस्थीकरण के साथ संपूर्ण वेद शाखा का अध्ययन होता है तथा संस्कृत, अंग्रेजी, मातृभाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कम्प्यूटर विज्ञान, दर्शन, योग, वैदिक कृषि और SUPW जैसे अतिरिक्त सहायक विषयों के साथ वेद अध्ययन होता है।

यह सर्वविदित तथ्य है कि वेदों की 1131 शाखाएँ सस्वर पाठ के साथ थे, अर्थात् 21 ऋग्वेद में, 101 यजुर्वेद में, 1000 सामवेद में और 9 अथर्ववेद में। समय के साथ इन शाखाओं की एक बड़ी संख्या विलुप्त हो गई और वर्तमान में केवल 10 शाखाएँ, अर्थात् ऋग्वेद में एक, यजुर्वेद में 4, सामवेद में 3 और अथर्ववेद में 2 सस्वर पाठ के रूप में विद्यमान हैं, जिन पर भारतीय ज्ञान प्रणाली आधारित है, इन 10 शाखाओं के संबंध में भी बहुत कम प्रतिनिधि वेदपाठी पंडित है जो श्रुति परम्परा/पाठ/वेद ज्ञान परम्परा को उसके प्राचीन और पूर्ण रूप में संरक्षित किये हुए हैं। जब तक श्रुति परम्परा के अनुसार वैदिक शिक्षा पर मूलरूप से ध्यान नहीं दिया जाएगा, तब तक यह व्यवस्था सुदृढ नहीं हो पायेगी। वैदिक श्रुति परम्परा की श्रुति अध्ययनों के पहलुओं को सामान्य/अध्ययन में स्कूल में न तो पढ़ाया जाता है

और न ही किसी स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाता है, और न ही स्कूलों/बोर्डों के पास उन्हें आधुनिक स्कूल पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने और सञ्चालित करने की विशेषज्ञता है।

वैदिक छात्र जो श्रुति परम्परा / वेद का पाठ सीखते हैं, वे दूर-दराज के गाँवों, सीमावर्ती गाँवों आदि में वेद गुरुकुलों में, वेद पाठशालाओं में, वैदिक आश्रमों में हैं, और वेद अध्ययन के लिए उनका समर्पण लगभग 1900 - 2100 घण्टे प्रतिवर्ष है। जो अन्य स्कूल बोर्ड की सीखने की प्रणाली के समय से दोगुना है और वैदिक छात्रों को ''गुरु-मुख-उच्चारण अनुच्चारण'' - वेद गुरु के सामने बैठकर शब्दशः उच्चारण सीखना होता है, संपूर्ण वेद, शब्दशः उच्चारण (उदात्त, अनुदात्त, स्वरित आदि) के साथ कण्ठस्थ करना होता है और स्मृति के बल पर बिना किसी पुस्तक/पोथी को देखे।

ज्ञात हो कि इस प्रकार के वैदिक अध्ययन, वेद मन्त्रपाठ की रीति, गुरु शिष्य की अखण्ड मौखिक परम्परा से प्रचलित क्रम के कारण वेदों के मौखिक प्रसारण को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत रूप में यूनेस्को-विश्व मौखिक विरासत सूची में मान्यता प्राप्त हुई है। इसलिए, सदियों पुरानी वैदिक शिक्षा (श्रुति परम्परा/सस्वर पाठ/वेद ज्ञान परम्परा) की प्राचीनता और सम्पूर्ण अखण्डता को बनाए रखने के लिए सुयोग्य कार्यनीति की आवश्यकता है। इसलिए, प्रतिष्ठान और इस बोर्ड ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 द्वारा निर्धारित कौशल और व्यावसायिक विषयों के साथ-साथ आधुनिक विषयों जैसे संस्कृत, अंग्रेजी, मातृभाषा, गणित, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, कम्प्यूटर विज्ञान, दर्शन, योग, वैदिक कृषि आदि के साथ विशिष्ट प्रकार के वेद पाठ्यक्रम को अपनाया है।

कोई भी व्यक्ति तब सुखी होकर जी सकता है जब वह परा-विद्या और अपरा-विद्या दोनों का अध्ययन करता है। वेदों में से भौतिक ज्ञान, उनकी सहायक शाखाएँ और भौतिक रुचि के विषय अपरा-विद्या कहलाते थे। सर्वोच्च वास्तविकता का ज्ञान, उपनिषदों की अंतिम खोज, परा-विद्या कहलाती है। वेद और उसके सहायक के रूप में अध्ययन किए जाने वाले विषयों की कुल संख्या 14 है। विद्या की 14 शाखाएँ ये हैं - चार वेद, छह वेदांग, मीमांसा (पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा), न्याय, पुराण और धर्मशास्त्र। आयुर्वेद, धनुर्वेद, गन्धर्ववेद और अर्थशास्त्र सहित चौदह विद्याएं अठारह हो जाते हैं। सदियों से भारत उपमहाद्वीप में सभी शिक्षा संस्कृत भाषा में ही थी, क्योंकि इस उपमहाद्वीप में लम्बे समय तक संस्कृत बोली जाने वाली भाषा रही। इसलिए वेद भी सुलभता से समझे जाते थे।

तक्षशिला के विद्यालयों के सम्बन्ध में अठारह शिल्प-या औद्योगिक और तकनीकी कला और शिल्प का उल्लेख किया गया है। छान्दोग्य उपनिषद् तथा नीति ग्रन्थों में भी इन का विवरण है। निम्नलिखित 18 कौशल/व्यावसायिक विषय अध्ययन के विषय बताए गए हैं- (1) गायन सङ्गीत (2) वाद्य सङ्गीत (3) नृत्य (4) चित्रकला (5) गणित (6) लेखाशास्त्र (7) इञ्जीनियरिङ्ग (8) मूर्तिकला (9) प्रजनन (10) वाणिज्य (11) चिकित्सा (12) कृषि (13) परिवहन और कानून (14) प्रशासनिक प्रशिक्षण (15) तीरंदाजी, किला निर्माण और सैन्य कला (16) नये वस्तु या उपज का निर्माण । उपर्युक्त कला और शिल्प में तकनीकी शिक्षा के लिए प्राचीन भारत में एक प्रशिक्षु प्रणाली विकसित की गई थी। विद्या और अविद्या मनुष्य को इस प्रपञ्च में सन्तुष्ट जीवन व्यतीत करने के लिए समर्थ और परलोक में मुक्ति योग्य सिद्ध करती है ।

दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में सर्व प्रथम भारतीय सभ्यता में शास्त्रों, विज्ञान और प्रौद्योगिकी को सीखने की एक विशाल एवं सुदृढ परम्परा रही है। भारत प्राचीन काल से ही ऋषियों, ज्ञानियों और संतों की भूमि के साथ-साथ विद्वानों और वैज्ञानिकों की भूमि भी रही है। शोध से पता चला है कि भारत सीखने सिखाने (विद्या-आध्यात्मिक ज्ञान और अविद्या- भौतिक ज्ञान) के क्षेत्र में विश्व गुरु तो था ही, सक्रिय रूप से भी सम्पूर्ण प्रपञ्च में योगदान दे रहा था और भारत में आधुनिक विश्वविद्यालयों जैसे सीखने के विशाल केन्द्र स्थापित किए गए थे, जहाँ हजारों शिक्षार्थी आते थे। प्राचीन ऋषियों द्वारा खोजी गई कई विज्ञान और प्रौद्योगिकी तकनीकी, सीखने की पद्धतियाँ, सिद्धान्तों और तकनीकों ने कई पहलुओं पर हमारे विश्व के ज्ञान के मूल सिद्धान्तों को बनाया और प्रबल किया है, खगोल विज्ञान, भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित, चिकित्सा, प्रौद्योगिकी, ध्वन्यात्मकता, व्याकरण आदि पर दुनिया में भारत का योगदान समझा जाता है। प्रत्येक भारतीय बालक, बालिका द्वारा इस महान् देश का गौरवान्वित नागरिक होने के कारण इन विषयों का ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिये। भारत की संसद के प्रवेश द्वार पर उद्धृत ''वसुधैव कुटुम्बकम्'' जैसे भारत के विचार और विभिन्न अवसरों पर संवैधानिक प्राधिकरणों द्वारा उद्धृत कई वेद मंत्र के अर्थ वेदों के अध्ययन से ही ज्ञात होते हैं और उन पर मनन करके ही वास्तविक प्रेरणा प्राप्त की जा सकती है। वेदों और सम्पूर्ण वैदिक साहित्य में "सत, चित, आनंद" के रूप में सभी प्राणियों की अन्तर्निहित समानता पर जोर दिया गया है।

यह भी उल्लेख किया गया है कि वेद वैज्ञानिक ज्ञान के स्त्रोत हैं और हमें आधुनिक समस्याओं के समाधान के लिए वेदों और भारतीय शास्त्रों के स्त्रोतों की ओर पुनः निष्ठा से देखना होगा। जब तक छात्रों को वेदों का पाठ, शुद्ध वैदिक ज्ञान सामग्री और वैदिक दर्शन को आध्यात्मिक ज्ञान और वैज्ञानिक ज्ञान के रूप में नहीं पढ़ाया जाता है, तब तक आधुनिक भारत की आकांक्षा को पूरा करने के लिए वेदों के सन्देश का प्रसार पूर्ण रूप से सम्भव नहीं है।

वेद की शिक्षा (वैदिक मौखिक एवं श्रुति परंपरा/वेद पाठ/वेद ज्ञान परम्परा) केवल धार्मिक शिक्षा नहीं है। यह कहना अनुचित होगा कि वेदों का अध्ययन केवल धार्मिक निर्देश है। वेद केवल धार्मिक ग्रन्थ नहीं हैं और इनमें केवल धार्मिक सिद्धान्त ही नहीं हैं, बल्कि वेद शुद्ध ज्ञान के कोष है, मानव जीवन की कुञ्जी वेदों में है इसलिए, वेदों में निर्देश या शिक्षा को केवल "धार्मिक शिक्षा/धार्मिक निर्देश" के रूप में नहीं माना जा सकता है।

2004 की सिविल अपील संख्या 6736 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय (AIR 2013: 15 SCC 677); (निर्णय की दिनाङ्क- 3 जुलाई 2013), जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में यह स्पष्ट है कि वेद केवल धार्मिक ग्रन्थ नहीं हैं। वेदों में गणित, खगोल विज्ञान, मौसम विज्ञान, रसायन विज्ञान, हाइड्रोलिक्स, भौतिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कृषि, दर्शन, योग, शिक्षा, काव्यशास्त्र, व्याकरण, भाषा विज्ञान आदि के विषय सम्मिलित हैं, जिन्हें माननीय भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रकाशित किया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुपालन में प्रतिष्ठान एवं बोर्ड के माध्यम से वैदिक शिक्षा -

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में भारतीय ज्ञान प्रणाली 'संस्कृत ज्ञान प्रणाली' के रूप में भी जाना जाता है, उनके महत्त्व और पाठ्यक्रम में उनका समावेश और विविध विषयों के संयोजन में लचीले दृष्टिकोण को मजबूती से प्रदर्शित किया गया है। कला एवं मानविकी के छात्र भी विज्ञान सीखेंगे, प्रयास करना होगा कि सभी व्यावसायिक विषय और व्यावहारिक कौशलों (सॉफ्ट स्किल्स) को प्राप्त करें। कला, विज्ञान और अन्य क्षेत्रों में भारत की गौरवशाली परम्परा इस तरह की शिक्षा की ओर बढ़ने में सहायक होगी। भारत की समृद्ध, विविध प्राचीन और आधुनिक संस्कृति और ज्ञान प्रणालियों और परम्पराओं को संयोजित करने और उससे प्रेरणा पाने हेतु यह नीति बनायी गयी है। भारत की शास्त्रीय भाषाओं और साहित्य के महत्त्व, प्रासङ्गिकता और सुन्दरता की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। संस्कृत,

संविधान की आठवीं अनुसूची में वर्णित एक महत्त्वपूर्ण आधुनिक भाषा है यदि सम्पूर्ण लैटिन और ग्रीक साहित्य को मिलाकर भी इसकी तुलना की जाए तो भी वह संस्कृत शास्त्रीय साहित्य की बराबरी नहीं कर सकता। संस्कृत साहित्य में गणित, दर्शन, व्याकरण, सङ्गीत, राजनीति, चिकित्सा, वास्तुकला, धातुविज्ञान, नाटक, कविता, कहानी, और बहुत कुछ (जिन्हें "संस्कृत ज्ञान प्रणालियों" के रूप में जाना जाता है) के विशाल भण्डार हैं । विश्व विरासत के लिए इन समृद्ध संस्कृत ज्ञान प्रणाली विरासतों को न केवल पोषण और भविष्य के लिए संरक्षित किया जाना चाहिए बल्कि हमारी शिक्षा प्रणाली के माध्यम से शोध कराकर इन्हें बढ़ाते हुए नए उपयोगों में भी रखा जाना चाहिए। इन सबको हजारों वर्षों में जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों द्वारा, सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के एक विस्तृत जीवन्त दर्शन के साथ लिखा गया है । संस्कृत को रूचिकर और अनुभावात्मक होने के साथ-साथ समकालीन रूप से प्रासङ्गिक विधियों से पढ़ाया जाएगा । संस्कृत ज्ञान प्रणाली का उपयोग विशेष रूप से ध्वनि और उच्चारण के माध्यम से है। फाउंडेशन और माध्यमिक स्कूल स्तर पर संस्कृत की पाठ्यपुस्तकों को संस्कृत के माध्यम से संस्कृत पढ़ाने (एस्.टी.एस्.) और इसके अध्ययन को आनन्ददायी बनाने के लिए सरल मानक संस्कृत (एस्.एस्.एस्.) में लिखा जाना है। ध्वन्यात्मकता और उच्चारण वेदों की मौखिक परम्परा पर लागू होता है। वैदिक शिक्षा ध्वन्यात्मकता और उच्चारण पर आधारित है।

कला और विज्ञान के बीच, पाठ्यक्रम और पाठ्येतर गतिविधियों के बीच, व्यावसायिक और शैक्षणिक धाराओं, आदि के बीच कोई स्पष्ट विभेद नहीं किया गया है। सभी ज्ञान की एकता और अखण्डता को सुनिश्चित करने के लिए, एक बहु-विषयक दुनिया के लिए विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, मानविकी और खेल के बीच एक बहु-विषयक (Multi-Disciplinary) एवं समग्र शिक्षा के विकास पर बल दिया गया है। नैतिकता, मानवीय और संवैधानिक मूल्य जैसे, सहानुभूति, दूसरों के लिए सम्मान, स्वच्छता, शिष्टाचार, लोकतान्त्रिक भावना, सेवा की भावना, सार्वजनिक सम्पत्ति के लिए सम्मान, वैज्ञानिक चिन्तन, स्वतन्त्रता, उत्तरदायित्व, बहुलतावाद, समानता और न्याय पर जोर दिया गया है ।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बिन्दु क्रं. 4.23 में अनिवार्य विषयों, कौशलों और क्षमताओं का शिक्षाक्रमीय एकीकरण के विषय में निर्देश है। विद्यार्थियों को अपने व्यक्तिगत पाठ्यक्रम को चुनने में बड़ी मात्रा में लचीले विकल्प मिलेगें, लेकिन आज की तेजी से बदलती दुनिया में सभी विद्यार्थियों को

एक अच्छे, सफल, अनुभवी, अनुकूलनीय और उत्पादक व्यक्ति बनने के लिए कुछ विषयों, कौशलों और क्षमताओं को सीखना भी आवश्यक है। वैज्ञानिक स्वभाव और साक्ष्य आधारित सोच, रचनात्मकता और नवीनता, सौंदर्यशास्त्र और कला की भावना, मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति और संवाद, स्वास्थ्य और पोषण, शारीरिक शिक्षा, शारीरिक दक्षता, स्वास्थ्य और खेल, सहयोग और टीम वर्क, समस्या को हल करने और तार्किक चिन्तन, व्यावसायिक एक्सपोजर और कौशल, डिजिटल साक्षरता, कोडिंग और कम्प्यूटेशनल चिन्तन, नैतिकता और नैतिक तर्क, मानव और संवैधानिक मूल्यों का ज्ञान और अभ्यास, लिङ्ग संवेदनशीलता, मौलिक कर्तव्य, नागरिकता कौशल और मूल्य, भारत का ज्ञान, पर्यावरण सम्बन्धी जागरूकता, जिसमें पानी और संसाधन संरक्षण, स्वच्छता और साफ-सफाई, समसामयिक घटना और स्थानीय समुदायों, राज्यों, देश और दुनिया द्वारा जिन महत्त्वपूर्ण मुद्दों का सामना किया जा रहा है उनका ज्ञान, भाषाओं में प्रवीणता के अलावा, इन कौशलों में सम्मिलित है। बच्चों के भाषा कौशल संवर्धन के लिए और इन समृद्ध भाषाओं और उनके कलात्मक निधि के संरक्षण के लिए, सार्वजनिक या निजी सभी विद्यालयों में सभी छात्रों को भारत की एक शास्त्रीय भाषा और उससे सम्बन्धित साहित्य सीखने का कम से कम दो साल का विकल्प मिलेगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बिन्दु क्रं. 4.27 में "भारत का ज्ञान" के विषय में महत्त्वपूर्ण निर्देश है। "भारत का ज्ञान" में आधुनिक भारत और उसकी सफलताओं और चुनौतियों के प्रति प्राचीन भारत का ज्ञान और उसका योगदान - भारतीय ज्ञान प्रणाली जैसे गणित, खगोल विज्ञान, दर्शन, योग, वास्तुकला, चिकित्सा, कृषि, इंजीनियरिंग, भाषा विज्ञान, साहित्य, खेल के साथ –साथ शासन, राजव्यवस्था, संरक्षण आदि जहाँ भी प्रासङ्गिक हो, विषयों में सम्मिलित किया जाएगा। इसमें औषधीय प्रथाओं, वन प्रबन्धन, पारम्परिक (जैविक) फसल की खेती, प्राकृतिक खेती, स्वदेशी खेलों, विज्ञान और अन्य क्षेत्रों में प्राचीन और आधुनिक भारत के प्रेरणादायक व्यक्तित्वों पर ज्ञानदायी विषय हो सकेंगे।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बिन्दु क्रं. 11.1 में समग्र और बहु-विषयक शिक्षा की ओर प्रवृत्त करने के निर्देश हैं। भारत में समग्र एवं बहु-विषयक विधि से सीखने की एक प्राचीन परम्परा पर बल दिया गया है, तक्षशिला और नालन्दा जैसे विश्वविद्यालयों के उल्लेख सहित 64 कलाओं के ज्ञान के रूप में गायन और चित्रकला, वैज्ञानिक क्षेत्र जैसे रसायनशास्त्र और गणित, व्यावसायिक क्षेत्र जैसे बढ़ई का काम और कपड़े सिलने का कार्य, व्यावसायिक कार्य जैसे औषधि तथा अभियान्त्रिकी और साथ ही साथ

सम्प्रेषण, चर्चा और वाद-संवाद करने के व्यावहारिक कौशल (सॉफ्ट स्किल्स) भी सम्मिलित है । यह विचार है कि गणित, विज्ञान, व्यावसायिक विषयों और सॉफ्ट स्किल सहित रचनात्मक मानव प्रयास की सभी शाखाओं को 'कला' माना जाना चाहिए, जिसका मूल भारत है। 'कई कलाओं के ज्ञान' या जिसे आधुनिक समय में प्राय: 'उदार कला' कहा जाता है (अर्थात्, कलाओं की एक उदार धारणा) की इस धारणा को भारतीय शिक्षा में वापस लाया जाना चाहिए, क्योंकि यह ठीक उसी तरह की शिक्षा है जो 21वीं सदी के लिए आवश्यक है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बिन्दु क्रं. 22.1 में भारतीय भाषाओं, कला और संस्कृति का संवर्धन हेतु निर्देश हैं। भारत संस्कृति का समृद्ध भण्डार है – जो हजारों वर्षों में विकसित हुआ है, और यहाँ की कला, साहित्यिक कृतियों, प्रथाओं, परम्पराओं, भाषायी अभिव्यक्तियों, कलाकृतियों, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक धरोहरों के स्थलों इत्यादि में परिलक्षित होता हुआ दिखता है। भारत में भ्रमण, भारतीय अतिथि सत्कार का अनुभव होना, भारत के आकर्षक हस्तशिल्प एवं हाथ से बने कपड़ों को खरीदना, भारत के प्राचीन साहित्य को पढ़ना, योग एवं ध्यान का अभ्यास करना, भारतीय दर्शनशास्त्र से प्रेरित होना, भारत के अनुपम त्यौहारों में भाग लेना, भारत के वैविध्यपूर्ण सङ्गीत एवं कला की सराहना करना और भारतीय फिल्मों को देखना आदि ऐसे कुछ आयाम हैं जिनके माध्यम से दुनिया भर के करोड़ो लोग प्रतिदिन इस सांस्कृतिक विरासत में सम्मिलित होते हैं, इसका आनन्द उठाते हैं और लाभ प्राप्त करते हैं।

यही सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक सम्पदा है भारत की इस सांस्कृतिक सम्पदा का संरक्षण, संवर्धन एवं प्रसार, देश की उच्चतर प्राथमिकता होनी चाहिए क्योंकि इस देश की पहचान के साथ-साथ इसकी अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत महत्त्वपूर्ण है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बिन्दु क्रं. 22.2 में कलाओं के विषय में निर्देश हैं। भारतीय कला एवं संस्कृति का संवर्धन राष्ट्र एवं राष्ट्र के नागरिकों के लिए महत्त्वपूर्ण है । बच्चों में अपनी पहचान और अपनेपन के भाव तथा अन्य संस्कृतियों और पहचानों की सराहना का भाव पैदा करने के लिए सांस्कृतिक जागरूकता और अभिव्यक्ति जैसी प्रमुख क्षमताओं को बच्चों में विकसित करना जरूरी है। बच्चों में अपने सांस्कृतिक इतिहास, कला, भाषा एवं परम्परा की भावना और ज्ञान के विकास द्वारा ही एकता,

सकारात्मक सांस्कृतिक पहचान और आत्म-सम्मान निर्मित किया जा सकता है । अत: व्यक्तिगत एवं सामाजिक कल्याण के लिए सांस्कृतिक जागरूकता और अभिव्यक्ति का योगदान महत्त्वपूर्ण है ।

प्रतिष्ठान की मुख्य वैदिक शिक्षा (वेदों की श्रुति या मौखिक परम्परा/वेद पाठ/वैदिक ज्ञान परम्परा) सहित अन्य आवश्यक आधुनिक विषय- संस्कृत, अंग्रेजी, मातृभाषा, गणित, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, कम्प्यूटर विज्ञान, दर्शन, योग, वैदिक कृषि, भारतीय कला, SUPW आदि महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद संस्कृत शिक्षा बोर्ड की पाठ्य पुस्तकों की नींव/ स्रोत भारतीय ज्ञान परम्परा (IKS) विषयों की अनुप्रविष्टि (इनपुट) पर आधारित हैं। ये सभी निर्देश राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के दिशानिर्देशों के अनुरूप है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन के शैक्षिक चिन्तकों, प्राधिकरणों के परामर्श एवं नीति को ध्यान में रखते हुए प्रारूप पुस्तकें पीडीएफ फॉर्मेट में उपलब्ध करायी गयी हैं। इन पुस्तकों को भविष्य में NCF के अनुरूप अद्यतन किया जाएगा और अन्त में प्रिन्ट रूप में उपलब्ध कराया जाएगा।

महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन के राष्ट्रीय आदर्श वेदविद्यालय के अध्यापक महानुभावों ने, वेद अध्यापन (वैदिक मौखिक एवं श्रुति परम्परा/वेद पाठ/वेद ज्ञान परम्परा) में समर्पित आचार्यों ने, सम्बद्ध वेद पाठशालओं के संस्कृत एवं आधुनिक विषयों के अध्यापकों ने, आधुनिक विषय पाठ्यपुस्तकों को इस रूप में प्रस्तुत करने में पिछले दो वर्षों में अथक परिश्रम किया है। उन सभी को हृदय की गहराई से धन्यवाद समर्पण करता हूँ। राष्ट्र स्तर के विविध विशेषज्ञों ने समय-समय पर पधार कर पाठ्यपुस्तकों में गुणवत्ता लाने में विशेष सहायता प्रदान की है। उन सभी विशेषज्ञों एवं विद्यालयों के अध्यापक महानुभावों को भी धन्यवाद अर्पित करता हूँ। अक्षर योजना हेतु, चित्राङ्कन हेतु, पेज सेटिंग हेतु मेरे सहयोगी कर्मचारियों ने कार्य किया है, उन सभी को हृदय की गहराई से कृतज्ञता समर्पण करता हूँ।

पाठ्य पुस्तकों की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए रचनात्मक आलोचना सहित सभी सुझावों का स्वागत है।

आपरितोषात् विदुषां न साधु मन्ये प्रयोगविज्ञानम्।

बलवदपि शिक्षितानाम् आत्मन्यप्रत्ययं चेतः॥

(अभिज्ञानशाकुन्तलम् १.०२)

(जब तक विद्वानों को पूर्ण सन्तुष्टि न हो जाए तब तक विशिष्ट प्रयोग को सब तरह से सफल नहीं मानता क्योंकि प्रयोग में विशेष योग्यता प्राप्त विद्वान भी पहले प्रयोग के सफलता में आश्वस्त नहीं रहता है।)

प्रो. विरूपाक्ष वि जड्डीपाल्

सचिव

महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन

महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद संस्कृत शिक्षा बोर्ड

पाठ्यपुस्तक के आलोक में

राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 के आलोक में राष्ट्रीय उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, भारत सरकार द्वारा संस्थापित महर्षि सान्दीपनि वेद संस्कृत शिक्षा बोर्ड, उज्जैन (म.प्र.) द्वारा देश भर में मान्यता प्राप्त वेद पाठशालाओं/गुरु शिष्य इकाइयों में अध्ययनरत वेद भूषण प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पञ्चम एवं वेद विभूषण प्रथम और द्वितीय वर्ष तथा स्कूली शिक्षा में छठीं, सातवीं, आठवीं, नवीं, दसवीं, ग्याराहवीं एवं बाराहवीं कक्षा के छात्रों के लिए एन.सी.ई.आर.टी. एवं राज्य शिक्षा बोर्डों तथा भारतीय ज्ञान परम्परा विषयक विविध प्रकाशित स्त्रोतों के मानक अनुसार सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक प्रस्तुत करते हुए अपार हर्ष हो रहा है।

सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित विषय यथा भूगोल, इतिहास, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र एवं समाजशास्त्र आदि हमें, समाज को समझने में बहुविध सहायता प्रदान करते हैं। इसी समझ के आधार पर हम अपने भविष्य को व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार की दृष्टि से उत्कृष्टतम बनाने का प्रयत्न करते हैं। यह सम्पूर्ण विश्व हजारों-लाखों वर्ष पूर्व से समयानुरूप विविध घटनाओं और परिवर्तनों का परिणाम है। इन घटनाओं परिवर्तनों और परिणामों को जानने व समझने में सामाजिक विज्ञान की यह पाठ्यपुस्तक निश्चित ही सहायक है।

सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में अधिकांश विषयों को वैदिक वाङ्मय के सैद्धान्तिक स्वरूप और उपयोगिता को दृष्टि में रखकर जोड़ा गया है, जिससे अध्येताओं को भारतीयता और सांस्कृतिक गौरव का निश्चय ही अनुभव होगा। इस पुस्तक में विविध मानचित्रों, चित्रों एवं अद्यतन आँकड़ों को समाहित कर छात्रों के लिए अधिक उपयोगी बनाने का प्रयास किया गया है। पाठ्यपुस्तक निर्माण कार्य में समय समय पर माननीय सचिव महोदय का मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा है। सामाजिक विज्ञान पाठ्यपुस्तक के विषय सङ्कलन, मन्त्र सङ्कलन, शब्द विन्यास, त्रुटि सुधार आदि की दृष्टि से राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय के समस्त आचार्यों एवं अध्यापकों का योगदान रहा है, विशेषतया श्री आयुष शुक्ला एवं श्री अभिजीत सिंह राजपूत जी का साथ ही विविध विद्यालयों के सामाजिक विज्ञान के अध्यापकों श्री विजेन्द्र सिंह हाड़ा, श्री विक्रम बासनीवाल, श्री अनिल शर्मा, श्री मुकेश कुशवाहा, श्री लक्ष्मीकान्त मिश्र, श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय, श्री नरेन्द्र सिंह, श्रीमती अनुपमा त्रिवेदी, श्रीमती नेहा मैथिल जी का भी अभूतपूर्व सहयोग

प्राप्त हुआ है। इन सब के साथ टङ्कण कार्य में श्रीमती किरण परमार का कार्य अति सराहनीय रहा है। इस सहयोग के लिए आप सभी को हृदय से धन्यवाद अर्पित करते हैं।

हमारा प्रयास सामाजिक विज्ञान पाठ्यपुस्तक को वैदिक विद्यार्थियों के लिए सतत् अधिकतम उपयोगी बनाने का रहा है, क्योंकि सामाजिक विज्ञान एक गतिशील विषय होने के कारण सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में पाठ्य सामग्री के संशोधन एवं परिवर्धन की आवश्यकता सदैव बनी रहती है। इस सन्दर्भ में सम्मानित शिक्षकों, विषय विशेषज्ञों तथा सामाजिक विज्ञान में अभिरुचि रखने वाले विद्वानों के सुझावों का सदैव स्वागत है।

सादर धन्यवाद

दिनाङ्क-

डॉ. प्रकाश प्रपन्न त्रिपाठी

रविन्द्र कुमार शर्मा

विषयानुक्रमणिका

क्रम संख्या	अध्याय का नाम	पृष्ठ संख्या
	भूगोल	1
1	संसाधन	2-13
2	कृषि	14-20
3	खनिज और शक्ति संसाधन	21-27
4	उद्योग	28-35
	इतिहास	36
5	भारत में अंग्रेजी शासन की स्थापना	37-47
6	1857 की क्रान्ति	48-54
7	औपनिवेशिक भारत में शिक्षा	55-61
8	औपनिवेशिक भारत में उद्योग एवं नगरीकरण	62-68
9	औपनिवेशिक भारत में समाज सुधार आन्दोलन	69-75
10	औपनिवेशिक भारत में चित्रकला	76-81
11	भारत में आदिवासी	82-89
12	राष्ट्रीय आन्दोलन (1885 ई.-1947 ई.तक)	90-98
13	स्वतन्त्र भारत	99-106
	सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन	107
14	भारतीय संविधान	108-114
15	हमारी संसद	115-120
16	न्यायपालिका	121-128
17	जनसुविधाएँ	129-134
	आदर्श प्रश्न पत्र	135-144

वेदभूषण तृतीय वर्ष

भूगोल

अध्याय-1

संसाधन

आइये जानें- संसाधन, संसाधन के प्रकार, संसाधन संरक्षण, भूमि, भूमि के प्रकार, भूमि की विशेषताएँ, भूमि संरक्षण, वैदिक वाङ्मय में भूमि का महत्त्व, मृदा, मृदा के प्रकार, मृदा का निम्नीकरण, मृदा संरक्षण के उपाय, जल संसाधन, जल उपलब्धता की समस्या, जल संरक्षण के उपाय, वैदिक वाङ्मय में जल की महत्ता, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन, वनस्पति वितरण, वनों से लाभ, वन्य जीव, वन्य जीवों से लाभ, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संरक्षण, वैदिक वाङ्मय में वन एवं वन्यजीव संरक्षण और आधुनिक भारत में प्रमुख वन आन्दोलन।

संसाधन- हर वह वस्तु जिससे हमारी आवश्यकताएँ पूरी होती हैं, उसे हम संसाधन कहते हैं। आज प्रौद्योगिकी और समय ये दोनों ऐसे आवश्यक कारक हैं, जो किसी भी वस्तु आदि को संसाधन में बदलने की क्षमता रखते हैं। प्रबुद्ध चिन्तन, ज्ञान-विज्ञान और नए-नए आविष्कार करने के कारण व्यक्ति स्वयं संसाधन है। प्रत्येक आविष्कार एवं खोज से नये संसाधनों का निर्माण होता है। अथर्ववेद में उल्लेखित है-**"कामःकामायादात्"** (3.29.7) अर्थात् किसी एक कार्य को करने से ही दूसरा कार्य करने का विचार मन में आता है, जैसे- आग का आविष्कार हुआ, फिर उसी आग का विविध प्रयोग किया जाने लगा। इसी प्रकार अनेक तरह के आविष्कारों के द्वारा लोगों ने उन्हें आवश्यक संसाधन बनाया है। संसाधनों को एकस्वीकृत करवाने के पश्चात आर्थिक रूप से मूल्यवान बनाया जा सकता है।

संसाधन के प्रकार- संसाधनों को तीन भागों में बाँटा जा सकता है-

क. प्राकृतिक संसाधन ख. मानव निर्मित संसाधन ग. मानव संसाधन।

क. प्राकृतिक संसाधन- जो संसाधन प्रकृति से हमें प्राप्त हुए हैं और उनका उपयोग हम बिना किसी परिवर्तन के करते हैं। उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, जैसे वायु, जल, मिट्टी, खनिज इत्यादि। संसाधनों को दो भागों में बाँटा गया है- 1. नवीकरणीय संसाधन 2. अनवीकरणीय संसाधन

1. **नवीकरणीय संसाधन-** जो संसाधन पुनःउपयोग में लिए जा सकते हैं व जिनका निर्माण लगातार होता रहता है, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं।जैसे- जल, मिट्टी, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा इत्यादि।

2. **अनवीकरणीय संसाधन-** जिन संसाधनों का पुनःनिर्माण नहीं किया जा सकता है या जो एक बार उपयोग के पश्चात नष्ट हो जाते हैं, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे- कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम पदार्थ, इत्यादि।

ख. मानव निर्मित संसाधन- वे प्राकृतिक संसाधन, जिन्हें मानव ने कला एवं तकनीकी के माध्यम से आवश्यकतानुसार नये रूप एवं आकार दिये, उन्हें **मानव निर्मित संसाधन कहा जाता है।** घर, बड़ी इमारतें, विद्युत उपकरण इत्यादि मानव निर्मित संसाधन के उदाहरण हैं।

ग. मानव संसाधन- संसाधनों के निर्माण एवं विकास में लोगों की कार्य कुशलता में अपेक्षित सुधार करना ही मानव संसाधन और विकास कहलाता है। शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवाओं में निवेश के कारण जनसङ्ख्या भी मानव संसाधन के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार मानव, संसाधन उत्पादन में प्रयोग की जाने वाली पूँजी है। मानव पूँजी में कौशल और उसमें निहित ज्ञान उत्पादन के भण्डार हैं।

क्या आप जानते हैं-

- किसी कार्य करने या वस्तु निर्माण में प्रयुक्त नवीनतम ज्ञान और कौशल प्रौद्योगिकी कहलाता है।
- किसी विचार या आविष्कार पर एकाधिकार ही एकस्विकृत कहलाता है।

संसाधन संरक्षण- संसाधन संरक्षण से आशय संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करते हुए नवीकरण के लिए समय देने से है। संसाधनों का भविष्य के लिए उपयोग हेतु संरक्षण एवं सन्तुलन बनाये रखना **'सतत पोषणीय विकास'** कहलाता है।

प्राचीनकाल में मनुष्य प्रकृति से प्राप्त वनस्पतियों एवं पशुओं पर निर्भर था तथा जनसङ्ख्या, तकनीकीकरण का स्तर बहुत कम होने के कारण संसाधनों का दुरुपयोग न्यून था। अत: उस समय संसाधन संरक्षण की आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई होगी। परन्तु समय परिवर्तन एवं जनसङ्ख्या वृद्धि के साथ संसाधनों की मांग बढ़ी और उन्नत तकनीकों का विस्तार हुआ, जिसके कारण संसाधनों के अतिदोहन में वृद्धि हुई बढ़ा है। वर्तमान में भूगर्भीय जल, जीवाश्म ईंधन आदि का निरन्तर गिरता स्तर संसाधनो के अतिदोहन की ओर संकेत करता है। संसाधनों के विनाश को रोकने के लिये प्रभावी उपाय के रूप में उनका संरक्षण करना अनिवार्य है। जैसे- खराब कागज को फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि इसे पुन: चक्रिय करके उपयोग में ले सकते हैं। इसी प्रकार पानी को भी व्यर्थ में नहीं बहाना चाहिए क्योंकि

क्या आप जानते हैं-

- भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 29% भाग भूमि है। भारत में कुल क्षेत्रफल का 57% कृषि योग्य भूमि, 4% चरागाह भूमि, 24.62% वन भूमि और 17% अन्य उपयोगी भूमि है। विश्व की 90% जनसंख्या भूमि के 30% भाग पर ही निवास करती है।

इससे विद्युत का उत्पादन, आदि कार्य होते हैं। इन उपायों के द्वारा हम संसाधनों को नष्ट होने से रोक सकते हैं।

भूमि- पृथिवी की ऊपरी सतह, जो चट्टानों की टूट-फूट व पदार्थों के सड़ने-गलने से बनती है, **भूमि** कहलाती है। पृथिवी पर भूमि को हम विविध रूपों में देखते हैं, जैसे- समतल, उबड़-खाबड़, पर्वतीय, दलदलीय, बंजर, रेतीली भूमि आदि।

भूमि के प्रकार– स्वामित्त्व के आधार पर भूमि दो प्रकार की होती है-

1. **निजी भूमि-** ऐसी भूमि जिस पर किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों का स्वामित्व होता है, जिसे वे कभी भी खरीद व बेच सकते हैं अथवा उस पर कृषि व उद्योग आदि स्थापित कर सकते हैं, उसे निजी भूमि कहते हैं।
2. **सामुदायिक भूमि-** ऐसी भूमि जिस पर किसी समुदाय या सरकार का आधिपत्य होता है और उसका उपयोग मुख्यत: जनहित के कार्यों के लिए किया जाता है, उसे सामुदायिक भूमि कहते हैं। जैसे- स्वास्थ्य शिविर लगाना, मेला लगाना इत्यादि।

भूमि का उपयोग- भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निश्चित किया जाता है। जैसे-मिट्टी, खनिज, जलवायु, स्थलाकृति और जल की उपलब्धता। मानवीय कारक यथा- जनसङ्ख्या और प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग के मुख्य सूत्रधार हैं। भूमि का उपयोग हम अनेक कार्यों के लिए करते हैं, जैसे- कृषि, वानिकी, खनन, सड़क निर्माण व फैक्ट्रियाँ लगाना आदि।

भूमि की विशेषताएँ- भूमि का पुरातन काल से ही विशिष्ट महत्त्व है, जिसका उल्लेख हमारे वेदों और संस्कृत वाङ्मय में हुआ है। अथर्ववेद में भूमि को हमारी माता कहा गया है। "**माता भूमि: पुत्रो अहं पृथिव्या:।**" (12.1.12)। भूमि प्रकृति से प्राप्त एक ऐसा निश्चित अमूल्य उपहार है, जो कभी नष्ट नहीं हो सकती है। भूमि में स्वयं उत्पादन नहीं होता है। परन्तु श्रम और पूंजी के द्वारा इसमें उत्पादन किया जाता है। भूमि स्थिर व अगतिशील है। इसके सभी भाग उपजाऊ नहीं हैं। कहीं पर भूमि ज्यादा उपजाऊ है, तो कहीं पर भूमि बंजर होती है।

भूमि संरक्षण- वर्तमान समय में जनसङ्ख्या वृद्धि एवं तकनीकीकरण से भूमि का अत्यधिक दोहन हुआ है, जिससे भूमि प्रदुषित हो गई है। इसलिए हमें भूमि संरक्षण के लिए कुछ आवश्यक प्रयास करने चाहिए, जैसे- अधिक मात्रा में वृक्षारोपण, नदियों से बजरी (रेत) दोहन को रोकना, कृषि भूमि में कीटनाशक रसायनों व उर्वरकों का लगातार उपयोग कम करना, सरकार के द्वारा भूमि संरक्षण हेतु प्रत्येक गाँव और शहरों में शिविर लगाकर लोगों को भूमि संरक्षण के विषय में जागरूक करना चाहिए।

वैदिक वाङ्मय में भूमि का महत्त्व- अथर्ववेद के पृथिवी सूक्त में भूमि के महत्त्व का उल्लेख हुआ है- "**सत्यं वृहदृमुग्रं दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञः पृथिवीं धारयन्ति। सा नो भूतस्य भव्यस्य पत्न्युरुं लोकं पृथिवी नः कृणोतु।।**" (12.1.1) अर्थात् पृथिवी को धारण करने वाले ब्रह्म, यज्ञ, तप, दीक्षा तथा वृहद् रूप में फैला जल है। इस पृथिवी ने भूत काल में जीवों का पालन किया था और भविष्य काल में भी जीवों का पालन करेगी। पृथिवी हमें निवास के लिए विशाल स्थान प्रदान करे। "**असंबाधं मध्यतो मानवानां यस्या उद्वतः प्रवतः समं बहु। नानावीर्या ओषधीर्या विभर्ति पृथिवी नः प्रथतां राध्यतां नः।**" (अथर्व.12.1.2) अर्थात्- जिस भूमि पर ऊँचे-नीचे समतल स्थान हैं तथा जो अनेक प्रकार की सामर्थ्य वाली जड़ी बूटियों को धारण करती है। वह भूमि हमें सभी प्रकार से और पूर्ण रूप से प्राप्त हो और हमारी सभी कामनाओं को पूर्ण करे। "**गिरयस्ते पर्वता हिमवन्तोऽरण्यं ते पृथिवि! स्योनमस्तु। बभ्रुं कृष्णां रोहिणीं विश्वरूपां ध्रुवां भूमिं पृथिवीमिन्द्रगुप्ताम्। अजीतोहतो अक्षतोध्यष्ठां पृथिवीमहम्॥ यत्ते मध्यं पृथिवि यच्च नभ्यं यास्त ऊर्जस्तन्वः संबभूवुः। तासु नो धेह्यभि नः पवस्व माता भूमिः पुत्रो अहं पृथिव्याः। पर्जन्यः पिता स उ नः पिपर्तु॥** (अथर्व. 12.1.11-12) अर्थात्, हे पृथिवी माता! आपके हिम आच्छादित पर्वत और वन शत्रुरहित हों। आपके शरीर के पोषक तत्व हमें प्रतिष्ठा दें। यह पृथिवी हमारी माता है और हम इसके पुत्र हैं। हे पृथिवी! तुम्हारा मध्य भाग जीवों के धारण योग्य है। तुम्हारा नाभि क्षेत्र जीवों का रक्षक है। आपसे उत्पन्न रस, हमें पोषित एवं पवित्र करें। यह पृथिवी हमारी माता है, और हम इसके पुत्र हैं और हमारे पिता जल, हमारा पालन करें। "**त्वज्जातास्त्वयि चरन्ति मर्त्यास्त्वं बिभर्षि द्विपदस्त्वं चतुष्पदः। तवेमे पृथिवि पञ्च मानवा येभ्यो ज्योतिरमृतं मर्त्येभ्य उद्यन्त्सूर्यो रश्मिभिरातनोति॥**" (अथर्व. 12.1.15) अर्थात् "हे माता! सूर्य किरणें हमारे लिए वाणी लायें। आप हमें मधु रस दें, आप दो पैरों, चार पैरों वाले सहित सभी प्राणियों का पोषण करती हैं। यहां पृथिवी के सभी गुणों का वर्णन है लेकिन अपनी ओर से क्षमायाचना भी है- "**वर्षेण भूमिः पृथिवी वृतावृता सा नो दधातु भद्रया प्रिये धामनिधामनि॥ यौश्च म इदं पृथिवी चान्तरिक्षं च मे व्यचः अग्निः सूर्य आपो मेधां विश्वे देवाश्च सं ददुः॥ अहमस्मि सहमान उत्तरो नाम भूम्याम्। अभीषाडस्मि विश्वाषाडाशामाशां विषासहः॥**" 12.1.52-54) अर्थात् हे माता! हम दायें-बाएं पैर से चलते, बैठे या खड़े होने की स्थिति में दुखी न हों। सोते हुए, दायें-बाएं करवट लेते हुए, आपकी ओर पांव पसारते हुए शयन करते हैं- आप दुखी न हों। हम औषधि, बीज बोने या निकालने के लिए आपको खोदें तो आपका परिवार, घास-फूस, वनस्पति फिर से तीव्र गति से उगें-बढ़ें। आपके मर्म को चोट न पहुँचे।

मृदा- पृथिवी के धरातल पर बारीक कणों की पतली परत को मृदा या मिट्टी कहते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ (ह्यूमस) से होता है। मृदा निर्माण के पाञ्च कारक तत्व- जनक शैलें, जलवायु, उच्चावच, जैविक क्रिया, और समय, मिलकर मृदा का निर्माण करते हैं। अथर्ववेद में

मृदा निर्माण के बारे में वर्णन है कि "**शर्कराः सिकता अश्मान**" (11.7.21) अर्थात् सफेद कण, बालू और पत्थर इत्यादि सब पृथिवी पर ही निर्मित्त हुए हैं।

मृदा के प्रकार- मृदा का विभाजन रङ्ग और प्रकृति दो आधार पर किया गया है। रङ्ग के आधार पर मृदा मुख्य रूप से चार प्रकार की होती है- लाल मृदा, पीली मृदा, काली मृदा और भूरी मृदा। प्रकृति के आधार पर मृदा मुख्य रूप से चार प्रकार की होती है- दोमट मृदा, रेतीली मृदा, क्षारीय मृदा एवं लवणीय मृदा।

क्या आप जानते हैं-

- मात्र एक सेन्टीमीटर मृदा को बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं।
- पृथिवी पर कुल जल का 97.3 % जल खारा है और 2.7 % जल मीठा है।
- एक टपकता हुआ नल वर्ष में लगभग 1200 लीटर जल व्यर्थ करता है।

मृदा का निम्नीकरण- मृदा के निम्नीकरण से तात्पर्य भूमि में पेड़ पौधों तथा फसलों की वृद्धि के लिए आवश्यक प्राकृतिक पोषक तत्वों की कमी होने से है। इसका मुख्य कारण- खनन कार्य, वनोन्मूलन, अत्यधिक पशुचारण, अधिक सिञ्चाई, औद्योगिक जल निकासी, अपरदन, कीटनाशकों का अधिक प्रयोग, भूस्खलन व बाढ़ हैं।

मृदा संरक्षण के उपाय- मृदा संरक्षण से आशय उन विधियों से है, जो मृदा के क्षरण को रोकते हैं। मृदा क्षरण को रोकने के अनेक उपाय बताये गये हैं, उनमें से कुछ इस प्रकार हैं-

1. वन संरक्षण एवं वृक्षारोपण।
2. अति पशुचारण पर रोक ।
3. बाढ़ नियन्त्रण ।
4. वेदीका फार्म (सीढ़ीदार खेत) ।
5. समोच्च रेखीय जुताई (कन्टूर) ।
6. कृषि की पट्टीदार विधि को बढ़ावा देना ।
7. रक्षक मेखलाओं के निर्माण द्वारा ।
8. वर्षा से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग-अलग समय पर भिन्न-भिन्न फसलें एकान्तर कतारों में उगाई जाती है।

जल संसाधन– जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। जल के वे स्त्रोत, जो पृथिवी के सभी जीवों लिए उपयोगी हैं, जल संसाधन कहलाते हैं। पृथिवी के तीन-चौथाई भाग पर जल है, इसलिए

इसे नील ग्रह भी कहते हैं। पृथिवी पर जल की प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है। वाष्पीकरण, वर्षण और बहाव तथा महासागरों में चक्रण द्वारा जल निरन्तर गतिशील रहता है, जो **जल चक्र** कहलाता है।

जल उपलब्धता की समस्याएँ– आज सम्पूर्ण विश्व, जल संकट की ओर तेजी से बढ़ रहा है। भूगर्भ का गिरता जल स्तर एवं जल की बर्बादी और प्रदूषण जल उपलब्धता की प्रमुख समस्याएँ हैं। वर्ष 2018 में नीति आयोग द्वारा जारी 122 देशों की जल गुणवत्ता सूची में भारत 120 वें स्थान पर है। विश्व के अधिकांश भागों- एशिया, अफ्रीका, आस्ट्रेलिया और अमेरीका आदि देशों में मृदु जल की आपूर्ति की कमी है। अत: विद्वानों का मानना है कि अगले विश्व युद्ध के मूल में वैश्विक जल संकट होगा।

जल संसाधनों का संरक्षण- जल संरक्षण के लिए क्षीण होते जल संसाधनों का संरक्षण करना आवश्यक है। वर्तमान में औद्योगिक एवं आर्थिक वातावरण, बढ़ती उपयोगतावादी संस्कृति, अत्यधिक जनसङ्ख्या वृद्धि एवं सिंचित भूमि में लगातार वृद्धि होने के कारण जल का विदोहन तीव्र गति से हो रहा है। अतः प्रादेशिक, राष्ट्रीय एवं विश्व स्तर पर स्वच्छ जल की मात्रा को संरक्षित करने की आवश्यकता है ताकि आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ जल मिल सके।

चित्र-1.1 स्प्रिंकलर विधि

जल संरक्षण के उपाय- जल संरक्षण के लिए प्रत्येक नागरिक, समाज और प्रशासन को एक साथ मिलकर कदम उठाने की आवश्यकता है। जल संरक्षण के निम्न उपाय हैं-

1. घरेलू एवं औद्योगिक अपशिष्ट को नदी व जलाशयों में नहीं डालना चाहिए।
2. पेयजल के स्त्रोतों के निकट साबुन आदि रसायनिक पदार्थों का प्रयोग नहीं करना चाहिए।
3. अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों से नहरों आदि के द्वारा जल को कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पहुँचाना।
4. सिञ्चाई की उन्नत विधियों का प्रयोग जैसे स्प्रिंकलर, ड्रिप(टपकन) विधि आदि का प्रयोग करना चाहिए।
5. वनावरण में वृद्धि अर्थात् अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए।
6. वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगवाना।
7. वर्षा जल को टाँके, पोखर, कुण्डों आदि मे एकत्र करना।

वैदिक वाङ्मय में जल की महत्ता- हमारे वैदिक वाङ्मय में जल की महत्ता प्रतिपादित की गई है। अथर्ववेद में उल्लेख है कि - "**अप्स्वन्तरमृतमप्सु भेषजम्**" (1.4.4) अर्थात् जल में औषधीय गुण विद्यमान हैं।

"**क्षयन्तीश्चर्षणीनाम्।**" (1.5.4) अर्थात् जल हमारे जीने का एकमात्र सहारा है। जल के कारण ही प्राचीनकाल में सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे हुआ था। मनुष्य भोजन के बिना लम्बे समय तक जीवित रह सकता है परन्तु जल के बिना नहीं। वर्तमान में जल संरक्षण के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकारें कार्य कर रही हैं। लेकिन जब तक जनता में जागरूकता नहीं आएगी, ये प्रयास सफल नहीं होंगे। राजस्थान में पुराने समय में राजा-महाराजाओं ने जल संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए थे। राज्य के विभिन्न जिलों में पाए जाने वाले तालाब, झीलें, कुएँ, बावड़ियाँ आदि इसके उदाहरण हैं।

क्या आप जानते हैं-

- घर की छत के वर्षा जल का संग्रहण और उस जल को उपयोग में लेना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। औसतन दो घन्टे की वर्षा से 8000 लीटर को संग्रहीत किया जा सकता है।
- उदयपुर को 'झीलों की नगरी' कहते हैं।
- एशिया महाद्वीप की मीठे पानी की मानव निर्मित सबसे बड़ी झील 'जयसंमद' है।
- जल संरक्षण और नदियों को सदानीरा बनाने की दिशा में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटलबिहारी वाजपेयी ने नदी जोड़ो परियोजना की योजना बनाई थी।

प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन- दैनिक जीवन में हम अनेक प्रकार की वनस्पतियों का उपयोग करते है। देश के विभिन्न भागों में जूट, बांस, बेंत आदि वनस्पतियों से निर्मित अनेक सामग्रियाँ जैसे- बैग, टोकरी, कुर्सियाँ आदि हैं। इनके अतिरिक्त रेशम प्राप्त करने के लिए हम शहतूत के पेड़ों पर रेशम कीटों को पालते हैं। पृथिवी का वह भाग जिस पर जीव पाये जाते हैं, उसे जैव मण्डल कहते हैं। इस जैव मण्डल में जैव विविधता संरक्षित रहती है। जैव विविधता से तात्पर्य किसी क्षेत्र विशेष में पाये जाने वाले जीव-जन्तुओं और वनस्पति आदि से होता है। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन पृथिवी के स्थलमण्डल, जलमण्डल और वायु मण्डल के मध्य जुडे एक संकरे क्षेत्र में पाये जाते हैं। सभी जीवों का जीवन एक दूसरे पर निर्भर होता है, इसलिए ये एक-दूसरे के पूरक होते हैं। इस जीवन आधारित तन्त्र को **पारितन्त्र** कहते हैं। वन और वन्यजीव बहुमुल्य संसाधन हैं। ये प्रकृति में सन्तुलन बनाने का कार्य करते हैं।

वनस्पति वितरण- वनस्पतियों की वृद्धि का आधार मुख्यत: तापमान और आर्द्रता है। विश्व की वनस्पतियों को चार श्रेणियों में रखा गया है- वन, घास स्थल, गुल्म और टुण्ड्रा। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में बड़े वृक्ष पाए जाते हैं। जहाँ आर्द्रता कम होती है वहाँ वृक्षों के आकार और सघनता में कमी हो जाती है। सामान्य वर्षा वाले भागों में छोटे वृक्ष और घासें उगती हैं, जिनसे घास स्थलों का निर्माण होता है। न्यून वर्षा वाले क्षेत्रों में कटीली झाडियाँ और गुल्म पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में पौधों की जड़ें गहरी होती

हैं। वाष्पोत्सर्जन से पैदा होने वाली आर्द्रता से होने वाली हानि को कम करने के लिए इन पेड़ों की पत्तियाँ काँटेदार और मुलायम सतह वाली होती हैं। मास और लाइकेन टुन्ड्रा वनस्पतियाँ हैं। वृक्षों की पत्तियाँ गिरने के आधार पर वनों को सदाहरित और पर्णपाती वनों में विभाजित किया गया है।

भारत में वनस्पति का वितरण समान नहीं है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में वन अधिक हैं, तो कम वर्षा वाले क्षेत्रों में वन कम है। भारतीय वन सर्वेक्षण (एफ.एस. आइ) की "इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021" रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 8,09,537 वर्ग किमी क्षेत्र में वन हैं। भारत में सबसे अधिक वन मध्यप्रदेश राज्य में हैं, तथा सबसे कम हरियाणा में है। वर्तमान में भारत के लगभग 24.62 प्रतिशत भू-भाग पर वन हैं, जो विश्व के कुल भू-भाग का लगभग 2.4% भाग है। जबकि किसी भी देश के 33% भू-भाग पर वन होने चाहिए। वन संसाधन तेजी से समाप्त होते जा रहे हैं। अत: इस बहुमूल्य संसाधन के संरक्षण की आवश्यकता है।

वनों से लाभ- वनों से हमें प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से अनेक लाभ होते हैं, जिनमें से कुछ निम्न हैं-

1. पेड़ों से हमें इमारती लकड़ियाँ प्राप्त होती है।
2. पेड़–पोधों से हमें प्राण वायु ऑक्सीजन प्राप्त होती है।
3. मृदा अपरदन को रोकते हैं एवं भूमि को उपजाऊ बनाते हैं।
4. भूमिगत जल के सङ्ग्रहण में सहायक होते हैं।
5. पेड़ों से हमें फल, लैटेक्स, तारपीन का तेल, औषधीय पादप, कागज आदि प्राप्त होते हैं।

वन्य जीव- वन्य जीव जङ्गली जीवों की वह श्रेणी है, जो प्राकृतिक आवासों में रहते हैं। वन्य जीव विश्व के सभी परितन्त्रों में पाये जाते हैं। शेर, बाघ, तेन्दुआ, जिराफ, नील गाय, जङ्गली सुअर, जरख, लोमड़ी, खरगोश, सेही, गीदड़, आदि वन्य जीवों की श्रेणी में आते हैं।

वन्य जीवों से लाभ- वन्यजीवों का भी हमारे दैनिक जीवन में अत्यधिक महत्व है। इनसे भी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से अनेक लाभ होते हैं, जो निम्न हैं-

1. इनसे दूध, मांस, खाल एवं ऊन आदि प्राप्त होते हैं।
2. मधुमक्खी से हमें शहद प्राप्त होता है। मधुमक्खी पालन के अध्ययन को एपीकल्चर कहते हैं।
3. कीट, फूलों के परागण (पकने) फ़ल बनने में मदद करते हैं।
4. पक्षी अपघटक के रूप में काम करते हैं। जैसे- चिड़िया अपने भोजन में कीटों पर निर्भर होती है।
5. पक्षी पर्यावरण को शुद्ध करने का कार्य भी करते हैं, जैसे गिद्द मृत जीव-जन्तुओं को खाकर पर्यावरण का परिशोधन करता है। इसलिए प्राणी चाहे बड़े हो या छोटे सभी का पारिस्थितिक तन्त्र के सन्तुलन बनाने में अहम योगदान होता है।

प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संरक्षण:- पर्यावरण के क्षेत्र में सन्तुलन बनाये रखने के लिए वनों एवं वन्य जीवों का होना बहुत आवश्यक है। आज मानव हस्तक्षेप के कारण पौधों और जन्तुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं। बहुत सी वन्यजीवों की प्रजातियाँ लुप्त हो चुकी हैं या होने के कगार पर हैं। वर्तमान में बढ़ते औद्योगिकीकरण, जनसङ्ख्या वृद्धि ,तेजी से क्षरित होते वन, मृदा अपरदन, दावानल, भूस्खलन, अनाधिकार शिकार के कारण प्राकृतिक वनस्पतियों एवं वन्यजीवों पर लुप्त होने का खतरा मण्डरा रहा है। केन्द्र और राज्य सरकारों ने पक्षियों, वन्य प्राणियों आदि के व्यापार करने पर प्रतिबन्ध लगा कर, इस दिशा में तेजी से कार्य करना प्रारम्भ किया है। सरकार के साथ-साथ हमें भी इनके संरक्षण के प्रयास करने होंगे तभी ये संसाधन भविष्य के लिए सुरक्षित रह सकते हैं। सरकार द्वारा इनके संरक्षण के लिए निम्न उपाय किए गये हैं-

चित्र-1.2 घना पक्षी विहार भरतपुर (राजस्थान)

1. भारत सरकार द्वारा वन और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए 1972 ई. में अधिनियम बनाया था। इस कानून के द्वारा वन और वन्य जीवों सुरक्षा के लिए अनेक कार्य किए गए हैं। जैसे- अवैध शिकार पर प्रतिबन्ध, वन्यजीवों के क्रय-विक्रय पर रोक आदि। इस अधिनियम में सुधार के लिए वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक 2021 सरकार द्वारा बनाया गया है, जिसमें संरक्षित प्रजातियों की सङ्ख्या में वृद्धि और CITES को लागू करने का प्रयास करता है।
2. राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्य जीव अभयारण्यों की स्थापना कर केन्द्र व राज्य सरकारों ने इनके संरक्षण एवं संवर्धन के लिए इनके प्राकृतिक आवासों को सुरक्षित किया है। उनमें मानव गतिविधियों पर रोक लगाई है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, (मध्यप्रदेश) रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान, (राजस्थान) कार्बेट नेशनल पार्क (उत्तराखण्ड), काजीरङ्गा राष्ट्रीय उद्यान (असम), गिर राष्ट्रीय उद्यान (गुजरात) आदि प्रमुख हैं।
3. राज्य स्तर पर राज्य सरकारें भी लोगों को इनके संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए जागरूक करने के लिए सामुदायिक स्तर पर सामाजिक वानिकी वन महोत्सव आदि के कार्यक्रम आयोजित करके लोगों को प्रोत्साहित करती हैं।

वैदिक वाङ्मय में वन एवं वन्यजीव संरक्षण- हमारी वैदिक संस्कृति में वनस्पतियों एवं वन्य प्राणियों का स्थान महत्त्वपूर्ण होने के कारण इनको संरक्षण और सुरक्षा प्रदान करने हेतु, इन्हें धार्मिक आस्था से जोड़ा गया। प्राचीन काल में हमारे ऋषि-मुनियों ने भी इनके संरक्षण के प्रयास किए हैं। आज भी हमारे घरों में तुलसी, पीपल, खेजड़ी, आम, विल्व आदि वृक्षों की पूजा की जाती है। "**गावो विश्वस्य मातरः**" अर्थात् गाय को हम सभी माता मानते हैं। महर्षि वशिष्ठ की गाय **नन्दनी** की रक्षा राजा दिलीप ने अपने प्राणों की बाजी लगाकर की थी। इस बात से पता चलता है कि वैदिक युग में भी वनों व वन्य पशुओं का संरक्षण होता था। ऋग्वेद में वनों के महत्त्व के बारे में कथन है कि "**अव सृजा वनस्पते देव देवेभ्यो हविः**।" (1.13.11)। अर्थात् वनस्पतियाँ हमें देवताओं के लिए हव्य सामग्रियां प्रदान करती हैं। "**आप ओषधीरुत नोऽवन्तु द्यौर्वना गिरयो वृक्षकेशाः**।"(5.41.11) जल एवं वनस्पतियाँ हमारी रक्षा करती है। द्युलोक, वन एवं वृक्ष से परिपूर्ण पर्वत ये सभी प्रदूषण को दूर करके हमारी रक्षा करते हैं। इसी प्रकार पर्यावरण सन्तुलन में वृक्षों के योगदान को स्वीकार करते हुए हमारे मनीषियों ने इनके बारे में वृहत चिन्तन किया है। मत्स्य पुराण में इनके महत्त्व को प्रतिपादित करते हुए उल्लेख है कि– "**धश कूप समा वापी, दशवापी समोहद्रः। दशहद सम: पुत्रो, दशपुत्र समो द्रुम:॥**" अर्थात् दस कुओं के बराबर एक बावड़ी होती है, दस बावड़ियों के बराबर एक तालाब, दस तालाबों के बराबर एक सन्तान और दस सन्तानों के बराबर एक वृक्ष होता है।

क्या आप जानते हैं-

- वैश्विक स्तर पर 'द कन्वेंशन ऑन इन्टरनेशनल ट्रेड इन इनडेंजर्ड स्पीशीष ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा' (CITES) नामक संस्था इस दिशा में कार्य कर रही है। इस संस्था के द्वारा सभी जीव-जन्तुओं एवं पक्षियों को सूचीबद्ध करने का कार्य किया है। वर्तमान में पशुओं की 5000 प्रजातियाँ और पौधें की 28000 प्रजातियाँ रक्षित की गई है।
- PETA (People For The Ethical Treatment Of Animals) एक पशु-अधिकार संगठन है। इसकी स्थापना 1980 ई. में अमेरीका के वर्जिनिया प्रान्त के नॉर्फोल्क नगर में की गई थी। यह संस्था वैश्विक स्तर पर पशुओं के साथ नैतिक व्यवहार करने बल देती है तथा पशु क्रूरता का विरोध करती है।

आधुनिक भारत के प्रमुख वन आन्दोलन- आधुनिक काल में राजस्थान का **खेजड़ली वन आन्दोलन जोधपुर (1730 ईस्वी)** इतिहास प्रसिद्ध है।इस आन्दोलन में अमृता देवी बिश्नोई सहित 363 बिश्नोई लोग खेजड़ी वृक्षों को बचाने के लिए खेजड़ली में शहीद हो गए थे। चिपकों आन्दोलन 1973 ई. में चमोली, उत्तराखण्ड में हुआ था। इस आन्दोलन की मुख्य बात यह थी कि इसमें स्त्रियों ने अधिक सङ्ख्या में भाग लिया था। इस आन्दोलन का प्रारम्भ भारत के प्रसिद्ध पर्यावरणविद् सुन्दरलाल बहुगुणा, कामरेड गोविन्द सिंह रावत, चण्डीप्रसाद भट्ट तथा श्रीमती गौरादेवी के नेतृत्त्व में हुआ था।1973 ई. में केरल

सरकार ने कुन्तीपुझा नदी पर एक बड़े बाँध की योजना बनाई थी। कवयित्री और एक्टिविस्ट सुगाथा कुमारी और केरल शास्त्र साहित्य परिषद् नामक संस्था ने इस वन को बचाने के लिए **साइलेंट वैली बचाओ आन्दोलन** चलाया था। परिणामस्वरूप 1981ई. में तत्कालीन प्रधानमन्त्री इंदिरा गांधी ने साइलेंट वैली को संरक्षित करने की घोषणा की थी तथा 1985 ई. में राजीव गांधी ने इसे नेशनल पार्क घोषित कर दिया था। 1982 ई. में झारखंड राज्य के सिंहभूमि जिले में आदिवासियों ने वनों को बचाने के लिए **जङ्गल बचाओ आन्दोलन** किया था। सन् 2006 में यूपीए सरकार ने जब वन अधिकार कानून पास किया, तब आदिवासियों ने इस आन्दोलन को वापस लिया था। 1983 ई. में कर्नाटक के शिमोगा ज़िले में वनों को बचाने के लिए **आपिको आन्दोलन** (Aapiko Movement) चलाया गया था। इस आन्दोलन का नेतृत्त्व पाण्डुरङ्ग हेगड़े ने किया था। मानव सभ्यता की प्रगति में वनस्पति एवं वन्य जीवों का योगदान अमूल्य है। इसलिए हमारा यह कर्तव्य है कि हमें इनके संरक्षण एवं संवर्द्धन के कार्य अवश्य करने चाहिए और इसके लिए आने वाली पीढ़ी को भी प्रेरित करना चाहिए।

प्रश्नावली

बहु विकल्पीय प्रश्न-

1. निम्न में मानव निर्मित संसाधन.....है।

अ. जल	ब. पर्वत	स. वायु	द. लोहा

2. अनवीकरणीय संसाधन ..... कहते हैं।

अ. मिट्टी	ब. पवन ऊर्जा	स. कोयला	द. इनमें से कोई नहीं

3. निम्न में मृदा का निर्माण.....का कारक है।

अ. जलवायु	ब. वर्षा	स. जनक शैलें	द. उपर्युक्त सभी

4. रङ्ग के आधार पर मिट्टी के..... प्रकार होते हैं।

अ. 1	ब. 3	स. 2	द. 4

5. नवीकरणीय..... संसाधन हैं।

अ. प्राकृतिक गैस	ब. पेट्रोलियम	स. धात्विक	द. सौरऊर्जा

6. हमारे देश में वनों का वितरण प्रकार..... है।

अ. समान	ब. असमान	स. बराबर	द. उपर्युक्त सभी

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए -

1. भारत के ..... प्रतिशत भू-भाग पर वन है। (24.4%/30%)
2. प्राकृतिक गैस ..... संसाधन है। (नवीकरणीय/अनवीकरणीय)
3. रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान ..... में अवस्थित है। (राजस्थान/छत्तीसगढ़)

सत्य/असत्य बताइए -

1. मृदा का विभाजन रङ्ग और प्रकृति दो आधारों पर किया जाता है। (सत्य/असत्य)
2. जल संरक्षण हमारी जिम्मेदारी है। (सत्य/असत्य)
3. चिपकों आन्दोलन की शुरुआत राजस्थान राज्य से हुई। (सत्य/असत्य)

सही-जोड़ी मिलान कीजिए -

1. खेजड़ली आन्दोलन	क. 1982 ईस्वी
2. चिपकों आन्दोलन	ख. 1730 ईस्वी.
3. आपिको आन्दोलन	ग. 1973 ईस्वी

अति लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. संसाधन कितने प्रकार के होते हैं ?
2. मानव संसाधन क्या है ?
3. प्राकृतिक संसाधनों के कितने भाग होते हैं ?
4. मानव निर्मित संसाधन किसे कहते हैं ?
5. पारितन्त्र किसे कहते हैं ?

लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. जल संसाधन से क्या अभिप्राय है ?
2. मृदा निम्नीकरण के प्रमुख कारण बताओ ?
3. जल का उपयोग कौन-कौन से कार्यों में होता है ?
4. भूमि किसे कहते है ? उसके प्रमुख कारक बताइए।
5. वनों से हमें क्या लाभ है?

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न-

1. भूमि की विशेषताओं का विस्तार से वर्णन करो ।
2. वनस्पति एवं वन्य जीव संरक्षण पर एक निबंध लिखिए।

परियोजना कार्य-

1. आधुनिक समय में जल संरक्षण की प्रमुख विधियों का चित्रण कीजिए ।

अध्याय–2

कृषि

आइये जानें- कृषि का अर्थ, कृषि के प्रकार, कृषि ऋतुएँ, वैदिक वाङ्मय में कृषि, भारत की मुख्य फसलें और स्वतंत्र भारत में कृषि का विकास ।

कृषि का अर्थ- भूमि पर फसलोत्पादन एवं पशुपालन आदि के लिए प्रयुक्त कला एवं विज्ञान को कृषि कहा जाता है। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती है, वह कृषि भूमि कहलाती है। अनाज, फल-फूल और सब्जी उत्पादन तथा पशुपालन व्यवसाय इन सभी को कृषि में सम्मिलित किया जाता है। विश्व की आधी जनसङ्ख्या कृषि पर निर्भर है। कृषि के लिए अनुकूल दशा जैसे- स्थलाकृति, मृदा और जलवायु अनिवार्य है। कृषि पर द्वितीयक एवं तृतीयक उद्योग भी आधारित हैं। कृषि एक तन्त्र के रूप में कार्य करती है। श्रमिक, बीज, उर्वरक, मशीनरी इसके निवेश हैं, जुताई, बुआई, कटाई आदि इसकी संक्रियाएँ हैं तथा अनाज, ऊन, डेरी आदि इसके निर्गत हैं।

क्या आप जानते हैं-

- कृषि को अंग्रेजी भाषा में एग्रीकल्चर कहते हैं। यह लैटिन भाषा के एगर या एग्री और कल्चर से मिलकर बना है, जिसका अर्थ कृषि करना है।
- ऐसी कृषि जिसमें उत्पादन बढ़ाने के लिए जैविक खाद और प्राकृतिक कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है, जैविक कृषि कहलाती है।

कृषि के प्रकार:- कृषि को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है।

(क) निर्वाह कृषि (ख) वाणिज्यिक कृषि

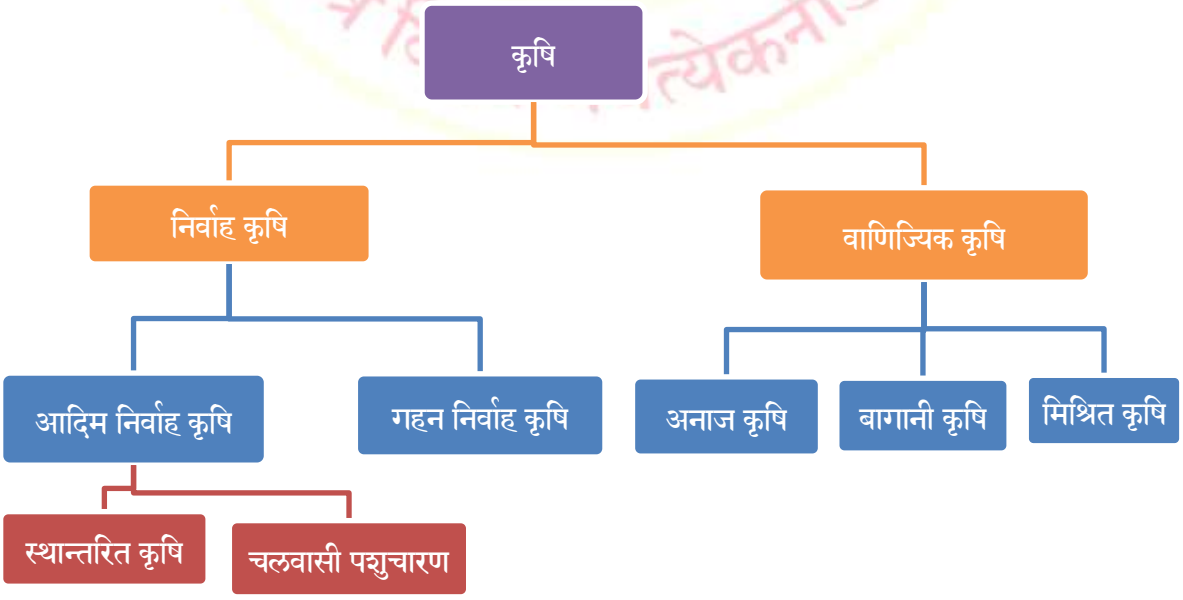

(क) **निर्वाह कृषि :-** वह कृषि, जो कृषक अपने परिवार के भरण-पोषण के उद्देश्य से करता है, उसे निर्वाह कृषि कहा जाता है। इस कृषि में मानव श्रम का अधिक एवं मशीनरी का उपयोग कम किया जाता है। निर्वाह कृषि को आदिम निर्वाह कृषि तथा गहन कृषि में विभाजित किया जाता है।

1. **गहन निर्वाह कृषि-** छोटे भू-खण्डों पर एक ही खेत में दो या तीन बार की जाने वाली कृषि, गहन निर्वाह कृषि कहलाती है। इसमें एक से अधिक फसलें बोई जाती है। इस कृषि की प्रमुख फसल चावल है,इसके अतिरिक्त गेहूँ, मक्का, दलहन, तिलहन भी शामिल हैं। यह खेती भारत के नदी मैदानों में पूर्वी भारत के सघन आबादी क्षेत्र, पश्चिम बङ्गाल, बिहार, पञ्जाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश आदि राज्यों में की जाती है।
2. **आदिम निर्वाह कृषि-** आदिम निर्वाह कृषि प्राय: मानव के घुमन्तु जीवन काल में की जाती थी। वर्तमान में भी विश्व के कुछ भागों में की जाती है। आदिम निर्वाह कृषि के दो रूप होते हैं- स्थानान्तरी कृषि और चलवासी पशुचारण।

i. **स्थानान्तरी कृषि-** यह कृषि मुख्य रूप से आदिम जन जातियों द्वारा की जाती है। इसमें किसी स्थान के जङ्गलों को काटकर या जलाकर खेत बनाए जाते हैं। इस प्रकार के खेतों में 2 या 3 वर्ष तक कृषि की जाती है। उसके बाद मिट्टी में उर्वरा शक्ति कम होने पर उस खेत को छोड़कर दूसरे स्थान पर नये खेत बनाए जाते हैं। इस कृषि को **'कर्तन और दहन'** कृषि के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार की खेती को उत्तरी-पूर्वी भारत में **झूमिंग** (झूम) एवं दक्षिण राजस्थान में **वालरा** कहा जाता है।

चित्र- 2.1 पश्चिम राजस्थान में पशुचारक भेड़ों के साथ

ii. **चलवासी पशुचारण कृषि-** इस खेती में पशुपालन किया जाता है। इसमें पशुचारक अपने पशुओं जैसे- भेड़, बकरी, ऊँट एवं याक आदि को चारे एवं पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। इन पशुओं से पशुचारकों को दूध, मांस, ऊन, खाल व अन्य उत्पाद मिलते हैं। यह कृषि हमारे देश में जम्मू-कश्मीर, राजस्थान आदि राज्यों में होती है।

(ख.) वाणिज्यिक कृषि- इस प्रकार की कृषि का मुख्य उद्देश्य फसल एवं पशु उत्पादों को बाजार में बेचना होता है। यह कृषि बड़े-बड़े खेतों में की जाती है। इसमें अधिक पूँजी एवं श्रम की आवश्यकता होती है।

इस कृषि में सरसों, चना, कपास, जूट, तिलहन, तम्बाकू, गन्ना, चाय, कॉफी, रबड़ आदि फसलें उगाई जाती हैं। यह कृषि तीन प्रकार की होती है

1. **वाणिज्यिक अनाज कृषि-** इस कृषि में मुख्यत: ऐसी फसलों को उगाया जाता है, जिन पर उद्योग धन्धे निर्भर होते हैं।
2. **मिश्रित कृषि-** मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग अनाज एवं चारे की फसलें उगाने और पशुपालन के लिए किया जाता है।
3. **बागानी कृषि-** बागानी कृषि एक प्रकार की वाणिज्यिक कृषि होती है। इसे रोपण कृषि भी कहा जाता है। इसमें अधिक पूंजी व श्रम की आवश्यकता होती है। यह बड़े-बड़े कृषि उद्योगों के रूप में की जाती है। जैसे- चाय, कहवा, रबड़, फल-सब्जियाँ आदि।

सारणी 2.1

प्रमुख कृषियों के नामों की सूची	
अंग्रेजी नाम	**हिन्दी नाम**
एग्रीकल्चर	कृषि
सेरीकल्चर	रेशम उत्पादन की कृषि
पिसीकल्चर	मछलीपालन
विटिकल्चर	द्राक्षा (अंगूर की खेती)
हार्टीकल्चर	उद्यान कृषि
एपिकल्चर	मधुमक्खी पालन
सेल्वीकल्चर	वन्य कृषि

कृषि ऋतुएँ- हमारे देश में ऋतुओं के आधार पर तीन प्रकार की फसल उगाई जाती हैं।

1. **खरीफ की फसल-** खरीफ की फसल वर्षा ऋतु में बोई जाती है। बाजरा, मक्का, ज्वार, मूंग, मूंगफली, चावल आदि प्रमुख खरीफ की फसलें हैं।
2. **रबी की फसल-** रबी की फसल शीत ऋतु में बोई जाती है। गेहूँ, जौ, चना, सरसों आदि प्रमुख रबी की फसलें हैं।
3. **जायद की फसल-** जायद की फसल ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है। फल, सब्जी, राजमा, बरसीम आदि प्रमुख जायद की फसलें हैं।

क्या आप जानते हैं

- भारत के दो तिहाई भू-भाग पर कृषि की जाती है।

वैदिक वाङ्मय में कृषि- मानव ने सभ्यता के विकास क्रम में सर्वप्रथम खेती करना सीखा था। वैदिक वाङ्मय में ग्राम्य एवं कृषि संस्कृति का मनोहारी वर्णन किया गया है। अथर्ववेद के कृषि सूक्त में कृषि कर्म का उल्लेख है- "**कृते योनौ वपतेह बीजम्।**" (3.17.2) अर्थात् भूमि को जोत कर उसमें बीज बुवाई करने को कृषि का प्राथमिक कर्म कहा गया है। राजा को किसानों की रक्षा करने के लिए निर्देशित किया गया है। वेदों में कृषि के लिए आवश्यक उपकरण कृषक, हल एवं बैलों की जोड़ी तथा प्रकृति से वर्षा अपेक्षित होने का वर्णन है। "**शुनं वाहाः शुनं नरः शुनं कृषतु**

लाङ्गलम्।" (3.17.6) अर्थात् किसान एवं बैल हल के द्वारा सुख पूर्वक खेत की जुताई करें। वर्षा के लिए प्रार्थना की गई है कि "**सा नः पयस्वती दुहामुत्तरामुत्तरां समाम्।**" (अथर्व. 3.17.4) अर्थात् भूमि हम को हर वर्ष अच्छी उपज प्रदान करे। अन्न को प्राण कहा गया है क्योंकि अन्न सेवन से ही मनुष्य का शरीर बलिष्ठ होता है। अन्न के महत्व का प्रतिपादन करते हुए कहा गया है कि "**अन्नाद्येन यशसा तेजसा।**" (13.4.49) अर्थात् अन्न से हमें यश व तेज की प्राप्ति होती है। आज भी भारत की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित ही है, जिसका सम्बन्ध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और उपभोग से है।

सारणी 2.2

भारत में सर्वाधिक फसल/उपज वाले राज्य

फसल/उपज	सर्वाधिक उत्पादक राज्य	फसल/उपज	सर्वाधिक उत्पादक राज्य
चावल	पश्चिमी बङ्गाल	मूंगफली	गुजरात
गेहूं	उत्तरप्रदेश	सरसों	राजस्थान
ज्वार	महाराष्ट्र	सोयाबीन	मध्यप्रदेश
बाजरा	राजस्थान	जूट	पश्चिमी बङ्गाल
मक्का	आन्ध्रप्रदेश	नारीयल	केरल
गन्ना	उत्तरप्रदेश	केसर	जम्मू और कश्मीर
चाय	असम	कपास	गुजरात
कहवा	कर्नाटक	आलू	उत्तरप्रदेश
चना	मध्यप्रदेश	प्याज	महाराष्ट्र
रबर	केरल	केला	तमिलनाडु
मक्का	आन्ध्रप्रदेश	लहसुन	मध्यप्रदेश
सूरजमुखी	कर्नाटक	जौ	उत्तरप्रदेश

भारत की मुख्य फसलें-

1. **चावल–** यह विश्व में सर्वाधिक उपभोग किया जाने वाला अनाज है। इसकी खेती जलोढ़ मिट्टी में अधिक होती है। चीन का चावल के उत्पादन में प्रथम स्थान है। भारत में सर्वाधिक चावल पश्चिम बङ्गाल में होता है। इसके अतिरिक्त बिहार, उत्तर प्रदेश, आन्ध्रप्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि प्रमुख चावल उत्पादक राज्य हैं।

2. **गेहूँ**– गेहूँ की फसल दोमट मिट्टी में अच्छी होती है। विश्व में गेहूँ संयुक्त राज्य अमेरीका में सबसे अधिक होता है। भारत में उत्तर प्रदेश, पञ्जाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में अधिक उत्पादन होता है।
3. **बाजरा**- बाजरे के लिए कम वर्षा की आवश्यकता होती है। इसका उत्पादन राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश में अधिक होता है।
4. **मक्का**- मक्का के लिए अधिक तापमान व वर्षा की आवश्यकता होती है। संयुक्त राज्य अमेरीका मक्का उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। भारत देश में कर्नाटक, मध्यप्रदेश, बिहार आदि राज्यों में उत्पादित की जाती है।
5. **पटसन**– पटसन के लिए अधिक वर्षा एवं उच्चताप की आवश्यकता होती है। विश्व में सबसे अधिक पटसन का उत्पादन भारत में होता है। भारत में पश्चिमी बङ्गाल, बिहार उत्पादन में अग्रणी राज्य हैं।

चित्र- 2.2 सूरतगढ़ कृषि फार्म राजस्थान का दृश्य

6. **कपास**– सूती वस्त्र उद्योग के लिए कपास मुख्य कच्चा माल है। इसके लिए उच्च ताप व हल्की वर्षा की आवश्यकता होती है। विश्व में सबसे अधिक कपास भारत में होती है। हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, पञ्जाब, तमिलनाडु आदि राज्यों में कपास का उत्पादन होता है।
7. **चाय व कॉफी**- चाय व कॉफी प्रमुख बागानी फसल हैं। हमारे देश में चाय का उत्पादन असम, पश्चिम बङ्गाल, कर्नाटक आदि राज्यों में होता है। कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक में होता है।

स्वतन्त्र भारत में कृषि का विकास- हरित क्रान्ति (1966-67 ई.) के पश्चात भारत में कृषि क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ है। जिसके परिणामस्वरूप बढ़ती जनसङ्ख्या के लिए खाद्यान्न पूर्ति करना संभव हुआ है। इसके लिए भारत में बड़े-बड़े कृषि फार्मों की स्थापना की गई। उन फार्म हाउस में कृषि की आधुनिक तकनीकों एवं मशीनों का प्रयोग करके खेती की जाती है। हमारे देश में कृषि का चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है। कृषि के क्षेत्र में अत्यधिक विकास होने के कारण आज हम आत्मनिर्भर हो गये हैं। उत्तरप्रदेश, पञ्जाब, हरियाणा,

क्या आप जानते हैं

- कॉफी की खोज 850 ई. में अरब निवासी कालदी ने की थी।

राजस्थान आदि राज्यों में सरकार द्वारा बड़े-बड़े कृषि फार्मों की स्थापना की गई है, जिनमें आधुनिक तकनीकों से फसलों का उत्पादन किया जा रहा है।

प्रश्नावली

बहु विकल्पीय प्रश्न-

1. विश्व में सर्वाधिक कपास का उत्पादन..... में होता है।

अ. भारत ब. अमेरीका स. फ्रांस द. पाकिस्तान

2. निम्नलिखित में से ..... फसल खरीफ है।

अ. गेंहू ब. चना स. सरसों द. मक्का

3. मक्का उत्पादक प्रमुख राज्य है -

अ. कर्नाटक ब. राजस्थान स. बिहार द. आन्ध्र प्रदेश

4. रबी की फसल है -

अ. बाजरा ब. मूंगफली स. चना द.चावल

सत्य/असत्य बताइए -

1. आदिम जनजातियों द्वारा वाणिज्यिक कृषि की जाती है। (सत्य/असत्य)
2. भारत की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है। (सत्य/असत्य)
3. स्थानान्तरित कृषि को वालरा कृषि भी कहा जाता है। (सत्य/असत्य)

सही-जोड़ी मिलान कीजिए-

1. बाजरा	क. पश्चिम बङ्गाल
2. गेहूं	ख. राजस्थान
3. चावल	ग. उत्तरप्रदेश

रिक्त स्थान की पूर्ति करो-

1. कृषि के दो मुख्य प्रकार जीवन निर्वाह कृषि और .....है।
2. विश्व में सबसे अधिक चावल का उत्पादन .....होता है।
3. सरसों.....ऋतु में बोई जाती है।

अति लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. बागानी कृषि किसे कहते है ?
2. स्थानांतरी कृषि किसे कहते है ?
3. रोपण कृषि किसे कहते हैं ?

लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. वाणिज्यिक कृषि किसे कहते है?
2. भारत में कितने प्रकार की फसल बोई जाती है ? नाम लिखिए।
3. कृषि को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम लिखिए।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न-

1. भारत में पैदा होने वाली मुख्य फसलों का वर्णन कीजिए।
2. स्वतन्त्र भारत में कृषि के विकास को स्पष्ट कीजिए।

परियोजना-

1. अपने आस-पास के क्षेत्रों में पैदा किए जाने वाले कृषि उत्पादों की सूची बनाइए।

अध्याय-3

खनिज और शक्ति संसाधन

आइये जानें- खनिज का अर्थ, खनिजों के प्रकार, धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज, परम्परागत ऊर्जा स्त्रोत, अपरम्परागत ऊर्जा स्त्रोत, खनिज खनन की विधियाँ, विश्व में खनिजों का वितरण और खनिजों का उपयोग।

खनिज का अर्थ- खनिज मानव को प्राप्त प्रमुख प्राकृतिक उपहारों में से एक है। खनिज पदार्थों का मानव जीवन एवं उसकी आजीविका से गहरा सम्बन्ध है। क्योंकि बिना खनिज (धातु) के औद्योगिक, कारखानें, परिवहन साधनों का निर्माण व कृषि कार्य की कल्पना करना दुष्कर है। भूमि से खनन द्वारा निकाले गये पदार्थों को **खनिज** कहते हैं। विभिन्न खनिजों की पहचान उनके भौतिक गुणों द्वारा की जाती है, जैसे- उनका रङ्ग, कठोरता, व घनत्व आदि। हमारे वैदिक चिन्तन में ऋषिओं ने सोना, लोहा, ताँबा आदि खनिजों के उत्खनन, निष्कर्षण एवं उसके विविध उपयोगों का वर्णन किया है।

वैदिक वाङ्मय में अनेक प्रकार के खनिजों के संकेत प्राप्त हैं- "**हिरण्यवक्षा जगतो निवेशनी**" (अथर्व. 12.1.6) अर्थात् पृथिवी के गर्भ में सुवर्ण आदि निधि हैं, जो की समस्त जगत के आधार हैं। "**निधिं बिभ्रती बहुधा गुहा वसु मणिं हिरण्यं पृथिवी ददातु मे। वसूनि नो वसुदा रासमाना देवी दधातु सुमनस्यमाना॥**" (अथर्व. 12.1.44) इस मन्त्र के अनुसार पृथिवी में मणि, सुवर्ण आदि खनिजों का भण्डार भरा है। "**अचिक्कदद्यृषाहरिर्म्महान्न्मित्रो न दर्शत: सूर्य्योण्दद्युतदुदधिर्न्निधि:॥**" (यजु. 38.22) अर्थात् समुद्र अनन्त खनिजों व रत्नों का भण्डार है।

खनिजों के प्रकार- खनिज तीन रूपों में प्राप्त होते हैं- क. धात्विक खनिज ख. अधात्विक खनिज ग. ऊर्जा।

क. **धात्विक खनिज**– जिस खनिज में धातु मिली हुई हो और उसकी बनावट कठोर हो, उसे धात्विक खनिज कहते हैं। धात्विक खनिज दो प्रकार के होते हैं- लौह धातु और अलौह धातु।

i. **लौह धातु**– जिस धात्विक खनिज में लौह पदार्थ मिला हुआ होता है, उसे लौह धातु कहते हैं। लौह अयस्क, मैंगनीज, कोबाल्ट, निकल आदि ।

ii. **अलौह धातु-** जिस खनिज में लोहा नहीं होता है, उसे अलौह धातु कहते हैं। ताँबा, टिन, बाक्साईट, सोना, प्लेटिनम, चाँदी, हीरा आदि ।

ख. **अधात्विक खनिज-** वे खनिज जिनमें धातु की मात्र नहीं होती है, अधात्विक खनिज कहलाते हैं। संगमरमर, ग्रेनाईट, अभ्रक, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर आदि अधात्विक खनिज हैं।

ग. **ऊर्जा खनिज–** ऐसे संसाधन जिनसे ऊर्जा की प्राप्ति होती है शक्ति संसाधन कहलाते हैं। इसलिए शक्ति संसाधनों को ऊर्जा खनिज कहते हैं। जैसे- कोयला, पट्रोलियम,प्राकृतिक गैस, सौर ऊर्जा आदि। ऊर्जा प्राप्ति के स्त्रोतों को दो रूपों में विभाजित किया गया है-

क्या आप जानते हैं-

- खनिज अवयवों के अनिश्चित संगठन वाले एक या एक से अधिक समूहों को शैल कहते हैं।
- विश्व में अब तक 2800 से अधिक खनिजों की पहचान की जा चुकी है, इनमें से केवल 100 अयस्क हैं।
- स्विटजरलैंड में कोई खनिज नहीं पाया जाता है।

i. **परम्परागत ऊर्जा स्त्रोत**

ii. **अपरम्परागत ऊर्जा स्त्रोत**

i. परम्परागत ऊर्जा स्त्रोत- ऐसे ऊर्जा स्त्रोत जिनका उपयोग हम प्राचीनकाल से करते आ रहे हैं, परम्परागत ऊर्जा स्त्रोत कहलाते हैं। वर्तमान में इस ऊर्जा का तीव्र गति से दोहन किया जा रहा है इसलिए यह ऊर्जा शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी। इस ऊर्जा प्राप्ति के दो मुख्य स्त्रोत ईंधन और जीवाश्म ईंधन हैं। ईंधन का उपयोग प्राय: खाना पकाने में किया जाता है। आज से लाखों वर्ष पूर्व जानवरों और पौधों के अवशेष भूमि के अन्दर दब गए और कालान्तर में दाब और ताप के कारण जीवाश्म ईंधन में परिवर्तित हो गए थे। परम्परागत ऊर्जा के स्त्रोत निम्नलिखित हैं-

चित्र 3.1- कोयले की खान

कोयला- लाखों वर्षों पहले प्राकृतिक आपदा के कारण पृथिवी के पेड़-पौधे एवं जीव-जन्तु भूमि के अन्दर दब गये और धीरे-धीरे प्राकृतिक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप खनिजों के रूप में परिवर्तित हो गये। कोयला भी एक जीवाश्म ईंधन है। कोयले का उपयोग घरेलू ईंधन, कारखानों और विद्युत उत्पादन आदि में किया जाता है। इसका उपयोग विद्युत उत्पादन में होने के कारण इसे तापीय ऊर्जा भी कहते हैं। झारखण्ड, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, पश्चिमी बङ्गाल मुख्य कोयला उत्पादक राज्य हैं।

पेट्रोलियम- पेट्रोलियम निर्माण भी कोयले की तरह जीव-जन्तुओं और वनस्पति का भूमि के अन्दर दबने तथा कालान्तर में उच्च ताप व दाब के आतपन के कारण हुआ है, इसे शिला रस या कच्चा तेल भी कहते हैं। यह पृथिवी के अन्दर से काले द्रव्य के रूप में निकलता है, प्रभाजी आसवन विधि से शुद्धिकरण द्वारा पेट्रोल, डीजल, केरोसीन, तारकोल, ग्रीस आदि अनेक पदार्थ बनते हैं। इसे काला सोना भी कहते हैं। इसका प्रयोग परिवहन साधन को चलाने, ऊर्जा के उत्पादन आदि में किया जाता है। भारत में इसके मुख्य उत्पादक राज्य असम, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान आदि हैं।

चित्र 3.2- बाम्बे हाई

क्या आप जानते हैं-

- पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के पेट्रा और ओलियम शब्दों से हुई है, जिनका अर्थ शैल तेल है।
- संपीडित प्राकृतिक गैस (CNG) पर्यावरण अनुकूलित गैस है, इसका प्रयोग ऑटोमोबाइल ईंधन के रूप में किया जाता है।

प्राकृतिक गैस- प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम पदार्थों के साथ भूमि के अन्दर पाई जाती है। जब आशोधित पेट्रोलियम धरातल पर लाया जाता है तब यह निर्मुक्त होती है। प्राकृतिक गैस में अनेक गैसों का मिश्रण होता है। इस मिश्रण में मीथेन गैस की प्रधानता होती है। इसका उपयोग घरेलू एवं औद्योगिक ईंधन के रूप में किया जाता है। यह पेट्रोल, डीजल, की तुलना में कम प्रदूषण करती है। त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र आदि मुख्य प्राकृतिक गैस उत्पादक राज्य हैं।

जल विद्युत- बहते हुए जल की गति से जो विद्युत उत्पन्न की जाती है, उसे जल विद्युत कहते हैं। इस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए नदी या बांधों के जल को टरबाइन पर डाला जाता है, जिससे वह घूमती है और जल विद्युत का निर्माण होता है। विश्व में सर्वप्रथम नार्वे में जल विद्युत उत्पन्न की गई थी। भारत में भाखड़ा नाँगल, गाँधीसागर, नागार्जुन सागर, आदि जल विद्युत के प्रमुख केन्द्र हैं।

ii. अपरम्परागत ऊर्जा- ऊर्जा के ऐसे संसाधन जिनका विकास अभी कुछ दशकों में ही हुआ है, उन्हें अपरम्परागत स्रोत कहते हैं। यह ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। सौरऊर्जा, पवनऊर्जा, बायोगैस, परमाणु ऊर्जा आदि अपरम्परागत स्रोत हैं।

सौर ऊर्जा- इस ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य का प्रकाश है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपान्तरित कर उपभोग किया जाता है। यह कभी न समाप्त होने वाली ऊर्जा है। यह उष्ण क्षेत्रों के लिए उपयोगी है। इसका उपयोग सौर कुकर, सोलर ड्रायर, रोशनी आदि के लिए किया जाता है।

पवन ऊर्जा- इस ऊर्जा का निर्माण तेज हवाओं से पवन चक्कियों (विंड मिल) को चलाने से होता है। इसमें पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपान्तरित कर उपयोग में लिया जाता है। भारत में इसका उपयोग कुओं से पानी निकालने और आटा पीसने आदि के लिए प्राचीन समय से किया जा रहा है।

चित्र 3.3- गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत

भारत में राजस्थान, तमिलनाडु, आन्ध्रप्रदेश आदि मुख्य पवन ऊर्जा के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं।

बायोगैस- जिस ऊर्जा का निर्माण पशुओं के गोबर, मृतजीव-जन्तुओं के अवशिष्टों आदि को गैसीय ईंधन में परिवर्तित कर उपयोग में लाया जाता है, बायोगैस कहलाता है। बायोगैस का उपयोग भोजन पकाने तथा विद्युत उत्पादन आदि के लिये होता है। इसके अपशिष्ट को सर्वोत्तम जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है।

क्या आप जानते हैं

- स्कॉटलैंड में विश्व का प्रथम सौर और पवन ऊर्जा चालित बस अड्डा बना था।
- फ्रान्स में विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन बनाया गया था।
- भारत में सर्वाधिक प्राकृतिक गैस का उत्पादन त्रिपुरा राज्य में होता है।

परमाणु ऊर्जा- वह ऊर्जा जिसका निर्माण नियन्त्रित नाभकीय अभिक्रिया में उष्मा उत्सर्जन से किया जाता है, परमाणु ऊर्जा कहलाती है। परमाणु ऊर्जा के प्रमुख स्रोत यूरेनियम और थोरियम हैं, जो रेडियोधर्मी पदार्थ हैं। भारत में परमाणु उर्जा के प्रमुख केन्द्र नरौरा (उत्तर प्रदेश), रावतभाटा (राजस्थान), तारापुर (महाराष्ट्र) कैगा (कर्नाकटक), कलपक्कम (तमिलनाडु) आदि हैं।

भूतापीय ऊर्जा- पृथिवी से प्राप्त ताप ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। यह ऊर्जा हमें भूगर्भ से निकलने वाले गर्म जल स्रोतों से प्राप्त होती है। इसका उपयोग भोजन बनाने, उष्मा प्राप्त करने, आदि में किया

जाता है। भारत के हिमाचल प्रदेश में मणिकर और लद्दाख में पूगा घाटी में भूतापीय ऊर्जा संयन्त्र स्थापित किए गये हैं।

ज्वारीय ऊर्जा- ज्वार से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। इस ऊर्जा का उत्पादन समुद्र के सँकरे मुहानों में बाँध बना कर किया जाता है। गुजरात राज्य के कच्छ के रण में ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है।

खनिज खनन की विधियाँ- खनिज को हम पाञ्च तरीकों से पृथिवी से बाहर निकालते हैं- खनन, विवृतखनन, कूपकी खनन, प्रवेधन, व आखनन।

1. **खनन-** पृथिवी की सतह में दबी हुई शैलों से खनिजों को बाहर निकालने की विधि को खनन कहते हैं।
2. **विवृत खनन–** जो खनिज ज्यादा गहराई में नहीं होते हैं एवं जिसके पृष्ठीय स्तर को एक तरफ़ करके निकाला जाता है, उसे विवृत खनन कहते हैं।
3. **कूपकी खनन-** भू-पृष्ठ की गहराईयों से जिस खनिज को निकाला जाता है, उसे कूपकी खनन कहते हैं।
4. **प्रवेधन-** जो खनिज धरातल की बहुत गहराई में पाए जाते हैं तथा उन्हें बाहर निकालने के लिए गहवर कूपों की खुदाई करनी पडती है, प्रवेधन कहलाता है।
5. **आखनन-** जिस खनिज को सतह के भीतर से आसानी से खोदकर बाहर निकाल लिया जाता है उसे आखनन कहते हैं।

संभवत: भारतीय मनीषी प्राचीनकाल से ही भूमि के खनिजों एवं खनन विधियों को जानते थे। अथर्ववेद में उल्लेख है कि **तस्यै हिरण्यवक्षसे पृथिव्या अकरं नमः** (12.1.26) ऐसी सुवर्णादि अनेक धातुओं को अपने गर्भ में धारण करने वाली इस धरती माँ को हमारा प्रणाम है।

विश्व में खनिजों का वितरण- विश्व में खनिजों का वितरण समान रूप से नहीं है। बॉक्साईट, मैंगनीज, निकल, जस्ता, सोना, चांदी, और तांबे आदि का खनन एशिया में अधिक होता है। यूरोप में लोह-अयस्क, उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका में सोना, चांदी जस्ता, निकल, लौह- अयस्क और तांबा। दक्षिणी अफ्रीका में हीरा, सोना, प्लेटिनम, तेल आदि। ऑस्ट्रेलिया में एल्युमिनियम, तांबा, सीसा, जस्ता, व मैंगनीज पाये जाते हैं। एन्टीमनी, टंगस्टन, व सीसा का उत्पादन सबसे अधिक चीन में होता है।

खनिजों का उपयोग- खनिजों का उपयोग कई उद्योगों में होता है। तांबे का प्रयोग सिक्के, पाइप वस्तु, तार आदि निर्माण में किया जाता है। कम्प्यूटर में प्रयुक्त होने वाला सिलिकन, क्वार्टज से प्राप्त किया जाता है। बाक्साइट से एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। इसका प्रयोग आटोमोबाईल, हवाई जहाज,

भवन निर्माण आदि में किया जाता है। इसी प्रकार लौह अयस्क से लोहा बनाकर उसका प्रयोग विविध रूपों में किया जाता है। खनिज एक अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। खनिजों के निर्माण में हजारों वर्ष लगते हैं। वर्तमान में इनका दोहन अधिक मात्रा में किया जा रहा है। धातुओं का पुनर्चक्रण इनके संरक्षण का प्रमुख उपाय है। खनिजों के उपयोग में भी हमें मितव्ययता बरती जानी चाहिए।

प्रश्नावली

बहु विकल्पीय प्रश्न-

1. निम्न में से धात्विक खनिज ..... है।

अ. लौह-अयस्क　　ब. सोना

स. चांदी　　द. इनमें से कोई नहीं

2. निम्न में से अधात्विक खनिज ..... है।

अ. सोना　　ब. सीसा　　स. ताँबा　　द. उपर्युक्त सभी

3. निम्न में से ऊर्जा के ..... स्रोत हैं।

अ. तीन　　ब. चार　　स. एक　　द. दो

4. निम्न में से ऊर्जा का परम्परागत स्रोत..... है।

अ. परमाणु ऊर्जा　　ब. सौरऊर्जा

स. बायोगैस　　द. कोयला

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए -

1. कम गहराई के खनिजों के लिए ..... विधि का प्रयोग होता है। (कूपकी खनन/विवृत्त खनन)
2. बॉक्साइट ..... से प्राप्त किया जाता है। (एल्युमिनियम/प्लेटिनम)
3. सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत ..... है। (सूर्य/चन्द्रमा)

सत्य/असत्य बताइए -

1. ऐसे खनिज जिनमें लौहे की मात्रा होती है, अलौह खनिज कहलाते है। सत्य/असत्य
2. प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम तत्त्वों से बनी है। सत्य/असत्य
3. बायो गैस का उत्पादन नाभिकीय अभिक्रिया से होता है। सत्य/असत्य

सही-जोड़ी मिलान कीजिए-

1. धात्विक खनिज	क. ग्रेनाइट
2. अधात्विक खनिज	ख. पेट्रोल
3. ऊर्जा खनिज	ग. मैंगनीज

अति लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. खनिज कितने प्रकार के होते हैं ?
2. लौह-अयस्क किसे कहते हैं ?
3. अलौह किसे कहते हैं ?
4. अधात्विक खनिज क्या हैं ?
5. ऊर्जा खनिज कौन-कौन से हैं ?

लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. धात्विक खनिज की परिभाषा लिखिए ।
2. खनिजों के प्रकार व उनके नामों का उल्लेख कीजिए ?
3. खनिजों का उपयोग किन-किन कार्यों में होता है ?
4. भारत में कौन-कौन से खनिज पाए जाते है ? नाम लिखिए ।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न-

1. विश्व में खनिजों का वितरण के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए ।
2. ऊर्जा के परम्परागत व अपरम्परागत स्त्रोतों का वर्णन कीजिए।

परियोजना कार्य-

1. विश्व के प्रमुख तेल उत्पादक देशों को मानचित्र में दर्शाइए।

अध्याय- 4

उद्योग

आइये जानें- उद्योग, उद्योगों का वर्गीकरण, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, औद्योगिक तंत्र, औद्योगिक प्रदेश, भारत में मुख्य उद्योगों की स्थिति, लौहा-इस्पात उद्योग,सूती वस्त्र उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग ।

उद्योग- कच्चे माल की सहायता से हमारे लिए उपयोगी वस्तुओं का निर्माण करने वाली इकाई को विनिर्माण या उद्योग" कहा जाता है। उद्योगों का सम्बन्ध आर्थिक गतिविधियों- वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के खनन और सेवाओं से सम्बन्धित है। हमारे वैदिक वाङ्मय में कृषि, लौह, काष्ठ और धातु आदि के कार्यों का उल्लेख किया गया है। जिनसे तत्कालीन उद्योगों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ऋग्वेद में उल्लेख है कि "**दीना दक्षा वि दुहन्ति प्र वाणम्।**" (4.24.9) अर्थात् बड़े उद्योगों में वस्तु विक्रय के समय उसका जो भी मूल्य लगाया जाता है वही मान्य होता है। ऋग्वेद में उद्योग, व्यवसाय व वाणिज्यिक अधिष्ठानों की स्थापना एवं वायु की गति से वाणिज्यिक क्रियाओं को प्रचुर (मरूद्भ्यो वाणिज:) बनाने के निर्देश हैं। सम्पूर्ण भूमण्डल पर सर्वत्र नवीन उद्यमों की स्थापना से धन व यश की प्राप्ति होती है। "**त्वं नो अग्ने सनये धनानां यशसं कारुं कृणुहि स्तवान:।ऋध्याम कर्मापसा नवेन देवैद्यावापृथिवी प्रावतं न:।**" (**ऋग्वेद** 1.31.8) इस मन्त्र में निर्देशित किया गया है कि हे मनुष्यो! तुम उत्तम धन व यश प्रदान करने वाले लाभकारी अध्यवसाय अर्थात् उद्यमिता व पुरुषार्थपूर्वक विविध शिल्पों व विद्याओं के ज्ञाताओं के सहभाग से तुम नए-नए व्यवसायों में अग्रसर होकर उसमें अनवरत सफलता प्राप्त करते रहो।

वर्तमान में उद्योगों को मुख्यत: तीन क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। आखेट, भोजन सङ्ग्रहण, पशुपालन, मत्यपालन, कृषि, खनन आदि **प्राथमिक विनिर्माण** क्षेत्र हैं। कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पादों में परिवर्तित किया जाना जैसे- गन्ने से शक्कर बनाना, कपास से कपड़ा बनाना, लोहे से उपकरण बनाना आदि **द्वितीयक विनिर्माण** क्षेत्र हैं। सेवा देने वाले जैसे सञ्चार, पर्यटन व व्यापार आदि **तृतीयक विनिर्माण** क्षेत्र कहलाते हैं।

उद्योगों का वर्गीकरण- उद्योगों को आकार, स्वामित्व और कच्चे माल के आधार पर तीन भागों में बाँटा गया है-

(क) आकार के आधार पर उद्योग- आकार के आधार पर उद्योग तीन प्रकार के होते हैं।

1. कुटीर उद्योग 2 लघु उद्योग 3. वृहद् उद्योग।

1. कुटीर (घरेलू) उद्योग- ऐसे उद्योग जिनका सञ्चालन घर के लोगों की मदद से छोटे स्तर पर किया जाता है, उन्हें कुटीर या गृह उद्योग कहते हैं। जैसे- मिट्टी के पात्र बनाना, झाड़ू बनाना, स्वेटर की बुनाई, रस्सी निर्माण, इत्यादि।

चित्र- 4.1 बाँस की टोकरी बुनाई

2. लघु उद्योग- ऐसे उद्योग जिनके सञ्चालन में कम पूँजी, छोटी मशीनें और कम मजदूरों की आवश्यकता होती है, लघु उद्योग कहते हैं। जैसे- ईंट निर्माण उद्योग व माचिस का कारखाना इत्यादि।

3.वृहद् उद्योग- ऐसे उद्योग जिनके सञ्चालन में अधिक पूँजी, बड़ी- बड़ी मशीनें और अधिक मजदूरों की आवश्यकता होती है, वृहद् उद्योग कहलाता है। जैसे- सीमेन्ट निर्माण उद्योग, लोहा-इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग इत्यादि।

(ख) स्वामित्व- स्वामित्व के आधार पर उद्योगों के चार प्रकार हैं-

1. व्यक्तिगत (निजी) उद्योग 2. सार्वजनिक उद्योग 3. संयुक्त उद्योग 4. सहकारी उद्योग।

व्यक्तिगत उद्योग- जिस उद्योग का सञ्चालन और स्वामित्त्व एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है, उसे निजी या व्यक्तिगत उद्योग कहा जाता है। जैसे- टाटा, बिरला, रिलायन्स समूह आदि निजी उद्योग हैं।

सार्वजनिक उद्योग- जो उद्योग सरकार द्वारा सञ्चालित किये जाते हैं, उन्हें सार्वजनिक उद्योग कहा जाता है।जैसे- हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हिन्दुस्तान कॉपर लि., स्टील ऑथोरिटी ऑफ़ इंडिया आदि सार्वजनिक उद्योग हैं।

संयुक्त उद्योग- वे व्यवसाय व उद्योग जिनमें दो या दो से अधिक इकाईयाँ पूंजी का निवेश कर व्यवसाय के सञ्चालन में सहभाग करती है, संयुक्त उद्योग कहलाते हैं। यह संगठन निजी, सरकारी या विदेशी कम्पनियों के रूप में हो सकते हैं, जैसे- मारुति उद्योग संयुक्त उद्योग का उदाहरण है।

सहकारी उद्योग- ऐसे उद्योग जिनका सञ्चालन व स्वामित्व कच्चे माल के उत्पादकों या पूर्तिकारों, कामगारों अथवा दोनों का होता है, सहकारी क्षेत्र के उद्योग कहलाते हैं। जैसे- सहकारी समूह,अमूल डेयरी, सरस डेयरी आदि।

(ग.) कच्चे माल पर आधारित उद्योग-कच्चे माल पर आधारित उद्योगों को चार भागों में बांटा गया है।

1. कृषि आधारित 2. समुद्र आधारित 3. खनिज आधारित 4. वन आधारित।

कृषि आधारित उद्योग- ऐसे उद्योग, जो कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जीव-जंतुओं पर आधारित हों, उन्हें कृषि आधारित उद्योग कहते हैं। जैसे खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पाद आदि।

खनिज आधारित उद्योग- ऐसे उद्योग जिनमें खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है, उन्हें खनिज आधारित उद्योग कहते हैं। इसके अन्तर्गत भारी उद्योग आते हैं। जैसे- अयस्क से लोहा निर्माण, भारी मशीनों का निर्माण, सीमेन्ट उद्योग, रेल के डिब्बे बनाने के उद्योग आदि।

समुद्र आधारित उद्योग- वे उद्योग जो सागरों एवं महासागरों से प्राप्त कच्चे माल के रूप में उद्योग सामग्रियों पर आधारित हैं, उन्हें समुद्र आधारित उद्योग कहा जाता है। जैसे- समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और मत्स्य तेल निर्माण उद्योग आदि।

वन आधारित उद्योग- ऐसे उद्योग जिनमें वनों से प्राप्त उत्पादों का प्रयोग कच्चे माल के रुप में किया जाता है, वन आधारित उद्योग कहलाते हैं। जैसे- बाँस का सामान, फर्नीचर, झाड़ू, बीड़ी, माचिस उद्योग, लुगदी व कागज उद्योग, वनौषधि, कत्था, गोंद आदि।

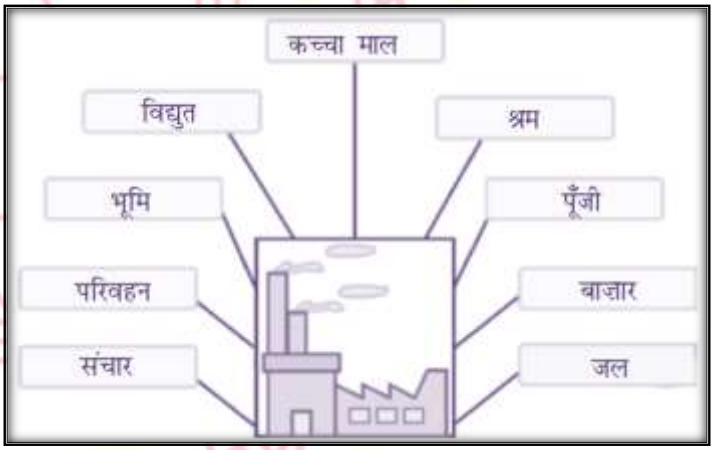

चित्र-4.2 उद्योगों के अवस्थिति सम्बन्धी कारक

उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक- कच्चा माल, भूमि, जल, परिश्रम, क्षमता, धन, और परिवहन साधन इन सभी से उद्योगों की अवस्थिति प्रभावित होती है। उद्योग उसी जगह स्थापित किये जा सकते हैं, जहाँ पर इन सभी की उपलब्धता होती है।

औद्योगिक तन्त्र- औद्योगिक तन्त्र के तीन भाग होते हैं- 1. निवेश 2. प्रक्रम 3. निर्गत।

1. **निवेश-** भूमि की आवश्यकता, परिश्रम, धन व कच्चा माल, निवेश से संबंधित हैं। जैसे- सूती वस्त्र निर्माण उद्योग में कपास, मजदूरी, गोदाम एवं परिवहन इत्यादि में धन का निवेश करना होता है।
2. **प्रक्रम-** कच्चे माल का परिष्करण करके उसके मूल रूप में परिवर्तन करना प्रक्रम कहलाता है। जैसे- वस्त्र की ओटाई, कटाई, बुनाई और रंगाई-छपाई इत्यादि को प्रक्रम कहा जाता है।
3. **निर्गत-** निर्गत में वस्तु को निर्मित करके विक्रय के लिए तैयार कर दिया जाता है। जैसे शर्ट- पैंट, इत्यादि।

वैदिक वाङ्मय में विविध उद्योगों का उल्लेख है। ऋग्वेद में वस्त्र निर्माण का संकेत मिलता है- "**स इत् तन्तु स वि जानात्योतुं।**" (6.9.3) अर्थात् वह ताना-बाना जानता है। "**शं न ऋभव: सुकृत: सुहस्ता:।**" (7.35.12) अर्थात् सिद्धहस्त और सत्कर्मी शिल्पी हमारे लिए कल्याणकारी हो। भारत में

औद्योगिक प्रदेश- जब विविध उद्योग, एक दूसरे के निकट स्थित होकर, अपनी निकटता के लाभ को परस्पर वितरित करते हैं, तो वहाँ औद्योगिक प्रदेश का विकास होता है। औद्योगिक प्रदेश प्राय: शीतोष्ण प्रदेशों, समुद्री पत्तनों और कोयला क्षेत्रों के निकट होते हैं। पूर्वोत्तर अमेरीका, पूर्वी, पश्चिमी और मध्य यूरोप तथा पूर्वी एशिया प्रमुख औद्योगिक प्रदेश हैं। भारत में मुम्बई-पुणे समूह, बंगलौर, तमिलनाडु, हुगली, अहमदाबाद-वडोदरा, छोटा नागपुर, विशाखापट्टनम- गुन्टूर, गुडगाँव- दिल्ली-मेरठ और कोल्लम-तिरुवनन्तपुरम आदि औद्योगिक प्रदेश हैं।

क्या आप जानते हैं-

- उद्योगों में तकनीकी विफलता या संकट उत्पन्न करने वाले पदार्थों के उपयोग के कारण औद्योगिक विपदा/ दुर्घटना घटित होती है।
- 3 दिसम्बर, 1984 को भोपाल के यूनियन कार्बाइड कारखाने में विषैली गैस मिथाइल आयसोसायनेट (MIC) के रिसाव के कारण 35,598 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। यह भारत की अब तक की सबसे बड़ी औद्योगिक दुर्घटना है।

भारत में मुख्य उद्योगों की स्थिति-

लोहा-इस्पात उद्योग- लोहा-इस्पात उद्योग भारत का प्राचीनतम उद्योग है, क्योंकि लोहे का प्रयोग छोटी से छोटी व बड़ी से बड़ी वस्तुओं के निर्माण के लिए प्राचीनकाल से ही होता आ रहा है। जैसे- सूई, कैंची, अस्त्र-शस्त्र निर्माण, औद्योगिक उपकरण आदि। इस उद्योग के विस्तार और विकास का कारण कच्चा माल, कम दाम के मजदूर, परिवहन साधन, और अधिक लाभ की प्राप्ति होना है। लोहा-इस्पात के उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। आजादी से पहले निजी क्षेत्र में लौह इस्पात का कारखाना टाटा स्टील एण्ड आयरन कम्पनी लिमिटेड (टिस्को) था। किन्तु स्वतन्त्रता के बाद भारत के प्रमुख लौह-इस्पात के उत्पादक केन्द्र भिलाई (छत्तीसगढ़), वर्नपुर (पश्चिमबङ्गाल), बोकारो, जमशेदपुर (झारखंड), राउरकेला (उड़ीसा), भद्रावती व विजय नगर (कर्नाटक), विशाखापट्टनम (आन्ध्रप्रदेश), सलेम (तमिलनाडु) आदि विकसित हुए हैं। भारत सरकार ने लौह उद्योग के उचित प्रबंधन के लिए स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया (SAIL) की स्थापना 1973 ई. में की थी।

सूती वस्त्र उद्योग- सूती वस्त्र उद्योग को भारत का प्राचीन उद्योग माना जाता है। प्राचीनकाल से ही ढाका की मलमल, मूसलीपट्टनम की छींट, कालीकट का केलिको, बुरहानपुर, सूरत वडोदरा का सुनहरी का काम अपनी गुणवत्ता के कारण विश्व प्रसिद्ध था। औपनिवेशिक शासन से पूर्व, भारतीय कपड़े की मांग

क्या आप जानते हैं-

- विकसित हो रहे उद्योगों को सनराइज उद्योग कहा जाता है।
- टेक्सटाइल शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द टेक्सियरे से हुई है, जिसका अर्थ बुनना होता है।
- भारत में प्रथम सुती वस्त्र मिल की स्थापना 1818 ई. में कोलकाता में हुई थी। लेकिन यह मिल बन्द हो गई थी।

विदेशों में बहुत अधिक थी। लेकिन अंग्रेजी शासन ने भारतीय वस्त्र उद्योग को भारी क्षति पहुँचाई। वस्त्र निर्माण में प्राकृतिक व मानव निर्मित रेशों की आवश्यकता होती है। जैसे- कपास, ऊन, सिल्क, जूट, पोलिस्टर, नाइलोन, रेयान, व लिनन इत्यादि। वस्त्र निर्माण के लिए प्रथम आधुनिक मिल की स्थापना मुम्बई में सन् 1854 में की गई। भारत में **मुम्बई** को सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त अहमदाबाद, कोयंबटूर, कानपुर, चेन्नई, कोलकाता, लुधियाना, भीलवाड़ा, पुदुचेरी और पानीपत में भी वस्त्र उद्योग का विकास हुआ है।

सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग- ऐसे उद्योग, जो सूचना के सङ्ग्रहण, प्रक्रम और वितरण के कार्य करते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग कहलाते हैं। वर्तमान समय में यह वैश्विक उद्योग है। इसके द्वारा हम कम्प्यूटर या मोबाईल द्वारा किसी भी सूचना अथवा संदेश को एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से शीघ्र भेज सकते हैं। विश्व में इस प्रौद्योगिकी का विकास बहुत तीव्रता से हो रहा है। वर्तमान में इसकी आवश्यकता दूरसञ्चार, शिक्षा, मनोरञ्जन, चिकित्सा, मौसम विज्ञान, आर्थिक एवं प्रशासनिक क्षेत्र आदि में अधिक है। विश्व में सूचना प्रौद्योगिकी की दृष्टि से कैलिफोर्निया (अमेरीका) और बेंगलुरू (भारत) बहुत अधिक विकसित हुए हैं। संयुक्त राज्य अमेरीका के कैलिफोर्निया राज्य का दक्षिण भाग सिलिकॉन घाटी के नाम से प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र में चिप (एकीकृत परिपथ) बनाने वाले उद्योग अधिक होने के कारण, इसे **सिलकॉन घाटी** कहा जाता है। बैंगलुरु भारत के सूचना प्रौद्योगिकी निर्यातों का अग्रणी स्रोत रहा है और यहाँ पर प्राय: सभी प्रौद्योगिकी कम्पनियों के मुख्यालय हैं। इसलिए इसे भारत की **सिलिकॉन वैली** कहा जाता है। भारत में मुम्बई, चेन्नई, हैदराबाद और नई दिल्ली सूचना प्रौद्योगिकी के प्रमुख केन्द्र है। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी के अन्य नये क्षेत्रों के रूप में गुरूग्राम, पुणे, कोच्ची, चंडीगढ़ आदि का विकास हो रहा है।

चित्र 4. 3- सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग

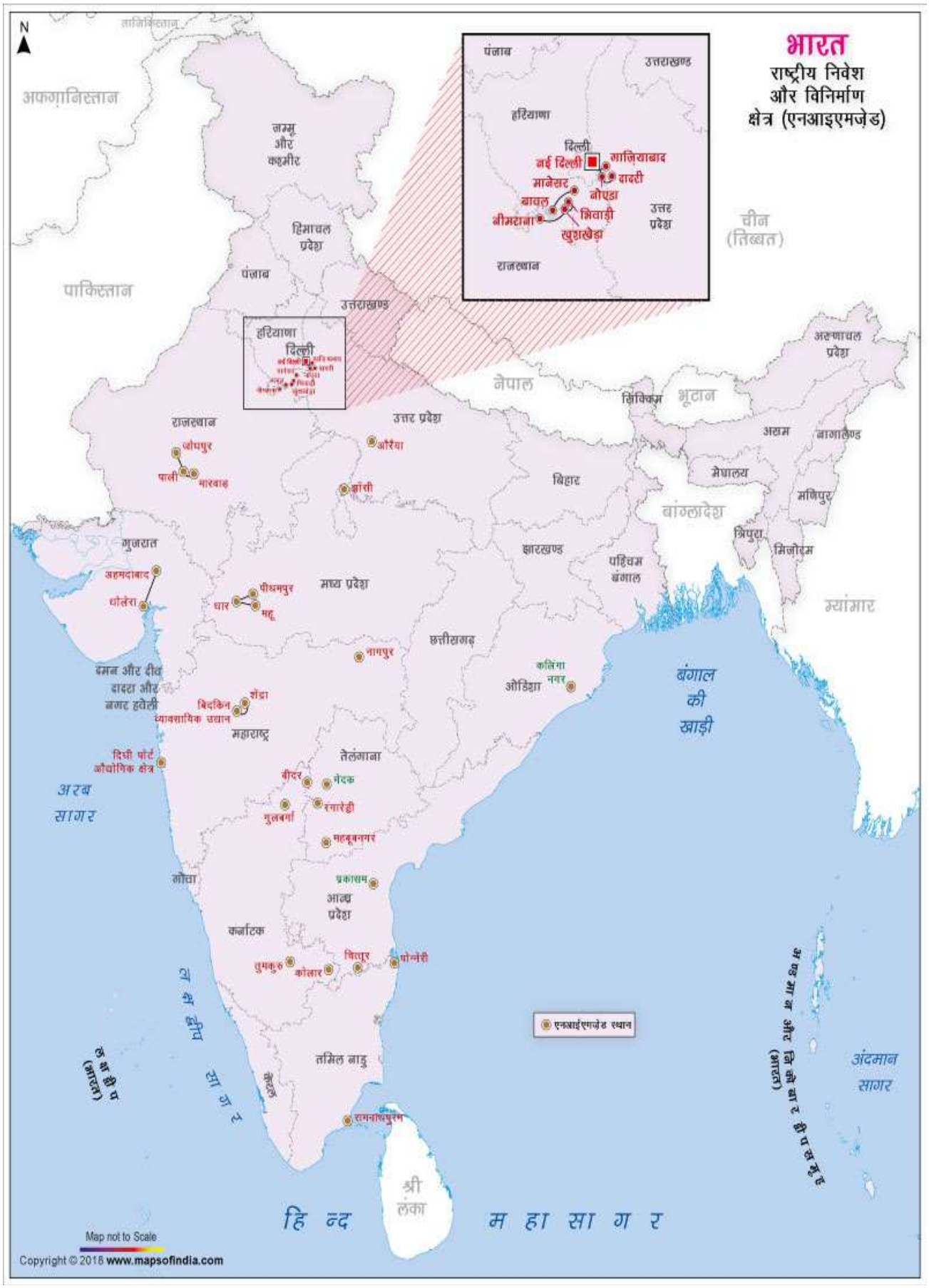

मानचित्र- 4.1 भारत में औद्योगिक क्षेत्र

प्रश्नावली

बहु विकल्पीय प्रश्न-

1. उद्योग ..... प्रकार के होते हैं।

अ. एक ब. तीन स. चार द. दो

2. छोटे स्तर के उद्योग को ..... कहते हैं।

अ. कुटीर उद्योग ब. लघु उद्योग

स. वृहद् उद्योग द. इनमें से कोई नहीं

3. अधिक पूंजी का निवेश ..... उद्योग में किया जाता है।

अ. वृहद् उद्योग ब. लघु उद्योग

स. कुटीर उद्योग द. उपर्युक्त सभी

4. निम्न में से कृषि आधारित उद्योग.....है।

अ. समुद्री नमक ब. मत्स्य पालन

स. औषधि द. इनमे से कोई नहीं

5. भारत के प्रमुख उद्योग कौन-कौन से.....हैं।

अ. लोहा- इस्पात ब. सूती वस्त्र

स. सीमेन्ट द. उपर्युक्त सभी

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए -

1. राउरकेला लौह इस्पात उद्योग ..... में अवस्थित है। (झारखण्ड/ओडिशा)

2. सूती वस्त्रों की राजधानी ..... को कहा जाता है। (मुम्बई/अहमदाबाद)

3. ईंट निर्माण उद्योग को ..... की श्रेणी में रखा जाता है। (कुटीर उद्योग/लघु उद्योग)

सत्य/असत्य बताइए -

1. उद्योगों को मुख्य रूप से तीन वर्गों में बांटा गया है। (सत्य/असत्य)

2. भीलवाडा वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। (सत्य/असत्य)

3. सरस डेयरी सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है। (सत्य/असत्य)

सही-जोड़ी मिलान कीजिए-

1. मुम्बई	क. सीमेंट उद्योग
2. भिलाई	ख. सूती वस्त्र उद्योग
3. कटनी	ग. लौह-इस्पात उद्योग

अति लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. उद्योगों का संबंध किससे है?
2. आकार के आधार पर उद्योग कितने कितने प्रकार के होते हैं?
3. औद्योगिक तन्त्र में क्या-क्या चीजें शामिल हैं ?
4. लघु उद्योग किसे कहते हैं?
5. भारत में प्रथम सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित हुई ?

लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. उद्योग की परिभाषा क्या है?
2. उद्योगों की अवस्थिति कैसे प्रभावित होती है? कारण बताओ।
3. औद्यिगिक प्रदेशों का विस्तार विश्व के किन भागों में हुआ है?
4. सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग कैसे और कहां होता है?

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न-

1. उद्योगों के वर्गीकरण को विस्तार से समझाइए?
2. भारत के प्रमुख उद्योग एवं उनका महत्त्व का उल्लेख कीजिए ?

परियोजना कार्य-

1. भारत के मानचित्र में प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग के केन्द्रों को दर्शाइए।

वेदभूषण तृतीय वर्ष

इतिहास

अध्याय – 5

भारत में अंग्रेजी शासन की स्थापना

आइये जानें- ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कम्पनी, बंगाल में अंग्रेजी शासन की स्थापना, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, सहायक संधि, टीपू सुल्तान, अंग्रेज- मराठा संघर्ष, कम्पनी की सर्वोच्चता, कम्पनी की राज्य हड़प नीति, भारत में कम्पनी शासन की स्थापना, कम्पनी शासन में सैन्य सुधार, कम्पनी की राजस्व व्यवस्था और नील विद्रोह।

प्राचीनकाल में भारत की सांस्कृतिक और आर्थिक समृद्धि की चर्चा सम्पूर्ण विश्व में होती थी। भारत की आर्थिक समृद्धि ने विदेशी लोगों को सदैव से अपनी ओर आकृष्ट किया था। यूरोपीय पुनर्जागरण के अन्तर आए परिवर्तनों से प्रेरित होकर, यूरोपीय व्यापारी भारत से व्यापार करने को उत्सुक हुए थे। परन्तु 1455 ई. में कुस्तुन्तुनिया पर उस्मानी साम्राज्य का अधिकार हो गया था। परिणामस्वरूप पश्चिमी देशों का पूर्वी देशों के साथ व्यापारिक स्थलीय मार्ग अवरुद्ध हो गया था। इसलिए यूरोपीय व्यापारियों ने जलमार्ग से भारत पहुँचने का प्रयास प्रारम्भ किया था। इसी प्रयास में सर्वप्रथम 1498 ई. में पुर्तगाली यात्री वास्को-डी-गामा भारत के कालीकट बन्दरगाह पर आया था। इसके पश्चात यूरोपीय व्यापारियों के लिए भारत से व्यापार का नया मार्ग मिल गया था। इन व्यापारियों में पुर्तगाली, डच, फ्रान्सिसी एवं अंग्रेज मुख्य थे। परन्तु भारत में यूरोपीयन लोगों का एजेण्डा त्रिमुखी था- धार्मिक (क्रिश्चनिटी का प्रचार), राजनीतिक (कॉलोनियलिज्म) तथा आर्थिक (कैपिटलिज्म) था।

अंग्रेजों ने भारत में शासन स्थापित करने के लिए मन्त्र विप्लव का सहारा लिया था। इसमें व्यक्ति के मन में विभ्रान्ति और विकृति आ जाती है। वह अपना स्वत्त्व भूल जाता है और शून्य की अवस्था प्राप्त कर, दूसरों के हाथ की कठपुतली बन जाता है। मन्त्र विपल्व का महाभारत में भी उल्लेख है- "**एक विषरसो हन्ति, शस्त्रेणै वध्यते, सराष्ट्रं सप्रजं हन्ति राजान मन्त्रविप्लव:।**" (उद्योग पर्व 33-45) अर्थात् विष केवल लेने वाले को मारता है, बाण से केवल लगने वाले की मृत्यु होती है परन्तु मन्त्र विप्लव से राष्ट्र, समाज एवं प्रजा सबकी मृत्यु होती है। **महात्मा विदुर** ने इसे ही मन्त्र विप्लव कहा है।

ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कम्पनी एक निजी कम्पनी थी। यह कम्पनी 1600 ई. में ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ प्रथम से पारपत्र (अधिकारपत्र) लेकर भारत में व्यापार करने के लिए आई थी। तत्कालीन मुगल बादशाह जहाँगीर ने 1608 ई. में कम्पनी को व्यापार की आज्ञा प्रदान कर दी थी। कम्पनी ने सूरत में

चित्र- 5.1- 18वी सदी में यूरोप से भारत तक आने वाले मार्ग

अपना प्रथम व्यापारिक केन्द्र (कोठी) बनाया था। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में व्यापार के लिए पाश्चात्य देशों से अनेक कम्पनियाँ आई थी। इन कम्पनियों में आपसी प्रतिस्पर्धा के कारण व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करने के लिए आपस में युद्ध हुए थे। इन युद्धों में अंग्रेज एवं डचों ने मिलकर पुर्तगालियों को 1612 ई. में परास्त कर दिया था। ब्रिटिश कम्पनी ने 1613 ई. में एक शाही फरमान के द्वारा भारत में अपना व्यापार सुरक्षित कर लिया था। इसी समय पुर्तगाल की राजकुमारी का विवाह ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से हुआ था। पुर्तगालियों ने बम्बई द्वीप समूह दहेज में ब्रिटेन को दे दिया था। ब्रिटेन की महारानी ने इसे 1668 ईस्वी में 10 पाउण्ड बार्षिक पट्टे के किराये पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कम्पनी को दे दिया था। इसलिए अब कम्पनी का व्यापारिक मुख्यालय सूरत से मुम्बई स्थानांतरित हो गया था।

बङ्गाल में अंग्रेजी शासन की स्थापना- अंग्रेजों ने 1651 ई. में, हुगली नदी के समीप बङ्गाल में अपनी प्रथम फैक्ट्री का निर्माण किया था। धीरे-धीरे कम्पनी के व्यापार में वृद्धि हुई। परिणामस्वरूप दूर-दूर से व्यापारीगण फैक्ट्री के निकट आकर बसने लगे थे । 1690 ई. में अंग्रेज अफ़सर '**जॉब चारनॉक**' ने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर, तीन गाँव-सुतानती, कालीकाता और गोविन्दपुर की जमींदारी खरीद ली थी। उसने इन तीन गाँवो को मिलाकर कोलकाता नगर बसाया था। अंग्रेजों ने अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए मुगल शासक फरूर्खसियर से 1717 ई. में निःशुल्क व्यापार का आदेश (फरमान) प्राप्त कर लिया था। इस आदेश का कम्पनी के अधिकारी और कर्मचारी दुरुपयोग करने लगे थे। परिणामत: बङ्गाल में राजस्व वसूली कम हो गई थी। तत्कालीन बङ्गाल के नबाबों मुर्शीदकुली खाँ, अलीवर्दी खां

और सिराजुद्दौला ने अपने कार्यकाल में इसका घोर विरोध करने के साथ ही कम्पनी पर छल-कपट का आरोप लगाया था। उन्होंने ने कहा कि जनता का भरण-पोषण करना मुश्किल हो गया है। इसलिए कम्पनी को व्यापार में अब छूट नहीं दी जा सकती है। बङ्गाल के नबाब ने कम्पनी के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए, उनसे व्यापार का अधिकार छीन लिया तथा उनकी किले बन्दी को रोक दिया था।

चित्र- 5.2 राबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला

इसके विरुद्ध कम्पनी के अधिकारियों ने कहा कि नवाब की व्यर्थ की मांगों से उनका व्यापार बन्द हो रहा है। अत: नवाब को राजस्व कर माफ कर देना चाहिए। इस टकराव के परिणामस्वरूप प्लासी का युद्ध हुआ था।

प्लासी का युद्ध (1757 ई.)- अब ईस्ट इंडिया कम्पनी को बङ्गाल में ऐसे नवाब की आवश्यकता थी, जो उनके हाथों की कठपुतली बन कर कार्य करे। 1756 ई. में नवाब अलीवर्दी खाँ की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बङ्गाल का नवाब बना था। उसने ईस्ट इंडिया कम्पनी को आदेश दिया की वह राजस्व शुल्क का भुगतान करे एवं नवाब के कार्यों में बाधा न डालें। प्लासी के युद्ध से पूर्व नवाब ने 146 अंग्रेजों को एक कोठरी में बन्द कर दिया था, जिसमें से 123 लोगों की दम घुटने से मृत्यु हो गई थी। इसे इतिहास में 'काल कोठरी' की घटना के नाम से जाना जाता है। यह घटना प्लासी के युद्ध का तात्कालिक कारण बनी थी। 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध शुरू हुआ। प्रारम्भ में नवाब के सैनिकों ने अंग्रेजों के सभी व्यापारिक स्थलों पर अधिकार कर लिया था। अंग्रेजों ने नवाब के वफादार मीर जाफर को नवाब के पद का प्रलोभन देकर अपने साथ मिला लिया था। अंत में राबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने प्लासी का युद्ध जीत कर बङ्गाल में अपनी श्रेष्ठता स्थापित कर ली थी ।

क्या आप जानते हैं-

- कठपुतली एक खिलौना होता है, जिसे व्यक्ति धागों के द्वारा अपने संकेतों पर नचाता है। जब कोई व्यक्ति किसे के संकेतों पर कार्य करे, तो उसे कठपुतली कहा जाता है।
- शाही आदेश को फरमान कहा जाता था।

बक्सर का युद्ध (1764 ई.)- प्लासी युद्ध के परिणामस्वरूप अंग्रेजों ने मीर जाफर को बङ्गाल का नबाब बनाकर उसके अधिकारों को नियन्त्रित कर दिया था। फिर भी उसने अपनी प्रतिष्ठा व शक्ति बढ़ाने का प्रयास किया तो अंग्रेजों ने उसके स्थान पर मीर कासिम को बङ्गाल की नवाबी दे दी थी। मीर कासिम

एक योग्य, महत्वाकांक्षी नवाब था। उसने पूरे बङ्गाल से चुंगी शुल्क को समाप्त कर, अपने सैन्य बल को संगठित करने लगा था। इस बात से क्रुद्ध अंग्रेजों ने मीर कासिम पर आक्रमण कर दिया था। मीर कासिम ने अवध के नबाब व मुगल बादशाह से सहायता माँगी थी।परिणामत: इन तीनों की संयुक्त सेनाओं एवं अंग्रेजों के मध्य 23 अक्टूबर, 1764 ई. को **बक्सर** नामक स्थान पर युद्ध हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेजों को विजय मिली और बङ्गाल पर उनका पूर्ण शासन स्थापित हो गया था।

सहायक संधि- लार्ड वेलजली 1798 ई. में भारत का गवर्नर जनरल बनकर भारत आया था। उस समय अंग्रेजों के सामने एक समस्या थी कि यहाँ पर विशाल सेना को कैसे रखा जाए और इस सेना का खर्च कैसे वहन किया जाए ? इन सब प्रश्नों का उत्तर ही सहायक संधि है। सहायक सन्धि के अन्तर्गत भारतीय राजाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, उनके यहाँ पर अंग्रेजी सेना को रखा जाता था। उस सेना का सारा व्यय, उस राजा को देना होता था। यदि वह राजा ऐसा नहीं करता था, तो उस पर बहुत अधिक अर्थदण्ड लगाया जाता था। अर्थदण्ड नहीं चुकाने की स्थिति में, उसके राज्य को कम्पनी के राज्य में मिला दिया जाता था। इस सन्धि के द्वारा भारतीय रियासतों में ब्रिटिश रेजीडेन्ट की नियुक्ति की गई, जो रियासतों की गतिविधियों पर दृष्टि रखने के साथ ही साथ उनके कार्यों में भी हस्तक्षेप करता था। अवध, हैदराबाद, मैसूर, तन्जौर, जोधपुर, जयपुर, भरतपुर आदि राज्यों ने इस सहायक सन्धि को स्वीकार किया था।

क्या आप जानते हैं-

- भारतीय रियासतों में नियुक्त ब्रिटिश अधिकारी को रेजिडेन्ट कहते थे।
- ब्रिटिश शासन में पैदल सिपाहियों द्वारा प्रयोग में ली जाने वाली भारी बन्दूक, मस्केट कहलाती थी।
- ब्रिटिश शासन में प्रयोग में ली जाने वाली बन्दूक, जिसमें बारूद भर कर माचिस से आग लगाई जाती थी, उसे मैचलॉक बन्दूक कहते थे।

टीपू सुल्तान- मैसूर के शासक हैदरअली का पुत्र टीपू 22 दिसम्बर, 1782 ई. में मैसूर का सुल्तान बना था। उसने अपने मस्तिष्क में इस्लामिक साम्राज्य स्थापित करने का सपना संजोया था। अपने स्वप्न को साकार करने के लिए, उसने फ्रांसिसी लोगों से गोला, बारूद, बन्दूक, आदि बनाना सीखकर, अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया था। टीपू ने अपने क्षेत्र से विदेश निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर रोक लगाकर अंग्रेजों से शत्रुता कर ली थी। 1790-92 ई. में '**आंग्ल-मैसूर युद्ध**' हुआ, जिसमें टीपू सुल्तान की पराजय हुई और अंग्रेजों ने मंगलोर पर अधिकार कर लिया था। 1799 ई. में अंग्रेज, मराठों व निजाम की संयुक्त सेना से हुए युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया था। परिणामत: अंग्रेजों द्वारा मैसूर का राज्य, वहाँ के पुराने वोडियार वंश को दे दिया गया था।

अंग्रेज मराठा संघर्ष- मराठों की पानीपत के तृतीय युद्ध (1761 ई.) में पराजय के पश्चात पेशवा के कमजोर होने के कारण, मराठा शक्ति का चार भागों- सिन्धिया (ग्वालियर), होलकर (इन्दौर), गायकवाड़ (बडौदा) और भौंसले (नागपुर) में विभाजन हो गया था। मराठों के प्रभाव को कम करने के लिए 1775 ई-1818 ई. तक अंग्रेजों-मराठों के मध्य तीन युद्ध हुए थे। अन्तत: मराठा शक्ति का पराभव हुआ। कम्पनी ने तत्कालीन पेशवा नाना फड़नवीस को पेंशन देकर बिठुर भेज दिया और मराठा साम्रज्य को अपने नियन्त्रण में ले लिया था।

सारणी 5.1

प्रथम आँग्ल-मराठा युद्ध	**1775 ई.-1782 ई.**
द्वितीय आँग्ल-मराठा युद्ध	**1803 ई.-1805 ई.**
तृतीय आँग्ल-मराठा युद्ध	**1817 ई.-1818 ई.**

कम्पनी की सर्वोच्चता- उन्नीसवीं शताब्दी में कम्पनी ने भारत में आक्रामक रूप से अपने राज्य का विस्तार करने के कारण, वह स्वयं को भारत में सर्वोच्च मानने लगी थी। परन्तु कम्पनी की इस सर्वोच्चता को अनेक भारतीय राजाओं के द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था। इसलिए उन राजाओं का कम्पनी के साथ संघर्ष होता रहता था। दक्षिण भारत में रानी चेन्नम्मा (कित्तूर, कर्नाटक) का कम्पनी के विरुद्ध संघर्ष (1824 ई.) इसका उदाहरण है। इस संघर्ष को संगोली के रायन्ना ने जारी रखकर कम्पनी के अनेक शिविरों और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया था। अन्त में रायन्ना की पराजय हुई और उसे 1830 ई. में फाँसी दे दी गई थी।

1830 के दशक में वैश्विक स्तर पर रूस के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए कम्पनी को 1838 ई.- 1842 ई. तक भारत की उत्तरी-पश्चिमी सीमा (अफगानिस्तान) पर भारी संघर्ष का सामना करना पड़ा था। कम्पनी का अप्रत्यक्ष रूप से वहाँ नियन्त्रण तो हो गया परन्तु पञ्जाब में कम्पनी को महाराजा रणजीत सिंह के विरुद्ध पराजय का सामना करना पड़ा था। महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु (1839 ई.) के पश्चात 1849 ई. में पञ्जाब का कम्पनी ने अधिग्रहण कर लिया था।

चित्र- 5.3 रानी चिन्नम्मा

अंग्रेजों की राज्य हड़प नीति- 1848 ई. में लार्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल बना। उसने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के विस्तार की नई योजना बनाई थी। उसने साम्राज्य विस्तार के लिए भारत की दत्तक प्रथा को समाप्त कर दिया था, साथ ही किसी राजा की मृत्यु संतानहींन होने पर, उसके राज्य को

अंग्रेजी शासन में मिला लिया जाता था।इतिहास में इसे **'राज्य हडप या विलय नीति'** कहा जाता है। इस नीति के द्वारा डलहौजी ने सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर एवं झांसी का अधिग्रहण कर, कम्पनी राज्य में विलय कर दिया था। इस नीति से सम्पूर्ण भारतीय जनमानस में व्यापक असंतोष व्याप्त हुआ था।इसके परिणामत: 1857 ई. का प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम हुआ था। इस क्रान्ति ने ब्रिटिश शासन की जड़ें हिलाकर रख दीं थी।

भारत में कम्पनी शासन की स्थापना- भारत में ईस्ट इंडिया कम्पनी के राज्य विस्तार में सब से महत्वपूर्ण भूमिका गवर्नर जनरल वोरेन हेस्टिंग्स (1773 ई.-1785 ई.) की रही थी। जिसने सरकारी ब्रिटिश क्षेत्रों को तीन प्रशासनिक भागों में विभाजित कर, उन्हें बङ्गाल, मुम्बई व मद्रास प्रेसिडेन्सी नाम दिया था। हेस्टिंग्स ने न्यायपालिका के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन किए थे। उसने 1772 ई. में भारत के प्रत्येक शहर में दो प्रकार के न्यायालय- 1. फौजदारी न्यायालय 2. दीवानी न्यायालय स्थापित किए थे। इन न्यायालयों का मुखिया जिला कलेक्टर होता था। उस समय भारत में कलेक्टर का पद सबसे बडा होता था, जिसका प्रमुख कार्य लगान व शुल्क जमा करने के साथ ही न्यायालय एवं पुलिस आदि के द्वारा जिले में कानून व्यवस्था का सुचारू सञ्चालन करना था। मौलवी एवं पंडित न्यायालीय कार्यों में उसकी मदद करते थे। हिन्दू धर्म में मत मतान्तर होने के कारण अलग-अलग नियम और कानून थे।वह चाहता था कि नियम और कानूनों में सभी के लिए एकरूपता होनी चाहिए। इसीलिए 1775 ई. में 11 पंडितों को इन कानूनों के संकलन का कार्य दिया गया था, जिनका अंग्रेजी अनुवाद बी. हॉल हेड ने किया था। 1778 ई. तक मुस्लिमों के लिए भी कानून तैयार कर लिए गए थे।

कम्पनी शासन में सैन्य सुधार- किसी भी शासन की वास्तविक सत्ता की शक्ति, उसके सैन्य बल में होती है। मुगलों ने अपनी सत्ता स्थापित करने तथा शक्ति बढ़ाने के लिए, भारतीयों को घुडसवारी, तीरंदाजी, तलवारबाजी एवं बारूद का प्रयोग सिखाकर अपना सैन्य बल मजबूत किया था। 18वीं सदी में अंग्रेजों ने भारत में शासन स्थापित करने के लिए सैन्य व्यवस्था को बढ़ाने और मजबूत करने के लिए भारतीय लोगों को भी अत्याधुनिक यूरोपीय पद्धति से सैन्य प्रशिक्षण देना प्रारम्भ कर दिया था। अंग्रेज अपनी सेना को आर्मी या सिपॉय कहते थे। उस समय ब्रिटिश शासन के पास सैनिकों के लिए मस्केट (तोड़दार बन्दूक) और मैचलोक बन्दूकें थी। मिस्त्र, बर्मा एवं अफगानिस्तान के युद्ध में भारतीय ब्रिटिश आर्मी ने भारी सहायता की थी। अधिकांशत: अंग्रेज शासक भारतीय जाति व समुदाय की भावनाओं की उपेक्षा कर देते थे। इस कारण भारतीयों में व्यापक असन्तोष व्याप्त था। क्योंकि भारतीय अपनी सामाजिक

एवं धार्मिक भावना को छोड़ने के लिए सहमत नहीं थे । आगे चलकर इस असंतोष ने 1857 की क्रान्ति को जन्म दिया था।

कम्पनी की राजस्व व्यवस्था- अंग्रेजों के भारत आगमन का उद्देश्य ही आर्थिक लाभ कमाकर अपने देश ले जाना था। ईस्ट इंडिया कम्पनी के शासन के कारण भारतीय शासन प्रणाली में अनेक परिवर्तन हुए थे। बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि के अन्तर्गत 12 अगस्त, 1765 ई. को मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने बङ्गाल की दीवानी, ईस्ट इंडिया कम्पनी को प्रदान की थी । अब कम्पनी अपने नियन्त्रण वाले भू-भाग पर आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई और उसे आर्थिक लाभ कमाने का अवसर मिल गया था। कम्पनी ने ग्रामीण क्षेत्रों में अपना शासन स्थापित करने एवं आय बढ़ाने का निश्चय किया। अंग्रेजों द्वारा भारतीय संपदाओं के अतिदोहन एवं शोषण से यहाँ का जनमानस उद्देलित एवं आक्रामक हुआ। अंग्रेजों ने उन्हें नियन्त्रित करने के लिए शासन व्यवस्था में व्यापक सुधार की योजना बनाई। जिसके परिणाम में भारत में शासन की प्रारम्भिक ईकाई कहे जाने वाली ग्रामीण व्यवस्था में भी व्यापक परिवर्तन किये गये थे। इन परिवर्तनों से हमारी आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के मूल प्रतिमान नष्ट हो गए थे। ब्रिटिश शासन ने अपनी राजस्व व्यवस्था को भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू किया था।

स्थायी बन्दोबस्त- ईस्ट इंडिया कम्पनी यह बात भली-भाँति जानती थी कि जब तक भारत में कृषि व ग्रामीण क्षेत्रों में सुधार नहीं होगें तब तक कम्पनी की आय में वृद्धि नहीं हो सकती है। इसलिए 1793 ई. में तत्कालीन गवर्नर जनरल लार्ड कार्नवालिस द्वारा बङ्गाल में स्थायी बन्दोबस्त (नई राजस्व नीति) को लागू किया गया था। यह बङ्गाल के जमीदारों और ईस्ट इंडिया कम्पनी के मध्य कर सङ्ग्रहण का स्थायी समझौता था। इसे **इस्तमरारी** बंदोबस्त भी कहा जाता है। इसमें किसानों से अधिक लगान लिया जाता था। किसानों द्वारा लगान न चुका पाने के कारण, उन्हें अपनी जमीन से बेदखल कर दिया जाता था।

महालवाड़ी व्यवस्था- बङ्गाल की भाँति मध्य प्रान्त में लार्ड हेस्टिंग्स ने नई भू-राजस्व व्यवस्था लागू की, जिसे महालवाड़ी व्यवस्था कहते हैं। **महालवाड़ी** का अर्थ ग्राम होता है। इस व्यवस्था का प्रस्ताव 1819 ई. में **हाल्ट मैकेंजी** द्वारा लाया गया था। 1822 ई. में रेग्युलेशन एक्ट-7 द्वारा इसे कानूनी स्वरूप प्रदान कर लागू किया गया था। इस व्यवस्था में कलेक्टर को गाँवों का दौरा करके, वहाँ की भूमि की जाँच एवं पैमाइश की और ग्रामीण परिवेश के रीतिरिवाजों को अंकित कर राजस्व लागू किया गया था। राजस्व इकट्ठा करने का कार्य गाँव का मुखिया करता था।

रैयतवाड़ी बन्दोबस्त- रैयतवाड़ी बन्दोबस्त व्यवस्था सर्वप्रथम ब्रिटिश शासन ने दक्षिण भारत में लागू की थी। इस व्यवस्था को **थॉमस मुनरो** ने विकसित किया था। अत: इसे **मुनरो व्यवस्था** भी कहा जाता

है। इस व्यवस्था में राजस्व निर्धारित करने से पहले खेतों का सर्वे किया जाता था। तत्कालीन भारत के 51 प्रतिशत भाग पर यह व्यवस्था लागू थी।

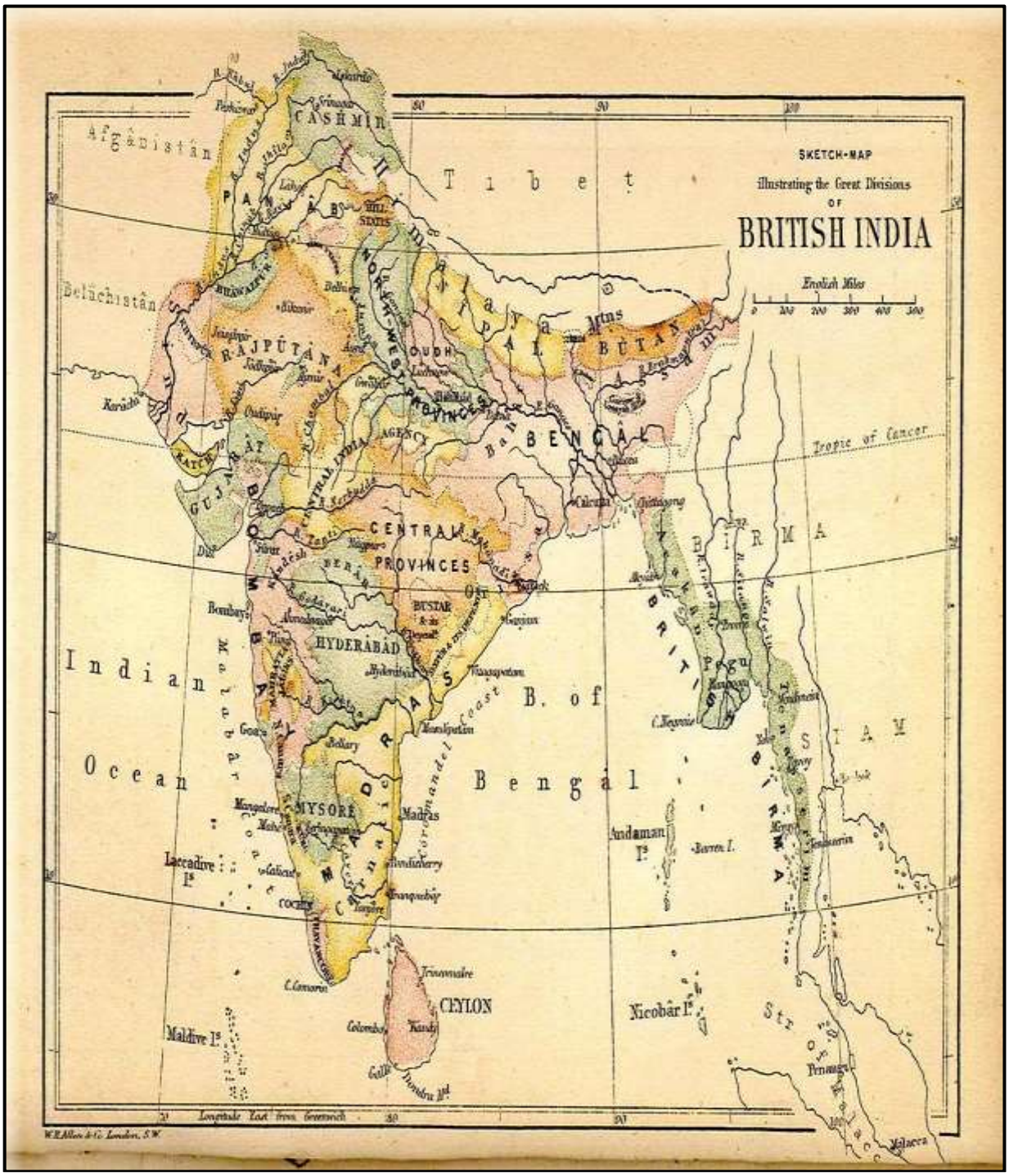

मानचित्र- 5.1 ब्रिटिश शासन काल

नीलविद्रोह- भू-राजस्व का प्रबंध करने के बाद ईस्ट इंडिया कम्पनी ने अनुभव किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में केवल राजस्व प्राप्त करके कम्पनी की आय में अधिक वृद्धि नहीं की जा सकती है। ईस्ट इंडिया कम्पनी के अधिकारियों ने कम्पनी की आय बढ़ाने और अपनी आवश्यकता की दृष्टि से भारत के विभिन्न भागों

जैसे- बङ्गाल-बिहार में पटसन, नील और अफीम, उत्तरप्रदेश में गन्ना, महाराष्ट्र में कपास आदि की खेती करने के लिये कृषकों पर दबाव बनाया था।

उस समय भारतीय नील की उच्च गुणवत्ता के कारण यूरोपीय बाजारों में अधिक मांग थी। इसलिए यूरोपीय बाजारों में यह महंगे दामों में बेची जाती थी। इसकी खेती में अंग्रेजों को बहुत अधिक लाभ होता था। कहा जाता है कि नील की खेती के लिए ब्रिटिश अधिकारियों ने अपनी नौकरीयाँ तक छोड़ दी थीं। अंग्रेज भारतीय किसानों से अधिक लाभ के चक्कर में नील की खेती जबरदस्ती करवाते थे। 1810 ई. में ब्रिटेन द्वारा आयात किये गये नील में 95 प्रतिशत भारतीयों का हिस्सा था। उस समय नील की खेती करने के दो तरीके थे।

1. **निजी-** निजी खेती में बागान मालिक स्वयं खेती करते थे या दूसरे जमींदार से किराये पर जमीन लेकर खेती करवाते थे।

2. **रैयती व्यवस्था-** इस व्यवस्था के अन्तर्गत ईस्ट इंडिया कम्पनी द्वारा किसानों को रैयती/पट्टा देकर नील की खेती करवाई जाती थी। रैयत को कुल भूमि के कम से कम 25 % भूमि पर नील की खेती करनी होती थी। निरन्तर नील की खेती करने से खेत अनुपजाऊ हो जाते थे। बागान मालिक, किसानों से उपजाऊ खेतों में नील के अधिक उत्पादन हेतु नील की खेती करवाने का दबाव देते है। मार्च1859 ई. में किसानों ने नील की खेती करने और बागान मालिकों को राजस्व चुकाने से मना भी कर दिया था। इसलिए वे अब आमने-सामने की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो गये थे । 1857 की क्रान्ति के पश्चात यह सबसे बड़ा आन्दोलन था। इसके कारण बागानों में नील का उत्पादन बुरी तरह से प्रभावित हुआ था। उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त में कृत्रिम रंगों का निर्माण होने लगा था। जिससे नील की खेती का व्यवसाय भी धीरे-धीरे समाप्त हो गया था। इस अध्ययन स्पष्ट है कि किस प्रकार यूरोपीय व्यापारी व्यापार के उद्देश्य को लेकर भारत आए और उन्होंने व्यापार के साथ-साथ यहाँ की शासन सत्ता पर आधिपत्य कर लिया था। कम्पनी ने भारतीय संसाधनों का अधिकतम दोहन कर ब्रिटेन को लाभ पहुँचाने के लिए अनेक सामाजिक,आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्थाएं स्थापित की।

प्रश्नावली

बहु विकल्पीय प्रश्न-

1. मुगल बादशाह फरूर्खसियर ने कम्पनी को नि: शुल्क व्यापार का आदेश सन्..... दिया था।

अ. 1800 ई.में ब. 1710 ई.में स. 1700 ई.में द. 1717 ई.में

2. ईस्ट इंडिया कम्पनी की शुरुआत ..... के शासन काल में हुई।

अ. गांधीजी ब. सुभाषचन्द्र बोस स. रानी एलिजाबेथ द. इनमें से कोई नहीं

3. 1822 ई. रेग्युलेशन एक्ट द्वारा ..... कानूनी स्वरूप प्रदान कर लागु किया गया।

अ. स्थायी बन्दोबस्त ब. महालवाड़ी व्यवस्था

स. रैयतवाड़ी बन्दोबस्त द इनमें से कोई नहीं

4. ईस्ट इंडिया कम्पनी को बङ्गाल में राजस्व अधिकार कब प्राप्त हुए थे?

अ. 1765 ई. ब. 1766 ई. स. 1760 ई. द. 1780 ई.

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए-

1. स्थायी बन्दोबस्त ..... में लागू हुआ था। (बिहार/बङ्गाल)
2. ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने..... में सर्वप्रथम अपना व्यापारिक केन्द्र स्थापित किया। (सूरत/मद्रास)
3. सर्वप्रथम वास्को-डी-गामा ..... पहुंचा। (कालीकट/मुम्बई)

सत्य/असत्य बताइए-

1. प्लासी का युद्ध 1758 ई. में हुआ था। (सत्य/असत्य)
2. ईस्ट इण्डिया कम्पनी को भारत में व्यापार की इजाजत जहाँगीर ने दी। (सत्य/असत्य)
3. सहायक सन्धि का जनक वेलेजली था। (सत्य/असत्य)

सही-जोड़ी मिलान कीजिए-

1. स्थायी बन्दोबस्त	क. हेस्टिंग्स
2. महालवाड़ी व्यवस्था	ख. मुनरो
3. रैयतवाड़ी व्यवस्था	ग. कार्नवालिस

अति लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. मुगलों ने अपना सैनिक बल कैसे मजबूत किया था ?
2. भारत में कम्पनी शासन में कलेक्टर को क्या कार्य सौंपा गया था ?
3. ईस्ट इंडिया कम्पनी के विस्तार में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण रही थी ?
4. ब्रिटिश शासन में भारतीय शहरों में कितने प्रकार के न्यायालय होते थे ?

लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. ईस्ट इंडिया कम्पनी ने नए शासन की स्थापना किस प्रकार की थी ?
2. जनरल लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति क्या थी ?
3. प्लासी का युद्ध क्यों और किस कारण हुआ था ?
4. महालवाड़ी व्यवस्था क्या थी ?

5. कम्पनी की दीवानी व्यवस्था को स्पष्ट कीजिए।
6. राजस्व निर्धारण की मुनरो व्यवस्था को समझाइए।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न-

1. बङ्गाल में अंग्रेजी शासन की स्थापना को समझाइये ।
2. नील विद्रोह का विस्तार से उल्लेख कीजिए ।

परियोजना कार्य-

1. निम्नलिखित के बारे में तस्वीर, कहानी, कविता व अन्य जानकारी संग्रहित करें। कित्तूर की रानी चेन्नम्मा, महाराजा रणजीत सिंह और लॉर्ड डलहौजी ।

अध्याय- 6

1857 की क्रान्ति

आइये जानें- 1857 ई. की क्रान्ति, 1857 ई. की क्रान्ति के कारण, क्रांति का प्रसार, 1857 ई.क्रांति के परिणाम और 1857 ई. क्रान्ति के प्रमुख नेता।

1857 ई. की क्रान्ति- ब्रिटिश शासन के नियम एवं कानून हमारे समाज के अनुकूल नहीं थे। इसलिए उनकी नीतियों एवं शासन प्रणाली का भारतीय जन मानस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। क्योंकि इन नीतियों एवं कार्यवाहियों ने भारत की पारम्परिक शासन व्यवस्था एवं जन-जीवन शैली को व्यापक स्तर पर प्रभावित किया था। इन व्यापक परिवर्तनों से तत्कालीन भारतीय जन-मानस उद्वेलित हो उठा था। परिणामत: 100 वर्षों के अनन्तर विदेशी शासन विरूद्ध 1857 ई. में देशव्यापी क्रान्ति हुई। इसे भारत के प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है। 1857 ई. की क्रान्ति किसी एक घटना का परिणाम नहीं थी, अपितु विगत सौ वर्षों में अंग्रेजी शासन की गलत नीतियों, कानूनों एवं शोषणकारी प्रवृतियों का परिणाम थी। इसलिए भारतीय लोग अंग्रेजी शासन के विरूद्ध आन्दोलन के लिए मजबूर हो गये थे। 1857 ई. के स्वतन्त्रता संग्राम के कारणों, प्रचार- प्रसार एवं परिणामों का अध्ययन हम निम्न प्रकार करेगें-

क्या आप जानते हैं-

- 1817 ई.-1825 ई. के मध्य ओड़िशा राज्य के खुर्दा में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध बक्सी जगबन्धु के नेतृत्त्व में एक सशस्त्र आन्दोलन हुआ था, जिसे इतिहास में पाइक विद्रोह के नाम जाना जाता है।

1. **राजनीतिक कारण-** लार्ड क्लाइव ने अपनी कूटनीति से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कम्पनी को आर्थिक संस्था से राजनीतिक संस्था बना दिया था।कम्पनी ने भारत के देशी राजाओं के राज्यों को गोद-निषेध, सहायक संधि, जैसी कूटनीतिपरक राज्य हड़प नीतियों से अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया और उनकी विविध प्रकार की सहायता को बन्द कर दिया था।इसलिए देशी राजा-महाराजाओं के साथ जनमानस भी अँग्रेजों के विरूद्ध हो गया था।
2. **सामाजिक कारण-** ईसाई मिशनरियों को भारत में उनके धर्म के प्रचार-प्रसार की छूट प्रदान की गई थी। वे भारतीयों की धार्मिक एवं सामाजिक परम्पराओं को हेय बताते हुए, धर्म परिवर्तन कराते थे। एक सामान्य अंग्रेज भी बड़े-बड़े भारतीय नागरिकों का अपमान कर देता था। इस प्रकार समाज

सुधार के नाम पर अंग्रेजों ने भारतीय लोगों के सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप किया था, जिससे भारतीयों के मन में अंग्रेजों के विरुद्ध पनपी घृणा ने विप्लव का रूप धारण कर लिया था।

3. **आर्थिक कारण-** प्राचीनकाल से ही भारत की सभ्यता एवं संस्कृति श्रेष्ठ रही है। तत्कालीन समय में भारत की आर्थिक सम्पन्नता विश्वभर में फैली हुई थी। लोग भारत को **सोने की चिड़िया** कहते थे। अंग्रेजों ने सत्ता प्राप्ति के बाद इसका बेरहमी से शोषण किया था। यहाँ के प्राचीन एवं पारम्परिक उद्योग-धन्धे नष्ट कर दिये गये थे। भारत से सस्ता कच्चा माल खरीद कर ब्रिटेन में, उसे मशीनों द्वारा तैयार करके वापिस मँहगे दामों में यहाँ बेचा जाता था। किसानों, कारीगरों से जबरन लगान वसूला जाता था। ब्रिटिश सरकार ने खाने-पीने की वस्तुओं पर अत्यधिक कर लगा दिया था, जिससे यहाँ पर भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई थी। अत: इस कारण भारतीय किसान, मजदूर एवं सामान्य जनमानस भी अंग्रेजों के विरूद्ध हो गये थे।

4. **सैन्य कारण-** अंग्रेज, भारतीय सैनिकों को कम वेतन देते थे, साथ ही उनके धार्मिक और सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप करते थे। उस समय कारतूसों के ऊपर लगे सुरक्षा कवच गाय व सूअर की चर्बी से बनते थे, जिन्हें सैनिकों को मुँह से खोलना पड़ता था। इससे भारतीय सैनिकों की धार्मिक एवं सैन्य भावना को ठेस पहुँची और उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया था। अंग्रेजी सेना में भर्ती हुए भारतीय सैनिक इसे अपनी धार्मिक भ्रष्टता मानकर अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध एकजुट हुए। 29 मार्च 1857 ई. को सैनिक मंगल पाण्डे ने बैरकपुर छावनी में इन कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया और अंग्रेज सैन्य अफसर को गोली मार दी थी और इसके साथ ही सैन्य विद्रोह भड़क गया था। मंगल पाण्डे को 8 अप्रैल 1857 को फाँसी दे दी गई। शीघ्र ही विपल्व की यह चिंगारी, जो मेरठ की बैरकपुर छावनी से उठी अवध, मेरठ, झाँसी, ग्वालियर, कानपुर, राजस्थान आदि क्षेत्रों से होते हुए सम्पूर्ण देश में फैल गई।

चित्र-6.1 मंगल पाण्डे

5. **क्रान्ति का प्रसार-** 1857 ई. की क्रान्ति की योजना पेशवा नाना साहेब व उनके सहयोगी अजीमुल्ला और रंगोजी बापू ने मुख्य रूप से तैयार की थी। इस क्रान्ति का प्रतीक चिह्न **कमल का फूल व रोटी**

था। प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम मुगल बादशाह बहादुरशाह जफर के नेतृत्व में 31 मई 1857 से शुरू किया जाना था। लेकिन मेरठ छावनी में विद्रोह होने से यह क्रान्ति 29 मार्च को ही शुरू हो गई तथा शीघ्र ही सम्पूर्ण उत्तर भारत में फैल गई थी। 11 मई, 1857 ई. को क्रान्तिकारियों ने दिल्ली पर अधिकार कर, बहादुरशाह जफर को सम्राट घोषित कर दिया था। कानपुर में नाना साहेब, तात्या टोपे, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, बिहार में कुँवरसिंह, असम में दीवान मणिराम, अवध में बेगम हजरत महल एवं अनेक रजवाडों ने क्रान्ति की इस योजना में भाग लेकर अपने-अपने क्षेत्रों से अंग्रेजों को खदेड़ कर अपनी स्वायत्तता की घोषणा कर दी थी। उस समय भारत का गवर्नर जनरल लार्ड केनिंग था। उसने मद्रास, बम्बई, बर्मा और श्रीलंका से अंग्रेजी सेनाओं को बुलाकर विद्रोह को कुचल दिया और भारत में पुन: कम्पनी राज की स्थापना की थी।झाँसी की रानी लक्ष्मी बाई शहादत को प्राप्त हुई, बहादुर शाह जफर को कैद करके रंगून निर्वासित कर दिया गया था। धीरे-धीरे स्वतन्त्रता की चिंगारी धीमी पड़ गई थी। भारत में क्रान्ति के प्रमुख केन्द्र दिल्ली, मेरठ, झांसी, ग्वालियर, कानपुर, अवध,आउवा, कोटा, नीमच आदि थे। कुछ पाश्चात्यवादी इतिहासकार इसे एक सैनिक विद्रोह या जन विद्रोह मानते हैं। परन्तु इस क्रान्ति का क्षेत्र व्यापक था और इसका उद्देश्य भारत से अंग्रेजी शासन को समूल नष्ट करना था।इसलिए इसे भारत का प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम कहा गया है।

क्या आप जानते हैं-

- 1857 ई. की क्रान्ति को विनायक दामोदर सावरकर ने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था।
- रानी लक्ष्मीवाई और अंग्रेजों के मध्य कालपी नामक स्थान पर युद्ध हुआ था।

1857 की क्रान्ति के परिणाम- अंग्रेजों ने 1859 ई. के अन्त तक इस विपल्व को पूर्ण रूप से नियन्त्रित कर लिया था। परन्तु अंग्रेजों को अपनी शासन की नीतियों में परिवर्तन करना पड़ा था। इस क्रान्ति के प्रमुख परिणाम निम्न प्रकार थे-

1. भारत में कम्पनी का शासन समाप्त कर, ब्रिटिश क्राउन का शासन हो गया था। महारानी विक्टोरिया ने 1858 ई. के अपने घोषणा पत्र में देशी राजाओं के अस्तित्व को स्वीकार कर लिया और भारत पर शासन में सलाह के लिए इंडिया काउंसिल बनाई गई थी। भारत में गवर्नर जनरल के स्थान पर वायसराय का पद सृजित किया गया, जो ब्रिटिश सरकार के प्रति सीधे उत्तरदायी था।

2. गोद-निषेध नीति को निरस्त कर दिया गया था। भारतीय शासकों को ब्रिटिश शासन के अधीन शासन करने छूट दे दी गई थी।
3. अंग्रेजों ने सेना में व्यापक सुधार किए गये थे।
4. अंग्रेज मानते थे कि इस क्रान्ति में मुसलमानों का योगदान अधिक है। इसलिए उन्हें सन्देह की दृष्टी से देखा जाने लगा और उनकी भूमि व सम्पत्ति जब्त कर ली गई थी।

निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि, आने वाले समय में यह क्रान्ति स्वतन्त्रता आन्दोलनों को प्रेरणा देती रही थी। यह क्रान्ति, भारतीयों की दृष्टी में संघर्ष का अन्त नहीं अपितु स्वतन्त्रता आन्दोलन का एक अध्याय था। इस क्रान्ति के परिणामस्वरूप अंग्रेजी शासन में भारतीय लोगों को भी आंशिक

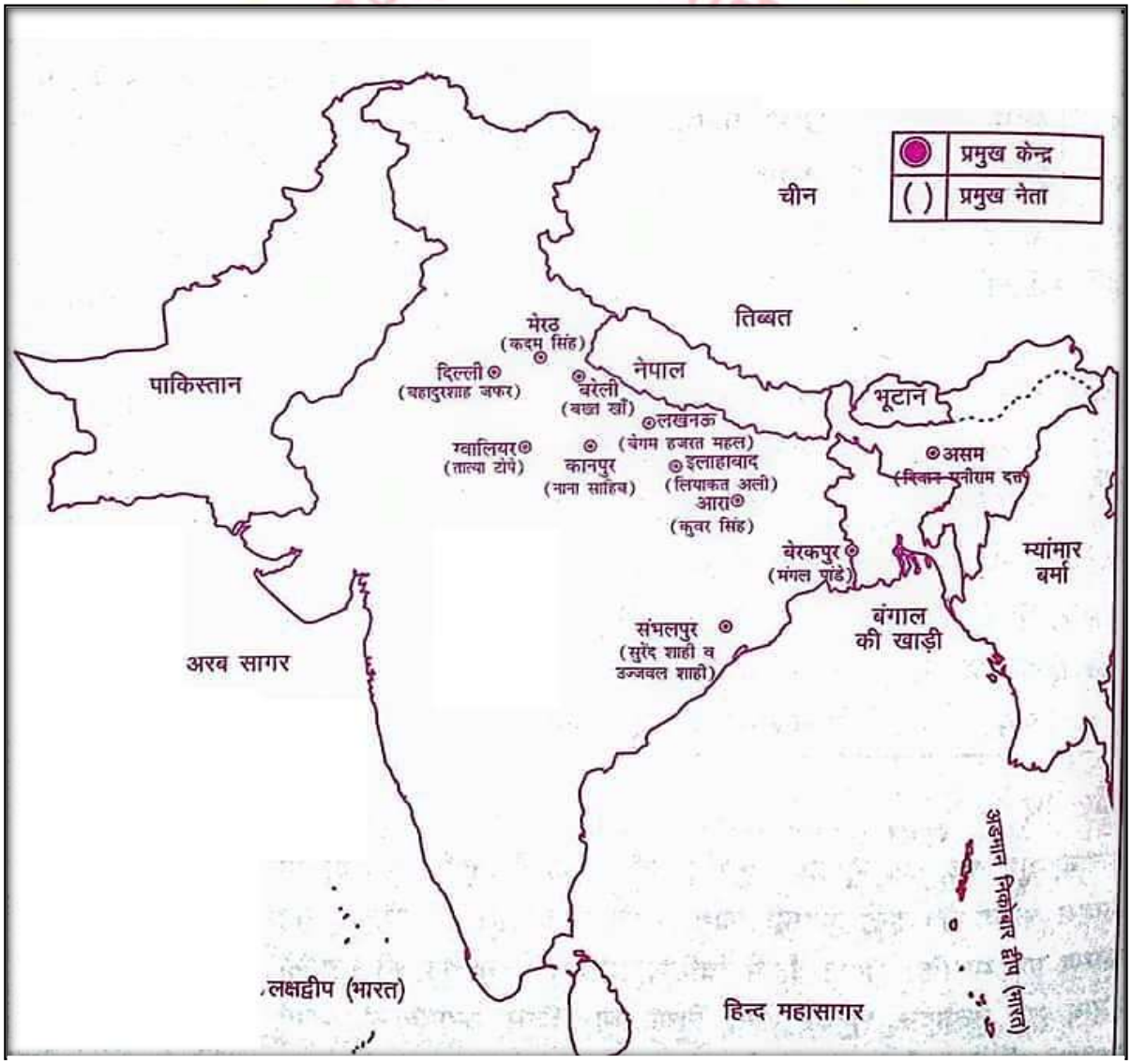

मानचित्र-6.1 भारत में 1857 ई. की क्रान्ति के प्रमुख केन्द्र एवं नेता

भागीदारी प्राप्त हुई थी। इसी कालखण्ड में भारतीयों के अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से भारतीय राष्ट्रीय क्रांग्रेस (1885 ई. में) की स्थापना की गई, जो आगे चलकर स्वतन्त्रता प्राप्ति का आधार बनी थी।

1857 की क्रान्ति के प्रमुख नेता-

1. **नाना साहेब** (1824-1859)- नाना साहेब के बचपन का नाम धोंडुपंत था। ये पेशवा बाजीराव द्वितीय के उत्तराधिकारी थे। ये सन 1857 की क्रान्ति के प्रमुख शिल्पकार थे तथा इस महा संग्राम में कानपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रान्तिकारियों का नेतृत्त्व किया था।

चित्र- 6.2 नाना साहेब

2. **बहादुर शाह जफर** (1775-1862)- ये मुगल साम्राज्य के अंतिम बादशाह थे। 1857 ई. का स्वतन्त्रता संग्राम इन्हीं के नेतृत्त्व में लड़ा गया था। इस स्वतन्त्रता संग्राम के असफल होने के बाद इन्हें अंग्रेजी सरकार द्वारा रंगून निर्वासित कर दिया गया था।

3. **तात्या टोपे** (1814-1859)- भारत के प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम में मुख्य रूप से भाग लेने वाले स्वतन्त्रता सेनानियों में तात्या टोपे का नाम मुख्य रूप से लिया जाता है। इनका वास्तविक नाम **रामचंद्र पांडुरङ्ग येवलकर** था, लेकिन सब इनको प्यार से तात्या कहते थे। इनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ये नाना साहेब के सैन्य सलाहकार थे। इस संग्राम के असफल होने के बाद अपने अदम्य शौर्य व बल से इस आन्दोलन को एक वर्ष तक जीवित रखा गया था।

चित्र-6.3 तात्या टोपे

4. **रानी लक्ष्मी बाई**(1828-1858)- लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मनु था। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। इन्होंने बाल्यावस्था में ही घुड़सवारी, तलवारवाजी, सैन्य कौशल आदि सीख लिया था। इनका विवाह झाँसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ था। आजादी की लड़ाई में इन्होंने अंग्रेजों को परास्त कर दिया था। परन्तु उसी समय दूसरी अंग्रेजी सैन्य टुकड़ी के आ जाने से भयंकर युद्ध हुआ और रानी वीर गति को प्राप्त हुई।

चित्र-6.4 रानी लक्ष्मी बाई

5. **वीर कुँवर सिंह** (1777-1858)- प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम के महानायक वीर कुँवर सिंह बिहार के जगदीशपुर तालुका के जमींदार थे। इन्होंने 80 वर्ष की आयु में अंग्रेजों के विरूद्ध युद्ध लड़ा और वीरगति को प्राप्त हुए थे।

चित्र-6.5 वीर कुँवर

वैदिक वाङ्मय में राष्ट्र रक्षकों (स्वतन्त्रता सेनानियों) को राष्ट्र का नेत्र, उग्र दृष्टि वाला और विजयी योद्धा कहा गया है। अथर्ववेद में उल्लेख किया गया है कि **उग्रंपश्या राष्ट्रभृतो ह्यक्षाः** (7.109.6) अर्थात् राष्ट्र के रक्षक, राष्ट्र के नेत्र होते हैं और उनकी दृष्टि सदा उग्र रहे। **प्रेता जयता नर उग्रा वः सन्तु बाहवः** (3.19.7) अर्थात् वीर योद्धा आगे बढ़कर अपने बाहुबल द्वारा विजयी होवें। **मामीषां मोचि कश्चन।** (3.19.8) अर्थात् युद्ध में शत्रुओं को कभी जीवित नहीं छोड़ना चाहिए।

प्रश्नावली

बहु विकल्पीय प्रश्न-

1. 1857 ई. की क्रान्ति ..... प्रारम्भ हुई थी।

अ. 31 मई 1857 ब. 8 अप्रैल 1857 स. 29 मार्च 1857 द. इनमें से कोई नहीं

2. बहादुरशाह जफर को ..... में निर्वासित किया गया था।

अ. कोलम्बो ब. रंगून स. कलकत्ता द. दिल्ली

3. पाइक आन्दोलन ..... हुआ था।

अ. 1945 ई.-1947 ई. ब. 1850 ई.-1856 ई.

स. 1747 ई.-1760 ई. द. 1817 ई.- 1825 ई.

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए -

1. 1857 की क्रान्ति के पश्चात् भारत में ..... का शासन हो गया। (कम्पनी/ब्रिटिश क्राउन)
2. क्रान्ति का प्रतीक चिह्न ..... थी। (चमेली का फूल व हल/कमल का फूल व रोटी)
3. मंगल पाण्डे ..... छावनी में सैनिक थे। (बैरकपुर/मेरठ)

सत्य/असत्य बताइए-

1. 1857 की क्रान्ति के समय डलहोजी भारत के गवर्नर जनरल थे। (सत्य/असत्य)
2. राजस्थान में कोटा भी 1857 की क्रान्ति का केन्द्र था। (सत्य/असत्य)

3. राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भारतीयों के अधिकारों के रक्षार्थ हुई थी। (सत्य/असत्य)

सही-जोड़ी मिलान कीजिए-

1. कानपुर	क. दीवान मणिराम
2. बिहार	ख. नाना साहब
3. असम	ग. बेगम हजरत महल
4. अवध	घ. कुंवर सिंह

अति लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. अंग्रेजों ने 1857 में किस सैनिक को फांसी दी थी ?
2. पाइक आन्दोलन का नेतृत्त्व किसने किया था ?
3. 1857 ई. की क्रान्ति को प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम क्यों कहा गया है ?
4. भारत में ब्रिटिश क्राउन के शासन की स्थापना कब हुई थी?

लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. 1857 ई. की क्रान्ति के प्रमुख कारण क्या थे ?
2. 1857 ई. के बाद की भारत की स्थिति का वर्णन कीजिए।
3. रानी लक्ष्मीबाई ने आजादी की लड़ाई में क्यों भाग लिया था ?
4. 1857 ई. की क्रान्ति को प्रमुख घटनाएँ कौन सी थी?

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न-

1. 1857 ई. की क्रान्ति के परिणामों की विवेचना कीजिए ।

परियोजना-

1. भारत के प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लेने वाले क्रान्तिकारियों के चित्र इकट्ठा कीजिए।

अध्याय-7

औपनिवेशिक भारत में शिक्षा

आइये जानें- अंग्रेजों का भारतीय शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण, प्राच्यवादी दृष्टिकोण, आधुनिकतावादी दृष्टिकोण, भारत में पाश्चात्य शिक्षा व्यवस्था हेतु मैकाले का स्मृति पत्र, वुड का डिसपैच (नीतिपत्र), अंग्रेजों से पूर्व की भारतीय गुरुकुल शिक्षा प्रणाली, महात्मा गाँधी के शिक्षा पर विचार, टैगोर के शिक्षा पर विचार और स्वामी विवेकानन्द के शिक्षा पर विचार।

अंग्रेजों का भारतीय शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण- अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति तथा निज धर्म एवं संस्कृति की श्रेष्ठता की अहमन्यता ने उन्हें अपने साम्राज्य में पाश्चात्य संस्कृति के विस्तार के लिए प्रेरित किया था। इसके लिए उन्होंने सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं बौद्धिक हथकंडे अपनाए थे। विश्व की प्राचीनतम सभ्यता एवं संस्कृति के रूप में प्रसिद्ध भारत और वहाँ के लोगों को यूरोपीय पुनर्जागरण से विकसित हुए मशीनीकरण, नूतन विज्ञान, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक उन्नति को श्रेष्ठता के रूप में प्रदर्शित करते हुए आकर्षित किया था। ब्रिटिश प्रशासकों ने पाश्चात्य सभ्यता की श्रेष्ठता को प्रचारित-प्रसारित एवं आरोपित करने का प्रयास सामान्य भारतीयों के मानस पटल पर किया था। इस काल में शिक्षा और धर्म में व्यापक परिवर्तन किए गए थे। क्योंकि शासन सत्ता की स्थिरता के लिए अंग्रेजों ने भारतीयों के मानसिक परिवर्तन को आवश्यक माना था। अंग्रेजों को इस कार्य में ऐसे भारतीयों से मदद मिली जो या तो पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त थे या उससे ओत-प्रोत थे। तत्कालीन भारत में प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली के प्रति अंग्रेजों की नीति स्पष्ट नहीं थी। परिणामस्वरूप भारतीय शिक्षा प्रणाली को लेकर दो प्रकार के दृष्टिकोण विकसित हुए थे-

1. प्राच्यवादी दृष्टिकोण
2. आधुनिकतावादी दृष्टिकोण

1. **प्राच्यवादी दृष्टिकोण-** 1783 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कम्पनी द्वारा सर विलियम जॉन्स को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। वह भारतीय संस्कृति से अत्यधिक प्रभावित था। भारत में उसने अरबी, फारसी एवं संस्कृत भाषाएँ सीखकर, भारतीय दर्शन, धर्मशास्त्र, अंकगणित और चिकित्सा विज्ञान इत्यादि प्राचीन भारतीय ग्रन्थों का अध्ययन किया था। तत्पश्चात् उसने संस्कृत एवं फारसी रचनाओं का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने लगा था। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य अंग्रेज

अधिकारियों ने भारतीय भाषाओं का अध्ययन किया, उनमें हेनरी थामस, कोलब्रुक, नैथेनियल, आदि शामिल थे। जॉन्स और कोलब्रुक दोनों ही भारतीय संस्कृति के प्रति आदरभाव रखते थे। इसलिए उन्होंने भारतीयों को अंग्रेजी सिखाने के स्थान पर भारतीय लोगों की पारम्परिक अध्ययन शैली में ही सुधार के प्रयास किए थे। इसी कारण उन्होंने सन् 1781 में कोलकाता में मदरसा व सन् 1791 में बनारस में हिन्दू महाविद्यालय की स्थापना की थी।इनकी स्थापना का उद्देश्य भारत की शासन प्रणाली के उचित सञ्चालन के लिए लोगों को संस्कृत ग्रंथों का ज्ञान कराना था।

2.आधुनिकतावादी दृष्टीकोण- 19वीं सदी के आरम्भ में कुछ अंग्रेजी अफ़सरों ने विलियम जॉन्स की प्राच्यवादी परम्परा की घोर निन्दा की थी। ऐसे आलोचकों में जेम्स मिल और थॉमस बैबिंगटन मैकाले का नाम सर्वोपर्य था। आधुनिकतावादियों का मानना था कि प्राच्य भारतीय शिक्षा व्यवस्था पिछड़ी एवं त्रुटिपूर्ण है। इसलिए अंग्रेजी शासन व्यवस्था संस्कृत व अरबी शिक्षा के विकास पर अधिक धन व्यय नहीं कर सकती है। अत: भारतीय लोगों को पश्चिमी व तकनीकी ज्ञान देना चाहिए।

चित्र-7.1 विलियम जोन्स

भारत में पाश्चात्य शिक्षा व्यवस्था हेतु मैकाले का स्मृति पत्र - भारत में अंग्रेजी भाषा और आधुनिक शिक्षा प्रणाली के जनक के रूप में लार्ड मैकाले को जाना जाता है। वह भारत में ब्रिटिश लॉ-कौन्सिल का सदस्य था। उसने भारतीय विद्यालयों में अंग्रेजी भाषा सिखाने पर बल देने की बात एक पत्र में लिखी थी।उसका मानना था कि भारतीयों के रूप और रङ्ग अलग-अलग जरूर हैं, लेकिन उनमें पश्चिमी सभ्यता, नीति और प्रवृति बनी रहे, इसलिए सभी भारतीय विद्यालयों में अंग्रेजी भाषा को उच्चशिक्षा का माध्यम बनाया जाना चाहिए। उसके इस पत्र को **मैकाले का स्मृति पत्र** के नाम से जाना जाता है और इसे ही अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 कहते हैं।

क्या आप जानते हैं-

- भारतीय भाषा और संस्कृति का ज्ञान रखने वाले लोगों को प्राच्यवादी कहा जाता है।
- वर्नाकुलर शब्द का प्रयोग औपनिवेशिक भारत में स्थानीय भाषा और शासकीय भाषा के मध्य अन्तर को चिह्नित करने के लिए अंग्रेजों द्वारा किया जाता था।
- विलियम जोन्स ने 1784 ई. में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बङ्गाल की स्थापना की थी।

वुड का डिस्पैच (नीति पत्र)- सन् 1854 में लंदन के कोर्ट आफ डायरेक्टर ने भारतीय शिक्षा के सन्दर्भ में भारत के गवर्नर जनरल को एक पत्र भेजा, जो कम्पनी के नियंत्रक मण्डल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड के नाम से जारी किया गया था। इस पत्र में पाश्चात्य शिक्षा का सर्वाधिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में था। यदि

भारतीय लोगों को अंग्रेजी शिक्षा प्रदान की जावेगी तो वे उसके अनुकूल व्यवहार करेंगे। ब्रिटिश वस्तुओं में रूचि जाग्रत होने के कारण वे उन्हें खरीदेगें, जिससे उनके व्यापार में वृद्धि होगी। वुड के नीतिपत्र में यह भी उल्लेख है कि यदि भारतीय लोगों को पाश्चात्य शिक्षा प्रदान की जाती है तो भारतीय लोगों की निष्ठा व समर्पण ब्रिटिश शासन के प्रति बढ़ेगी। परिणामस्वरूप कम्पनी को भारत में ईमानदार,कर्तव्यनिष्ठ और विश्वसनीय कर्मचारी मिलने लगेंगे। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भारत में शिक्षा विभाग का गठन किया गया था तथा 1857 ई. में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी। इस पत्र को **वूड का डिस्पैच** कहा गया था। इसे आधुनिक भारतीय शिक्षा का **मैग्नाकार्टा** कहा जाता है।

अंग्रेजों से पूर्व की भारतीय गुरुकुल शिक्षा प्रणाली- भारत की शिक्षा परम्परा प्राचीनकाल से ही अनुशासन परक, आध्यात्मिक, संस्कारी, तार्किक, प्रायोगिक, वैज्ञानिक एवं कण्ठस्थीकरण पर बल देने वाली थी। इस शिक्षा का उद्देश्य शिक्षार्थी में व्यक्तित्व विकास, स्वावलम्बन तथा चारित्रिक उन्नति का विकास करना था। वैदिक वाङ्मय में शिक्षा के महत्त्व को प्रतिपादित किया गया है। अथर्ववेद में संकेत मिलता है कि- **"मा नो मेधां मा नो दीक्षां मा नो हिंसिष्टं यत्तपः।"** (19.40.3) अर्थात् हमारी बुद्धि (ज्ञान) हमारी दीक्षा एवं हमारे तप-कर्म को कोई भी हानि नहीं पहुंचा सके। इसीलिए हमें साहस पूर्वक अपने रीति-रिवाजों व परंपराओं का पालन अवश्य करना चाहिए। इस कथन को प्रत्येक भारतीय को सदैव अपने मनोमस्तिष्क में रखना चाहिए। **"तमस्ते यन्तु यतमे द्विषन्ति।"** (12.3.49) अर्थात् द्वेष करने वाले लोग हमेशा अंधकार में ही जाते हैं। अत: स्पष्ट है कि भारत की प्राचीन शिक्षा प्रणाली उच्च आदर्शों, रोजगारपरक नैतिक, वैचारिक आदि प्रतिमानों को स्थापित करने वाली थी। इसलिए तो भारत दुनिया में विश्व गुरू के नाम से विख्यात था।

चित्र-7.2 प्राचीन गुरुकुल

1830 के दशक में भारत आए ईसाई धर्म प्रचारक विलियम एडम ने बङ्गाल और बिहार में तत्कालीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर एक रिपोर्ट तैयार की थी। इस रिपोर्ट में उल्लेख है कि उस समय भारत में एक लाख से ज्यादा पाठशालाएँ/गुरुकुल थे। प्रत्येक पाठशाला में अधिकांशत: 20 छात्र होते थे। ये पाठशालाएँ प्रकृति के सुरम्य वातावरण में स्थानीय लोगों द्वारा सञ्चालित होती थीं। इनमें नि:शुल्क, लचीली एवं मौखिक शिक्षा प्रदान की जाती थी। ब्रिटेन में शिक्षा संस्थाओं के आरम्भिक दौर

में प्रथम स्कूल जब 1811 ई. में खुला तो उस समय भारत में 7,32,000 गुरुकुल थे, जिनमें नि:शुल्क एवं जनसुलभ शिक्षा प्रदान की जाती थी। अत: स्पष्ट है कि भारत में ज्ञान का प्रकाश प्राचीन काल से ही जन-जन तक फैलाने का उद्यम किया जाता रहा है। जिसका प्रमाण इतनी बड़ी सङ्ख्या में 18 वीं-19 वीं शताब्दी में सञ्चालित गुरुकुल थे। ऐसी उच्च विकसित शिक्षा व्यवस्था में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कम्पनी ने 1854 ईस्वी के पश्चात अपने अनुकूल परिवर्तन का निर्णय लिया था। कम्पनी ने इन पाठशालाओं को व्यवस्थित करने के नाम पर नई दिनचर्या, नियम और प्रशासनिक निरीक्षण करना प्रारम्भ किया था। सरकार के इन नियमों को जिन गुरुकुलों ने माना उन्हें वित्तीय सहायता प्राप्त होने लगी थी। इस व्यवस्था के परिणामस्वरूप इन पारम्परिक पाठशालाओं को अंग्रेजी सरकार से वित्तीय सहायता तो प्राप्त हुई, परन्तु गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था पूर्णत: नष्ट-भ्रष्ट हो गई। देश भर से कई लाख गुरुकुल या तो नष्ट हो गये या अंग्रेजी शिक्षा तन्त्र के रूप में विकसित होने लगे थे।

भारत में ब्रिटिश शिक्षा पद्धति लागू होने के बाद भारतीय जन मानस को पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली के गुण-अवगुणों की जानकारी प्राप्त हुई । तत्कालीन अधिकांश भारतीय विचारकों, मनीषियों और स्वतन्त्रता सेनानियों ने अपने चिन्तन में यूरोपीयन शिक्षा प्रणाली को भारत के लिए अहितकारी माना गया था। इसलिए शीघ्र ही इसमें सुधार की माँग उठने लगी थी। इन शिक्षा सुधारकों में महात्मा गाँधी, रवीन्द्रनाथ टैगोर, विवेकानन्द और अरविन्दो घोष आदि प्रमुख थे।

गाँधीजी के शिक्षा पर विचार (1869-1948)- महात्मा गाँधी की गणना भारत के महान शिक्षाविदों में की जाती है। उनका मानना था कि अंग्रेजों ने अंग्रेजी शिक्षा, जीवनपद्धति एवं संस्कृति का ज्ञान देकर भारतीय संस्कृति व सभ्यता को क्षति पहुँचाने के साथ-साथ यहां के लोगों में जहर घोला है तथा इस शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया है। गाँधीजी भारत में ऐसी शिक्षा प्रणाली चाहते थे, जो भारतीय लोगों में आत्म सम्मान,प्रतिष्ठा और स्वाभिमान के भाव को पुनर्जीवित करे। इसलिए तो गाँधीजी ने राष्ट्रीय आन्दोलन के दौरान ब्रिटिश शिक्षा संस्थानों को छोड़ने का विद्यार्थियों से आह्वान किया था। गाँधीजी मातृभाषा में आचरण परक और नैतिक शिक्षा को मानव के सर्वांगीण विकास का माध्यम मानते थे। महात्मा गाँधी भारत में 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को नि:शुल्क,व्यवहारिक, अनुशासन और रोजगार परक शिक्षा के पक्षधर थे। शिक्षक के सन्दर्भ में उनकी सोच आदर्शवादी थी। उनका मानना था कि भारतीय प्राचीन शिक्षा पद्धति सर्वोत्तम है। क्योंकि सभ्यता के विकास काल से ही भारतीय शिक्षा व्यवस्था उच्चकोटी की रही है। इसलिए हमें उसी शिक्षा पद्धति में ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। हमारे गुरुकुलों में

चित्र- 7.3 महात्मा गांधी

सभी प्रकार की विद्याओं का अध्ययन करवाया जाता था। महात्मा गाँधी, विद्यालय की अवस्थिति के लिए प्रकृति के सुरम्य और सुन्दर वातावरण को आदर्श मानते थे।

टैगोर के शिक्षा पर विचार (1861-1941)- रवीन्द्रनाथ टैगोर एक महान भारतीय शिक्षाविद् थे। उन्होंने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य बालक की जन्मजात शक्तियों का विकास कर उसके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है। शिक्षक के लिए उन्होंने कहा शिक्षा केवल शिक्षक द्वारा ही दी जा सकती है, शिक्षण विधि द्वारा नहीं। अपने विद्यालयी जीवन के अनुभव से शिक्षा के प्रति लोगों की सोच में परिवर्तन लाने के लिए सन् 1901 में कलकत्ता में शांति निकेतन नामक एक शिक्षालय की स्थापना की गई थी। उनका विचार था कि विद्यालय का वातावरण प्राकृतिक एवं स्वतन्त्र होना चाहिए, जहाँ बच्चे प्रसन्न रहकर पढ़ एवं सीख सकें। विद्यालय में शिक्षा के साथ शारीरिक श्रम भी करवाया जाना चाहिए। विद्यार्थियों को मातृभाषा के साथ-साथ पाश्चात्य शिक्षा भी प्रदान करनी चाहिए। इसलिए उन्होंने शान्ति निकेतन में भारतीय कलाओं की शिक्षा के साथ तकनीकी शिक्षा पर बल दिया था। उनका मानना था कि अध्यापक और छात्र में पिता-पुत्र जैसा सम्बन्ध होना चाहिए। वे विद्यार्थियों में सोच-समझ को विकसित करने के लिए , चित्रात्मक शैली में शिक्षा देना चाहते थे।

चित्र-7.4 रवीन्द्रनाथ टैगोर

स्वामी विवेकानन्द के शिक्षा पर विचार (1863-1902)- स्वामी विवेकानन्द एक महान शिक्षाविद् एवं आध्यात्मिक विचारक थे। उनका बचपन से ही आध्यात्म की ओर झुकाव था। उन्होंने सन् 1881 में स्वामी रामकृष्ण परमहंस से दीक्षा प्राप्त की थी । राजस्थान की खेतड़ी रियासत के राजा अजीत सिंह के सहयोग से उन्हें 1892 ई. में अमरीका के शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ था। स्वामी विवेकानन्द ने शिकागो के अपने भाषण में सनातन हिन्दू धर्म की श्रेष्ठता स्थापित की थी। इससे उनकी ख्याति सम्पूर्ण विश्व में फैल गई थी। उन्होंने सामाजिक, धार्मिक, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुधार की दिशा में अप्रतिम योगदान दिया था। उन्होंने अपने विचारों को मूर्त रूप देने के लिए 1 मई, 1897 ई.को बेलूरू में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी।

चित्र- 7.5 स्वामी विवेकानन्द

स्वामी विवेकानन्द का मानना था कि हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है,जो चरित्र निर्माण, मस्तिष्क की शक्ति को बढ़ाने वाली एवं स्वावलम्बी बनाने में सहायक हो। उनका शिक्षा के सन्दर्भ में कथन है कि '**शिक्षा मनुष्य की अन्तर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है**'। इन्होंने प्राच्य (अनुकरण, व्याख्यान, स्वाध्याय, तर्क और योग) और आधुनिक शिक्षण विधि (निर्देशन, परामर्श और प्रयोग) का समर्थन किया था।वे शिक्षक और शिक्षार्थी के विषय में परम्परावादी थे।

प्रश्नावली

बहु विकल्पीय प्रश्न-

1. भारत .....का उपनिवेश था।

अ. फ्रांसिसी ब. पुर्तगाली स. डच के द. ब्रिटिश

2. विलियम जॉन्स.....था।

अ. न्यायाधीश ब. वैद्य स. पुलिस द. कर्मचारी

3. गांधी जी का जन्म..... हुआ ।

अ. 2 अक्टूबर 1848 ब. 30 जनवरी 1948

स. 2 अक्टूबर 1869 द. 2 अक्टूबर 1885

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए -

1. रामकृष्ण मिशन की स्थापना ..... हुई। (बेलूरू/कांची)
2. स्वामीविवेकानन्द को शिकागो पहुँचाने में ..... ने सहयोग दिया। (रणजीत सिंह/अजीत सिंह)
3. भारतीय संस्कृति के प्रति ..... आदरभाव रखते थे। (मैकाले/कॉलब्रुक)

सत्य/असत्य बताइए-

1. वुड का नीतिपत्र भारतीय शिक्षा के अनुकूल था। (सत्य/असत्य)
2. भारत में उच्च शिक्षा का जनक मैकाले था। (सत्य/असत्य)
3. महात्मा गांधी अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे। (सत्य/असत्य)

सही-जोड़ी मिलान कीजिए-

1. विश्व धर्म सम्मेलन	क. 1901 ई.
2. शान्ति निकेतन	ख. 1791 ई.
3. हिन्दू महाविद्यालय	ग. 1893 ई.

अति लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली का जनक कौन था ?

2. स्वतन्त्रता पूर्व बङ्गाल व बिहार में कितने गुरुकुल थे ?
3. स्वामी विवेकानन्द के अनुसार शिक्षा की परिभाषा लिखिए ?
4. शांति निकेतन किसने और क्यों बनाया था ?
5. रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी ?

लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. गाँधीजी की अनुसार शिक्षा के दो उद्देश्य बताइए ?
2. रवीन्द्रनाथ टैगोर के शिक्षा के प्रति क्या विचार थे ?
3. आधुनिकवादी अंग्रेजों का भारतीय ज्ञान के प्रति क्या दृष्टिकोण था ?
4. हमारे प्राचीन गुरुकुल क्यों नष्ट हो गए ?

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न-

1. भारत में शिक्षा के ब्रिटिश दृष्टिकोण को समझाइए ।
2. महात्मा गाँधी के शिक्षा पर विचारों का वर्णन कीजिए।

परियोजना-

1. अपने गांव या शहर में परिचित बुर्जुगों से उनकी शिक्षा सम्बधी जानकारी प्राप्त करें।

अध्याय- 8

औपनिवेशिक भारत में उद्योग एवं नगरीकरण

आइये जानें- भारत में उद्योगों की प्राचीनता, ब्रिटिश भारत में उद्योग, भारतीय सूती वस्त्र उद्योग, भारतीय लौह-इस्पात उद्योग, भारत में नगरीकरण, नगरीकरण के कारण और औपनिवेशिक काल में दिल्ली।

भारत में उद्योगों की प्राचीनता- वैदिक संस्कृति में कृषि उन्नत अवस्था में थी। इसलिए उस समय कृषि आधारित उद्योगों का अधिक विकास हुआ था। वैदिक वाङ्मय में विविध उद्योगों के उल्लेख प्राप्त होते हैं। इन उल्लेखों से प्राचीन भारत में उद्योग कर्म की पुष्टि होती है। उदाहरण के लिए ऋग्वेद के एक मन्त्र में संकेत है- **कारुरहं ततो भिष गुपलप्रक्षणी नना। नानाधियो वसूयवो ऽनु गा इव तस्थिमे।** (9.112.3) अर्थात् मैं कारु (कवि, शिल्पी) हूँ, मेरे पिता भिषज (वैद्य) हैं और मेरी माँ चक्की चलाने का कार्य करती है। वेदों में लगभग 140 प्रकार के उद्योगों का उल्लेख मिलता है। भारत में वस्त्र, रथ, आभूषण, नौका, धातु आदि उद्योग प्राचीनकाल से ही अतिविकसित थे। भारत के वस्त्र, लोहे से बनी वस्तुएँ, मसाले, खाद्यान्न आदि का निर्यात विदेशों में किया जाता था।

ब्रिटिश भारत में उद्योग- 18वीं शताब्दी की इंग्लैंड की औद्योगिक क्रान्ति ने सम्पूर्ण विश्व के उद्योगों के स्वरूप में परिवर्तन कर दिया था। भारत पर ब्रिटिश शासन होने के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी व्यापक प्रभाव पड़ा था। भारत में औद्योगिक क्रान्ति का सर्वाधिक प्रभाव भारत में वस्त्र उद्योग एवं लौह-इस्पात उद्योग पर पड़ा था। उस समय भारत से कच्चे माल को यूरोप ले जाकर मशीनों द्वारा बहुतायत से निर्मित कर, भारतीय बाजारों में यूरोपीयन व्यापारियों द्वारा उसे बेचा जाने लगा था। भारत में अंग्रेजी शासन की अधिक लाभ प्राप्त करने की चाहत ने भारत की उन्नत परम्परागत उद्योग प्रणाली को नष्ट कर दिया और उसके स्थान पर यूरोपीयन मशीनीकृत को उद्योगों को भारत में स्थापित करने लगे थे।

क्या आप जानते हैं

- वेदों में शिल्पियों (उद्यमियों) को ऋभु कहा गया है।

भारतीय वस्त्र उद्योग- सूती वस्त्र उद्योग भारत का प्राचीन वस्त्र उद्योग है। इस उद्योग की प्राचीनता के संकेत वैदिक वाङ्मय में प्राप्त होते हैं। वस्त्र निर्माण के सन्दर्भ में ऋग्वेद में उल्लेख है- **पुमाँ एनं ततुत उत् कृणुत्ति** (10.130.2) अर्थात् बुनाई करने वाले बुनकर लोग पहले बुनाई के लिए विभिन्न अवयवों को फैलाते हैं और एकत्रित करते रहते हैं। प्राचीन काल में भारतीय बुनकरों द्वारा उच्चकोटि के वस्त्रों का

निर्माण किया जाता था। उस समय ढाका की मलमल, मूसलीपट्टनम् की छींट, कालीकट का केलिको, सूरत, बडोदरा व बुरहानपुर का सुनहरी जरी का सूतीवस्त्र अपनी गुणवत्ता और डिजाइनों के लिए विश्व विख्यात था। इन् वस्त्रों की लोकप्रियता का आकलन इस बात से किया जा सकता है कि उस समय इग्लैंण्ड के अमीर ही नहीं अपितु महारानी भी भारतीय वस्त्रों से बने परिधान पहनती थी। हमारे यहाँ पर कपड़े पर चटक रंगों का प्रयोग किया जाता था। फूलपत्तियों, बारीक रेशे और सस्ते होने के कारण भारतीय कपड़ा, बाजार में बहुत लोकप्रिय था। भारतीय वस्त्रों की लोकप्रियता से घबराकर ही तो ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैण्ड में 1720 ई. में सूती छींट को प्रतिबंधित कर दिया था।

क्या आप जानते हैं

- स्पिनिंग जेनी का अविष्कार जॉन ने 1764 ई. में किया था।

चित्र- 8.1 उन्नीसवी सदी में पटोला बुनाई

इस कानून को **कैलिको अधिनियम** कहा जाता है। भारतीय कपड़े का विदेशी बाजार पर दबदबा 18वीं सदी के अन्त तक रहा था। उच्चकोटि के कपड़े की माँग बाजार में होने के कारण कई बार समय पर कपड़ा नहीं देने के कारण भारतीय बुनकरों के अंग्रेजों द्वारा अंगूठे काट दिए जाते थे। भारतीय सूती वस्त्र उद्योग से प्रतिस्पर्धा के कारण ही ब्रिटेन में तकनीकी सुधार हुए।

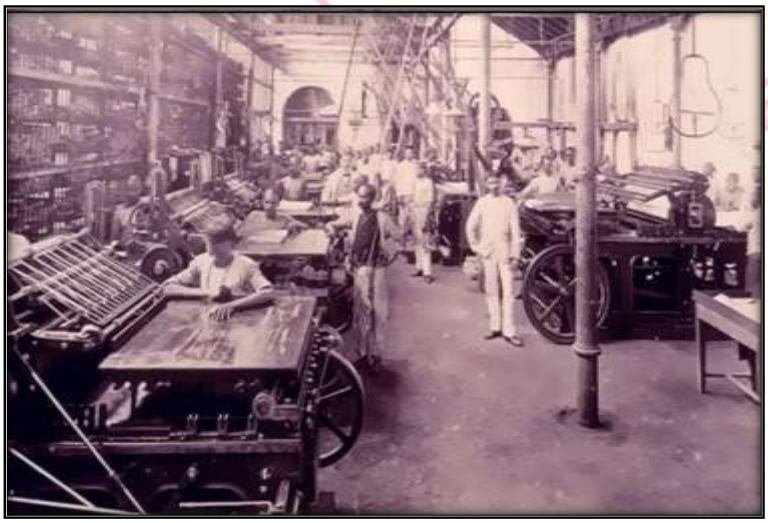

चित्र- 8.2 मुम्बई की सूती वस्त्र मिल

ईस्ट इंडिया कम्पनी को बङ्गाल में दीवानी अधिकार प्राप्त होने से भारतीय वस्त्र उद्योग पूर्णत: अंग्रेजों के हाथ में चला गया। ब्रिटिश सरकार ने भारत से आने वाले कपड़े पर अधिक सीमा शुल्क लगा दिया था, जिससे भारतीय कपड़ा महँगा हो गया और इसकी मांग विदेशी बाजारों में कम हो गई थी। अब इंग्लैण्ड के पावरलूम में बने कपड़े सस्ते होने के कारण बाजारों में अधिक बिकने लगे थे।

1830 ई.के पश्चात भारतीय कपड़ा बाजार में ब्रिटेन के बने सूती वस्त्र अत्यधिक मात्रा में बिकने लगे थे। अब भारतीय बुनकर बेरोजगार हो गए और उनकी आर्थिक स्थिति चिन्ताजनक हो गई थी। उन्नीसवीं सदी के अन्त में मुम्बई, अहमदाबाद, शोलापुर, कानपुर, सूरत, नागपुर और मुदरई जैसे शहर बुनकरों के लिए मुख्य केन्द्र के रूप में विकसित हुए थे। राष्ट्रीय आन्दोलन के समय महात्मा गांधी ने स्वदेशी का नारा दिया था। खादी राष्ट्रवाद एवं चरखा भारत की पहचान बन गया था।

क्या आप जानते हैं-

- अयस्क को उच्च तापमान पर गर्म कर धातु बनाने की प्रक्रिया को प्रगलन कहते हैं।
- वुटज स्टील का आविष्कार लगभग 300 वर्ष ईसापूर्व तमिलनाडु में हुआ था। यह कन्नड के उक्कू, तेलगू के हुक्कू और तमिल व मलयालम के उरुक्कू शब्दों का विकृत अंग्रेजी रूप है।

भारतीय लौह-इस्पात उद्योग- भारत में लोहे के प्रयोग का उल्लेख वैदिक वाङ्मय में प्राप्त होता है। ऋग्वेद में लोहे से निर्मित विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्रों,रथों और अस्त्र-शस्त्रों आदि का वर्णन है- **कार्मारो अश्मभिर्द्युभि।** (9.112.2) इस मन्त्र से स्पष्ट है कि कर्मार (लोहार) लोग लोहे को पत्थर पर रगड़कर एवं आग में तपाकर तलवार एवं बाण आदि शस्त्रों का निर्माण करते थे। प्राचीन भारत में लौहा गलाने की भट्टियाँ होती थीं। जिनमें दैनिक उपयोग हेतु यंत्र निर्मित किए जाते थे। उस समय भारत में उत्तम किस्म के लौहे का निर्माण होता था।

क्या आप जानते हैं-

- 1912 ई. टाटा ने नया औद्योगिक जमशेदपुर नगर बसाया था।

औपनिवेशिक काल में **वुट्ज स्टील** से निर्मित विविध आयुध बहुत लोकप्रिय थे। उस समय मध्य भारत, बिहार आदि लौह उत्पादन के केन्द्र थे। उन्नीसवीं सदी के अन्त में लोहे के ये छोटे-छोटे प्रगालक केन्द्र समाप्त होने लगे थे।क्योंकि ब्रिटिश सरकार के नये वन कानूनों के द्वारा जङ्गलों से लौह अयस्क नहीं ला सकते थे। इसलिए लोहे का कार्य् करने वाले कारीगरों ने अपना व्यवसाय में परिवर्तन कर लिया था। अब भारत में ब्रिटेन से लोहे और इस्पात का आयात होने लगा था। हमारे देश के लौहार भी आयतित लोहे से कृषि एवं घरेलू उपयोग की वस्तुएँ बनाने लगे थे। उसी समय भारत में रेल मार्गों का विकास होने के कारण बाजार में लोहे की मांग बढ़ी

चित्र- 8.3 टिस्को जमशेदपुर

थी। और सरकार द्वारा नये विकल्पों की तलाश की जाने लगी। अब ब्रिटिश सरकार ने वन कानूनों में परिवर्तन कर लोगों को वनों में जाने की भी छूट प्रदान की थी। इस कारण भारत में लौह-इस्पात उद्योग के क्षेत्र में भी विकास हुआ था।

टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (टिस्को)- भारत में लौह इस्पात के उद्योग का जनक **जमशेदजी टाटा** को माना जाता है। जमशेदजी टाटा ने अमरीकी भू-वैज्ञानिक **चार्ल्स बेल्ड** के साथ अपने बेटे **दोराबजी टाटा** को भारत में लौह अयस्क ढूँढने का कार्य सौंपा था। लौह अयस्क की खोज में दोराबजी टाटा घूमते-घूमते एक गांव में पहुँचे वहाँ **अगरिया** समुदाय के लोग टोकरियों में भरकर लौह अयस्क ले जा रहे थे। उनसे पूछने पर उन्होनें रझारा पहाडी (झारखण्ड) को इसका स्त्रोत बताया था, जो लौह अयस्क की उत्तम किस्म का भण्डार था। लेकिन इस क्षेत्र में पानी नहीं था। 1907 ई. में स्वर्ण रेखा नदी के किनारे टाटा ने भारत का प्रथम लौह इस्पात का कारखाना **टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी** (टिस्को)की स्थापना की थी। धीरे-धीरे टिस्को ब्रिटिश साम्राज्य में इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया था।

भारत में नगरीकरण- भारत में नगरों का इतिहास बहुत प्राचीन है। सरस्वती- सिन्धु संस्कृति को विश्व की सबसे प्राचीन और उत्कृष्ट नगरीय सभ्यता माना जाता है। सभ्यता के विकास क्रम में भारत में अनेक नगर विकसित हुए थे। जिनमें अयोध्या, मथुरा, हस्तिनापुर, इन्द्रप्रस्थ, काम्पिल्य, पाटिलपुत्र, अवन्तिका, काशी, काँचीपुरम आदि प्रमुख नगर थे।

चित्र-8.4- 18वीं सदी में मुम्बई बन्दरगाहा

अठारहवीं सदी के अन्त में भारत में अंग्रेजी राज स्थापित होने के बाद तीन प्रेसिडेन्सी कलकत्ता (बङ्गाल), बुम्बई एवं मद्रास में विकास तेजी से हुआ था। अब इन नगरों में शासन के नए केन्द्रों की स्थापना हुई और इन नवीन नगरों का औद्योगिक विकास अधिक होने के कारण, इनके आसपास नवीन बस्तियों की स्थापना हुई थी। औपनिवेशिक काल में औद्योगिक विकास के कारण नये नगरों की स्थापना को ही नगरीकरण कहा गया था। बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में 11 % लोग नगरों में रहते थे।

भारत में नगरीकरण के कारण-

1. कुटीर उद्योग-धन्धों के नष्ट होने के कारण भारतीय दस्तकार (शिल्पी) बेरोजगार हो गये और वे काम की तलाश में नगरों की ओर गये थे।

2. अंग्रेजों की वन व राजस्व नीति के कारण लोगों से भूमि और वन छिन गये थे। इसलिए ये लोग काम की तलाश में शहरों की ओर पलायन करने लगे थे।
3. औपनिवेशिक भारत में नगरीकरण का प्रमुख कारण तीव्र औद्योगिक विकास था।

औपनिवेशिक काल में दिल्ली- प्राचीन काल से ही दिल्ली ने भारतीय साम्राज्य के अनेक उतार-चढ़ावों को देखा है। प्राचीनता की दृष्टि से पुराणों एवं महाभारत ग्रन्थ में भी इसका उल्लेख हुआ है एवं अनेक राजवशों की यह राजधानी भी रही थी। विदेशी राजवशों आक्रान्ताओं ने अनेक बार दिल्ली को लूटा और उजाड़ा था। लेकिन समय अन्तराल के साथ दिल्ली पुनः विकसित हो गई थी। सल्तनत काल में दिल्ली सूफी संस्कृति का भी केन्द्र रहा है। मुगल बादशाह शाहजहाँ ने पुरानी दिल्ली (शाहजहाँनाबाद) की स्थापना 1639 ईस्वी में की थी।

क्या आप जानते हैं-

- दिल्ली का लाल किला व जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ ने लाल पत्थर से करवाया था।

बङ्गाल में अंग्रेजी राज की स्थापना के पश्चात दिल्ली का वैभव उजड़ने लगा था। क्योंकि अंग्रेजों ने कलकत्ता को अपनी राजधानी बना लिया था।

1857 ई. से पूर्व दिल्ली की स्थिति अन्य भारतीय शहरों से भिन्न थी। क्योंकि अन्य शहर जैसे मुम्बई, कलकत्ता, मद्रास में अंग्रेजों की बस्तियाँ अलग थी।परन्तु 1857 ई. की क्रान्ति के बाद ब्रिटिश शासक इस बात को समझ गये थे कि यदि भारत में शासन की जड़ें मजबूत करनी हैं, तो केन्द्रीय सत्ता का केन्द्र दिल्ली को ही बनाना पड़ेगा। इसलिए अंग्रेजों ने दिल्ली में कई शानदार आयोजन किए थे जैसे- वायसराय लार्ड लिटन के द्वारा 1877 ई.में महारानी विक्टोरिया तथा 1911 ई. में जार्ज पञ्चम के भारत आगमन पर भव्यदरबार का आयोजन किया गया था। उसी समय जार्ज पञ्चम ने दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा की थी। वर्तमान नई दिल्ली का निर्माण रायसीना पहाड़ी पर 10 वर्ग मील क्षेत्र में अंग्रेज वास्तुकार **एडवर्ड लुटियंस** एवं **हर्बर्ट वेकर** नामक वास्तुकारों द्वारा किया गया था। उनमें वायसराय का महल (वर्तमान राष्ट्रपति भवन), किंग्सवे (राजपथ) एवं सचिवालय की इमारत बनाई गई थी। नई दिल्ली की इमारतों का निर्माण इण्डो-यूनानी शैली में लाल पत्थर एवं

चित्र- 8.5 रायसीना पहाड़ी पर वर्तमान राष्ट्रपति

जालियों की नक्काशी के द्वारा किया गया था। नई दिल्ली के निर्माण में 20 वर्ष का समय लगा था। हमारी देश के संसद भवन का निर्माण अंग्रेजों द्वारा मध्यप्रदेश के मुरैना जिले के **वटेश्वर शिव मन्दिर** के स्थापत्य से प्रभावित होकर किया गया था।

अब दिल्ली दो भागों में क्रमश: नई दिल्ली (लुटियन्स) और पुरानी दिल्ली में बँट गई। 1931ई. की जनगणना के अनुसार यहाँ प्रति एकड़ 90 लोग रहते थे। पुरानी दिल्ली की स्थिति सुधारने के लिए दिल्ली सुधार ट्रस्ट 1936 ई. में बनाया गया। देश के विभाजन के समय पुरानी दिल्ली में शरणार्थियों की सङ्ख्या अधिक बढ़ गई थी। अमीर लोगों के लिए दरियागंज जैसे इलाके बनाये गये थे। शरणार्थियों के लिए लाजपत नगर, तिलक नगर जैसे क्षेत्र विकसित किए गये थे।

प्रश्नावली

बहु विकल्पीय प्रश्न-

1. भारत में प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना .....की गई थी।

   अ. मुम्बई ब. कलकत्ता स. अहमदाबाद द. कानपुर

2. टिस्को की स्थापना ..... हुई थी।

   अ. 1911 ई. में ब. 1912 ई. में स. 1907 ई. में द. 1913 ई. में

3. अंग्रेजों ने दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा ..... की थी।

   अ. 1911 ई. में ब. 1912 ई. में स. 1910 ई. में द. इनमें से कोई नहीं

4. महारानी विक्टोरिया के भारत आगमन के समय वायसराय ..... था।

   अ. लार्ड इरविन ब. लार्ड लिटन स. डलहोजी द. लार्ड क्लाइव

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए-

1. भारत ..... का उपनिवेश था। (अमेरिका/ब्रिटेन)
2. दिल्ली का वास्तुकार ..... था। (एडवर्ड लुटियंस/जॉर्ज थॉमस)
3. अंग्रेजों की प्रारम्भिक राजधानी ..... थी (दिल्ली/कलकत्ता)

सत्य/असत्य बताइए-

1. दिल्ली में पुरानी इमारते इण्डो-यूनानी शैली में निर्मित है। (सत्य/असत्य)
2. लाल किला नई दिल्ली में स्थित है। (सत्य/असत्य)
3. 20 वीं सदी के प्रारम्भ में केवल 25% लोग ही शहरों में रहते थे। (सत्य/असत्य)

सही-जोड़ी मिलान कीजिए-

1. स्वाधीनता आन्दोलन	क. 1818 ई.
2. जॉर्ज पंचम का भारत आगमन	ख. 1857 ई.
3. प्रथम सूती वस्त्र कारखाना	ग. 1877 ई.
4. महारानी विक्टोरिया का भारत आगमन	1911 ई.

अति लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. टिस्को का पूरा नाम बताइए।
2. अगरिया समुदाय के लोग क्या कार्य करते थे ?
3. भारत का मानचेस्टर किस शहर को कहा जाता है ?
4. मुम्बई में अधिक सूती मिलों की स्थापना का क्या कारण था ?
5. केलिको अधिनियम क्या था?
6. नई दिल्ली निर्माण की योजना बनाने वाले वस्तुकारों के नाम बताइए।

लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. प्राचीन भारत में प्रसिद्ध वस्त्र उद्योग के प्रमुख क्षेत्रों के नाम लिखिए?
2. उपनिवेशवाद का अर्थ समझाइये।
3. औपनिवेशिक भारत में नगरीकरण के क्या कारण थे?
4. औपनिवेशिक शासन में भारतीय पारम्परिक उद्योगों के नष्ट होने के क्या कारण थे ?
5. दिल्ली को राजधानी बनाने के क्या कारण थे ?

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न-

1. भारत में लौह इस्पात उद्योग को विस्तार से समझाइए।
2. लुटियन्स दिल्ली का विस्तार से उल्लेख कीजिए ।

परियोजना कार्य -

1. भारत के मानचित्र में सूती वस्त्र और लौह-इस्पात केन्द्रों को दर्शाइए।

अध्याय- 9

औपनिवेशिक भारत में समाज सुधार आन्दोलन

आइये जानें- औपनिवेशिक भारत में समाज सुधार, समाज में महिलाओं की स्थिति, जाति एवं समाज, राजा राममोहन राय, ईश्वरचन्द्र विद्या सागर, स्वामी दयानन्द सरस्वती, महात्मा ज्योतिबा फुले, नारायण गुरु, डॉ. भीमराव अम्बेडकर और डॉ. केशवराव बलिराम हेडगेवार।

औपनिवेशिक भारत में समाज सुधार- प्राचीन काल से ही भारतीय समाज उन्नत एवं संस्कृतिनिष्ठ रहा है। कतिपय कारणों से हमारे समाज में अन्धविश्वास और सामाजिक बुराइयाँ पनपीं थी। समय-समय पर इन बुराईयों को दूर करने के प्रयास किये जाते रहे हैं। 18वीं-19वीं शताब्दियों के मध्य भारत में अंग्रेजी राज स्थापित हो चुका था। हमारे समाज में पाश्चात्य सामाजिक भौतिकता, शिक्षा व दर्शन का प्रचार-प्रसार होने लगा था। अंग्रेजों ने हमारे समाज में व्याप्त अन्धविश्वासों एवं कुरीतियों की आलोचना के बहाने हमारी श्रेष्ठ सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक लोक परम्पराओं का मजाक बनाया था। अत: समाज के प्रबुद्ध लोगों ने इन सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वासों को दूर करने का अथक प्रयास किया था। औपनिवेशिक शासन के अन्तर्गत महिला,जाति एवं समाज सुधारों का अवलोकन हम निम्न बिन्दुओं के अन्तर्गत करेंगे।

समाज में महिलाओं की स्थिति- प्राचीनकाल से ही हमारे समाज में महिलाओं को उच्च स्थान प्राप्त है। स्त्री की दशा का ऋग्वेद में संकेत है- "**अर्चन्ति नारीरपसो न विष्टिभि:।**" (1.92.3) अर्थात् कर्मठ नारी ही अपनी कर्मठता के कारण समाज में सम्मान पाती है। मनुस्मृति में भी कहा गया है कि- "**शोचन्ति जामयो यत्र विनश्यत्याशु तत्कुलम्। न शोचन्ति तु यत्रैता वर्धते तद्धि सर्वदा॥**" (3.57) 'जिस कुल में पारिवारिक स्त्रियां दुर्व्यवहार के कारण शोक-संतप्त रहती हैं उस कुल का शीघ्र ही विनाश हो जाता है, उसकी अवनति होने लगती है। इसके विपरीत जहाँ ऐसा नहीं होता है और स्त्रियां प्रसन्नचित्त रहती हैं, वह कुल प्रगति करता है।' अत: स्पष्ट है कि प्राचीनकाल में नारियों की की स्थिति श्रेष्ठतम थी। मध्यकाल के आते-आते भारतीय समाज में आई सामाजिक कुरीतियों ने महिलाओं की स्थिति को बदतर बना दिया। औपनिवेशिक काल में सतीप्रथा, बाल विवाह, कन्यावध जैसी सामाजिक कुप्रथाओं ने नारी को निचले पायदान पर खड़ा कर दिया था।

जाति एवं समाज - प्राचीनकाल में भारतीय समाज को संगठित एवं व्यवस्थित करने के लिए मनीषियों द्वारा अनेक प्रयास किये गये। इसका प्रमाण ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में मिलता है, जहाँ सावयव समाज का उल्लेख आया है- **ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्बाहू राजन्यःकृतः। ऊरू तदस्य यद्वैश्यःपद्भ्यांशूद्रो अजायत॥** समाज की परिकल्पना एक विराट पुरुष के रूप में की गई है। उस विराट पुरुष के ब्राह्मण मुख (विवेक-बुद्दि), क्षत्रिय भुजाएँ (सैन्य-शक्ति), वैश्य जँघाएँ (आर्थिक-शक्ति) तथा शूद्र उस विराट पुरुष के पाद (समाजसेवी) हैं। अत: जिस प्रकार शरीर में किसी अंग के विकृत या न होने से मानव अपूर्ण होता है। उसी प्रकार समाज भी इनमें से किसी एक के बिना पंगु है। वैदिक युग में यह सामाजिक व्यवस्था कर्म आधारित थी। जो कालान्तर में मानव विकास के साथ जन्म आधारित होकर जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो गई। उस समय इसका एक बड़ा लाभ यह हुआ कि समाज में बेरोजगारी की समस्या नहीं थी। पारम्परिक रोजगार जन्म से ही लोगों को प्राप्त थे।

मध्यकाल आते-आते हमारी इस सामाजिक व्यवस्था में अनेक प्रकार की विसंगतियाँ व्याप्त हो गईं थी। औपनिवेशिक काल में जाति आधारित इस सामाजिक व्यवस्था में जातीय अधिक्रम में चौथी श्रेणी शोषण का शिकार हुई थी। जाति के नाम पर समाज में छुआछूत जैसी बुराइयाँ पनपीं थी। अंग्रेजों ने भारतीय समाज के अध्ययन के दौरान प्रशासनिक लाभ के लिए तथा **फूट डालो, राज करो की नीति** के तहत इसे जातीय विद्वेष में परिवर्तित कर प्रस्तुत किया था। उसी समय औद्योगिक क्रान्ति एवं ब्रिटिश राज में शहरीकरण को बढ़ावा मिला, गाँवों में कुटीर उद्योगों का पतन हो गया, शहरों में मजदूरों की मांग बढ़ी थी। अत: ग्रामीण मजदूर वर्ग शहरों में नगर पालिका, सेना आदि में नौकरी करने लगे थे। उनके बच्चे ईसाई मशीनिरियों के स्कूलों में पढने के कारण पाश्चात्य समानता और न्याय के विचार से प्रेरित हुए थे।अब ये लोग सामाजिक कुरीतियों एवं भेद-भाव के विरुद्ध आवाज उठाने लगे थे। इसमें उन्हें समाज के सम्भ्रात एवं बौद्धिक वर्ग के लोगों का सहयोग भी प्राप्त हुआ था। इन सब बातों से प्रभावित होकर समाज में परिवर्तन की धारा चल पड़ी, जिसे आधुनिक भारत का सुधारवादी आन्दोलन कहा जाता है। इस सुधारवादी आन्दोलन के प्रमुख समाज सुधारक निम्न थे-

चित्र- 9.1 राजा राममोहन राय

राजा राममोहन राय (1772 ई. -1833 ई.)- बङ्गाल में उन्नीसवीं सदी में, जो सामाजिक सुधारों की लहर उठी, उसे भारतीय पुनर्जागरण के नाम से जाना जाता है। राजाराम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता

है। उन्हें संस्कृत, बाङ्गला,हिन्दी, उर्दू फारसी, अंग्रेजी, आदि भाषाओं का ज्ञान था। उनकी समाज में एक विद्वान के रूप में प्रतिष्ठा थी। उस समय बङ्गाल और राजस्थान में सती प्रथा का बोलबाला था। राजा राममोहन राय ने इस प्रथा को समाप्त करने के लिए सामाजिक आन्दोलन चलाया था। इस आन्दोलन से प्रभावित होकर अंग्रेजी शासन ने 1829 ई. में सती प्रथा का निषेध कर दिया था। राजा राममोहन राय ने समाज सुधारों के लिए **ब्रह्म समाज** नामक संस्था की स्थापना 1828 ई. में कलकत्ता में की थी। ब्रह्म समाज के मुख्य उद्देश्य सामाजिक और धार्मिक एकता स्थापित करना, अंध विश्वासों औए कुरीतियों का विरोध करना और एकेश्वरवाद पर जोर देना था।

क्या आप जानते हैं-

- उस समय कुलीन परिवारों में किसी महिला के पति की मृत्यु के उपरान्त पत्नी उसकी चिता में जलकर स्वयं को समाप्त कर लेती थी। इस कुप्रथा को सती प्रथा कहा जाता था।
- राजा राममोहन राय को भारत में पत्रकारिता का जनक माना जाता है।

ईश्वरचन्द्र विद्या सागर (1820 ई. -1891 ई.)- ईश्वरचन्द्र विद्यासागर प्रसिद्ध दार्शनिक, शिक्षाविद्, समाज सुधारक और लेखक थे।उनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी योग्यता के बल पर उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। ईश्वरचन्द्र विद्यासागर ने भारत में नारी उत्थान एवं शिक्षा के लिए उल्लेखनीय कार्य किया था। आपने बालिका शिक्षा के लिए कई पाठशालाएं खोली थीं। वे विधवा विवाह के प्रबल समर्थक थे । आपने अपने एक पुत्र का विवाह एक विधवा से करवाया था। ईश्वरचन्द्र विद्यासागर के प्रयासों के कारण ही 1856 ई. में **विधवा पुनर्विवाह अधिनियम** द्वारा विधवा विवाह को ब्रिटिश सरकार द्वारा मान्यता मिली थी।

चित्र-9.2- ईश्वरचन्द्र विद्यासागर

चित्र- 9.3 महर्षि दयानन्द सरस्वती

स्वामी दयानन्द सरस्वती (1824 ई.-1883 ई.)- स्वामी दयानन्द सरस्वती का जन्म गुजरात की मोरबी रियासत में हुआ था। उनके बचपन का नाम मूलशंकर था। उनका मानना था कि यदि व्यक्ति को वेदों का सार समझ में आ जाए तो, उसकी सभी समस्याओं का हल हो सकता है। वे विदेशी शासन को भारत के लिए अभिशाप मानते थे। दयानन्द सरस्वती ने ही सर्वप्रथम स्वधर्म, स्वदेश, स्वभाषा के विचार को भारत में पुन: जागृत किया

था। इसके अतिरिक्त आपने बाल विवाह का विरोध कर, स्त्री शिक्षा और दलित उद्धार पर बल दिया था। आपके द्वारा स्थापित डी.ए.वी. विद्यालय आज भी शिक्षा प्रचार प्रसार कार्य कर रहे हैं। उन्होनें समाज सुधारों के लिए 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी।

क्या आप जानते हैं-

- स्वामी दयानन्द सरस्वती ने 'वेदों की ओर लौट' का आह्वान किया था।
- उन्होंने धर्मान्तरण को रोकने और हिन्दू धर्म से अन्य धर्मों में गए लोगों को पुन: हिन्दू धर्म में लाने के लिए 'शुद्धि आन्दोलन' चलाया था।

महात्मा ज्योतिबा फुले (1827 ई. -1890 ई.)- महात्मा ज्योतिबा फुले का नाम समाज सुधारक नेताओं में अग्रणी है। इनका जन्म महाराष्ट्र के पुणे जिले में हुआ था। ज्योतिबा फुले ने स्त्री शिक्षा पर बल देने के साथ ही स्त्रियों की शिक्षा के लिए पाठशाला खोली थी। इसी पाठशाला में उनकी पत्नि **सावित्रीबाई फुले** ने शिक्षा प्राप्त की थी। ज्योतिवा फुले ने जातीय समानता पर बल दिया था। उन्होंने **सत्य शोधक समाज** की स्थापना 1873 ई. में पुणे में की थी। ज्योतिबा फुले ने **गुलाम गिरी** (1873) नामक पुस्तक लिखी थी।

चित्र- 9.4 ज्योतिबा फुले

नारायण गुरु (1855-1928)- नारायण गुरू का जन्म केरल राज्य की ऐझावा जाति में हुआ था। श्री नारायण गुरु भारत के महान संत व समाज सुधारक थे। उन्होंने जातीय एकता का सन्देश दिया था। नारायण गुरु का महत्वपूर्ण कथन '**ओरु जाति, ओरु मतम्, और देवम् मनुस्यानु**' अर्थात् मानवता की एक जाति एक धर्म और एक ईश्वर होता है।

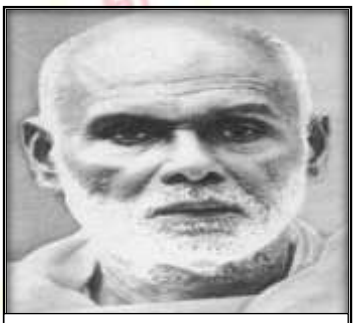

चित्र- 9.5 नारायण गुरु

डॉ. केशवराव बलिराम हेडगेवार (1889 ई.1940 ई.)- डॉ. हेडगेवार का जन्म नागपुर (महाराष्ट्र) में हुआ था। कुशाग्रमति हेडगेवार कलकत्ता ने डॉक्टरी की पढ़ाई पूर्ण की थी। अध्ययनकाल में ही आप क्रान्तिकारी संगठन अनुशीलन समिति और युगान्तर नामक संस्था से जुडकर, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संघर्ष करने लगे थे। नागपुर वापिस आने पर आप लोकमान्य तिलक के अनुयायी बनकर काँग्रेस द्वारा चलाए जा रहे स्वतन्त्रता आन्दोलन में शामिल हो गए थे। असहयोग आन्दोलन में भाग लेने के कारण आपको एक वर्ष का

चित्र-9.7 डॉ. हेडगेवार

सश्रम कारावास हुआ था। 1922 ई. में भारत में अनेक स्थानों पर भड़के दंगों से विचलित हेडगेवार ने अपने मित्र डॉ. शिवराम मुञ्जे और डॉ पराञ्जपे के साथ मिलकर भारत को सशक्त हिन्दू राष्ट्र एवं सामाजिक समरसता बनाने के उद्देश्य से विजया दशमी (28 सितम्बर, 1925 ई.) को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना की थी। डॉ हेडगेवार ने इस संगठन में कार्य संस्कृति जैसे- भगवा ध्वज के प्रति आस्था, समेकित वैचारिक प्रधानता, पूर्णकालिक स्वयं सेवक और दैनिक शाखा को प्रारम्भ किया था। यह उनकी दूरदर्शिता का ही परिणाम है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आज विश्व का सबसे बड़ा सामाजिक स्वयं सेवी संगठन है।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर (1891ई-1956 ई.)- डॉ. भीमराव अम्बेडकर का जन्म मध्यप्रदेश के इंदौर के निकट महु नामक स्थान पर 14 अप्रैल, 1891 ई. को महार जाति के परिवार में हुआ था। आप बचपन से ही कुशाग्र मति थे। आपकी प्रारम्भिक शिक्षा-दीक्षा सतारा में हुई थी। सन् 1897 ई. में आपका परिवार बम्बई चला गया इसलिए आगे का अध्ययन आपने बम्बई में किया था। बड़ौदा महाराज सयाजीराव के सहयोग से आप उच्च अध्ययन के लिए अमेरिका गए थे। 1919 ई. में भारत लौटने के बाद अम्बेडकर ने अछूतोद्धार, नारी शिक्षा आदि के क्षेत्र में सुधार आन्दोलन चलाया तथा 1927 ई. से 1935 ई. तक मंदिरो में प्रवेश के लिए आन्दोलन किया था। स्वतन्त्रता आन्दोलन में उनकी सक्रिय भूमिका रही थी। आपको संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष तथा स्वतन्त्र भारत का प्रथम कानून मन्त्री बनाया गया था । आपको **भारतीय संविधान का शिल्पकार** कहा जाता है।

चित्र- 9.6 डॉ. भीमराव अम्बेडकर

औपनिवेशिक शासन से ही महिला शिक्षा एवं जाति व्यवस्था पर बहस निरन्तर होती रही है। बीसवीं शताब्दी में केशवचन्द्र सेन, इरावती कर्वे, पंडिता रमाबाई, स्वामी विवेकानन्द, डेरीजियो, महात्मा गाँधी, पं. जवाहरलाल नेहरू, सुभाषचन्द्र बोस जैसे नेताओं ने भी समाज सुधार में अपना योगदान दिया था। तत्कालीन समय में वेद समाज (1864 ई.), युवा बङ्गाल (1886 ई.भारत में) रामकृष्ण मिशन (1897 ई.), अलीगढ़ मुस्लिम आन्दोलन (1875 ई.) एवं सिंह सभा (1873 ई.) ने महिला शिक्षा जाति एवं समाज सुधार के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए थे। इन सुधारों के परिणामस्वरूप स्वतन्त्रता के पश्चात भारत में सभी पुरुषों एवं महिलाओं को वोट डालने का अधिकार प्रदान किया गया था। संवैधानिक दृष्टी

से समानता,स्वतन्त्रता एवं बन्धुता के अन्तर्गत भेद-भाव रहित समाज की स्थापना के लिए प्रतिबद्धता जताई गई है।

प्रश्नावली

बहु विकल्पीय प्रश्न-

1. राजा राममोहन राय ने..... की स्थापना की थी-

अ. ब्रह्म समाज　　ब. आर्य समाज

स. प्रार्थना समाज　　द. सत्य शोधक समाज

2. नारायण गुरु का सम्बन्ध ..... राज्य से है।

अ. राजस्थान　　ब. केरल　　स. कर्नाटक　　द. तमिलनाडु

3. सत्य शोधक समाज का नेतृत्व ..... किया था।

अ. सावित्री फुले　　ब. रमाबाई　　स. पेरियार　　द. इनमें से कोई नहीं

4. राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना ..... हुई थी।

अ. विजयादशमी　　ब. रामनवमी　　स. महा अष्टमी　　द. इनमें से कोई नहीं

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए-

1. भारतीय संविधान का शिल्पकार ..... को कहा जाता है। (पं. नेहरू/डॉ. अम्बेडकर)
2. सत्यशोधक समाज की स्थापना ..... में की गई थी। (1873 ई./1875 ई.)
3. सती प्रथा के विरुद्ध ..... ने आवाज उठाई। (डॉ. अम्बेडकर/राजा राम मोहन राय)

सत्य/असत्य बताइए-

1. राजस्थान में सती प्रथा प्रचलित थी।　　(सत्य/असत्य)
2. प्राचीनकाल में महिलाओं को समाज में उच्च स्थान प्राप्त था।　　(सत्य/असत्य)
3. विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1847 में लाया गया।　　(सत्य/असत्य)

सही-जोड़ी मिलान कीजिए-

1. ब्रह्म समाज	क. 1873 ई.
2. आर्य समाज	ख. 1828 ई.
3. गुलाम गिरी की रचना	ग. 1925 ई.
4. राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ	घ. 1875 ई.

अति लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. भारत में सती प्रथा का निषेध कब किया गया था ?
2. ईश्वरचन्द्र विद्यासागर ने किस सामाजिक बुराई पर प्रतिबंध लगवाया था ?
3. भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था?
4. बङ्गाल में समाज सुधारों का जनक किसे माना जाता है?

लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. ब्रह्म समाज की शिक्षाएं बताइए।
2. दयानन्द सरस्वती के सामाजिक सुधारों का उल्लेख कीजिए।
3. महात्मा ज्योतिबा के समाज सुधार के कार्य कौन-कौन से थे ?
4. डॉ. हेडगेवार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न-

1. भारत में जातीय व्यवस्था और सुधार आन्दोलनों के बारे में आप क्या समझते है ?
2. प्राचीन भारत में महिलाओं की स्थिति पर प्रकाश डालिए ?

परियोजना कार्य-

1. छात्र प्रमुख समाज सुधारकों के चित्र संग्रहित कर उनमें से किन्हीं दो के बारे में संक्षिप्त निबंध लिखें।

अध्याय- 10

औपनिवेशिक भारत में चित्रकला

आइये जानें- प्राचीन भारत में चित्रकला, औपनिवेशिक भारत में चित्रकला, कम्पनी चित्रकला शैली का उद्भव एवं विकास, प्रमुख चित्रकार, कम्पनी शैली के चित्रों की विशेषताएं, आधुनिक भारतीय चित्रकला,राजा रवि वर्मा के चित्र और उनकी विशेषताएँ और अवनीन्द्रनाथ टैगोर।

प्राचीन भारत में चित्रकला- भारतीय चित्रकला का इतिहास मानव सभ्यता के विकास के साथ ही आरम्भ हुआ था। यजुर्वेद के 30 वें अध्याय में मन्त्र सङ्ख्या 4- 22 तक चौंसठ कलाओं का उल्लेख आया है।उन चौंसठ कलाओं में से चित्रकला एक है। वैदिक चिन्तन में चित्रकला के विकास की कहानी के दर्शन हमें वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, गीता आदि में होते हैं। इसके अतिरिक्त भरत मुनि का रस सिद्धान्त एवं चित्रसूत्र, रूप गोस्वामी के सौन्दर्य सिद्दान्त ग्रन्थ में चित्रकला के बारे में जानकारी मिलती है।पुरातात्विक खोजों में भारत में अनेक स्थलों पर सभ्यताकालीन चित्रकला के अवशेष प्राप्त हुए हैं। जैसे- भीमबेटका, सरगुजा की रामगढ़ पहाड़ी और जोगीमारा आदि गुफाओं से प्राप्त हुई।

औपनिवेशिक भारत में चित्रकला- औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत में सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रों में परिवर्तनों के साथ ही कला और साहित्य के क्षेत्र भी प्रभावित हुए थे। इस काल में कला के विभिन्न रूपों, शैलियों, सामग्रियों और नई तकनीकियों तथा दृश्य कला की नई विधाओं का सूत्रपात हुआ था। आधुनिक भारतीय चित्रकला का अध्ययन हम संक्षेप में निम्न प्रकार से करेंगे-

कम्पनी चित्रकला शैली का उद्भव एवं विकास- भारत में यूरोपीय शिक्षा पद्धति के विकास के साथ-साथ यूरोपीय चित्रकला शैली का भी विकास हुआ, जिसे **कम्पनी शैली** कहा जाता था। कम्पनी शासन में कार्य करने वाले प्रशासनिक अधिकारी, चित्रकार, सैनिक, नौकर आदि सभी को कम्पनी का कर्मचारी कहा जाता था। 1834 ई. में भारत में लार्ड मैकाले द्वारा अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के लागू होने के पश्चात चित्रकला के क्षेत्र में भी तीव्र विकास हुआ था। अंग्रेजों ने मद्रास (1850 ई.), कलकत्ता (1854 ई.), मुम्बई (1857 ई.), लाहौर (1857 ई.) में कला विद्यालय खोले थे। उस समय कम्पनी शैली में हजारों की सङ्ख्या में ड्राइंग, जलरङ्ग, तैलचित्र बनाये गये थे। इन चित्रों को बनाने वालों में चित्रकार, डॉक्टर,

पर्यटक, सैनिक अधिकारी होते थे। इनकी इस कला से भारतीय कलाकार भी प्रभावित हुए थे। पटना, कलकत्ता, अवध और मद्रास में चित्रकारी का कार्य अधिक होता था। कम्पनी शैली के चित्र आज भी विक्टोरिया मेमोरियल, कलकत्ता, बिरला अकादमी आफ आर्ट, नेशनल लाइब्रेरी, दिल्ली आदि में सुरक्षित हैं।इस शैली के चित्र भारत के बाहर विदेशों में इण्डिया आफिस लाइब्रेरी एण्ड रिकार्डस और ब्रिटिश लाइब्रेरी लंदन में है।

प्रमुख चित्रकार- कम्पनी शैली के प्रमुख चित्रकार जेम्स फॉरग्यूसन, राबर्ट मेलविले, राबर्ट स्मिथ एवं डेनियल बन्धु थे। इनमें डेनियल बन्धु (थामस डेनियल एवं विलियम डेनियल) इस परम्परा के बहुत प्रसिद्ध चित्रकार थे। ये दोनों भाई 1875 ई. में भारत आए थे। इन्होंनें अंग्रेजों द्वारा विजित प्रदेशों की बेहद आकर्षक तस्वीरें बनाई थी। इनके बनाये चित्रों की ब्रिटेन के बाजारों में बड़ी मांग थी।

चित्र- 10.1- गंगा किनारे (वाराणसी) का चित्र थामस डेनियल द्वारा बनाया गया

कम्पनी शैली के चित्रों की विशेषताएं- ब्रिटिश शासन में भारतीय चित्रकला की निम्न विशेषताएँ हैं-

1. **दृश्य चित्र-** कम्पनी शैली के चित्रकारों ने, पर्वत, नदी, जङ्गल तथा समुद्र आदि के दृश्यों का चित्रण किया था। ये चित्र बड़े मनोहारी दृश्यों से युक्त होते थे।
2. **लोक जीवन का चित्रण-** उस समय भारत आने वाले अंग्रेजों को यहां के रंगों से भरी शैली, पोशाक, आभूषण, उत्सव और त्यौहार आदि के प्रति आकर्षण था। इसलिए विविध उत्सवों, जुलूस, शोभा यात्राओं के चित्रों का चित्रण किया गया था। कम्पनी चित्रकला में किसान, लोहार, बुनकर, सुनार आदि के चित्रों का सुन्दर चित्रण किया गया था। अंग्रेज चित्रकारों ने वनस्पति चित्रण में पशु-पक्षी तथा कीट- पंतगों के मनोहारी चित्रों का चित्रण किया था।

3. **रूप चित्रण-** कम्पनी शैली में बहुत अधिक सङ्ख्या में राजाओं, नवाबों, कम्पनी के शासकों एवं अधिकारियों के आवक्ष चित्र एवं व्यक्ति चित्र बनाये गए थे। **योहान जोफनी** इस शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था। वह जर्मनी से 1780 ई. में भारत आया था।
4. **ऐतिहासिक महत्व के स्थानों का चित्रण-** अनेक अंग्रेज चित्रकारों ने भारत के ऐतिहासिक स्थानों अजन्ता, एलोरा, ताजमहल , लाल किला, कुतुबमीनार आदि के चित्र बनाये थे। इसके अतिरिक्त अंग्रेज चित्रकारों ने युद्ध के चित्र बनाकर अपने-अपने शासकों को महिमामंडित किया था। इन चित्रों में प्लासी के युद्ध के बाद का दृश्य और श्री रङ्गपट्टनम के युद्ध के चित्र प्रमुख थे।

अत: स्पष्ट है कि ईस्ट इंडिया कम्पनी के समय में विभिन्न विषयों के चित्र बनाये जाते थे। चित्रकला के विभिन्न माध्यमों जलरङ्ग, तेलरङ्ग, माइका पेंटिंग और लिथोग्राफ आदि का विकास इस काल में हुआ था।

क्या आप जानते हैं-

- धातु अथ्वा लकड़ी के छापे से कागज पर बने चित्र को उत्कीर्ण चित्र कहा जाता है।
- ऐसा चित्र जिसमें व्यक्ति के चेहरे और भाव-भँगिमा पर अधिक ध्यान दिया जाता है, उसे रूप चित्र कहते हैं।
- पोट्रेट बनाने की कला को रूप चित्रण कहते हैं।

आधुनिक भारतीय चित्रकला- उन्नीसवीं शताब्दी में भारतीय नगरों में एक नवीन चित्रकला शैली विकसित हुई, जिसे भारतीय चित्रकला की आधुनिक शैली कहा जाता है। इस आधुनिक चित्रकला का सूत्रपात राजा रवि वर्मा द्वारा किया गया था। **राजा रवि वर्मा** का जन्म 29 अप्रैल 1848 ई. में केरल के किलिमान्नूर नामक गांव में हुआ था। इन्होंने दरबारी चित्रकार **अलागिरि नायडु** से चित्रकला का प्रशिक्षण लिया था। राजा रवि वर्मा ने अपनी चित्र शैली में विदेशी कला व तकनीक का सम्मिश्रण किया था। इन्होंने ब्रिटिश चित्रकार **लियोडोर जैनसन** की तैलचित्रण पद्धति को ग्रहण किया था। राजा रविवर्मा ने त्रिवेन्द्रम के शाही परिवार, उदयपुर के महाराणाओं एवं ड्युक आफ बकिंघम के चित्र बनाये थे। भारतीय एवं यूरोपीयन बाजारों में इनके चित्रों की मांग बहुत अधिक थी। राजा रवि वर्मा को अपनी उत्कृष्ट चित्रकारी के लिए तत्कालिन अंग्रेज गवर्नर ने स्वर्ण पदक दिया था। 1904 ई. में ब्रिटिश सरकार द्वारा इन्हें केसर-ए-हिन्द की उपाधि दी थी।

राजा रवि वर्मा के चित्र और उनकी विशेषताएँ- राजा रवि वर्मा द्वारा चित्रित चित्रों में हिन्दु देवी-देवताओं और महाराणा प्रताप का चित्र उल्लेखनीय हैं। उनके चित्रों की मांग बाजार में अधिक थी इसलिए उन्होनें

मुम्बई में प्रेस लगवाई, जिससे सस्ते चित्र लोगों को मिलने लगे थे। राजा रवि वर्मा के प्रमुख चित्रों में रावण और जटायु युद्ध, उषा अनिरूद्ध विवाह, राम द्वारा समुद्र गर्व मर्दन, सत्यवादी राजा हरिशचन्द्र, श्रीकृष्ण और बलराम, भीष्म प्रतिज्ञा, उदयपुर का किला आदि प्रसिद्ध चित्र हैं। **शकुन्तला का दुष्यन्त के नाम पत्र लेखन** उनकी सर्वश्रेष्ठ कृति है।

राजा रवि वर्मा की चित्रकला की प्रमुख विशेषता आकर्षक रङ्ग योजना है। इन्होंने गहरे लाल, नीले, हरे, सुनहरे और जामुनी रंगों का प्रयोग किया था। इनकी रङ्ग योजना मन में गम्भीर भाव जगाती है। राजा रवि वर्मा ने मृत प्राय: भारतीय चित्रकला के पुनरूद्धार का अथक प्रयास किया था। उन्होंने भारतीय कला को एक नई दृष्टि प्रदान की थी। चित्रकला के नये स्कूल के संस्थापक के रूप में भारत के श्रेष्ठ चित्रकारों में उनका नाम सदैव सम्मान के साथ लिया जाता है।

क्या आप जानते हैं-

खर्रा चित्र शैली-

- खर्रा चित्र कागज के लम्बे रोल पर बनाई गई पेंटिंग होती है, जिसे लपेटा भी जा सकता है। इस चित्रकारी में बने चित्र सपाट होते हैं। इस चित्र शैली को बंगाल में पटुआ, पूर्वी भारत में कुमोर तथा उत्तरी भारत में कुम्हार के नाम से जाना जाता है।
- दीवार पर बने चित्र को भित्ति चित्र कहते हैं।

अवनीन्द्रनाथ टैगोर- 1817 ई.मे जन्माष्टमी के दिन बङ्गाल के प्रसिद्ध ठाकुर परिवार में अवनीन्द्र नाथ टैगोर का जन्म हुआ था। आरंभिक विद्यालयी शिक्षा पूर्ण करने के बाद अवनीन्द्रनाथ ने अपने दादा गिरीन्द्र नाथ व चाचा रविन्द्र नाथ टैगोर से भारतीय कला व साहित्य की शिक्षा घर पर ही ग्रहण की थी। अवनीन्द्र नाथ बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वे एक अच्छे कलाकार होने के साथ-साथ एक आदर्श शिक्षक, अभिनेता, साहित्यकार व शिल्पी भी थे। भारतीय चित्रकला के पुन: उत्थान में उनका योगदान अविस्मरणीय है। जब अवनीन्द्र नाथ ने चित्रकला के क्षेत्र में प्रवेश किया,उस समय अधिकांश भारतीय चित्रकार यूरोपीय शैली पर कार्य कर रहे थे। अवनीन्द्रनाथ ने इटालियन चित्रकार **गिलहार्डी** एवं ब्रिटिश चित्रकार श्री **पामर** से कला की विधिवत शिक्षा ग्रहण की थी। उनके आरंभिक चित्रों में पेन व स्याही से बने रेखाचित्र, व्यक्ति चित्र एवं दृश्य चित्र प्रमुख हैं।

अवनीन्द्र नाथ की चित्रकला की प्रमुख विशेषताएँ-

1. प्रारंभ में यूरोपीय शैली का चित्रण किया था। रविन्द्रनाथ की पुस्तक चित्रांगद, पर आधरित चित्र बनाये थे।

2. इण्डोयूरोपीय चित्रकला शैली के चित्र बनाये थे। इस समय के बने 'राधा-कृष्ण' श्रृंखला के चित्र इसी श्रेणी के है।
3. 1901-02 ई. में अवनीन्द्र नाथ ने जापानी कलाकार **योकोहाम ताइकान** तथा **हिसिदा** से जापानी प्रक्षालन (वाश) पद्धति का अध्ययन किया था। इस पद्धति के चित्र भारतमाता शीर्षक से प्रकाशित हुए थे। उन्होंने सर्वप्रथम भारत माता का उत्कृष्ट चित्र बनाया था।
4. उन्होंने अपने चित्रों में पोस्टल रंगों का प्रयोग किया था।
5. अवनीन्द्रनाथ ठाकुर ने इण्डियन सोसायटी आफ ओरिएण्टल आर्ट की स्थापना 1907 ई. में की थी।

अवनीन्द्रनाथ ठाकुर के बनाये चित्रों में बुद्ध का जन्म, कवि कंकण, गांधी जी, टैगोर, कजरी, राधा कृष्ण आदि के चित्र उल्लेखनीय हैं। इसके के अतिरिक्त आधुनिक भारतीय चित्रकला के विकास में इन चित्रकारों में नंदलाल बोस, रवीन्द्र नाथ टैगोर, आनन्द कुमार स्वामी, ई.वी हैवल प्रमुख हैं। इन भारतीय चित्रकारों के चित्र सरल,स्पष्ट एवं मनोहारी हैं। इनके चित्रों में भड़कीले रंगों के स्थान पर शांत रंगों का प्रयोग किया गया है। इन चित्रों की विषय वस्तु पौराणिक कथाओं, सामाजिक जीवन व ऐतिहासिक गाथाओं पर आधारित थी।

प्रश्नावली

बहु विकल्पीय प्रश्न-

1. कम्पनी शैली के प्रमुख चित्रकार ..... थे।

अ. डेनियल बन्धु ब. नन्दलाल बोस स. फरग्यूसन द. इनमें से कोई नहीं

2. राजा रवि वर्मा का जन्म ..... हुआ था।

अ. कर्नाटक में ब. राजस्थान में स. बङ्गाल में द. उत्तर प्रदेश में

3. राजा रवि वर्मा को केसर-ए-हिन्द की उपाधि .....में दी गई थी।

अ. 1904 ई. ब. 1876 ई. स. 1885 ई. द. 1914 ई.

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए-

1. भारत में यूरोपीय चित्रकला शैली ..... को कहा गया। (ब्रिटिश शैली/कम्पनी शैली)
2. आधुनिक भारतीय चित्रकला का सूत्रपात ..... द्वारा किया गया। (राजा रवि वर्मा/रॉबर्ट मिथ)
3. अवनीन्द्र नाथ टैगोर ने ..... से चित्रकला की शिक्षा ली। (फर्ग्यूसन/गिलबार्डी)

सत्य/असत्य बताइए-

1. रवीन्द्र नाथ टैगोर का भी भारतीय चित्रकला के विकास में योगदान था। सत्य/असत्य
2. मैकाले द्वारा 1835 ई. में अंग्रेजी शिक्षा लागू की गई। सत्य/असत्य
3. राजा रवि वर्मा ने उदयपुर महाराणाओं के चित्र बनाए। सत्य/असत्य

सही-जोड़ी मिलान किजीए-

कला विद्यालय	स्थापना वर्ष
1. मद्रास में	क. 1854 ई.
2. कलकत्ता में	ख. 1850 ई.
3. मुम्बई में	ग. 1857 ई.

अति लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. चौंसठ कलाओं का उल्लेख किस वेद में हुआ है ?
2. रस सिद्धान्त ग्रन्थ के रचनाकार का नाम लिखिए।
3. भारत में सभ्यताकालीन चित्रकला के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए हैं ?
4. भारत माता के चित्र का चित्रण सर्वप्रथम किसने किया था ?

लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. कम्पनी शैली की प्रमुख विशेषताएँ बताईये।
2. राजा रविवर्मा ने भारतीय चित्रकला का पुनरुद्धार किस प्रकार किया था।
3. खर्रा चित्रशैली को समझाइए।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न-

1. आधुनिक भारतीय चित्रकला के विकास पर प्रकाश डालिये।
2. भारतीय चित्र कला के क्षेत्र में अवनीन्द्र नाथ ठाकुर के योगदान को समझाइये।

परियोजना कार्य-

1. छात्र अपनी अभ्यास पुस्तिका में भारत माता का चित्र बनायें।

अध्याय-11

भारत में आदिवासी

आइये जानें- आदिवासी शब्द का अर्थ और इतिहास, भारतीय आदिवासी समुदाय, कृषि, आखेटक, पशुपालक, जड़ी-बूटियों के संग्रहकर्ता, ब्रिटिश शासन का आदिवासियों पर प्रभाव, परिणाम, विरसा मुण्डा, मुण्डा विद्रोह और भारतीय संविधान में आदिवासियों एवं कमजोर वर्ग की स्थिति।

आदिवासी शब्द का अर्थ और इतिहास- आदिवासी दो शब्दों, आदि+वासी से मिलकर बना है, जिसका अर्थ मूलवासी होता है। इन्हें वनवासी भी कहा जाता है। प्राचीन संस्कृत साहित्य में इन्हें **अत्विका** कहा गया है। सामाजिक सहभागिता की अवधारणा अति प्राचीन है, जहाँ सदैव सभी के लिए सौख्य, बन्धुत्व, एकत्व, शान्ति आदि की बातें की गई हैं। ऋग्वेद की एक ऋचा में आया है "**संगच्छध्वं संवदध्वं संवोमनांसि जानताम्।**" (ऋ.10.191.2) अर्थात् परस्पर मिलकर चलो,संवाद करो, सभी के मन एक रूप हों, परस्पर हित की भावनाएँ तुम्हारे मन में हों। "**मा भूम निष्ठा इवे।**" **(ऋ** 8.1.13) अर्थात् हमें किसी को भी दूर नहीं करना चाहिए। अथर्ववेद में आया है कि "**नानाधर्माणं पृथिवी यथौकसम्।**" (12.1.45) अर्थात् जिस तरह धरती मां ने बिना किसी भेदभाव के हम सभी को एक परिवार की तरह रखा हुआ है, उसी तरह हम सभी लोग भी आपस में मिलजुल कर रहे। वेदों में ऋषियों ने अपने चिन्तन में उपदेशित किया है कि- "**सं वो मनांसि जानताम्।**" **(अथर्ववेद** 6.64.1) अर्थात् सम्पूर्ण मानवता में एकत्व की भावना होनी चाहिए। वैदिक वाङ्मय से हमें संदेश प्राप्त होता है कि हमें आपस में भेदभाव नहीं करना चाहिए और जीवमात्र के प्रति परोपकार की भावना होनी चाहिए। ऋग्वेद में संकेत है कि "**प्र ये विशस्तिरन्त श्रोषमाणा।**" (7.7.6) एवं "**अर्चामि सुम्नयन्नहमन्त्यूतिं मयोभुवम्।**" (1.138.1) अर्थात् परोपकारी लोग जनकल्याण करते-करते भवसागर को पार कर जाते हैं। पृथिवी पर बसने वाले सभी प्राणी उस परमात्मा के ही हैं इसीलिए हमें किसी के साथ कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए। भारत में आदिवासियों का इतिहास बहुत प्राचीनकाल से ही शौर्यगाथा के रूप में रहा है। रामायण में भगवान राम द्वारा निषादराज, सुग्रीव से मित्रता, शबरी के झूँठे बेर खाना आदि वृत्तान्त प्राचीन भारतीय समाज में सामाजिक समरसता के द्योतक हैं।

भारतीय आदिवासी समुदाय- आदिवासी लोग जङ्गलों में घुम्मकड़ जीवन व्यतीत करते हैं और ये जङ्गलों से प्राप्त उत्पादों जैसे- जड़ी-बूटी, कंद, मूल व फल आदि वस्तुओं से अपना जीवन यापन करते हैं।

आदिवासी जातियाँ आज भी उत्तरी-पूर्वी भारत, झारखण्ड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बङ्गाल, आन्ध्रप्रदेश आदि राज्यों में निवास करती हैं। भारत में अंग्रेजी राज की स्थापना के बाद तीव्र औद्योगिकरण के कारण अंग्रेजों ने उनके आवास और जीवन में हस्तक्षेप करना शुरु कर दिया था। परिणामत: उनके आवास, व्यवसाय एवं स्वतन्त्रता पर प्रभाव पड़ा। वर्तमान में संथाल, मुण्डा, भील, मीणा, सहरिया, गरासिया, कोल आदि प्रमुख आदिवासी जातियाँ हैं। उन्नीसवीं सदी तक देश के विभिन्न भागों में आदिवासी विभिन्न प्रकार की गतिविधियों जैसे- कृषि, आखेटक और पशुपालन आदि में सक्रिय रहते थे।

कृषि- प्राचीनकाल से ही आदिवासी, जङ्गलों की भूमि से घास आदि को साफ कर खेती करते आ रहे हैं और फसल प्राप्त करने के बाद ये जमीन को छोड़ देते है। ये लोग बीज बोते नहीं है, जमीन में बिखेर कर खेती करते हैं। परन्तु उन्नीसवीं सदी में आये बदलाव के कारण कुछ जनजातीय कबीलों ने स्थायी रूप से खेती करना प्रारंभ कर दिया था। इन जनजातियों में गोंड और संथाल जनजाति प्रमुख है।

क्या आप जानते हैं-

- 2011 ई. की जनगणना के अनुसार भारत में मूलवासियों की जनसंख्या कुल जनसंख्या का 8.6% है।
- 2011ई. जनगणना के अनुसार सबसे अधिक आदिवासी जनसंख्या मध्यप्रदेश राज्य में है।

आखेटक- अधिकतर आदिवासी आखेटक (शिकारी) होते हैं। वन्य जीवों का शिकार करके अपनी उदर पूर्ति करते हैं। औपनिवेशिक काल में तत्कालीन राजा, महाराजा एवं अंग्रेज अधिकारी इनसे जानवरों के शिकार में मदद लेते थे।

पशुपालन- आदिवासी प्राय: चरवाहे के रूप में भेड, बकरियाँ व अन्य पशु पालकर अपना जीवन यापन करते हैं। पञ्जाब में गुज्जर, आन्ध्रप्रदेश में लबाडिया, जम्मू कश्मीर में गद्दी (गड़रिया) एवं बकरवाल जनजाति आज भी पशुपालन करती है।

जड़ी-बूटियों के सङ्ग्रहकर्ता- आदिम जनजातियाँ जङ्गल से जड़ी-बूटियों एवं औषधियों का सङ्ग्रह करती हैं तथा इन औषधियों एवं जङ्गली जड़ी-बूटियों को शहर में बेचकर अपनी आजिविका चलाती हैं। उड़ीसा की खोंड, मध्य भारत की बैगा जनजाति का नाम इस क्षेत्र में उल्लेखनीय है। ये जनजातियाँ किसी के यहाँ मजदूरी अथवा नौकरी का कार्य करना पसंद नहीं करती हैं।

ब्रिटिश शासन का आदिवासियों पर प्रभाव- आदिवासी समूह सदैव से ही भारतीय समाज का सक्रिय अंग रहे हैं। औपनिवेशिक शासन काल में अंग्रेजों द्वारा भारतीय संसाधनों के शोषण से भारतीय समाज को गहरा धक्का लगा, जिससे आदिवासी भी अछूते नहीं रहे। उनके जीवन में भी भारी उथल-पुथल हुई।

अंग्रेजी शासन का आदिवासियों के जीवन पर पड़े प्रभाव को हम इन बिन्दुओं के माध्यम से समझ सकतें है-

1. ब्रिटिश शासन ने सर्वप्रथम आदिवासी समाज के मुखिया की शक्ति को प्रभावित किया था। क्योंकि आदिवासियों के जीवन में मुखिया का स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है। मुख्या की आज्ञा का पालन सभी के लिए अनिवार्य था। ब्रिटिश शासन में आदिवासीयों के मुखिया के कार्य व अधिकारों में व्यापक परिवर्तन हुए थे। इनको स्वामित्त्व तो मिला पर उसकी शासकीय शक्तियाँ समाप्त हो गई थीं। अंग्रेजी नियमों को मानना उनके लिए अनिवार्य हो गया था।

> **क्या आप जानते हैं-**
> - महुआ एक वृक्ष का नाम है, जिसके फूल और फल को आदिवासी लोग पेय और खाद्य के रूप में प्रयोग करते हैं।

2. अंग्रेजी हुकुमत का दूसरा प्रभाव आदिवासियों के घुमक्कड़ जीवन पर पड़ा। पहले ये जनजातियाँ एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण करती रहती थीं। लेकिन अंग्रेज शासन के अन्तर्गत राजस्व नियमों में बदलाव से भूमि के पट्टे जारी किए गये थे। झूंमिग खेती करने वालों को सरकार ने स्थायी रूप से बसाने का प्रयास किया था। आदिवासियों ने इसका व्यापक विरोध किया था।

चित्र-11.1 मध्यप्रदेश में आदिवासियों का आवास

3. ब्रिटिश राज के बने कानूनों से भी आदिवासियों के जीवन में असर पड़ा। अंग्रेजों ने वनों पर नियन्त्रण कर, उन्हें आवासहीन कर दिया था। रेल के स्लीपर आदि के लिए वनों को व्यापक स्तर पर काटा गया था। वनों को उजाड़कर खेत बना दिये गये और इन आदिम जनजातियों को मजदूरी के लिए विवश किया गया था। आदिवासी समूहों ने अंग्रेजों द्वारा बनाये गये वन कानूनों का बड़े पैमाने पर विरोध किया था।

4. औपनिवेशिक शासन ने आदिवासियों के व्यापार को भी प्रभावित किया था। उदाहरण के लिए, झारखण्ड के संथाल जनजाति के लोग रेशम के कीट पालते थे। अंग्रेज रेशम व्यापारी और एजेन्ट रेशम कृमिकोषों को संथालों से कम किमत पर खरीदकर, अत्यधिक लाभ कमाते थे। इसलिए आदिवासी समुदाय रेशम व्यापारियों को अपना शत्रु समझते थे।

5. वनों के नष्ट होने से आदिवासी समुदाय की स्थिति खराब हो गई थी। इन जनजातीय समुदाय के लोगों को खनन ठेकेदारों द्वारा जबरदस्ती बंधक बनाकर, सस्ते वेतन पर चाय बागानों एवं कोयला खदानों आदि में मजदूरी पर लगाया जाता था। इस प्रकार इन जनजातियों का बहुविधि शोषण होता था।

क्या आप जानते हैं

- लकड़ी के सीधे तख्ते जिन पर रेल पटरियाँ बिछाई जाती हैं।
- बेवड़ शब्द का प्रयोग मध्य प्रदेश में घुमन्तु कृषि करने वालों के लिए किया जाता है।

परिणाम- ब्रिटिश शासन की शोषणवादी नीति से व्यथित होकर, आदिवासी समुदाय ने ब्रिटिश शासन का खुल्लम-खुल्ला प्रतिरोध करना प्रारम्भ कर दिया था। इस समय सम्पूर्ण देश में स्वाधीनता की अलख जग रही थी। इसलिए जनजातीय आन्दोलनों पर भी स्वाधीनता संग्राम का प्रभाव पड़ा। इस प्रकार सभी आन्दोलनों का उद्देश्य एकमात्र स्वाधीनता प्राप्ति था।

आदिवासी जनजातियाँ अंग्रेजों को **दीकू** अर्थात् विदेशी लोग मानती थीं। इन आदिम जनजातियों में मुण्डा जनजाति के लोगों का यह मानना था कि अंग्रेजी शासन से पूर्व हमारा जीवन बहुत अच्छा था। हमें पुन: उस स्वर्ण युग को प्राप्त करना होगा। परिणामस्वरूप 1831 ई.-32 ई. में कोल विद्रोह, 1855 ई. में संथाल तथा 1940 ई. में वर्ली आदि जनजातियों के विद्रोह हुए थे। उनके स्वर्ण युग के सपने को पूरा करने का प्रयास **विरसा मुण्डा** नामक आदिवासी नेता ने किया।

विरसा मुण्डा :- विरसा का जन्म 15 नवम्बर 1875 ई. को वर्तमान झारखण्ड राज्य के राँची शहर के पास **उलीहातु** गाँव में मुण्डा जनजाति के कबीले में हुआ था। विरसा के पिताजी गरीब थे और पशुपालन कर अपना जीवन यापन करते थे। विरसा ने अपने समुदाय से अपने वंशजों के बारे में सुना था कि उस समय भारत में स्वर्ण युग था। किस प्रकार दीकू (अंग्रेजों) ने उनके जङ्गल और जमीन को उनसे छीन लिया था। विरसा को इन बातों ने अधिक प्रभावित किया था। विरसा ने अपने समुदाय से बुराइयों को छोड़ने का आह्वान किया कि, जब तक आप लोग शराब पीना, जादू टोने में विश्वास आदि बुराइयों को नहीं छोड़ोगें तब तक स्वर्ण युग स्थापित नहीं होगा। विरसा के विचारों एवं उपदेशों से मुण्डा जनजाति की जीवन शैली में परिवर्तन हुए और वे पुन: मुण्डा राज की स्थापना का स्वप्न देखने लगे।

चित्र-11.3 विरसा मुण्डा

मुण्डा विद्रोह- 1895 ई. में विरसा ने अपने शिष्यों से कहा कि हमें अपने गौरव पूर्ण अतीत को प्राप्त करने के लिए भूस्वामियों, जमींदारों, महाजनों एवं अंग्रेजों से संघर्ष करना होगा, क्योंकि इन लोगों ने हमारी परम्परागत व्यवस्था को नष्ट किया है। शीघ्र ही यह आन्दोलन चारों तरफ फैल गया था। विरसा मुण्डा ने इस आन्दोलन में '**अबुआ दिशुम अबुआ**' अर्थात् **हमारा देश हमारा राज** का नारा दिया और जङ्गल जमीन की बात छेड़ी थी। अंग्रेजी हुकुमत ने इस आन्दोलन को सख्ती से दबाया था। विरसा मुण्डा को दंगे-फसाद भड़काने के आरोप में गिरफ्तार कर दो वर्ष की सजा सुनाई थी। विरसा जेल से छूटने के बाद आदिवासी कबीलों में जागृति लाने के लिए गाँव-गाँव घूमने लगे थे। वे लोगों से प्राचीन प्रतीकों एवं भाषा में बात करते थे। उस समय सफेद झंडा विरसा राज का प्रतीक था। विरसा अनुयायी, दीकू (अंग्रेज) और ब्रिटिश सत्ता के प्रतीकों पर हमले कर और लूटकर जङ्गलों में भाग जाते थे। 1900 ई. में विरसा की मृत्यु के बाद यह आन्दोलन समाप्त हो गया था। लेकिन अंग्रेजी शासन को ऐसे कानून बनाने के लिए विवश होना पड़ा कि भविष्य में कोई बाहरी व्यक्ति इनकी जमीनों पर कब्जा न कर सके। साथ ही अंग्रेजों को इस बात का एहसास भी हो गया था कि आदिवासी समुदाय भी विरोध करने में सक्षम है। आज भी आदिवासी समुदाय विरसा को अपना भगवान मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं।

सारणी 11.1

भारत में आदिवासियों की अवस्थिति

राज्य / क्षेत्र	प्रमुख आदिवासी जनजातियाँ
आन्ध्रप्रदेश	खोंड, गडाबा आदि
कर्नाटक	बेदार, टोडा, हक्किपिक्की आदि
असम	बोडो, चकमा, दिमासा, गारो आदि
झारखण्ड,ओड़ीशा, बङ्गाल	मुण्डा और संथाल,खोण्ड
मध्यप्रदेश	गोण्ड, भील, कोल, बैगा आदि
गुजरात	भील, गरासिया,रेवारी, भारवाड़ आदि
छत्तीसगढ़	गोण्ड, बिंझवार, भैना, भतरा, उरांव, मुण्डा आदि
राजस्थान	भील, मीणा, सहरिया, गरासिया आदि
पञ्जाब	खोखर,गद्दी आदि
जम्मू-कश्मीर	बकरवाल, गद्दी, गुज्जर आदि
हिमाचल प्रदेश	किन्नौर,लाहौल, गद्दी, गुर्जर आदि

1. **भारतीय संविधान में आदिवासियों एवं कमजोर वर्ग की स्थिति-** आदिवासियों और कमजोर वर्ग के उन्नयन के लिए संविधान निर्माताओं ने संविधान निर्माण के समय ही संविधान में कुछ अधिकारों का प्रावधान किया था। इसके पश्चात हमारी सरकारों ने इनके हितों को ध्यान में रखकर, इन्हें मुख्यधारा से जोड़ने के लिए संविधान में संशोधन कर, कई उपबन्धों और उपनियमों का निर्माण किया था। संविधान के अनुसार इनके अधिकार और कानून निम्न हैं-

1. संविधान के अनुच्छेद-46 में कमजोर वर्ग, अनुसुचित जाति, अनुसूचित जनजाति आदि के शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक उन्नयन हेतु कार्य करने का प्रावधान है।
2. संविधान के अनुच्छेद 16 में सरकारी सेवाओं में सभी के लिए समान अवसर प्रदान किया गया है।
3. संविधान के अनुच्छेद-15 में किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग, या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा।
4. संविधान के अनुच्छेद-17 के द्वारा छुआ-छूत और अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है।
5. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों पर उच्च जातियों के द्वारा किये जाने वाले भेदभाव और हिंसा पर पाबन्दी लगाई गई है।
6. **एम्प्लायमेंट आफ मैन्यूअल स्केवेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन आफ ड्राई लैट्रीन्स (प्राहिविशन) 1993 एक्ट** बनाया है, जो सिर पर मैला उठाने वाले और सूखे शौचालय निर्माण पर पाबन्दी लगाता है।
7. संविधान के अनुच्छेद 335 एवं 338ए के अन्तर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई है और अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के सरकारी क्षेत्रों में नौकरी पाने के अधिकार को सुरक्षित किया गया है।
8. **नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम,** 1955 उनके साथ होने वाली अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकारों की रक्षा करता है।
9. अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 अनुसूचित जनजातियों और अन्य वनवासियों के अधिकारों को मान्यता देता है।

क्या आप जानते हैं-

- हमारे देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रोपदी मुर्मू का जन्म ओड़िशा राज्य संथाल जनजाति परिवार में हुआ था।
- संविधान में आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति कहा गया है।
- संविधान के 103वें संशोधन 2019 ई. के द्वारा आर्थिक रूप से अनारक्षित कमजोर वर्ग (EWS) के लिए आरक्षण दिया गया है। इसके अन्तर्गत 8 लाख रूपये से कम वार्षिक आय वाले लोगों को शैक्षणिक और सरकारी सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि समानता, सम्मान और प्रतिष्ठा की चाहत समाज के प्रत्येक वर्ग और व्यक्ति को होती है। इन्हें प्राप्त करने के लिए वह अनेक प्रकार के प्रयास करता है। सरकार द्वारा कानून बना देने से ही किसी समाज का उद्धार नहीं होता है, बल्कि उस कानून या अधिकार को वास्तविक प्रयोग में लाना भी जरूरी है। इसके लिए सरकार तो कार्य कर रही है, साथ ही हमें भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए तब ही उन कानूनों का उचित निर्वहन होगा।

प्रश्नावली

बहु विकल्पीय प्रश्न-

1. मुण्डा जनजाति भारत के ..... राज्य में पाई जाती है।

   अ. राजस्थान ब. आन्ध्रप्रदेश स. झारखण्ड द. हरियाणा

2. आदिवासी समुदाय .....अपना भगवान मानता है।

   अ. विरसा मुण्डा ब. टंट्या मामा स. गोविन्द गुरू द. इनमें से कोई नहीं

3. निम्न में से आखेटक का अर्थ..... है।

   अ. शिकारी ब. व्यापारी स. अधिकारी द. आदिवासी

4. भारत में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम कब बनाया गया-

   अ. 1989 में ब. 1952 में स. 2020 में द. 1990 में

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए-

1. अंग्रेजी शासन में तीव्र ..... हुआ। (व्यवसायीकरण/औद्योगिकीकरण)
2. संथाल एक ..... है। (जाति/जनजाति)
3. गडरिया व बकरवाल जनजातियों का सम्बन्ध ..... से है। (जम्मू-कश्मीर/राजस्थान)
4. हमारे देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रोपदी मुर्मू का जन्म.....राज्य में हुआ है। (ओडिशा/झारखण्ड)

सत्य/असत्य बताइए-

1. औपनिवेशिक काल में आदिवासियों का कॉफी शोषण हुआ। (सत्य/असत्य)
2. संथाल जनजाति के लोग रेशम के कीड़े पालते थे। (सत्य/असत्य)
3. हरा झण्डा बिरसा राज का प्रतीक था। (सत्य/असत्य)
4. संविधान के अनुच्छेद-17 के द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है। (सत्य/असत्य)

सही-जोड़ी मिलान कीजिए-

1. बिरसा मुण्डा	क. पोरबन्दर (गुजरात)
2. महात्मा गांधी	ख. बलिया (उत्तरप्रदेश)
3. मंगल पाण्डे	ग. ब्रह्मपुत्र घाटी (असम)
4. बोड़ो	घ. रांची (झारखण्ड)

अति लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. भारत की कुल जनसङ्ख्या का कितना प्रतिशत आदिवासी जनसङ्ख्या है ?
2. मुण्डा विद्रोह में विरसा मुण्डा ने कौन-सा नारा दिया था ?
3. दीकू शब्द का अर्थ क्या होता है ?
4. अंग्रेजी वन कानूनों ने आदिवासियों को कैसे प्रभावित किया था ?
5. भारत में सबसे अधिक आदिवासी जनसङ्ख्या किस राज्य में हैं ?

लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. विरसा मुण्डा की शिक्षाओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए।
2. औपनिवेशिक शासन से आदिम जनजातियों का जीवन किस प्रकार प्रभावित हुआ था ?
3. दीकूओं का आदिवासियों ने विरोध क्यों किया था ?
4. विरसा के स्वर्ण युग की कल्पना क्या थी ? क्या आप इससे सहमत है?

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न-

1. भारतीय संविधान में जनजातियों एवं कमजोर वर्ग के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं? विस्तार से वर्णन कीजिए ?
2. मुण्डा आन्दोलन के बारे में विस्तार से समझाइये ?

परियोजना कार्य-

1. बीसवीं शताब्दी के आदिवासी नेताओं के नामों का पता लगाकर उनकी जीवनी अपने शब्दों में लिखिए।

अध्याय-12

राष्ट्रीय आन्दोलन (1885 ई. से 1947 ई. तक)

आइये जानें- राष्ट्रवाद, प्राचीन भारत में राष्ट्रवाद, आधुनिक भारत में राष्ट्रवाद का उदय, भारत में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आन्दोलन, भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन में महात्मा गाँधी का योगदान, सशस्त्र क्रान्तिकारी आन्दोलन, 1935 ई. का अधिनियम, भारत छोड़ो आन्दोलन और स्वतंत्रता एवं विभाजन।

राष्ट्रवाद (Nationalism) - राष्ट्र से तात्पर्य लोगों के ऐसे समूह से है, जो वर्ण, जाति, इतिहास, संस्कृति, भाषा के साथ निश्चित भूभाग में निवास करते हैं। राष्ट्रवाद के कारण प्रत्येक राष्ट्र के नागरिकों को यह अधिकार है कि जिस भूभाग पर वे शताब्दियों से निवास कर रहे हैं, वहाँ वे स्वतन्त्र रूप से शासन करें। राष्ट्रवाद में समान परम्परा,समान हितों, समान राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ राष्ट्र को एकता के सूत्र में बाँधने की सामुदायिक भावना होती है, जो लोगों को सुदृढ और संगठित करती है। इसलिए राष्ट्रवाद को अमूर्त माना जाता है। **राष्ट्रवाद** एक विचार धारा है, जिसमें व्यक्ति अपने देश के प्रति अटूट प्रेम, एक प्रकार की सोच और राष्ट्रभावना रखता है। राष्ट्रवाद में व्यक्ति स्वहित से पहले राष्ट्रहित का ध्यान रखता है।

प्राचीन भारत में राष्ट्रवाद- विश्व में सर्वाधिक प्राचीन भारतीय संस्कृति के लिए राष्ट्र एवं राष्ट्रवाद नूतन अवधारणा नहीं है। इसकी संकल्पना हमारे प्राचीनतम साहित्य में की गई है। राष्ट्रवाद का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ है- "**सं गच्छध्वं सं वदध्वं सं वो मनांसि जानताम्।**" (10.191.2) अर्थात् हम सब एक साथ चलें, एक साथ बोलें, तथा हमारे मन की भावना भी एक जैसी हो। अथर्ववेद में भी कहा गया है कि "**माताभूमि: पुत्रो अहं पृथिव्या:।**" (12.1.12) अर्थात् यह भूमि (भारत) हमारी माता है और हम इसके पुत्र हैं।इसके अतिरिक्त विश्व के प्रथम महाकाव्य रामायण में उल्लेख है कि- "**जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी।**" अर्थात् जन्म देने वाली माता और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर हैं। इस अध्ययन से यह स्पष्ट है कि भारत में राष्ट्रवाद की भावना सभ्यताकाल से ही प्रबल रही है।

आधुनिक भारत में राष्ट्रवाद का उदय- भारत में नवोदित कहा जाने वाला राष्ट्रवाद वास्तव में हमारी नैसर्गिक राष्ट्रीय भावना ही है। क्योंकि आधुनिक भारत में किसी नये राष्ट्र एवं राष्ट्रवाद का उदय नहीं हुआ था। विदेशी शासन सत्ता को सदैव ही सभी कालों में हमारे पूर्वजों ने कड़ी चुनौती देकर देश से बाहर

किया है। प्राचीन भारत से लेकर अंग्रेजी शासन सत्ता के अन्त तक का इतिहास इसका साक्ष्य है। आधुनिक भारत में राष्ट्रवाद के पुनरुत्थान के प्रमुख कारण निम्न हैं-

1. सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलनों का प्रभाव।
2. भारत की राजनीतिक एकता का जन जागरण।
3. ऐतिहासिक अनुसंधानों एवं पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव।
4. भारतीय समाचार पत्रों व साहित्यों का प्रकाशन।
5. अंग्रेजों द्वारा भारतीय संपदा का दोहन तथा लोगों का शोषण।
6. भारत में अंग्रेजों द्वारा प्रचारित किए जा रहे जातीय विद्वेष तथा सरकारी नौकरी में भारतीयों से भेदभाव आदि हैं।

भारत में राष्ट्रीय स्वतन्त्रता आन्दोलन- आधुनिक भारत में अंग्रेजी अधीनता से मुक्ति के लिए अनेक आन्दोलन हुए थे, जिनके परिणामस्वरूप हमें स्वतन्त्रता प्राप्त हुई थी। इस स्वतन्त्रता आन्दोलन का अध्ययन हम निम्न बिन्दुओं के अन्तर्गत करेंगे-

भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस की स्थापना- 1857 ई. की क्रान्ति के पश्चात भारतीयों में राष्ट्र के प्रति प्रगाढ़ एकता व समर्पण की भावना पनपने लगी थी। देश के वकीलों, बुद्धिजीवियों, युवाओं, सार्वजनिक सभाओं और संस्थाओं ने मिलकर ब्रिटिश शासन प्रणाली में सुधार एवं स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए विभिन्न राष्ट्रीय संगठनों की रचना की। इसी क्रम में 28 दिसम्बर, 1885 ई. को **'एलन आक्टेवियन ह्यूम'** नामक अंग्रेज ने, अंग्रेजी शासन के प्रति भारतीय लोगों के बढ़ते असंतोष को नियन्त्रित करने के लिए **'इण्डियन नेशनल काँग्रेस'** (भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस) नामक संस्था का गठन **'बम्बई के गोकुलदास तेजपाल'** भवन में किया था। भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस प्रथम अध्यक्ष व्योमकेश चन्द्र बनर्जी थे। दादाभाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैय्यब, एस सुब्रमण्यम अय्यर आदि सहित 72 संस्थापक सदस्य थे। 1905 ई. में बङ्गाल का विभाजन राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने की दृष्टि से विशेष प्रभावकारी रहा था। उसी समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों ने पूर्ण स्वतन्त्रता की आवाज को बुलन्द किया था और बाल गंगाधर तिलक ने **'स्वतन्त्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर**

क्या आप जानते हैं-

- धन निष्कासन का सिद्दान्त दादा भाई नारौजी ने दिया था।
- गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों की माँगों के लिए महात्मा गाँधी ने 1918 ई. में खेड़ा आन्दोलन किया था।
- अखिल भारतीय हिन्दू महासभा की स्थापना 1915 ई. में मदनमोहन मालवीय, वीर सावरकर और लाला लाजपत राय ने की थी।

रहुँगा' का नारा दिया था। परिणामत: वैचारिक मतभेदों के आधार पर 1907 ई. में कांग्रेस, नरमदल (उदारवादी) और गरम दल (राष्ट्रवादी) में विभाजित हो गई थी। नरम दल के नेता- दादा भाई नारौजी, फिरोज शाह मेहता, उमेशचन्द्र बनर्जी आदि और गरम दल के प्रमुख नेता- लोकमान्य तिलक, विपिनचन्द्र पाल एवं लाला लाजपत राय थे। इसी समय बाल गंगाधर तिलक ने भारत में स्वदेशी आन्दोलन का सूत्रपात किया था। 1915 ई. में श्रीमती एनी बेसेंट और अन्य नेताओं के सहयोग के कारण दोनों दलों में एकता हो गई थी। बीसवीं शताब्दी के भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनों का नेतृत्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया था।

चित्र- 12.1 बालगंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिनचन्द्र पाल

राष्ट्रीय स्वतन्त्रता आन्दोलन में महात्मा गाँधी की भूमिका- महात्मा गाँधी ने इंग्लैण्ड से बैरिस्टरी शिक्षा प्राप्त की थी। 1893 ई. में महात्मा गाँधी अपने व्यापारी मित्र दादा अब्दुला का केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। वहाँ, गाँधीजी ने जातीय उत्पीड़न तथा नस्लीय भेदभाव के विरुद्ध विरोध प्रकट किया था। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में निश्चय किया था कि मुझे शोषित जनों को संगठित कर संघर्ष करने के लिए प्रेरित करना है और अपने इस संकल्प में गाँधीजी ने 1914 ई. तक अभूतपूर्व सफलता भी प्राप्त की थी। उनकी इस सफलता के मूल में अहिंसा और सत्याग्रह रहा था। इस आन्दोलन की सफलता से उनकी ख्याति एक नेता के रूप में हुई थी। 1915 ई. में महात्मा गाँधी का भारत आगमन हुआ था। यहाँ आकर उन्होंने सर्वप्रथम भारत दर्शन यात्रा प्रारम्भ की और इस यात्रा से यहाँ के लोगों की आवश्यकताओं और दयनीय स्थिति को समीप से देखा था। भारतीय जनमानस की स्थिति को देखकर बेहद दुखी गाँधीजी ने ब्रिटिश शासन की अधीनता से देश को मुक्ति दिलाने का संकल्प लिया था।

चम्पारण आन्दोलन- बिहार के चम्पारण जिले में किसानों ने नील की खेती करने से मना कर दिया था। इस कारण अंग्रेज सरकार द्वारा किसानों का दमन किया जाने लगा था। गाँधीजी ने चम्पारण पहुँच कर किसानों की समस्याओं को सुना तथा लोगों की परिस्थितियों को समझा था। 19 अप्रैल 1917 ई. को किसानों के साथ मिलकर गाँधीजी ने अंग्रेजों के विरुद्ध सत्याग्रह प्रारम्भ किया था।अन्त में सरकार को

किसानों की माँग माननी पड़ी थी। इसी समय भारत में पहले से जारी अंग्रेज विरोधी संघर्ष ने 1919 ई. के बाद एक बड़े आन्दोलन का रूप ले लिया था, जिसमें सभी भारतीय सम्मिलित हुए थे।

रोलट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह- 1919 ई. में जनता पर नियन्त्रण रखने हेतु अंग्रेजों ने रोलट एक्ट नामक कानून बनाया था। इस कानून के अनुसार पुलिस को यह अधिकार दिया गया था की, वह किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताये गिरफ्तार कर सकती है। रोलट एक्ट के विरुद्ध गाँधीजी द्वारा 24 फरवरी 1919 ई. को मुम्बई की एक सभा में राष्ट्रीय स्तर पर सत्याग्रह आन्दोलन का आह्वान किया गया था। इस कानून के विरोध में सम्पूर्ण भारत में अनेक स्थानों पर दंगे-फसाद हुए थे। अंग्रेजों ने आन्दोलन को रोकने के लिए दमन का तरीका अपनाया था।

क्या आप जानते हैं-

- गदर पार्टी की स्थापना प्रवासी भारतीयों लाला हरदयाल, सोहन सिंह भकाना और करतार सिंह द्वारा 1913 ई. में अमेरीका में की गई थी।
- स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ई. में चितरञ्जन दास और मोती लाल नेहरू ने की थी।
- पूना समझौता 24 सितम्बर 1932 ई. महात्मा गाँधी और डॉ. भीमराव अम्बेडकर के मध्य यरवदा जेल में हुआ था।

इस कानून के विरोध में 13 अप्रैल 1919 ई. को सैफूद्दीन किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में पञ्जाब के जलियाँवाला बाग में आम जनसभा का शान्तिपूर्वक आयोजन हो रहा था। उसी समय जनरल डायर के द्वारा लोगों पर गोलियाँ चलवाई गई थी, जिसमें हजारों भारतीय शहीद हो गए थे। इसे इतिहास में जलियाँवाला बाग हत्याकाण्ड कहा जाता है।

असहयोग आन्दोलन- यह गाँधीजी के नेतृत्व में प्रारम्भ किया गया, प्रथम व्यापक जनान्दोलन था। इसका

प्रस्ताव काँग्रेस के नागपुर अधिवेशन में 1920 ई. में पारित हुआ था। अपने आन्दोलन के विस्तार के लिए कांग्रेस ने खिलाफत आन्दोलन (सन् 1919 से 1921 तक) के नेताओं से हाथ मिलाया था। गाँधीजी ने लोगों से शान्ति पूर्वक आन्दोलन करने की अपील की थी। परन्तु लोगों ने अंग्रेजों से सीधी लड़ाई जारी रखी और 1922 ई. में चौरी-चौरा कांड के कारण, गाँधीजी ने आन्दोलन को स्थगित कर दिया था।

क्या आप जानते हैं-

- असहयोग आन्दोलन के कार्यक्रम- सरकारी शिक्षण संस्थाओं, उपाधियों, न्यायालयों और विदेशी और वस्तुओं का बहिष्कार करना।
- देश में पँचायतों की स्थापना करना।
- हिन्दू-मुस्लिम एकता पर बल देना और अहिंसा के मार्ग का अनुसरण करना था।

चित्र-12.2 राज गुरु, भगत सिंह, सुखदेव

सशस्त्र क्रान्तिकारी आन्दोलन- असहयोग आन्दोलन के स्थगित होने के बाद क्रान्तिकारियों की विचारधारा में परिवर्तन हुआ था और वे हिन्दुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन (1924 ई.) में सम्मिलित हो गए थे। इस संस्था का गठन राम प्रसाद बिस्मिल, सचिन्द्र सान्याल और योगेश चन्द्र चटर्जी ने किया था। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य भारत में अंग्रेजी राज को समाप्त कर गणतन्त्र की स्थापना करना था। इस संगठन के सदस्यों ने ब्रिटिशराज को क्षति पहुंचाने के लिए काकोरी में रेलगाड़ी से जा रहे ब्रिटिश राजकोष को लूट लिया था, जिसे इतिहास में **काकोरी घटना** (9 अगस्त, 1925 ई.) के नाम से जाना जाता है। 1928 ई. में साइमन कमीशन भारत आया था, जिसके विरोध में देश में जगह-जगह पर आन्दोलन शुरू हुए थे। लाहौर में कांग्रेस के राष्ट्रवादी नेता लाला लाजपत राय की साण्डर्स द्वारा किये गये लाठी चार्ज में हुई हत्या ने देश को झकझोर दिया था। इसके विरोध में अंग्रेज अधिकारी साण्डर्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सरदार भगत सिंह के नेतृत्व में बहरी अंग्रेज सरकार को जगाने के लिए असेम्बली (8 अप्रैल 1929 ई.) में बम फेंका गया था। इसके पश्चात लाहौर षडयंत्र के आरोप में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 ई. को फांसी दे दी गई थी।

सविनय अवज्ञा आन्दोलन- असहयोग आन्दोलन के पश्चात देश में राष्ट्रवाद की हवा उग्र हो चुकी थी। 1922 ई. से 1929 ई. तक भारत में साइमन कमीशन (1927 ई.), काँग्रेस का लाहौर अधिवेशन (1929 ई.) और ब्रिटिश सरकार के नमक पर कर की घटना से क्षुब्ध भारतीय जनमानस द्वारा गाँधीजी के नेतृत्त्व में पुन: आन्दोलन की

चित्र 12.3- दाण्डी यात्रा

तैयारी की गई थी। महात्मा गाँधी ने जन सामान्य की अनिवार्य वस्तु नमक पर कर लगाने पर सरकार का पुरजोर विरोध किया था। वे नमक कानून को तोड़ने के लिए अपने अनुयायियों के साथ पैदल चलकर साबरमती से 240 किमी दूर, समुद्र के किनारे दाण्डी नामक स्थान पर पहुँचे थे। उन्होंने 6 अप्रैल, 1930 ई. को अपने हाथों से नमक बनाकर इस कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन किया था। इस घटना को भारतीय इतिहास में **'दाण्डी' मार्च** के नाम से जाना जाता है। इसका आधार अंग्रेजों के समक्ष सविनयात्मक अवज्ञा का था, अत: इसे **सविनय अवज्ञा आन्दोलन** भी कहते हैं।

चित्र- चन्द्रशेखर आजाद

भारत के महान क्रान्तिकारी चन्द्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 ई. को अलिराजपुर, मध्यप्रदेश में हुआ था। देश में सक्रिय क्रान्ति के लिए आप हिन्दुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़े थे। 9 सितम्बर सन् 1928 को दिल्ली में आपके प्रयासों से भगतसिंह की नौजवान सभा का इसमें विलय हो गया था, जिसे बाद में हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन नाम दिया गया था। इस नये एसोसिएशन के सेना प्रमुख चन्द्रशेखर आजाद थे। 27 फरवरी 1931 ई. को प्रयागराज के एलफ्रेड पार्क में अचानक आजाद और पुलिस के मध्य गोलाबारी हुई थी। जब उनके पास एक गोली बची तो उसे अपने सिर में मारकर आत्मबलिदान कर लिया था। इस प्रकार अपने नाम के अनुरूप सदैव आजाद रहे।

1935 ई. का अधिनियम- भारतीयों द्वारा जारी संघर्ष के कारण ब्रिटिश सरकार ने 1935 ई. में भारतीय शासन अधिनियम के अन्तर्गत भारत में प्रान्तीय स्वायत्ता प्रदान की थी। फलस्वरूप सरकार ने घोषणा की थी कि 1937 ई. में प्रांतीय विधायिकाओं का चुनाव कराया जाएगा। चुनाव के परिणाम में 11 में से 7 प्रान्तों में काँग्रेस की सरकार बनी थी। इसके 2 वर्ष पश्चात 1939 ई. में द्वितीय विश्वयुद्ध शुरू हो गया था। युद्ध में काँग्रेस ने ब्रिटिश सरकार की सहायता करने के बदले भारत की आजादी की मांग की थी। परन्तु अंग्रेजों द्वारा मना कर देने पर काँग्रेस की सरकारों ने इसके विरोध में त्यागपत्र दे दिया था।

क्या आप जानते हैं-
- प्रान्तीय स्वायत्तता का अर्थ संघ के अन्दर प्रान्तों को स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार प्रदान करने से है।

भारत छोड़ो आन्दोलन- द्वितीय विश्व युद्ध के समय महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को चेतावनी दी थी कि उन्हें तुरन्त भारत को आजाद कर देना चाहिए। गांधीजी के आह्वान पर 8 अगस्त 1942 ई. में **भारत छोड़ो**

आन्दोलन प्रारम्भ हुआ था। गाँधीजी ने इस आन्दोलन में **करो या मरो** का नारा दिया था। इस राष्ट्रव्यापी आन्दोलन में भारतीय युवा-बुजुर्ग, स्त्री-पुरुष एवं बच्चे सभी ने भाग लिया था।

चित्र- सुभाष चन्द्र बोस

सुभाष चन्द्र बोस- यह भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रमुख अग्रणी नेता थे। सुभाष चन्द्र बोस 1938 में भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। महात्मा गाँधी से वैचारिक मतभेदों के चलते उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया। द्वितीय विश्वयुद्ध के समय उन्होंने अपनी राजनीतिक दूरदर्शिता के आधार पर देश को एकजुट करने के लिए '**तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हे आजादी दूंगा**' का नारा 1942 में दिया था। 1943 ई. में रासबिहारी बोस ने '**आजाद हिन्द फौज**' का गठन कर, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस को इसका सेनापति बनाया था। सुभाष चन्द्र बोस ने '**दिल्ली चलो**' का नारा दिया था। 18 अगस्त 1945 ई.में रहस्मयी तरीके से एक विमान हादसे में मौत हो गई थी। महात्मा गाँधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चन्द्र बोस ने कहा था।

स्वतन्त्रता एवं विभाजन- भारत छोड़ो आन्दोलन से यह स्पष्ट हो गया था कि अंग्रेजी शासन को अब और अधिक समय तक भारतीय बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अत: अंग्रेजों ने देश के दो प्रमुख राजनीतिक संगठनों काँग्रेस व मुस्लिम लीग से चर्चा शुरू कर दी थी। परन्तु मुस्लिम लीग की शर्तों के कारण सहमति नहीं बन पाई थी। मुस्लिम लीग की माँग थी कि, उसे भारतीय मुसलमानों की एकमात्र संस्था का दर्जा दिया जाए और काँग्रेस ने इसे अस्वीकार कर दिया था। 1945 ई. में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के पश्चात संविधान सभा के गठन के लिए 1946 ई. को चुनाव हुए थे ।इस चुनाव में काँग्रेस पार्टी ने बड़ी जीत प्राप्त की थी। आरक्षित सीटों पर मुस्लिम लीग की विजय हुई थी। इस कारण मुस्लिमों ने द्विराष्ट्र सिद्धान्त के अन्तर्गत मुस्लिमों के लिए अलग पाकिस्तान राष्ट्र की मांग रखी थी। 16 अगस्त 1946 ई. को मुस्लिम लीग द्वारा ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाकर पूरे भारत में जगह-जगह दंगे फैलाए गये,जिसमें लाखों लोग मारे गए थे। इन दंगों के कारण लाखों लोगों को निर्वासन के लिए विवश होना पड़ा था। इन कठिन परिस्थितियों में पाकिस्तान को 14 अगस्त 1947 **ई.** को एक अलग राष्ट्र मान लिया गया था। इस प्रकार भारत को 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन से मुक्ति मिली थी ।

प्रश्नावली

बहु विकल्पीय प्रश्न-

1. फूट डालो राज करो की नीति .....अपनाई थी।

अ. गाँधीजी ने ब. सुभाषचन्द्र बोस ने स. जनता ने द. अंग्रेजों ने

2. **'करो या मरो'** का नारा ..... दिया था।

अ. अंग्रेजों ने　　ब. चन्द्रशेखर आजाद ने

स. महात्मा गाँधी ने　　द. इनमें से कोई नहीं

3. महात्मा गाँधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता ..... ने कहा था।

अ. दादा भाई नौरोजी　　ब. पं. मोतीलाल नेहरू

स. सुभाषचन्द्र बोस को　　द. चितरंजन दास

4. **'तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा'** का नारा.....ने दिया था।

अ. दादा भाई नौरोजी　　ब. पं. मोतीलाल नेहरू

स. सुभाषचन्द्र बोस को　　द. चितरंजन दास

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए-

1. भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को ..... फांसी हुई। (23 फरवरी 1930/23 मार्च 1931)
2. भारत से पाकिस्तान ..... को अलग हुआ। (14 अगस्त 1946/14 अगस्त 1947)
3. साइमन कमीशन का विरोध ..... ने किया। (लाला लाजपत राय/विपिन चन्द्र पाल)
4. जलियाँवाला बाग हत्याकाण्ड ..... हुआ था। (13 अप्रैल 1919 ई./ 13 मार्च 1919 ई.)

सत्य/असत्य बताइए-

1. चौरी-चौरा घटना 1921 ई. में हुई थी।　　(सत्य/असत्य)
2. चम्पारण बिहार राज्य में है।　　(सत्य/असत्य)
3. राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना नई दिल्ली में हुई।　　(सत्य/असत्य)
4. महात्मा गाँधी अफ्रीका नहीं गए थे।　　(सत्य/असत्य)

सही-जोड़ी मिलान कीजिए-

1. राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना	क. 1920 ई.
2. चम्पारण आन्दोलन	ख. 1942 ई.
3. भारत छोड़ो आन्दोलन	ग. 1885 ई.
4. असहयोग आन्दोलन	घ. 1917 ई.

अति लघु उत्तरीय प्रश्न -

1. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस की स्थापना कब और किसने की थी ?
2. बङ्गाल का विभाजन कब हुआ था ?
3. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस का विभाजन कब हुआ था ?
4. दिल्ली चलो का किसने नारा दिया था?
5. लाला लाजपत राय की हत्या किसने की थी ?

लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. प्राचीन राष्ट्रवाद की अवधारणा को समझाइए ।
2. सुभाषचन्द्र बोस के स्वतन्त्रता आन्दोलन में योगदान को स्पष्ट कीजिए ।
3. सविनय अवज्ञा आन्दोलन के क्या कारण थे ?
4. रोलेट एक्ट सत्याग्रह के बारे में आप क्या जानते हैं ?

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. स्वतन्त्रता आन्दोलन में महात्मा गांधी की भूमिका का विस्तार से वर्णन कीजिए ।
2. भारत छोड़ो आन्दोलन और विभाजन को स्पष्ट कीजिए ?

परियोजना कार्य-

1. स्वतन्त्रता आन्दोलन में शामिल होने वाले ऐसे दो नेताओं के कृतित्त्व पर संक्षिप्त निबध लिखो।

अध्याय- 13

स्वतन्त्र भारत

आइये जानें- संविधान सभा का गठन एवं नवीन संविधान का निर्माण, विभाजन से उत्पन्न समस्याएँ, देशी रियासतों का विलय, कश्मीर समस्या एवं निराकरण, राज्यों का पुनर्गठन, आर्थिक विकास की योजनाएँ और 75 वर्षों के बाद भारत।

15 अगस्त 1947 ई. को स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात हमारे देश के सामने देश विभाजन से उत्पन्न समस्याएँ, राष्ट्र के एकीकरण की समस्याएँ और कमजोर आर्थिक स्थिति सहित अन्य कई विकट चुनौतियाँ थीं। इन कठिन चुनौतियों के साथ ही भारतीय लोगों को शासन से अधिक उम्मीदें थीं। भारत को पुन: सशक्त राष्ट्र बनाने के लिए इन चुनौतियों का समाधान आवश्यक था। हमारी नवोदित सरकार ने इन समस्याओं का निराकरण किस प्रकार किया था, उसका अध्ययन हम निम्न प्रकार करेंगे।

1. **संविधान सभा का गठन एवं नवीन संविधान का निर्माण-** 1945 ई. में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात ब्रिटेन ने अपनी भारत सम्बन्धी नीति की घोषणा की थी। इसके अन्तर्गत जब कैबिनेट मिशन (तीन मंत्रियों के दल) को 1946 ई. को भारत में संविधान सभा के निर्माण के लिए लाया गया था। उसी समय हमारे देश में संविधान निर्माण की माँग बहुत प्रबल हो रही थी। इस दल ने ब्रिटेन वापिस पहुँचकर अपनी रिपोर्ट में भारत में संविधान निर्माण की सहमति प्रदान की थी। 6 दिसम्बर 1946 ई. में भारत में संविधान सभा का गठन किया गया था। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के कुल 389 सदस्यों में से 292 प्रान्तों से निर्वाचित सदस्य, 4 सदस्य केन्द्र शासित प्रदेशों से एवं 93 सदस्य राजा महाराजा थे। भारतीय संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था । भारत के नये संविधान को 26 नवम्बर 1949 ई. को संविधान सभा द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी । 26 जनवरी 1950 ई. में भारत को गणतन्त्र घोषित कर भारतीय संविधान लागू किया गया था।

सारणी 13.1

भारतीय संविधान निर्माण की प्रमुख समितियाँ

क्र.	समिति का नाम	समिति के अध्यक्ष
1	संचालन समिति	राजेन्द्र प्रसाद
2	संघ शक्ति समिति	जवाहर लाल नेहरू
3	प्रान्तीय संविधान समिति	सरदार वल्लभ भाई पटेल
4	प्रारूप समिति	डॉ. भीमराव अम्बेडकर
5	झण्डा समिति	जे.बी. कृपलानी
6	संघीय संविधान समिति	जवाहर लाल नेहरू

2. **विभाजन से उत्पन्न समस्याएँ-** आजादी के समय भारत विभाजन के परिणामस्वरूप 70 से 80 लाख लोग पाकिस्तान से विस्थापित होकर भारत आए थे। ये शरणार्थी अपना घर-व्यापार, संपत्ति आदि पाकिस्तान में छोड़कर तथा कई प्रकार की परेशानियाँ व संकटों से संघर्ष करते हुए भारत पहुँचे थे। इन शरणार्थियों में से अनेक लोगों ने अपने परिवार को खो दिए थे। उस समय इन लोगों को मानसिक व आर्थिक सम्बल की आवश्यकता थी। सरकार के समक्ष शरणार्थियों के लिये पुनर्वास एवं रोजगार उपलब्ध कराना बड़ी चुनौती थी। सरकार ने प्रारम्भ के छ: महीनों में तो इन शरणार्थियों को कैम्पों में रखा था। अजमेर, कच्छ, गांधीधाम, आदिपुर, कल्याण, दिल्ली, करनाल आदि शहरों में शिविर लगाकर इनको रोजगार के प्रशिक्षण दिए गए और नए तकनीकी शिक्षा संस्थान का निर्माण इन लोगों के लिए किया गया था। सरकार ने इनके पुनर्वास के लिए उल्हास नगर (महाराष्ट्र), गांधीधाम (गुजरात), पीलीभीत (उत्तरप्रदेश), शिवपुरी (मध्यप्रदेश), श्री गंगानगर (राजस्थान) आदि नगर स्थापित किए थे। इन विस्थापितों में से अनेक लोगों ने विपरीत परिस्थितियाँ होने पर भी राजनीति, व्यापार, उद्योगों, अनुसंधान, पत्रकारिता, चलचित्र आदि क्षेत्रों में अपना महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है।

चित्र-13.1- नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पाकिस्तान से आए शरणार्थी

क्या आप जानते हैं-

- संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा थे।
- संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉ. राजेन्द्र प्रसाद थे।
- स्वतंत्र भारत के प्रथम और अन्तिम गवर्नर जनरल सी. राजगोपालाचारी थे।

3. **देशी रियासतों का विलय-** औपनिवेशिक काल में भारत में दो प्रकार के प्रान्त थे- **प्रथम,** वे प्रान्त जो सीधे ब्रिटिश शासन से सञ्चालित थे। **दूसरे,** वे देशी रियासतें जिन पर राजा-महाराजाओं का शासन चलता था तथा वे ब्रिटिश आधिपत्य में शासन करते थे। स्वतनत्रता के समय भारत में कुल 565 देशी रियासतें थीं।

आजादी के पश्चात भारत स्वतन्त्रता अधिनियम 1947 ई. के अनुसार भारत का विभाजन कर भारत और पाकिस्तान दो राष्ट्र बनाए और इन रियासतों को दोनों में से किसी भी देश में शामिल होने या स्वतन्त्र रहने का अधिकार अंग्रेजी शासन द्वारा दिया गया था। इस निर्णय से देश में संकटपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई थी। उस समय कुछ रियासतें स्वतन्त्र और कुछ पाकिस्तान में सम्मिलित होना चाहती थीं। इस संकट काल में देश के एकीकरण करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में रियासती विभाग की स्थापना की गई थी। सरदार पटेल ने देशी रियासतों को भारत में विलय के लिए प्रेरित किया था। उन्होंने देशी राजाओं को समझाया कि, उनकी भौगोलिक और आर्थिक स्थिति तथा जनता की इच्छा को ध्यान में रखते हुए भारत में विलय करना चाहिए। सरदार बल्लभ भाई की दूरदर्शिता एवं कूटनीति से अधिकांश देशी रियासतों का 15 अगस्त 1947 से पूर्व भारत में विलय कर लिया गया था। बड़ौदा व बीकानेर के शासकों ने सर्वप्रथम भारतीय संघ में विलय की सहमति दी। अब सिर्फ जूनागढ़, हैदराबाद व कश्मीर भारत संघ में शामिल नहीं हुए थे। 1948 ई. में जूनागढ़ की प्रजा ने अपने नवाब के खिलाफ विद्रोह कर अपना विलय भारत में कर दिया था। हैदराबाद का निजाम जन भावनाओं की अनदेखी कर भारत से अलग रहना चाहता था। सितम्बर 1948 ई. में सरदार पटेल ने आपरेशन पोलो चलाकर हैदराबाद का विलय भारत में कर दिया था। सरदार पटेल के प्रयासों से भारत का एकीकरण सम्भव हो पाया था। इसी कारण उन्हें भारतीय इतिहास में **लौह पुरुष** कहा गया है।

क्या आप जानते हैं-

- गुजरात राज्य के भरूच जिले में नर्मदा नदी के किनारे केवड़िया में सरदार पटेल को समर्पित 182 मीटर ऊँची धातु से बनी संसार की सबसे ऊँची मुर्ति है। जिसे स्टैच्यू आफ़ यूनिटी कहा जाता है। यह भारतीय स्थापत्य कला का अप्रतिम उदाहरण है तथा भारत सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना को 31 अक्टूबर 2018 को राष्ट्र को समर्पित किया गया था।

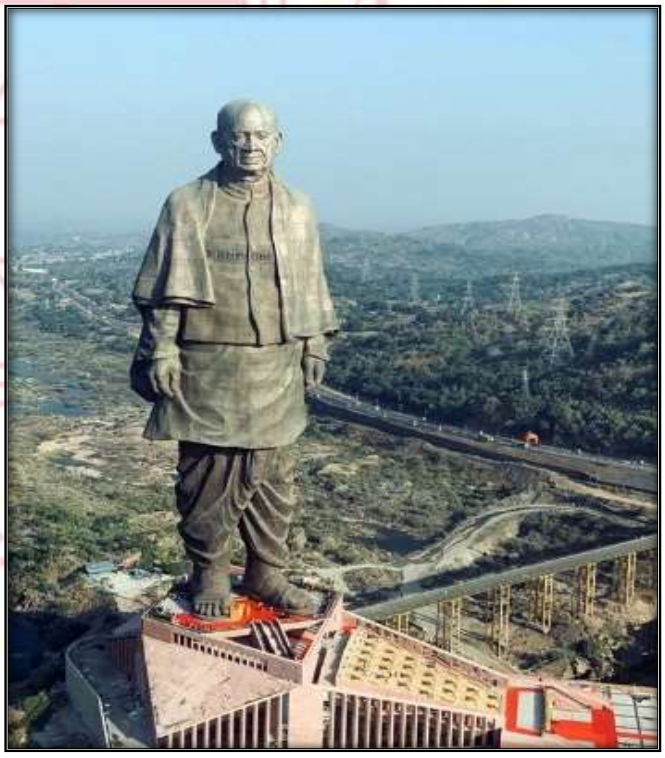

चित्र-13.2 स्टेच्यू ऑफ युनिटी

कश्मीर समस्या एवं निराकरण- स्वतन्त्रता के पश्चात कश्मीर के महाराजा हरिसिंह ने तटस्थता की नीति अपनाई थी। परन्तु उसी समय पाकिस्तान ने कश्मीर पर कबायलियों की आड़ में सैन्य आक्रमण कर दिया और कश्मीर के कुछ भाग पर अधिकार कर लिया था। कश्मीर के महाराजा ने जनभावनाओं और सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर, भारत में विलय कर दिया था। इस प्रकार कश्मीर अब दो देशों के मध्य एक अन्तर्राष्ट्रीय विवादित मुद्दा बन गया और इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्तुत करने के कारण यहां यथा स्थिति कायम हुई थी । अब भारत का अभिन्न अंग कश्मीर दो भागों में- पाक अधिकृत कश्मीर और जम्मू कश्मीर में विभाजित हो गया था। परन्तु पाकिस्तान सम्पूर्ण कश्मीर पर अपना दावा करता रहा था। 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने धारा 370 एवं 35 ए के समाप्ति की घोषणा करते हुए, जम्मू कश्मीर राज्य को दो केन्द्र शासित प्रदेशों- जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख में विभाजित कर, पुर्णत: अधिगृहित कर लिया। अब विवाद का मुद्दा पाक अधिकृत कश्मीर का है।

क्या आप जानते हैं-

- भारत के एकीकरण में सरदार पटेल के सहयोगी तत्कालीन गृह सचिव वी.पी. मेनन थे।
- डॉ.श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भारतीय संविधान की धारा 370 के अन्तर्गत कश्मीर में प्रवेश के लिए परमिट व्यवस्था का विरोध करते हुए 23 जून 1953 ई. को जम्मू में रहस्यमयी तरीके से मृत्यु हो गई थी।

राज्यों का पुनर्गठन- स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारत में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की माँग उठने लगी थी। मद्रास राज्य में इसके लिए बड़े आन्दोलन हुए थे। सर्वप्रथम 1953 ई. में भाषाई आधार पर आन्ध्रप्रदेश राज्य का गठन किया गया था। 22 दिसम्बर 1953 ई. में राज्य पुनर्गठन आयोग (फजल अली आयोग) गठित किया गया था। इस आयोग ने 1955 ई. में अपनी रिपोर्ट में कहा कि राष्ट्रीय एकता, प्रशासनिक एवं वित्तीय व्यवहार,आर्थिक विकास आदि के लिए भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। 1956 ई. में सरकार ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास किया था। इसके अन्तर्गत नये 14 राज्य तथा 6 केन्द्रशासित प्रदेश बनाये गये थे। परिणामस्वरूप भाषाई आधार पर तमिलनाडु व कर्नाटक राज्यों का गठन किया गया था। इसी प्रकार 1960 ई. में बम्बई प्रान्त को महाराष्ट्र व गुजरात में बाँट दिया गया, 1966 ई. में पञ्जाब में से हिन्दी भाषी क्षेत्र हरियाणा राज्य बनाया गया था और मध्यवर्ती भारत में से मध्य प्रदेश राज्य बनाया गया था। कालान्तर में भारत सरकार ने विभिन्न आयोगों की रिपोर्ट के आधार पर नये राज्य जैसे- नवम्बर 2000 ई. में उत्तरप्रदेश में से उत्तराखण्ड, मध्यप्रदेश में से छत्तीसगढ़ एवं बिहार को विभाजित कर झारखण्ड राज्य और 2 जून 2014 को तेलगांना को आन्ध्रप्रदेश में से विभाजित कर अलग राज्य बनाया गया था। भारत सरकार ने 5 अगस्त, 2019

को ऐतिहासिक जम्मु-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम- 2019 द्वारा धारा 370 के समापन की घोषणा कर दी। वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य और 8 केन्द्र शासित प्रदेश हैं।

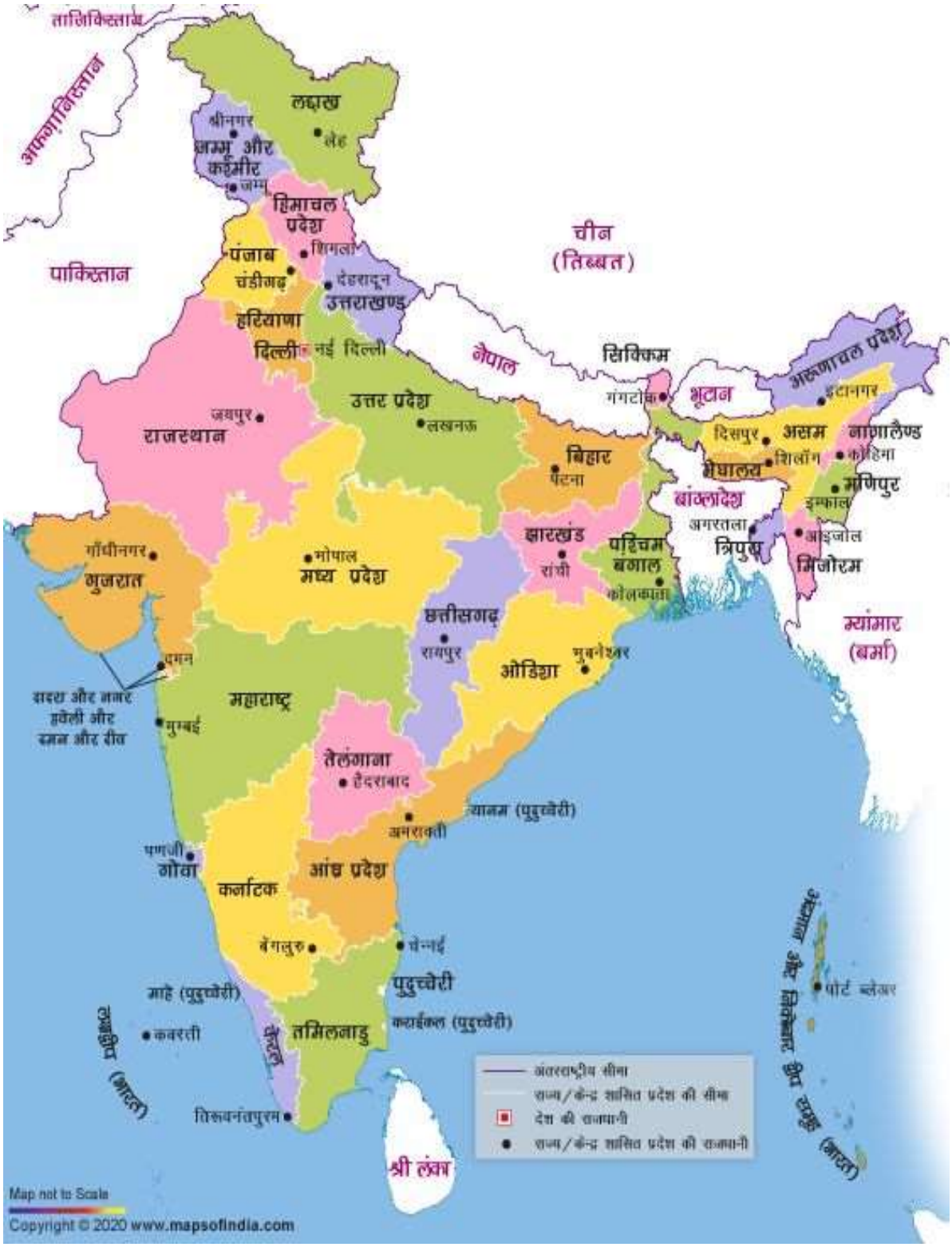

मानचित्र- 13.1 भारत का राज्य पुनर्गठन 1956 ई. के पश्चात

आर्थिक विकास की योजनाएँ- स्वतन्त्रता के भारत के आर्थिक पुनर्निर्माण तथा गरीबी से मुक्ति प्राप्त करने हेतु एक सु-व्यवस्थित योजना की आवश्यकता थी। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए 1950 ई. में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। उसी के अन्तर्गत विकास कार्यों के लक्ष्य निर्धारित कर योजनाएं बनाई गई, जिन्हें '**पंचवर्षीय योजना**' कहा जाता है। 1952 ई. में प्रथम पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों का निर्माण एवं बड़े बाँधों के निर्माण के कार्य किए गये थे। तत्पश्चात की पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि व सामुदायिक विकास पर जोर दिया गया था। 2015 ई.में योजना आयोग के स्थान पर **नीति आयोग** का गठन किया गया है। इसका पदेन अध्यक्ष प्रधानमन्त्री होता है और सभी राज्यों के मुख्यमन्त्री व केन्द्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल इसके सदस्य होते हैं।

पचहत्तर वर्षों के पश्चात् भारत- 15 अगस्त, 2021 ई. से हम स्वतन्त्रता प्राप्ति के 75 वर्ष पूर्ण होने पर आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इन 75 वर्षों की समयावधि में संविधान में निश्चित किए गये आदर्शों को हम किस सीमा तक साकार कर पाए हैं, यह जानना आवश्यक है। हमारा लोकतन्त्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतन्त्र है। आजादी के बाद विदेशी विद्वानों का मानना था कि भारत में भाषा, जाति, धर्म, वेश-भूषा एवं खान-पान में विविधता होने से इसका भविष्य ज्यादा लम्बा नहीं है। परन्तु आगे चलकर विदेशी विद्वानों की समस्त आशंकाओं को निर्मूल साबित हुई। भारत में एक विशाल एवं सफल लोकतन्त्र विकास के उन्नत शिखर पर पहुँचा है। आज भारत ने अत्याधुनिक सैन्य बल, अन्तरिक्ष में बढ़ते कदम, उन्नत प्रौद्योगिकी, परिवहन, खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर, अत्याधुनिक शिक्षण और स्वास्थ्य संस्थान आदि के क्षेत्रों में उल्लेखनीय एवं सराहनीय कार्य किए हैं। आतंकवाद, क्षेत्रीयता, जातिवाद आदि की समस्याओं के निराकरण की दिशा में हमारी सरकार ने सार्थक प्रयास किए हैं। हमने पिछले 75 वर्षों में देश में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और भाषाई आदि विविधताओं को दृष्टिगत रखते हुए राष्ट्रीय एकता और अखण्डता को अक्षुण्ण बनाए रखते हुए 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरन्तर आगे बढ़ रहे हैं।

चित्र- 13.3 भाखड़ा नागल बांध

प्रश्नावली

बहु विकल्पीय प्रश्न-

1. भारतीय संविधान का जनक ..... को माना जाता है।

अ. डॉ. अम्बेडकर ब. राजेन्द्र प्रसाद स. महात्मा गांधी द. सरदार पटेल

2. प्रान्तीय संविधान समिति के अध्यक्ष.....थे।

अ. डॉ. अम्बेडकर ब. राजेन्द्र प्रसाद स. महात्मा गांधी द. सरदार पटेल

3. योजना आयोग के स्थान पर 2015 ई. में ..... आयोग का गठन किया गया था।

अ. नीति आयोग ब. चुनाव आयोग

स. नानाबटी आयोग द. राज्य पुनर्गठन आयोग

4. आजादी का अमृत महोत्सव स्वतन्त्रता प्राप्ति की ..... वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है।

अ. 65 वीं ब. 70 वीं स. 75 वीं द. 80 वीं

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए-

1. स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई ..... है। (182 मी./282 मी.)
2. योजना आयोग की स्थापना ..... में हुई थी। (1950 ई./1951 ई.)
3. राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष ..... थे। (गुलाम अली/फजल अली)
4. संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष ..... थे।(डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा/ वी.पी. मेनन)

सत्य/असत्य बताइए-

1. योजना आयोग का नया नाम नीति आयोग रखा गया है। (सत्य/असत्य)
2. हरियाणा, गुजरात राज्य से अलग करके बनाया गया है। (सत्य/असत्य)
3. लौह पुरुष के नाम से सरदार पटेल को जाना जाता है। (सत्य/असत्य)
4. वी. पी मेनन भारत के गृह सचिव थे। (सत्य/असत्य)

सही-जोड़ी मिलान कीजिए-

पूर्व राज्य	विभक्त नवीन राज्य
1. बिहार	क. तेलगांना
2. मध्यप्रदेश	ख. उत्तराखण्ड
3. उत्तरप्रदेश	ग. झारखण्ड
4. आन्ध्रप्रदेश	घ. छत्तीसगढ़

अति लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था ?
2. आजादी के समय भारत में कितनी देशी रियासतें थीं ?
3. संविधान सभा में कितने निर्वाचित सदस्य थे ?
4. बम्बई प्रान्त में से कौन-कौन से राज्यों का गठन हुआ था ?

लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. स्वतन्त्र भारत की क्या चुनौतियाँ थी ?
2. औपनिवेशिक भारत में कितने प्रकार के राज्य थे ? विवेचना कीजिए।
3. सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देशी रियासतों का विलय किस प्रकार किया था ?
4. आजादी के बाद भारत में आर्थिक विकास को समझाइये।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न-

1. स्वतन्त्र भारत की समस्याओं को समझाइये।
2. भारत के एकीकरण पर प्रकाश डालिए ।

परियोजना कार्य-

1. सी. राजगोपालचारी और डॉ भीमराव अम्बेडकर के जीवन वृत पर प्रकाश डालिए।

वेदभूषण तृतीय वर्ष

सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन

अध्याय- 14

भारतीय संविधान

आइये जानें- संविधान की आवश्यकता, संविधान का अर्थ, भारतीय संविधान का निर्माण, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएँ, विभिन्न स्त्रोतों से प्रेरणा, धर्म निरपेक्षता क्या है? और भारत में धर्म निरपेक्षता का पालन।

संविधान की आवश्यकता- जिस प्रकार हमें अपने परिवार के सुचारू सञ्चालन के लिए अनेक नियम और व्यवस्थाओं की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार देश की शासन व्यवस्थाओं को चलाने के लिए नियमों एवं कार्यविधियों की आवश्यकता होती है। सरकार के गठन, जनता के अधिकार एवं कर्तव्य आदि की रूपरेखा, इन्हीं नियमों द्वारा निर्धारित की जाती है। वैदिक वाङ्मय में भी राजा, प्रजा आदि के लिए लौकिक व्यवहार एवं निजी आचरण के नियमों का उल्लेख किया गया है, जो आज हमारे संविधान में भी दृष्टिगोचर होते हैं। यथा- "**आत्मवत् सर्वभूतेषु**" अर्थात् सभी जीव समान हैं, इसकी पुष्टि समानता के अधिकार से होती है। "**यत्संयमो न वि यमो वि यमो यन्न संयमः**।" (अथर्व.4.3.7) अर्थात् जो व्यक्ति सदा नियन्त्रण में रहते हैं, उन्हें छोड़ना चाहिए और जो हमेशा नियन्त्रण से बाहर रहतें हैं, उन पर नियन्त्रण करना चाहिए तथा "**योऽस्मान्द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दध्म**।" (अथर्व. 3.27.2) अर्थात् जो कोई भी हम से ईर्ष्या करता है, उसे ईश्वर के न्याय और दण्ड विधान पर छोड़ देना चाहिए ।

संविधान का अर्थ- किसी राष्ट्र या राज्य में शासन, व्यक्ति और उनके परस्पर सम्बधों को निर्देशित करने वाले सभी नियमों और कानूनों का सङ्ग्रह संविधान कहलाता है। संविधान, शासक वर्ग की निरंकुशता, स्वेच्छाचारिता पर नियन्त्रण तथा लोगों के अधिकारों की रक्षा के साथ ही जनहित और राष्ट्रोन्नति के कार्यों के लिये निर्देशित करता है। संविधान दो प्रकार के होते हैं।

1. **लिखित संविधान-** जिस संविधान में लिखित प्रावधान होते हैं, उसे लिखित संविधान कहते हैं, जैसे- भारत एवं संयुक्त राज्य अमेरीका आदि का संविधान।
2. **अलिखित संविधान-** जिस संविधान में प्रावधान लिखें नहीं जाते हैं अपितु परम्पराओं के आधार पर चलाए जाते हैं, उन्हें अलिखित संविधान कहते है। जैसे- ब्रिटेन का संविधान।

भारतीय संविधान का निर्माण- हमारे देश में संविधान निर्माण का विचार स्वतन्त्रता आन्दोलन के साथ-साथ ही विकसित हुआ था। असहयोग आन्दोलन के समय 1922 ई. में महात्मा गांधी ने कहा था कि, '**भारत का राजनीतिक भविष्य भारतीय स्वयं बनाएँगे**'। 1934 ई. में संविधान सभा के गठन की माँग को

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार अपनी अधिकृत कार्यसूची में सम्मिलित किया था। अन्ततः हमारे राजनेताओं के अथक प्रयासों से ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर 24 मार्च 1946 ई. में **कैबिनेट मिशन** को भारत भेजा था। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ब्रिटिश सरकार से संविधान सभा के गठन की सिफारिश की थी। संविधान सभा के 296 जन प्रतिनिधियों को जुलाई 1946 में चुनाव द्वारा तथा 93 को रियासतों से मनोनीत किया गया था।

क्या आप जानते हैं-

- भारतीय संविधान विश्व का सबसे लम्बा हस्तलिखित संविधान है, जिसे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इटैलिक शैली में लिखा था।
- कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे इसलिए इसे क्रिप्स मिशन भी कहा जाता है।
- वर्तमान (2020 ई.) में हमारे संविधान में कुल 25 भाग 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं।

संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसम्बर 1946 ई.को सच्चिदानन्द सिन्हा की अध्यक्षता में हुई थी। 11 दिसम्बर 1946 ई. की बैठक में डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। संविधान सभा ने संविधान निर्माण के लिए अनेक समितियों का गठन किया था, जिनमें से छः समितियाँ प्रमुख थीं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ. भीमराव अम्बेडकर थे। संविधान के प्रारूप पर 114 दिन चर्चा होने के पश्चात् 21 फरवरी 1948 ई. में प्रारूप समिति ने इसे संविधान सभा में प्रस्तुत किया था। तीन बार संविधान सभा में इसका वाचन कर, 26 नवम्बर 1949 ई. को संविधान सभा ने संविधान को पारित कर इसके कुछ प्रावधानों को लागू कर दिया था इसलिए प्रतिवर्ष 26 नवम्बर को संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ई. को हुई थी और उसी दिन डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को देश का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूर्णतः लागू कर दिया गया। 1950 ई. में भारतीय संविधान में कुल 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं।

चित्र- 14.1 संविधान सभा सन् 1946-50

भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएँ-

1. **प्रस्तावना-** भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा एवं कुञ्जी कहते हैं। संविधान की शक्तियों का स्त्रोत भारतीय लोग हैं। यह प्रस्तावना न्यायालय द्वारा अपरिवर्तनीय है। 42वें संविधान संशोधन (1976 ई.) द्वारा इसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा अखण्डता शब्दों को जोड़ा गया था।

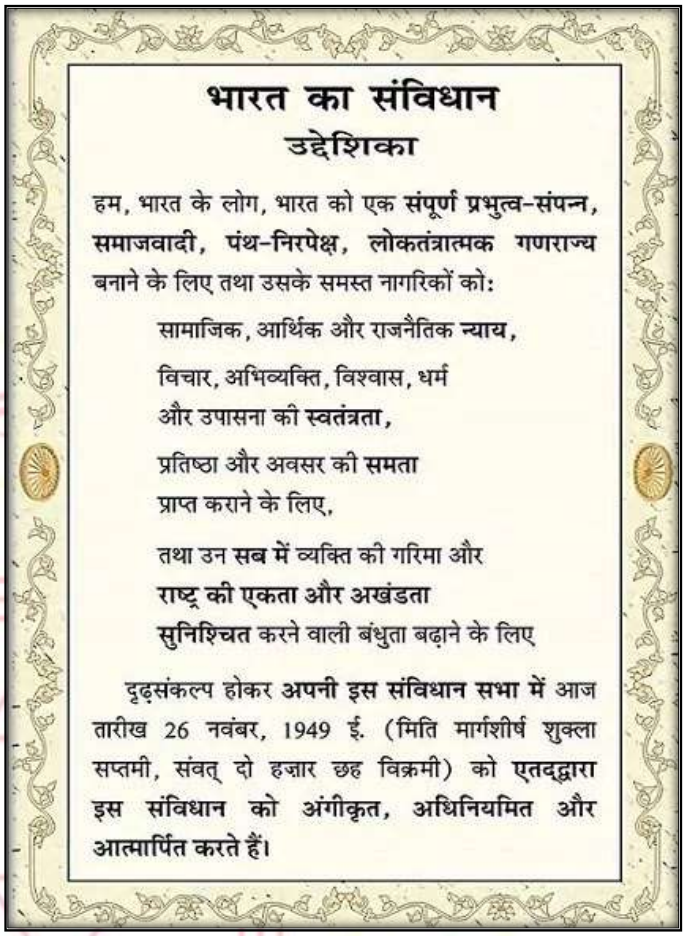
भारत का संविधान
उद्देशिका
हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, पंथ-निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को:
सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय,
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता,
प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए,
तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए
दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् दो हज़ार छह विक्रमी) को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

चित्र- 14.2 भारतीय संविधान प्रस्तावना

2. **संघात्मक शासन-** संघात्मक शासन व्यवस्था हमारे संविधान की प्रमुख विशेषता है क्योंकि संविधान की सर्वोच्चता, केन्द्र और राज्य सरकारों में शक्तियों का विभाजन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, संघात्मक शासन के प्रधान लक्षण हैं। भारतीय संविधान में राज्य सरकारों को केन्द्र सरकार के अधीन किया गया है।
3. **संसदीय शासन-** हमारे देश में संसदीय शासन की स्थापना की गई है, जिसमें कार्यपालिका का उत्तरदायित्व व्यस्थापिका के प्रति होता है। इस व्यवस्था में राष्ट्रपति संवैधानिक अध्यक्ष होता है और शासन की समस्त शक्तियों का प्रयोग प्रधानमन्त्री एवं उसकी मंत्रिपरिषद करती है। इस व्यवस्था में जन प्रतिनिधि सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं।
4. **पंथ निरपेक्षता-** हमारा देश एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है अर्थात् राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य सभी धर्मों का समान रूप से आदर तथा उनकी रक्षा करेगा।
5. **मौलिक अधिकार-** भारतीय संविधान में अपने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए छ: मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के भाग-3 के अनुच्छेद 12 से 35 में है।
    1. समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18)
    2. स्वतन्त्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19-22)
    3. शोषण के विरूद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23-24)

4. धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25-28)
5. सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार (अनुच्छेद 29-30)
6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32)

7. नीति निर्देशक तत्व- नागरिकों के हितों को ध्यान में रखकर नीति बनाने और सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए संविधान में सरकारों को निर्देश प्रदान किए गये हैं, उन्हें नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। इनका उल्लेख संविधान के भाग- 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है।

क्या आप जानते हैं-

- अनुच्छेद 31 में सम्पदओं के अर्जन के लिये उपबन्ध करने की विधि, कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यकरण तथा कुछ निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियाँ हैं। अनुच्छेद 33 में मूल अधिकारों के उपान्तरण की शक्ति संसद को प्रदान की गई है। अनुच्छेद 34 में सैन्य शासन लागू होने पर मूल अधिकारों के निर्बन्धन का प्रावधान है। अनुच्छेद 35 में भाग तीन के प्रावधानों को प्रभावी करने की विधि दी गई है।

8. मौलिक कर्तव्य- हमारे संविधान में नागरिकों के पालानार्थ ग्यारह मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 51 (क) में हुआ है। इन मौलिक कर्तव्यों का पालन देश के प्रत्येक नागरिक को करना चाहिए।

9. स्वतन्त्र न्याय पालिका- जनता के अधिकारों की रक्षा एवं न्याय के लिए संविधान द्वारा स्वतन्त्र न्याय पालिका की स्थापना की गई है।

10. सार्वभौम मताधिकार- हमारे देश का प्रत्येक नागरिक जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है, उसे बिना भेदभाव के अपने मताधिकार का प्रयोग करने का अधिकार संविधान द्वारा दिया गया है।

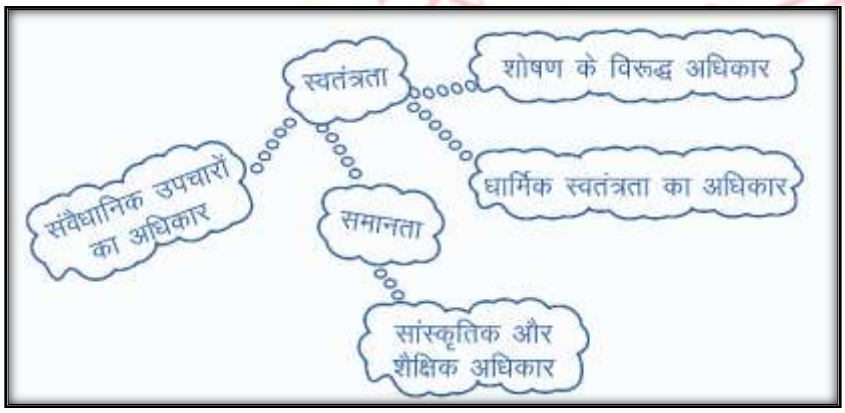

चित्र- 14.3- मौलिक अधिकार

11. इकहरी नागरिकता- हमारे संविधान में देश के नागरिकों के लिए इकहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है अर्थात् भारत देश का नागरिक देश के किसी भी भाग में भ्रमण करने, निवास करने के लिए स्वतन्त्र है।

विभिन्न स्त्रोतों से प्रेरणा- हमारे देश के संविधान में विश्व के दूसरे देशों के संविधानों से भी अनेक सन्दर्भ ग्रहण किए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार, स्वतन्त्र न्याय पालिका, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, वित्तीय आपात आदि, आयरलैण्ड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ब्रिटेन से संसदीय शासन, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया, आस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, केन्द्र-राज्य सम्बन्ध आदि, रूस से मौलिक कर्तव्य और जापान से विधिक प्रक्रिया के प्रावधान लिये गये हैं। इन सभी विदेशी स्त्रोतों के अतिरिक्त भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव ब्रिटिश सरकार के भारतीय शासन अधिनियम- 1935 ई. का पड़ा है।

धर्म निरपेक्षता क्या है? विश्व के अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में शासन की दृष्टि से सभी को समान माना गया है। इन देशों में शासन का कोई धर्म नहीं है। यदि धर्म को लोकतन्त्र में राज्य से अलग नहीं रखा गया तो बहुमत वाला धार्मिक समुदाय अल्पसंख्यक लोगों का आर्थिक और सामाजिक शोषण कर सकता है इसलिए लोकतान्त्रिक समाज में धर्म को राज्य से अलग रखने का महत्वपूर्ण कारण है।

हमारे वैदिक वाङ्मय में धर्म (सत्य, परमार्थ, सर्वसमभाव को मानना) के द्वारा शासन करने की विशद् विवेचना की गई है। मनु स्मृति में धर्म के दश लक्षण बताए गए हैं- "**धृति क्षमा दमोऽस्तेयं सौचमिन्द्रियनिग्रह:। धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्** ॥" अर्थात् धृति (धर्य), क्षमा, दम (संयम), अस्तेय (चोरी न करना),शौच (पवित्रता), इन्द्रिय निग्रह (इन्द्रियों को धर्माचरण में लगाना), धी (सत्कार्यों से बुद्धि में वृद्धि करना), विद्या (यर्थाथ ज्ञान), सत्यम (सत् आचरण) और अक्रोध (क्रोध नहीं करना) धर्म के दश लक्षण हैं। परन्तु कालान्तर में कतिपय विदेशी विद्वानों ने धर्म को रिलीजन के समकक्ष माना है।जबकि रिलीजन शब्द का अर्थ सम्प्रदाय के लिए किया जाता है, धर्म के लिए नहीं। लेकिन उन विद्वानों ने धर्म शब्द की व्याख्या की, तो उन्हें इसमें सम्प्रदाय की व्याख्या दृष्टिगत हुई, जबकि वास्तव में धर्म और सम्प्रदाय अलग-अलग हैं। भारत पर विदेशी शासन के प्रभाव के कारण धीरे-धीरे यहाँ भी यह प्रथा चल पड़ी कि कोई रिलीजन के बारे में पूछे तो हम उसे हिन्दू बताते हैं। लेकिन हिन्दू तो धर्म है, जिसकी परिभाषा अलग है। शैव, वैष्णव, ईसाई, मुस्लिम आदि सम्प्रदाय हैं। धर्म में सत् आचरण और जनकल्याण की भावना होती है। भारत में प्राचीन काल से ही प्रशासकों और आर्थिक रूप से सम्पन्न लोगों द्वारा जनकल्याण के उद्देश्य से धर्मार्थ चिकित्सालय, विद्यालय, धर्मशालाएँ आदि का निर्माण करवाया जाता रहा है। उनके निर्माण का मूल उद्देश्य धर्मदायी होता है, पूजा-पाठ कर्मकाण्ड आदि नहीं। अत: हम कह सकते हैं कि धर्म का उद्देश्य जन सेवा और सर्वधर्म समभाव होता है।

भारतीय संविधान अपने नागरिकों को उनकी धार्मिक आस्थाओं, मान्यताओं, पर्वों-उत्सवों आदि को उनके रीति-रिवाजों से मानने की स्वतन्त्रता प्रदान करता है। संविधान की प्रस्तावना में 42 वें

संवैधानिक संशोधन (1976 ई.) द्वारा भारत को धर्म/पंथ निरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया है अर्थात् भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं होगा। हमारे देश में शासन किसी भी धर्म विशेष को प्रोत्साहित नहीं करेगा और न ही नागरिकों की धार्मिक स्वतन्त्रता का हनन करेगा।

भारत में धर्म निरपेक्षता का पालन- जैसा कि हम इस पाठ के प्रारंभ में ही अध्ययन कर चुके है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। राज्य के प्रत्येक नागरिक को अपनी इच्छानुसार किसी भी धर्म को मानने, उस पर आचरण करने, उसके प्रचार-प्रसार का समान अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतन्त्रता का प्रावधान किया गया है। यदि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की धार्मिक स्वतन्त्रता में हस्तक्षेप करता है, तो पीडित व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में उसके खिलाफ अपील कर सकता है तथा इसे मौलिक अधिकारों का हनन माना जाता है।

प्रश्नावली

बहु विकल्पीय प्रश्न-

1. भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष ..... थे।

अ. डॉ. राजेन्द्र प्रसाद　　ब. डॉ.भीमराव अम्बेडकर

स. महात्मा गांधी　　द. सरदार पटेल

2. हम संविधान दिवस .....को मनाते हैं।

अ. 26 जनवरी　ब. 26 नवम्बर　स. 26 अगस्त　द. 2 अक्टुबर

3. निम्न में से ..... देश के संविधान को अलिखित कहा जाता है।

अ. भारत का　　ब. अमेरिका का

स. ब्रिटेन का　　द. सभी का

4. भारत के प्रथम राष्ट्रपति..... थे।

अ. पं. जवाहरलाल नेहरू　　ब. डॉ. भीमराव अम्बेडकर

स. राजेन्द्र प्रसाद　　द. महात्मा गांधी

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए-

1. अनुच्छेद 12-35 में ..... का वर्णन है। (मौलिक अधिकारों/मौलिक कर्तव्यों)
2. गणतन्त्र दिवस प्रतिवर्ष ..... को मनाया जाता है। (26 जनवरी/15 अगस्त)
3. वर्तमान में संविधान में ..... भाग है। (24/25)
4. संविधान के अनुच्छेद .....धार्मिक स्वतन्त्रता का प्रावधान किया गया है।(25-28/ 30-35)

सत्य/असत्य बताइए-

1. मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। (सत्य/असत्य)
2. 26 नवम्बर 1950 को संविधान को अंगीकृत किया गया। (सत्य/असत्य)
3. डॉ. राजेन्द्र प्रसाद प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। (सत्य/असत्य)
4. मनु स्मृति में धर्म के दश लक्षण बतलाए गए हैं। (सत्य/असत्य)

सही-जोड़ी मिलान कीजिए-

1. मौलिक अधिकार	क. रूस
2. नीति निर्देशक तत्त्व	ख. ब्रिटेन
3. संसदीय शासन	ग. संयुक्त राज्य अमेरिका
4. मौलिक कर्तव्य	घ. आयरलैण्ड

अति लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे ?
2. हमारे देश में संविधान कब लागू हुआ था ?
3. विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है ?
4. हमारे संविधान का निर्माण कितने समय में हुआ था ?
5. संविधान कितने प्रकार के होते है ?

लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. पंथनिरपेक्षता किसे कहते है?
2. हमारे संविधान की प्रस्तावना क्या है?
3. हमारे संविधान निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए ।
4. मनु स्मृति के अनुसार धर्म के दश लक्षण बतलाइए।

दीर्घउत्तरीय प्रश्न-

1. हमारे संविधान की प्रमुख विशेषाताओं का वर्णन कीजिए ।
2. भारतीय संविधान के अनुसार पंथ निरपेक्षता क्या है ? इसके स्वरूप पर प्रकाश डालिए।

परियोजना-

1. विद्यालय में शिक्षकों के निर्देशन में संविधान सभा की मॉक बैठक आयोजित कर विद्यालय का संविधान तैयार कीजिए।

अध्याय- 15

हमारी संसद

आइये जानें- व्यवस्थापिका की प्राचीनता, भारत में संसदीय प्रणाली, लोकसभा, राज्यसभा, संसद की शक्तियाँ व कार्य, राजनीतिक दल और राष्ट्रीय सरकार का चुनाव।

व्यवस्थापिका की प्राचीनता- हमारे वैदिक वाङ्मय में जिस सभा या समिति का उल्लेख प्राप्त होता है, वर्तमान में व्यवस्थापिका अर्थात् संसद उसका ही प्रतिरूप है। क्योंकि वर्तमान काल की भाँति, उस समय सभा या समिति के द्वारा ही सामूहिक हित के कानूनों, निर्णयों आदि में जन सहभागिता होती थी। **अथर्ववेद में** उल्लेख आया है कि- "**सभा च मा समितिश्चावतां प्रजापतेर्दुहितरौ संविदाने । येना संगच्छा उप मा स शिक्षाच्चारु वदानि पितरः सङ्गतेषु॥**" (7.12.1) अर्थात् सभा और समिति ये दोनों प्रजा का पालन करने वाले राजा के द्वारा पुत्रीवत् पालने योग्य हैं और वे दोनों राजा की रक्षा करें, जिससे मैं मिलूँ, वह मुझे शिक्षा देवें। हे रक्षको ! सभाओं में, मैं उत्तम रीति से बोलूं। इन मंत्रों में प्रजापति से आशय राजा है तथा सभा और समिति उसकी पुत्रियाँ हैं। क्योंकि यहाँ पुत्री के लिए दुहिता शब्द आया है। परन्तु यास्क ने बतलाया है कि "**दुहिता दूरे हिते**" (**निरुक्त** 3.1.41) अर्थात् जो दूर रहने पर हितकारक होती है, वही दुहिता है। पत्नि पास रहने योग्य होती है और पुत्री दूर रखने योग्य होती है। पुत्री पर किसी और का अधिकार होता है, पिता का नहीं । इसलिए सभा और समिति को वर्तमान संसद की तरह स्वतन्त्र रखा गया है। ये संस्थाएँ राजा का निर्माण करती थीं। "**ये राजानो राजकृतः।**" (**अथर्ववेद** 3.5.7) अर्थात् प्रजाजन, सभा और समिति के सदस्य होते थे। स्वयं राजा समिति के सदस्यों को "**पितरः**" (**अथर्ववेद** 7.12.1) कहकर सम्बोधित करता है। यहां पितर शब्द का अर्थ पिता न होकर रक्षक हैं। "**भद्रा हि नः प्रमतिरस्य संसद्यग्ने।।**" (**ऋग्वेद** 1.94.1) अर्थात् संसद में हमारी बुद्धि अच्छे विचारों से युक्त हो। "**असुन्वामिन्द्र संसदं विषूचीं व्यनाशयः।**" (**अथर्व.** 20.29.5) अर्थात् इंद्रदेव पापी एवं दुष्ट लोगों के समूह को छिन्न-भिन्न कर के नष्ट कर देते हैं। इससे स्पष्ट है कि प्राचीन भारत में स्वस्थ लोकतन्त्र की संसदीय शासन व्यवस्था की परम्परा थी।

भारत में संसदीय प्रणाली- वर्तमान में संसद सभी को साथ में लेकर कार्य करने वाली एक राजनीतिक व्यवस्था है। भारतीय संसदीय शासन व्यवस्था में संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होता है जबकि व्यवहारिक

प्रधान, प्रधानमन्त्री होता है। संसद हमारे देश की व्यवस्थापिका एवं विधायिका का नाम है।किसी भी कानून को बनाने या उसे लागू करने की शक्ति संसद के पास होती है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता राष्ट्रपति करता है। संसद की भूमिका को समझने हेतु हमें इसके दोनों सदनों एवं इसके सदस्यों के बारे में जानना आवश्यक है।

चित्र-15.1 भारत की नई संसद भवन

भारतीय संसद में दो सदन हैं- 1. लोकसभा अर्थात् निम्न सदन 2. राज्य सभा अर्थात् उच्च सदन।

सारणी 15.1

कार्यपालिका	व्यवस्थापिका
राष्ट्रपति	राष्ट्रपति
प्रधानमंत्री	राज्यसभा
मंत्रीपरिषद	लोकसभा

लोकसभा- लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली द्वारा किया जाता है।हमारे देश में व्यस्क मताधिकार को अपनाया गया है। हमारे देश में कोई भी महिला या पुरुष जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक और मतदाता सूची में नाम है, उसे मतदान करने का अधिकार है। वर्तमान में लोकसभा में 543 सदस्य है। इनकी अधिकतम सङ्ख्या 552 सदस्यों तक हो सकती है। लोकसभा की कार्यवाही का सञ्चालन लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है।

लोकसभा सदस्य बनने की योग्यताएँ-

1. वह भारत का नागरिक हो।
2. उसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष की हो।
3. वह किसी सरकारी लाभ के पद पर न हो।
4. वह घोषित दिवालिया एवं विकृत बुद्धि का ना हो।
5. वह न्यायालय द्वारा कभी दो या उससे अधिक वर्ष तक कारागार के दण्ड से दण्डित न किया गया हो।

राज्यसभा- राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव सभी राज्यों व संघ शासित राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। राज्यसभा में वर्तमान में कुल 245 सदस्य हैं, जिसमें से 233 सदस्यों का अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा निर्वाचन किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा कला, खेल, साहित्य, विज्ञान एवं समाज सेवा इत्यादि क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, जो राज्यसभा की कार्यवाही का सञ्चालन करता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है।

क्या आप जानते हैं-

- संसद के जलपान गृह (कैंटीन) में सबसे सस्ता (सांसदों के लिए) भोजन मिलता है।
- संसद भवन की गोलाकार संरचना निरन्तरता का प्रतीक है।
- संसद का पुस्तकालय भारत का दूसरा बड़ा पुस्तकालय है।
- प्रथम लोकसभा के चुनाव 1952 ई. में हुए थे। वर्तमान में सत्रहवीं लोकसभा का कार्यकाल(2019 ई.) चल रहा है।

राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यताएँ-

1. वह भारत का नागरिक हो।
2. वह न्यूनतम 30 वर्ष की आयु का हो।
3. वह किसी सरकारी लाभ के पद पर ना हो।
4. वह घोषित दिवालिया एवं विकृत बुद्धि का ना हो।
5. वह न्यायालय द्वारा कभी दो या उससे अधिक वर्ष तक कारागार के दण्ड से दण्डित न हुआ हो ।

संसद की शक्तियाँ व कार्य- जनता एवं राष्ट्र के हितों की रक्षा एवं सुरक्षा को सुनिश्चित करने व उचित निर्णय लेने हेतु संसद की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। संसद में सरकार का विरोध करने वाले दल विपक्षी दल कहलाते हैं। भारतीय संसद के पास निम्न कार्य एवं शक्तियाँ हैं-

1. कानून निर्माण कर, उसे लागू करना।
2. संविधान में संशोधन करना।
3. संसद, बजट के अनुसार ही सरकार को आय और व्यय करने की सहमति देती है।
4. महाभियोग सम्बन्धी शक्ति।
5. निर्वाचन सम्बन्धी शक्ति।

इन कार्य और शक्तियों के अतिरिक्त संसद सदस्य अविश्वास प्रस्ताव, कामरोको प्रस्ताव, निन्दा प्रस्ताव, नीतिगत प्रश्न और पूरक प्रश्न पूछकर सरकार पर नियन्त्रण करने का कार्य करते हैं।

राजनीतिक दल- लोगों का ऐसा संगठित समूह, जिसमें सम्मिलित सभी सदस्य समान राजनीतिक विचारधारा में विश्वास रखते हैं, उन्हें राजनीतिक दल कहते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों की अहम भूमिका होती है। राजनीतिक दल शासन व्यवस्था में सम्मिलित होने के लिए, निर्वाचन में अपने-अपने प्रत्याशियों को निर्वाचित कराते हैं। इनका मूल उद्देश्य अपने-अपने दलों के कार्यक्रमों को लागू कराना होता है। भारत में काँग्रेस, भाजपा, सपा, बसपा, माकपा आप, राकपा, आदि प्रमुख राजनीतिक दल है। राजनीतिक दल दो प्रकार के होते हैं-

1. राष्ट्रीय राजनीतिक दल।
2. क्षेत्रीय राजनीतिक दल।

राष्ट्रीय राजनीतिक दल- भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा विभिन्न राज्यों में समय-समय पर हुए चुनाव परिणामों की समीक्षा के उपरान्त यह निर्णय किया जाता है कि कौन सा दल राष्ट्रीय है। निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता प्राप्ति के लिए निम्न शर्त हैं-

1. यदि कोई राजनीतिक दल चार या उससे अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त हो तो वह राष्ट्रीय राजनीतिक दल कहलाता है।
2. यदि किसी राजनीतिक दल के पास 4 लोकसभा सीट हैं और उसे 6 % या उससे अधिक मत प्राप्त होते हैं।
3. यदि किसी राजनीतिक दल के पास 3 लोकसभा सीट के अतिरिक्त राज्यों में 2 % मत प्राप्त होते हैं।

भारतीय निर्वाचन आयोग में जून 2019 ई. तक भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), भारतीय राष्टीय काँग्रेस (आई.एन.सी.), तृणमूल काँग्रेस, बहुजन समाज पार्टी(बसपा), नेशनल पीपुल्स पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी(मार्क्सवादी) और राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी राष्ट्रीय दल के रूप में पंजीकृत हैं।

क्षेत्रीय राजनीतिक दल- ऐसे राजनीतिक दल, जिनका प्रभाव किसी क्षेत्र या राज्य विशेष में हो क्षेत्रीय दल कहलाते हैं। ऐसे राजनीतिक दल को चुनाव आयोग द्वारा क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह के साथ मान्यता प्रदान की जाती है। ये क्षेत्रीय राजनीतिक दल चार राज्यों में मान्यता प्राप्त कर लेने पर स्वत: राष्ट्रीय राजनीतिक दल बन जाते हैं। निर्वाचन आयोग में पंजीकृत दल को क्षेत्रीय राजनीतिक दल की मान्यता प्राप्त करने के लिए निम्न में से एक शर्त का पालन करना अनिवार्य है।

1. यदि किसी दल ने विधान सभा चुनाव में कम से कम कुल सीटों की 3% सीटें या 3 सीटें प्राप्त की हैं।
2. यदि किसी दल ने लोक सभा /विधान सभा के चुनाव में वैध मतों का कम से कम 6% मत प्राप्त किए हैं तथा लोक सभा में कम से कम एक सीट और विधान सभा में 2 सीटों पर विजय प्राप्त की है।
3. यदि दल ने लोक सभा और विधान सभा में कोई सीट नहीं जीती है, लेकिन उसने लोक सभा /विधान सभा चुनाव में वैध मतों के 8% मत प्राप्त किये हैं।

भारत में समाजवादी पार्टी, अपना दल, राष्ट्रीय जनता दल, जनतादल, आम आदमी पार्टी, तेलगुदेशम पार्टी, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, अन्ना द्रविड मुनेत्र कड़गम, शिवसेना आदि प्रमुख क्षेत्रीय दल हैं।

राष्ट्रीय सरकार का चुनाव- लोकसभा चुनाव होने के पश्चात चुनाव में राजनीतिक दलों के विजयी सांसदों की सूची निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रपति को प्रदान की जाती है। इस सूची के अनुसार बहुमत प्राप्त दल को राष्ट्रपति सरकार बनाने के लिए आमन्त्रित करता है। सामान्यत: एक तिहाई बहुमत प्राप्ति के लिए 272 सीटें किसी भी राजनीतिक दल को प्राप्त होनी चाहिए। यदि किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त होता है तो किसी अन्य दल को मिलाकर गठबंधन की सरकार बनाई जाती है। बहुमत प्राप्त दल के नेता को राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमन्त्री पद की शपथ दिलाई जाती है। प्रधान मन्त्री की सलाह पर राष्ट्रपति मन्त्रीमण्डल के अन्य सदस्यों को शपथ दिलाता है।

प्रश्नावली

बहु विकल्पीय प्रश्न-

1. संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता ..... करता है।
   अ. प्रधानमन्त्री ब. मुख्यमन्त्री स. राष्ट्रपति द. महामन्त्री
2. संसद में ..... सदन होते हैं।
   अ. 1 ब. 2 स. 4 द. 3
3. वर्तमान में लोकसभा में ..... सीटें हैं।
   अ. 500 ब. 543 स. 545 द. 550
4. राज्यसभा का सभापति ..... होता है।
   अ. प्रधानमन्त्री ब. मुख्यमन्त्री स. राष्ट्रपति द. उपराष्ट्रपति

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए-

1. मताधिकार हेतु ..... वर्ष आयु आवश्यक होती है। (18/21)
2. राज्य सभा सदस्यों का कार्यकाल ..... वर्ष होता है। (5/6)
3. लोकसभा का सभापति ..... होता है। (लोकसभा अध्यक्ष/उपराष्ट्रपति)
4. संसद में बहुमत प्राप्त करने के लिए कम से कम.....सीटें होनी चाहिए। (272/290)

सत्य/असत्य बताइए-

1. राज्य सभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। (सत्य/असत्य)
2. लोक सभा में बहुमत दल का नेता प्रधानमन्त्री बनता है। (सत्य/असत्य)
3. भारत में संवैधानिक प्रधान प्रधानमन्त्री होता है। (सत्य/असत्य)
4. भारत में प्रथम लोकसभा चुनाव 1952 ई. में हुए थे। (सत्य/असत्य)

सही-जोड़ी मिलान कीजिए-

1. लोक सभा में सदस्य सङ्ख्या	क. 238
2. राज्य सभा में सदस्य सङ्ख्या	ख. 272
3. लोक सभा में बहुमत के लिए सदस्य	ग. 12
4. राज्य सभा के मनोनीत सदस्य	घ. 543

अति लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. प्राचीन वैदिक वाङ्मय में सभा और समिति को किसकी पुत्रियाँ बतलाया है?
2. राष्ट्रपति की शक्ति का व्यवहारिक उपयोग कौन करता है?
3. संसद में कितने सदन होते हैं ?
4. भारत की द्वितीय बड़ा पुस्तकालय कहाँ है ?
5. भारत के दो राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के नाम लिखिये।

लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. संसद किसे कहते हैं ?
2. लोकसभा की विशेषता व उसके सदस्यों के बारे में बताइए।
3. संसद की कार्य शक्तियाँ क्या-क्या हैं ?
4. राष्ट्रीय राजनीतिक दल किसे कहते हैं ?

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न-

1. राष्ट्रीय सरकार का चुनाव कैसे किया जाता है ?
2. आधुनिक संसद की प्राचीन सभा और समिति से तुलनात्मक विवेचन कीजिए।

परियोजना कार्य-

1. कक्षा में सभी छात्र अपने गुरूजी के निर्देशन में संसद का मॉक ड्रिल करें।

अध्याय- 16

न्यायपालिका

आइये जानें- हमारी न्यायपालिका, न्याय पालिका के कार्य, भारत में न्यायपालिका की संरचना, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय,स्थानीय न्यायालय, आपराधिक न्याय प्रणाली और भारतीय दण्ड संहिता की विभिन्न धाराओं में देय दण्ड।

सृष्टि के विकास के साथ ही न्याय की अवधारणा का जन्म हुआ था। प्राचीनकाल में हमारे ऋषियों, महर्षियों ने न्याय के वारे में अपने विचार पुष्ट किये हैं। न्याय छ: भारतीय दर्शनों में से एक है। **गौतम ऋषि** को न्याय शास्त्र का प्रणेता माना जाता है। ऋग्वेद में न्याय के विषय में अग्नि देव से प्रार्थना की गई है कि- **"पराग्ने रक्षो हरसा शृणीहि।"** (10.87.14) अर्थात् हे अग्निदेव! पापियों को अपने तेज द्वारा जलाकर नष्ट कर दो। इसी प्रकार अथर्ववेद में उल्लेख है कि **"योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दध्मः।"** (3.27.1) अर्थात् जो कोई भी ईर्ष्या करता है ,उसे ईश्वर के न्याय/दंड पर छोड़ देना चाहिए। **"यतो धर्मस्ततो जय:"** वाक्य का उल्लेख महाभारत में अनेक बार हुआ है। हमारे सर्वोच्च न्यायालय का ध्येय वाक्य भी यही है। इसका अर्थ होता जहाँ धर्म अर्थात् न्याय होता है, वहाँ विजय होती है। इसी प्रकार महाभारत और मनुस्मृति में न्याय के बारे में उल्लेख है कि- **"धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति: रक्षित:। तस्माध्दर्मो न हन्तव्यो मा नो धर्मो हतोऽवधीत्॥"** (8-15) एवं (वन पर्व 313-128) अर्थात् रक्षित धर्म, रक्षक की रक्षा करता है। रेखांकित पंक्ति भारतीय विदेशी खुफिया विभाग का ध्येय वाक्य है।

हमारी न्यायपालिका- न्याय की अवधारणा प्रत्येक कानून को सामाजिक मूल्यों से परिपूर्ण करती है। भारत में न्याय प्रदान करने के लिए त्रि-स्तरीय निष्पक्ष एवं स्वतन्त्र न्याय पालिका कि स्थापना की गई है। भारत की संघीय शासन व्यवस्था में केन्द्र और राज्य सरकारें संविधान के अनुसार कार्य करती हैं, फिर भी किसी विषय पर विवाद की स्थिति में न्यायपालिका उनके आपसी विवादों को हल करती है। भारत की न्यायपालिका का उपबन्ध संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 124 से 147 तक है।

न्याय पालिका के कार्य- न्यायपालिका के कार्यों को मुख्य रूप से तीन भागों में विभाजित किया गया है-

1. **विवादों को सुलझाना:-** हमारे देश में न्यायपालिका नागरिकों,राज्य सरकारों व केन्द्र राज्य सरकारों के आपसी विवादों को हल करती है।

2. न्यायिक समीक्षा:- हमारे देश में संविधान की व्याख्या करने का अधिकार न्यायपालिका के पास है। यदि न्यायपालिका को ऐसा लगे की, सरकार द्वारा बनाया गया कानून हमारे संविधान के आधारभूत ढांचे के विरूद्ध है, तो वह उसे निरस्त कर सकती है। इसे न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। न्यायिक समीक्षा को न्यायपालिका की सर्वोच्च शक्ति माना जाता है।

3. मौलिक अधिकारों का संरक्षण:-हमारे संविधान के भाग-3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। यदि हमारे देश के किसी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है, तो वह सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। न्यायालय उसे उसका खोया हुआ अधिकार प्रदान करवायेगा।

क्या आप जानते हैं-

- किसी कानून या अधिकार के उल्लंघन को हनन कहा जाता है।
- निचले न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध जब कोई व्यक्ति अथवा पक्ष ऊपरी न्यायालय में अपने मुकदमे की सुनवाई की प्रार्थना करता है, उसे अपील कहते हैं।

भारत में न्यायपालिका की संरचना:- हमारे देश में तीन प्रकार के न्यायालय हैं।

1. राष्ट्रीय स्तर - सर्वोच्च न्यायालय
2. राज्यस्तर - उच्च न्यायालय
3. स्थानीय स्तर - स्थानीय/जिला न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालय- हमारे देश में न्यायापालिका की शीर्ष इकाई सर्वोच्च न्यायालय है, जो नई दिल्ली में स्थित है। इसे अंतिम अपीलीय न्यायालय भी कहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के कार्य सञ्चालन के लिए एक मुख्य न्यायाधीश होता है जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्य न्यायाधीश की परामर्श से राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की सङ्ख्या 31 है ।

चित्र- 16.1- सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली

योग्यताएँ- सर्वोच्च न्यायालय के न्यायधीश बनने की आवश्यक अर्हता निम्न हैं-

1. वह भारत का नागरिक हो।
2. वह किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता अथवा 5 वर्ष तक न्यायाधीश पद पर कार्य कर चुका हो।

3. राष्ट्रपति की दृष्टि में प्रख्यात कानूनविद् हो।

सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद पर 65 वर्ष की आयु तक कार्य कर सकता है। स्वयं के त्याग पत्र से या महाभियोग द्वारा समय से पूर्व भी हटाया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को रुपये 2,80,000/- तथा अन्य न्यायधीशों को रुपये 2,50,000/- वेतन एवं भत्ता प्रतिमाह भारत की संचित निधि से प्रदेय हैं।

क्या आप जानते हैं-

- वर्तमान में श्री यू यू ललित भारत के प्रधान न्यायाधीश हैं।

सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र-

1. **प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार-** प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत मूल अधिकारों का हनन सम्बन्धी विवाद, केन्द्र राज्य सरकारों के विवाद और राज्य सरकारों के आपसी विवाद आते है।
2. **अपीलीय क्षेत्राधिकार-** अपीलीय क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत संवैधानिक मुद्दे (संविधान की व्याख्या सम्बन्धी प्रश्न), दीवानी मामले (जमीन-जायदाद, खरीददारी, विवाह, तलाक, किराया आदि मामले), फौजदारी मामले (चोरी, हत्या, अपराध डकैती आदि के मामले) आदि आते हैं।
3. **संविधान एवं मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में-**

1. सरकार द्वार निर्मित ऐसा कानून जो संविधान के विरूद्ध हो सर्वोच्च न्यायालय, उसे अवैध घोषित कर सकता है। इसे **न्यायिक पुनरावलोकन** कहते है।
2. मूल अधिकारों के हनन होने पर उनकी रक्षा करना।
3. सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को प्रकाशित किया जाता है तथा इनका प्रयोग आने वाले मुकदमों में कानून की भाँति किया जाता है इसलिए इसे अभिलेखीय न्यायालय भी कहते हैं।

उच्च न्यायालय- भारत के प्रत्येक राज्य में अलग से या संयुक्त रूप से उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीश सहित अन्य न्यायाधीश होते हैं।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यताएँ-

1. वह भारत का नागरिक हो।
2. भारत के किसी राज्य में 10 वर्ष तक न्याधीश पद पर रहा हो या उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता की हो।

वह 62 वर्ष की उम्र तक इस पद पर रह सकता है। राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति, राज्यपाल एवं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करता है। वर्तमान में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को रुपये 2,50,000/- तथा अन्य न्यायाधीशों को रुपये 2,25,000/- प्रतिमाह वेतन एवं अन्य भत्ते प्रदेय हैं।

उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार-

1. **प्रारंभिक क्षेत्राधिकार-** मौलिक अधिकार सम्वन्धी मामले।
2. **अपीलीय क्षेत्राधिकार-** राज्य के अधीनस्थ जिला एवं सत्र न्यायालयों के फैसलों के विरूद्ध अपील की जा सकती है।
3. **पर्यवेक्षणीय अधिकार-** राज्य के समस्त जिला व स्थानीय न्यायालयों के निरीक्षण का अधिकार।

स्थानीय न्यायालय- हमारे देश में स्थानीय स्तर पर दो प्रकार के न्यायालय होते हैं- नागरिक (सिविल) न्यायालय और राजस्व न्यायालय। नागरिक न्यायालय में दीवानी और फौजदारी के मामलों की सुनवाई की जाती है। राजस्व न्यायालय में राजस्व सम्बन्धी मामलों की सुनवाई होती है। न्याय तक सबकी पहुँच हो और न्याय शीघ्र, सुलभ और सस्ता हो इसके लिए हमारे देश में कुछ महत्वपूर्ण उपाय किए गए हैं, जो निम्न हैं-

चित्र-16.2 उच्च न्यायालय,मद्रास

1. **लोक अदालत-** प्राचीन काल में भी लोग परस्पर मेल-मिलाप के द्वारा विवादों का निराकरण करते थे। उसी प्रकार आज भी विवादों का निराकरण के लिए देश भर में जिला स्तर पर लोक अदालतों की स्थापना प्रत्येक जिले में की गई है।
2. **जनहित याचिका (PIL)-** ऐसी याचिका जिससे सार्वजनिक हित की रक्षा हो रही हो उसे जनहित याचिका कहते हैं। इसके लिए यह आवश्यक नहीं की पीड़ित पक्ष स्वयं न्यायालय में जाए। जनहित याचिका किसी भी नागरिक, संस्था, या स्वयं न्यायालय द्वारा पीड़ित के पक्ष में दायर की जा सकती है। यह अन्य दूसरी याचिकाओं से अलग होती है। जनहित याचिका की अपील पत्र द्वारा भी की जा सकती है। बिहार में मैला प्रथा (अमानवीय प्रथा), मिड-डे-मील, कैदियों को रिहा करवाने के कार्य, झुग्गी झोंपड़ियों की समस्या आदि कार्य जनहित याचिकाओं द्वारा ही किए गये हैं।

क्या आप जानते हैं-

- जनहित याचिका की भारत में शुरूआत 1980 के दशक में न्यायाधीश पी. एन. भगवती द्वारा की गई थी।

3. **विधिक सहायता कोष-** ऐसे नागरिक जिनकी वार्षिक आय 12,500/- से कम है। उनको विधिक सहायता कोष से नि:शुल्क परामर्श मिलता है। समाज के कमजोर वर्गों को न्याय दिलाने के लिए प्रत्येक अदालत में इसकी स्थापना की गई है।
4. **घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम, 2005-** घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा के लिए भारत की संसद द्वारा एक कानून बनाया गया है, जिसे **घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम-2005** के नाम से जाना जाता है। इसकी धारा 12 के अन्तर्गत पीड़िता, मुआवजा या नुकसान के लिए, मजिस्ट्रेट को आवेदन दे सकती है। इस अधिनियम के अन्तर्गत न्यायाधीश को तीन दिन के अन्दर मुकदमे की सुनवाई कर, इसका निष्पादन 60 दिन के अन्दर करना होता है ।

क्या आप जानते हैं-

- घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम- 2005, 26 अक्टूबर, 2006 को लागू हुआ था।
- नाबालिग बच्चों के प्रति यौन उत्पीड़न, यौन शोषण, पोर्नोग्राफी जैसे यौन अपराध और छेड़छाड़ को रोकने के लिए भारत सरकार ने पोक्सो अधिनियम- 2012 का निर्माण किया

अपराधिक न्याय प्रणाली- वैदिक वाङ्मय में भी न्याय प्रणाली का उल्लेख हुआ है- "**अयस्मयै: पाशैरङ्किनो ये चरन्ति।**" (**अथर्व.** 19.66.1) अर्थात् पापी और मायावी व्यक्तियों को लोहे की बेड़ियों में हाथ डालकर चलते हैं, इसका आशय यह है कि उस समय भी अपराधी लोगों को हथकड़ी पहनाई जाती थी। ऋग्वेद में चोरी करने वाले लोगों को राजा से दंडित करवाया जाता था, यथा- "**अव राजन् पशुतृपं न तयुं।**" (7.86.5) इस मन्त्र में पशु चोरों को दंड देने का अनुरोध राजा से किया जा रहा है। "**उरुष्या णो अघायत: सम्स्मात्।**" (**यजुर्वेद** 3.26) सभी पापियों से हमारी रक्षा करो के संकेत द्वारा वेदकालीन न्यायिक व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है।

आपने सिनेमा या वास्तविक जीवन में पुलिस द्वारा व्यक्ति या लोगों को पकड़ कर ले जाते हुए देखा होगा। इन आरोपियों की गिरफ्तारी कैसे हुई, इन पर आरोप सिद्ध हुए या नहीं, इन सबका का अध्ययन ही अपराधिक न्याय प्रणाली के अन्तर्गत आता है। न्यायिक कार्य प्रणाली को निम्न प्रकार से समझेंगे।

1. **प्रथम सूचना रिपोर्ट(एफ. आई. आर.)-** किसी भी अपराध की सूचना सर्वप्रथम पुलिस को लिखित या मौखिक रूप में दी जाती है, उसे प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ. आई. आर.) कहते हैं।
2. **पुलिस की भूमिका-** प्रथम सूचना रिपोर्ट(एफ. आई. आर.) प्राप्त होने पर सम्बधित क्षेत्र का प्रभारी अधिकारी मामले की जाँच करता है। जाँच के समय उसे किसी को मारने- पीटने या गोली मारने और सजा देने का अधिकार नहीं होता है। यदि वह किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है, तो संविधान के अनुच्छेद 22 के अन्तर्गत गिरफ्तारी के पश्चात कारण सहित आरोपी को 24 घंटे के अन्दर

मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना पड़ता है। महिला व नाबालिग को (धारा-160) पुलिस पूछताछ के लिए थाने नहीं बुला सकती है।

3. **सरकारी वकील-** ऐसे आपराधिक मुकदमे जिनसे पीड़ित व्यक्ति को ही हानि नहीं बल्कि समाज या देश को भी हानि होती है। इस प्रकार के मुकदमे सरकार की ओर से दायर किये जाते हैं। इन मुकदमों में सरकार का पक्ष रखने के लिए सरकार का वकील होता है। पुलिस जब आरोप पत्र न्यायालय में दायर कर देती है तब सरकारी वकील की भूमिका प्रारम्भ होती है। केन्द्र सरकार को कानूनी सलाह देने व उसका पक्ष रखने के लिए अट्रॉर्नी जनरल (महान्यायवादी) व सॉलीसिटर होते हैं।
4. **न्यायाधीश-** अपराधिक न्याय प्रणाली में सबसे प्रमुख भूमिका न्यायाधीश की होती है। वह इसका निर्णायक होता है। वह आरोपी को अपना पक्ष रखने का अवसर देकर, उसकी उपस्थिति में, सबूतों एवं गवाहों के बयान के आधार पर अपना निर्णय करता है। दोष सिद्ध होने पर सजा सुनाई जाती है तथा दोष सिद्ध नहीं होने पर आरोप मुक्त कर दिया जाता है।

सारणी 16.1

भारतीय दण्ड संहिता की विभिन्न धाराओं में देय दण्ड

धाराएँ	अपराध	दण्ड (सजा)
13	जुआ खेलना/सट्टा लगाना	1 वर्ष की सजा और 1000 रूपये जुर्माना
110	दुष्प्रेरण का दण्ड, यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति दुष्प्रेरक के आशय से भिन्न आशय से कार्य करता है	तीन वर्ष की सजा
141	विधि विरुद्ध जमाव	आजीवन कारावास या जुर्माना
147	बलवा करना	2 वर्ष की सजा/जुर्माना या दोनों
156	स्वामी या अधिवासी जिसके फायदे के लिए उपद्रव किया गया हो के अभिकर्ता का उपद्रव के निवारण के लिए कानूनी साधनों का उपयोग न करना।	आर्थिक दंड
161	रिश्वत लेना/देना	3 वर्ष की सजा/जुर्माना /दोनों
302	हत्या/कत्ल	आजीवन कारावास/ मृत्यु दंड
171	चुनाव में घूस लेना/देना	1 वर्ष की सजा/500 रुपये जुर्माना
177	सरकारी कर्मचारी/पुलिस को गलत सूचना देना	6 माह की सजा/1000 रूपये जुर्माना
186	सरकारी काम में बाधा पहुँचाना	3 माह की सजा/500 रूपये जुर्माना
191	झूठे सबूत देना	7 साल तक की सजा व जुर्माने का प्रावधान

193	न्यायालयीन प्रकरणों में झूठी गवाही देना	3/ 7 वर्ष की सजा और जुर्माना
217	लोक सेवक होते हुए भी झूठे सबूत देना	2 साल तक की सजा व जुर्माने का प्रावधान
216	लुटेरे/डाकुओं को आश्रय देना	3 साल की सजा
224/25	विधिपूर्वक अभिरक्षा से छुडाना	2 वर्ष की सजा/जुर्माना/दोनों
231/32	जाली सिक्के बनाना	7 वर्ष की सजा और जुर्माना
255	सरकारी स्टाम्प का कूटकरण	10 वर्ष या आजीवन कारावास की सजा
264	गलत तौल के बांटों का प्रयोग	1 वर्ष की सजा/जुर्माना या दोनों
267	औषधि में मिलावट करना	6 माह की सजा
272	खाने/पीने की चीजों में मिलावट करना	6 महीने की सजा/1000 रूपये जुर्माना
279	सड़क पर उतावलेपन/उपेक्षा से वाहन चलाना	6 माह की सजा या 1000 रूपये का जुर्माना
292	अश्लील साहित्य/पुस्तकों को बेचना	2 वर्ष की सजा और 2000 रूपये जुर्माना
294	किसी धर्म/धार्मिक स्थान का अपमान	2 वर्ष की सजा
297	श्मशान/कब्रिस्तानों आदि में अतिचार करना	1 साल की सजा और जुर्माना
306	आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण करना	10 वर्ष कारावास और आर्थिक दण्ड
308	गैर-इरादतन हत्या की कोशिश करना	7 वर्ष की सजा और जुर्माना
309	आत्महत्या करने की चेष्टा करना	1 वर्ष की सजा/जुर्माना/दोनों
310	ठगी करना	आजीवन कारावास और जुर्माना

प्रश्नावली

बहु विकल्पीय प्रश्न-

1. हमारा सर्वोच्च न्यायालय ..... पर स्थित है।

   अ. कोलकाता ब. जयपुर स. नई दिल्ली द. मुम्बई

2. राज्य स्तर पर .....होता है।

   अ. ग्राम न्यायालय ब. जिला न्यायालय स. उच्च न्यायालय द. सर्वोच्च न्यायालय

3. अनुच्छेद 124-147 में प्रावधान..... है।

   अ. राष्ट्रपति ब. कार्यपालिका स. विधायिका द.न्यायपालिका

4. **यतो धर्मस्ततो जयः** .....स संस्था का ध्येय वाक्य है।

   अ. ग्राम न्यायालय ब. जिला न्यायालय स. संसद द. सर्वोच्च न्यायालय

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए-

1. स्थानीय स्तर पर ..... होती है। (जिला अदालते/उच्च न्यायालय)
2. सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु ..... वर्ष होती है। (58/65)

3. मौलिक अधिकारों को ..... में दर्शाया गया है। (भाग 2/भाग 3)

4. जनहित याचिका न्यायाधीश.....द्वारा शुरू की गई थी। (पी. एन. भगवती/ यू यू ललित)

सत्य/असत्य बताइए-

1. मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित है। (सत्य/असत्य)
2. मुख्य न्यायाधीश (सर्वोच्च न्यायालय) की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। (सत्य/असत्य)
3. जनहित याचिका 1980 के दशक में शुरु हुई। (सत्य/असत्य)
4. केन्द्र सरकार को कानूनी परामर्श महान्यायवादी देता है। (सत्य/असत्य)

सही-जोड़ी मिलान कीजिए-

1. राष्ट्रीय स्तर	क. स्थानीय/जिला न्यायालय
2. राज्यस्तर	ख. सर्वोच्च न्यायालय
3. स्थानीय स्तर	ग. उच्च न्यायालय

अति लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. हमारे देश का वर्तमान में प्रधान न्यायाधीश कौन है ?
2. सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की सङ्ख्या कितनी है ?
3. प्रारंभिक क्षेत्राधिकार किसे कहते हैं ?
4. न्यायिक पुनरावलोकन किसे कहते हैं ?

लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए ?
2. लोक अदालत पर टिप्पणी लिखो ?
3. जनहित याचिका क्या होती है ?
4. घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम- 2005 के बारे में आप क्या समझते हैं ?

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न-

1. सर्वोच्च न्यायालय के गठन व कार्यों पर प्रकाश डालिए।
2. अपराधिक न्यायिक प्रणाली को समझाइये।

परियोजना कार्य-

1. अपनी कक्षा में काल्पनिक रूप मे अपराधिक न्यायिक प्रणाली समझने के लिए प्रायोगिक कार्य करें।

अध्याय- 17

जनसुविधाएँ

आइये जानें- जनसुविधाएँ, प्राचीन भारत में जनसुविधाएँ, आधुनिक युग में जनसुविधाएँ, जनसुविधाओं का वर्गीकरण, जनसुविधाओं के अध्ययन का उद्देश्य, जनसुविधाओं के वितरण में जनसहभागिता, जनसुविधाओं के कार्यों में केन्द्र और राज्य सरकार की भूमिका, पेयजल सम्बन्धी सुविधाएँ और स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाएँ।

जनसुविधाएँ- भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य और जल आदि मानव जीवन की बुनयादी आवश्यकताएँ हैं। इन मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति को जनसुविधाएँ कहा जाता है। भारतीय संविधान में जल, स्वास्थ्य और शिक्षा आदि को जीवन का अधिकार माना है। जन-कल्याणकारी कार्य करने के लिए हमें/सरकारों को सदैव तत्पर रहना चाहिए।

प्राचीन भारत में जनसुविधाएँ- प्राचीन भारत में राजा द्वारा अपनी प्रजा का पूरा ध्यान रखा जाता था। उस समय राजा प्रजा वत्सल होते थे। राजा अपनी वेशभूषा परिवर्तित कर , प्रजा की स्थिति जानने के लिए निकलते थे। वे अपने राज्य में पेयजल के लिए कुएं, बावड़ी, तालाब, सड़कों के किनारे छायादार वृक्ष, मन्दिर एवं धर्मशालाओं आदि का निर्माण करवाते थे। अकाल व महामारियों के समय अपनी प्रजा की आर्थिक सहायता करते थे।वे अपने द्वार से कभी याचक को निराश नहीं जाने देते थे इसलिए हमारे वैदिक वाङ्मय में दान की महत्ता प्रतिपादित की गई है। इन सब से स्पष्ट होता है कि वर्तमान की तरह प्राचीनकाल में जनसुविधाएँ प्रचलन में थीं। पुरातन काल में महर्षि दधीचि, राजा रघु, कर्ण एवं राजा हर्ष आदि ने जनहितार्थ के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। जनकल्याण के बारे ऋग्वेद में संकेत मिलता है कि- "**पुमान् पुमांसं परि पातु विश्वतः।**" (6.75.14) अर्थात् एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की हर प्रकार से हर संभव सहायता या रक्षा करनी चाहिए। "**आ चर्षणिप्रा वृषभो जनानां।**" (1.177.1) अर्थात् सरकार (राजा) जनकल्याण हेतु प्रजा के लिए सुखों की वर्षा करने वाला हो। उस समय जन सुविधा सम्बधी कार्य विश्व कल्याण की भावना को ध्यान में रख कर किये जाते थे। अथर्ववेद में उल्लेख है कि- "**विश्वं सुभूतं सुविदत्रं नो अस्तु।**" (1.31.4) अर्थात् हमारे लिए सब कुछ कल्याणकारी और ऐश्वर्य युक्त हो। इस विवेचन से स्पष्ट है कि भारत में प्राचीनकाल से ही जनकल्याणकारी कार्य राजा और प्रजा द्वारा सार्वजनिक रूप से सम्पादित किए जाते थे, जो आंशिक ही, आज भी दान और धर्मार्थ कार्य के रूप में देखे जा सकते हैं।

आधुनिक युग में जनसुविधाएँ- वर्तमान में जनता को हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराना सरकार का सबसे प्रमुख कार्य और कर्तव्य है। इन जनसुविधाओं के कार्यों को करने के लिए सरकार को धन की आवश्यकता होती है और यह धन प्राप्त करने के लिए सरकार जनता पर विभिन्न प्रकार के शुल्क (TAX) लगाती है। इस शुल्क से प्राप्त धन राशि से सरकार, शिक्षा के लिए विद्यालयों, स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्यशालाएँ, जल आपूर्ति एवं जल निकासी के लिए समुचित प्रणाली , यातायात व्यवस्था, आवास व्यवस्था, विद्युत एवं खाद्यान्न आदि का प्रबंध जनता के लिए करती है।

चित्र- 17.1 सुलभ शौचालय

जनसुविधाओं का वर्गीकरण- जन सुविधाओं को चार भागों में विभाजित किया जा सकता है-

1. उच्च जनसुविधाएँ ।
2. मध्यम जनसुविधाएँ।
3. निम्न जनसुविधाएँ ।
4. चल जनसुविधाएँ।

1. **उच्च जनसुविधाएँ-** जो सुविधाएँ बड़े नगरों में लोगों को आसानी से उपलब्ध कराई जाती हैं, वह **उच्च जनसुविधाएँ** कहलाती हैं जैसे- विद्युत, पानी, विद्यालय, महाविद्यालय एवं चिकित्सालय इत्यादि।
2. **मध्यम जनसुविधाएँ-** जिन सुविधाओं को किसी गाँव/कस्बे आदि में उपलब्ध कराया जाता है, उन्हें **मध्यम जनसुविधाएँ** कहा जाता है जैसे- उच्च माध्यमिक विद्यालय, प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र आदि।
3. **निम्न जनसुविधाएँ-** जिन सुविधाओं को किसी संस्था या समुदाय के लोगों के लिए उपलब्ध कराया जाता है, उन्हें **निम्न जनसुविधाएँ** कहा जाता है जैसे- आंगनबाडी, प्राथमिक विद्यालय आदि।
4. **चल जनसुविधाएँ-** एक जगह से दूसरी जगह वस्तुओं का आदान-प्रदान करने वाली सुविधा को **चल जनसुविधाएँ** कहते हैं जैसे- डाकघर, कचरा गाड़ी आदि।

जनसुविधाओं के अध्ययन का उद्देश्य- जनसुविधाओं का अध्ययन इसलिए आवश्यक है कि जनता को यह जानकारी हो कि सरकार जनसुविधाओं के लिए कौन-कौन से कार्य कर रही है। इन जनसुविधाओं की दृष्टि से सरकार की भूमिका उनके के लिए कितनी लाभदायक और आवश्यक है।

जनसुविधाओं के वितरण में जनसहभागिता- सरकार द्वारा प्रदत्त जनसुविधाओं को उचित रूप से सभी लोगों तक पहुँचाने और उन्हें इन जनसुविधाओं से लाभान्वित करने के लिए हमें निम्न बिन्दुओं का पालन लोगों द्वारा किया जाना आवश्यक है-

1. आवश्यकता के अनुसार ही जल का उपयोग करें।
2. फैक्ट्रियों व कारखानों से निकले हुए गन्दे पानी को पेयजल स्त्रोतों एवं नदियों में जाने से रोकना चाहिए।
3. सड़क पर कूड़ा-कचरा आदि नहीं फैंकना चाहिए और घर के कूड़े-कचरे को एकत्रित करके, उसे कचरा-पात्र या कचरा गाड़ी में डालना चाहिए।
4. विद्युत का दुरुपयोग नहीं करें साथ ही ऊर्जा के अन्य स्त्रोतों जैसे- सौर-ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि के उपभोग पर बल देना चाहिए।
5. अन्न का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए । उत्सव, समारोह आदि में बचा हुआ भोजन अनाथालय आदि में भेजना चाहिए।
6. यदि आप धनवान हैं तो गरीब, अनाथ, और असहाय लोगों की आर्थिक सहायता करें।

जनसुविधाओं के कार्यों में केन्द्र और राज्य सरकार की भूमिका- वर्तमान समय में नागरिकों के लोक कल्याण एवं जनसुविधाओं का विकास करने का कार्य केन्द्र व राज्य सरकारें कर रही हैं। संविधान में इन कार्यों का उल्लेख समवर्ती सूची में है। इनके सुचारू सञ्चालन के लिए विभागों की अलग-अलग व्यवस्था सरकार द्वारा की जाती है। जनसुविधाओं एवं लोक कल्याण के कार्यों के लिए बजट का आवंटन केन्द्र सरकार या राज्य सरकारों या दोनों के द्वारा किया जाता है। राज्य सरकार को इन योजनाओं के लिए बजट प्राप्त करने के लिए कार्य-सूची और लागत बजट को केन्द्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ता है। केन्द्र सरकार की स्वीकृति होने पर राज्य सरकार इन कार्यों को करती है।अब हम जनसुविधा के रूप में जल और स्वच्छता सम्बन्धी सुविधाओं का अध्ययन करेंगे।

क्या आप जानते हैं

- भारत सरकार द्वारा 2024 ई. तक ग्रामीण भारत के लिए स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए अगस्त ई. 2019 में जल जीवन मिशन (JJM) का शुभारम्भ किया था। इस योजना के अन्तर्गत प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से 55 लीटर जल उपलब्ध कराना है।

पेयजल सम्बन्धी सुविधाएँ- जगत के समस्त जीवों के जीवन की रक्षा के लिए जल की महत्ती आवश्यकता है। जल की महत्ता के बारे में अथर्ववेद में उल्लेख है कि "**आ यन्ति दिवः पृथिवीं सचन्ते भूम्याः सचन्ते अध्यन्तरिक्षम्। शुद्धाः सतीस्ता उ शुम्भन्त एव ता नः स्वर्गमभि लोकम् नयन्तु॥**" (12.3.26) अर्थात् पानी तो प्रकृति की अमूल्य देन है जो कि आकाश से गिरता है व पृथिवी पर एकत्र होता है इसलिए पानी पर सभी का अधिकार है। हमारे संविधान के अनुच्छेद-21 में जल के अधिकार को जीवन का अधिकार माना है इसलिए सरकार का यह कर्तव्य है कि वह जल की सार्वभौमिक पहुँच की व्यवस्था करे। इसके लिए केन्द्र व राज्य सरकारें काम कर रही हैं। जल की कमी की पूर्ति के लिए सरकार द्वारा चालायी गई जल जीवन मिशन, नदी जोड़ो परियोजना, नमामि गंगे परियोजना आदि महत्त्वपूर्ण हैं। बढ़ती भौतिकवादी संस्कृति के कारण पृथिवी पर जल की कमी एवं निरन्तर बढ़ रहा जल प्रदूषण जीवन के लिए संकट बना हुआ है। इसका कारण पृथिवी पर बढ़ता प्रदूषण, जल का अत्यधिक दोहन है। इसलिए जल संरक्षण के व्यापक उपाय आवश्यक हैं।

स्वच्छता सम्बन्धी सुविधाएँ- अच्छे स्वास्थ्य के लिए स्वच्छता का होना आवश्यक है। हमारे वैदिक वाङ्मय में मानव की अन्तः और बाह्य शुचिता पर अधिक बल दिया गया है। मनु स्मृति में शारीरिक स्वच्छता के विषय में उल्लेख है- "**क्लृप्तकेशनखश्मश्रुर्दान्तः शुक्लाम्बरः शुचिः। स्वाध्याये चैव युक्तः स्यान्नित्यमात्महितेषु च॥**" (4.35) अर्थात् हमें अपने बाल, दाँत, वस्त्र, शरीर आदि को नियमित स्वच्छ करना चाहिए तथा अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए तत्पर रहना चाहिए। आधुनिक समय में स्वच्छता सुविधाओं की दृष्टि से सरकारों एवं गैर सरकारी संगठनों द्वारा अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। स्वच्छता सेवाओं में सुधार और विस्तार के लिए हमारी केन्द्र सरकार ने 2 अक्टूबर 2014 ई. को स्वच्छ भारत मिशन की शुरूआत की थी। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य ठोस कचरा प्रबन्धन, ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों में स्वच्छता सुविधाओं को बढ़ाकर, 2019 ई. तक खुले में शौच से मुक्ति दिलाना था इसलिए घर -घर शौचालय निर्माण के लिए, सरकार, नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। आज इस योजना के सुखद् परिणाम प्राप्त हो रहे हैं, जिसका साक्ष्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष जारी होने वाली स्वच्छता सूची

क्या आप जानते हैं-

- स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत अक्टूबर 2014 ई. से दिसम्बर 2021 तक ग्रामीण भारत में 10.86 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया है।
- स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 ई. के अनुसार भारत का सर्वाधिक स्वच्छ राज्य छत्तीसगढ़ है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 ई. के अनुसार भारत का सर्वाधिक स्वच्छ नगर इन्दौर है।

से दृष्टिगोचर होता है। भारत में स्वच्छता और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ गैर सरकारी संगठन जैसे- सुलभ इन्टरनेशनल, वेस्ट वॉरियर्स आदि कार्य कर रहे है।

अन्तत: हम निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि जनसुविधाओं का प्रत्यक्ष सम्बन्ध मानव की बुनियादी आवश्यकताओं से होता है। इसलिए इन्हें संविधान में जीवन का अधिकार माना गया है। अत: सरकार का यह दायित्त्व है कि, वह जनसुविधाओं को उचित रूप में प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचाए। यदि किसी स्थान पर व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं का अभाव है, तो वहाँ जनता का भी कर्तव्य है कि, वह इस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करे।

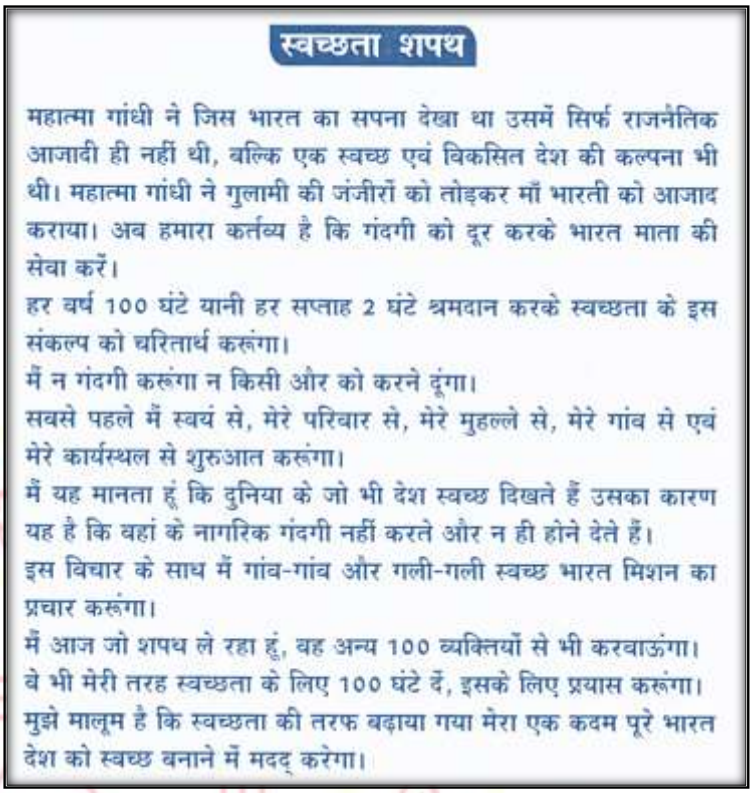
स्वच्छता शपथ

महात्मा गांधी ने जिस भारत का सपना देखा था उसमें सिर्फ राजनैतिक आजादी ही नहीं थी, बल्कि एक स्वच्छ एवं विकसित देश की कल्पना भी थी। महात्मा गांधी ने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर माँ भारती को आजाद कराया। अब हमारा कर्तव्य है कि गंदगी को दूर करके भारत माता की सेवा करें।

हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूंगा।

मैं न गंदगी करूंगा न किसी और को करने दूंगा।

सबसे पहले मैं स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे मुहल्ले से, मेरे गांव से एवं मेरे कार्यस्थल से शुरुआत करूंगा।

मैं यह मानता हूं कि दुनिया के जो भी देश स्वच्छ दिखते हैं उसका कारण यह है कि वहां के नागरिक गंदगी नहीं करते और न ही होने देते हैं।

इस विचार के साथ मैं गांव-गांव और गली-गली स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करूंगा।

मैं आज जो शपथ ले रहा हूं, वह अन्य 100 व्यक्तियों से भी करवाऊंगा। वे भी मेरी तरह स्वच्छता के लिए 100 घंटे दें, इसके लिए प्रयास करूंगा।

मुझे मालूम है कि स्वच्छता की तरफ बढ़ाया गया मेरा एक कदम पूरे भारत देश को स्वच्छ बनाने में मदद करेगा।

चित्र-17.2 स्वच्छता शपथ

प्रश्नावली

बहु विकल्पीय प्रश्न-

1. निम्न में से.....ने पुरातन काल में अपना सर्वस्व न्यौछावर किया था।
   अ. दधीचि ब. दुर्योधन स. कर्ण द. शुकनि
2. जनसुविधा शब्द का अर्थ ..... है।
   अ. मनोरंजन ब. बुनियादी सुविधाएँ स. लड़ाई-झगड़ा द. इनमें से कोई नहीं
3. सरकार जनसुविधाओं के सञ्चालन के लिए लोगों से..... वसूलती है।
   अ. अन्न ब. ऋण स. शुल्क द. पैसा
4. स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 ई. के अनुसार भारत का सर्वाधिक स्वच्छ नगर..... है।
   अ. इन्दौर ब. मुम्बई स. भोपाल द. पटना

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए-

1. कर्ण को इतिहास में.....के लिए जाना जाता है। (ऋण/दान)
2. डाकघर, कचरा गाड़ी ..... में आती है। (चल सुविधाओं/निम्न सुविधाओं)
3. संविधान के .....में जल के अधिकार को जीवन का अधिकार माना है(अनुच्छेद-21/25)

4. कचरा.....या कचरा गाड़ी में डालना चाहिए। (कचरा-पात्र/ दान पात्र)

सत्य/असत्य बताइए-

1. भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य और जल आदिमानव जीवन की बुनयादी आवश्यकताएँ हैं। (सत्य/असत्य)
2. जन सुविधाओं को 4 भागों में विभाजित किया गया है। (सत्य/असत्य)
3. जल ही जीवन है। (सत्य/असत्य)
4. स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 ई. के अनुसार भारत का सर्वाधिक स्वच्छ राज्य छत्तीसगढ़ है। (सत्य/असत्य)

सही-जोड़ी मिलान कीजिए-

1. राजस्थान	क. इम्फाल
2. असम	ख. जयपुर
3. मणिपुर	ग. हैदराबाद
4. तेलंगाना	घ. दिसपुर

अति लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. मनुष्य की बुनयादी आवश्यकताएँ क्या हैं ?
2. जनसुविधा का क्या अर्थ है ?
3. सरकार जनसुविधा के कार्य कैसे करती है?
4. जन-सुविधाओं का वृर्गीकरण कितने भागों में किया गया है ? नाम लिखो।

लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. जनसुविधा के कार्यों में सरकार की क्या भूमिका है ?
2. जन कल्याणकारी व जन-सुविधाकार्य में क्या सम्बन्ध है ?
3. जनता की भलाई हेतु हम कौन-कौन से कार्य कर सकतें हैं ?
4. जल जीवन मिशन के बारे में आप क्या जानते हैं?

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न-

1. स्वच्छता की महत्ता के बारे में अपने विचारों का उल्लेख कीजिए ।
2. जन सुविधाओं का मूल अर्थ और सरकार के योगदान स्पष्ट कीजिए ।

परियोजना-

1. आपके शहर/गांव में क्या-क्या जनसुविधाएँ उपलब्ध हैं। यदि उनमें सुधार की आवश्यकता है, तो क्या संशोधित कर सकते हैं आपके विचारों के अनुसार सुधारों की सूची बनाइए।

वेद भूषण परीक्षा /Vedabhushan Exam

वेद भूषण तृतीय वर्ष /प्रथमा- III वर्ष /कक्षा- आठवीं

आदर्श प्रश्न पत्र / Model Question Paper

विषय -सामाजिक विज्ञान

सेट –A

- सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है।
- सभी प्रश्न के उत्तर पेपर में यथास्थान पर ही लिखें ।
- इस प्रश्न पत्र में कुल 42 प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न के सामने निर्धारित अंक दिये गये हैं।
- उत्तीर्णता हेतु न्यूनतम 40% अंक निर्धारित हैं।

- It is mandatory to attempt all questions compulsorily.
- Write down the answers at the appropriate places provided
- This question paper contains 42 questions Marks for each question is shown on the side.
- The minimum passing marks is 40 %.

सूचना- एन.सी.ई.आर.टी. एवं वैदिक ज्ञान परम्परा के आधार पर तैयार किया गया आदर्श प्रश्नपत्र

बहुविकल्पीय प्रश्न- 1×10 =10

1. निम्न में अनवीकरणीय संसाधन..... हैं।

अ. मिट्टी ब. पवन ऊर्जा

स. कोयला द. इनमें से कोई नहीं

2. ऊर्जा का अपरम्परागत स्रोत..... है।

अ. कोयला ब. पेट्रोलियम

स. पवन ऊर्जा द. प्राकृतिक गैस

3. गांधी जी का जन्म..... हुआ था।

अ. 2 अक्टूबर 1848 ब. 30 जनवरी 1948

स. 2 अक्टूबर 1869 द. 2 अक्टूबर 1885

4. भारत..... स्वतन्त्र हुआ था।

अ. 15 अगस्त 1945 ब. 26 जनवरी 1950

स. 14 अगस्त 1947 द. 15 अगस्त 1947

5. भारत में प्रथम सूती वस्त्र मील को स्थापना.....की गई थी।

अ. मुम्बई ब. कलकत्ता

स. अहमदाबाद द. कनपुर

6. निम्न में कम्पनी शैली के प्रमुख चित्रकार..... थे।

अ. डेनियल बन्धु ब. नन्दलाल बोस

स. फरग्यूसन द. इनमें कोई नहीं

7. महात्मा गाँधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता.....कहा था।

अ. दादा भाई नौरोजी ब. पं. मोतीलाल नेहरू

स. सुभाषचन्द्र बोस को द. चितरंजन दास

8. भारतीय संविधान का जनक.....को कहा जाता है।

अ. डॉ. भीमराव अम्बेडकर ब. राजेन्द्र प्रसाद

स. महात्मा गांधी द. सरदार पटेल

9. भारत का सर्वोच्च न्यायालय.....में स्थित है।

अ. कोलकाता ब. जयपुर

स. नई दिल्ली द. मुम्बई

10. राज्यसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु.....होना आवश्यक है।

अ. 18 वर्ष ब. 30 वर्ष

स. 25 वर्ष द. 35 वर्ष

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए- $2 \times 5 = 10$

11. सौर ऊर्जा का प्रमुख स्त्रोत ..... है। (सूर्य/चन्द्रमा)

12. ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने ..... में अपना पहला व्यापारिक केन्द्र बनाया था। (सूरत/मद्रास)

13. संथाल एक ..... है। (जाति/जनजाति)

14. भारतीय संविधान की प्रस्तावना .....ने प्रस्तुत किया था। (पं. नेहरू/गाँधी जी)

15. राज्य सभा का पदेन सभापति ..... होता है। (राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति)

सत्य/असत्य बताइए- $2 \times 5 = 10$

16. भीलवाडा वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। (सत्य/असत्य)

17. भारत की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है। (सत्य/असत्य)

18. राजा रवि वर्मा ने भीष्म प्रतिज्ञा का चित्र बनाया था। (सत्य/असत्य)

19. डॉ. राजेन्द्र प्रसाद प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। (सत्य/असत्य)

20. रोटी, कपडा और मकान मूलभूत सुविधाएं है। (सत्य/असत्य)

सही-जोड़ी मिलान कीजिए- $2 \times 5 = 10$

21. बाजरा	(क) महाराष्ट्र
22. गेहूं	(ख) राजस्थान
23. चावल	(ग) केरल
24. नारीयल	(घ) उत्तरप्रदेश
25. ज्वार	(ड.) पश्चिम बंगाल

अति लघु उत्तरीय प्रश्न- $2 \times 10 = 20$

26. लघु उद्योग किसे कहते हैं ?

27. स्थानांतरी कृषि किसे कहते है ?

28. मुगलों ने अपना सैनिक बल कैसे मजबूत किया ?

29. मुण्डा लोग दीकू किसे कहते थे ?

30. भारत में विधवा पुनर्विवाह कब लागू हुआ था ?

31. भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था ?

32. भारतीय संसद के सदनों के नाम लिखिये ?

33. हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे में ?

34. भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे ?

35. हमारे देश में संविधान दिवस कब मनाया जाता है ?

लघु उत्तरीय प्रश्न- $4 \times 5 = 20$

36. जल संसाधन से क्या अभिप्राय है ?

37. हमारे प्राचीन गुरुकुल क्यों नष्ट हो गये ?

38. उपनिवेशवाद का अर्थ समझाइये ।

39. सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या कारण थे ?

40. भारत में पञ्चवर्षीय योजना पर टिप्पणी लिखिये।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न- $10 \times 2 = 20$

41. उद्योगों के वर्गीकरण को विस्तार से समझाइए।

42. हमारे संविधान की प्रमुख विशेषाताओं का वर्णन कीजि

वेद भूषण परीक्षा /Vedabhushan Exam

वेद भूषण तृतीय वर्ष /प्रथमा- III वर्ष /कक्षा- आठवीं

आदर्श प्रश्न पत्र / Model Question Paper

विषय -सामाजिक विज्ञान

सेट – B

सूचना- एन.सी.ई.आर.टी. एवं वैदिक ज्ञान परम्परा के आधार पर तैयार किया गया आदर्श प्रश्नपत्र

बहुविकल्पीय प्रश्न- 1×10 =10

1. रंग के आधार पर मिट्टी.....प्रकार की होती है।

अ. 1 ब. 3 स. 2 द. 4

2. निम्न में भारत के प्रमुख उद्योग.....हैं।

अ. लोहा- इस्पात ब. सूती वस्त्र स. सीमेन्ट द. उपर्युक्त सभी

3. विश्व में सर्वाधिक कपास का उत्पादन..... होता है।

अ. भारत में ब. अमेरीका में स. फ्रांस में द. पाकिस्तान में

4. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना.....के शासन काल में हुई थी।

अ. जार्ज प्रथम ब. चार्ल्स प्रथम

स. एलिजाबेथ प्रथम द. इनमें से कोई नहीं

5. आखेटक का अर्थ..... है।

अ. शिकारी ब. व्यापारी स. अधिकारी द. आदिवासी

6. सत्य शोधक समाज का नेतृत्व.....किया था।

अ. सावित्री फुले ब. रमाबाई स. पेरियार द. इनमें से कोई नहीं

7. भारत के प्रथम राष्ट्रपति..... थे।

अ. पं. नेहरू ब. डॉ. भीमराव अम्बेडकर

स. राजेन्द्र प्रसाद द. महात्मा गांधी

8. लोकसभा में सीटों की संख्या.....है।

अ. 500 ब. 530 स. 545 द. 550

9. न्याय दर्शन के प्रणेता..... हैं।

अ. कपिल मुनि ब. महर्षि गौतम

स. भाष्कराचार्य द. इनमें से कोई नहीं

10. भारत में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम.....में बनाया गया था।

अ. 1989 ब. 1952

स. 2020 द. 1990

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए- $2 \times 5 = 10$

11. विश्व में सबसे अधिक चावल का उत्पादन .....होता है। (चीन/भारत)

12. मंगल पाण्डेय ..... छावनी में सैनिक थे। (बैरकपुर/मेरठ)

13. भारत से पाकिस्तान ..... को अलग हुआ। (14 अगस्त 1946/14 अगस्त 1947)

14. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु.....वर्ष होती है। (58/65)

15. वे जातियां जो संख्या में कम है ..... कहलाती है। (अल्पसंख्यक/बहुसंख्यक)

सत्य/असत्य बताइए- $2 \times 5 = 10$

16. मृदा का विभाजन रंग और प्रकृति दो आधारों पर किया जाता है । (सत्य/असत्य)

17. भारत में उच्च शिक्षा का जनक मैकाले था । (सत्य/असत्य)

18. लाल किला नई दिल्ली में स्थित है । (सत्य/असत्य)

19. लौह पुरुष के नाम से सरदार पटेल को जाना जाता है । (सत्य/असत्य)

20. स्वतन्त्रता आन्दोलन में आदिवासियों की सराहनीय भूमिका रही । (सत्य/असत्य)

सही-जोड़ी मिलान कीजिए- $2 \times 5 = 10$

21.राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना	(क) 1917 ई.
22. चम्पारण आन्दोलन	(ख) 1942 ई.
23. भारत छोडो आन्दोलन	(ग) 1885 ई.
24. बंगाल विभाजन	(घ) 1919 ई.
25. जलियाँवाला बाग हत्याकाण्ड	(ड.) 1905 ई.

अति लघु उत्तरीय प्रश्न- $2 \times 10 = 20$

26. संसाधन कितने प्रकार के होते हैं ?
27. लौह-अयस्क किसे कहते हैं ?
28. रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी ?
29. भारत में ब्रिटिश क्राउन के शासन की स्थापना कब हुई थी ?
30. भारत का मानचेस्टर किस शहर को कहा जाता है ?
31. 'दिल्ली चलो' का नारा किसने दिया था ?
32. कम्पनी शैली किसे कहते है ?
33. आजादी के समय भारत में कितनी देशी रियासतें थीं ?
34. भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है ?
35. जनसुविधा किसे कहते हैं ?

लघुत्तरीय प्रश्न- $4 \times 5 = 20$

36. उद्योग का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसके प्रकार बताइए।
37. 1857 की क्रान्ति के प्रमुख कारण क्या थे ?
38. दयानन्द सरस्वती द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किये गये कार्यों का संक्षेप में उल्लेख कीजिए।
39. संसद के प्रमुख कार्यों का उल्लेख कीजिए।
40. स्वतंत्रता से पूर्व आदिवासियों की स्थिति पर टिप्पणी लिखिए।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न – $10 \times 2 = 20$

41. भारत में पैदा होने वाली मुख्य फसलों का वर्णन कीजिए।
42. स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका का विस्तार से वर्णन कीजिए।

वेद भूषण परीक्षा /Vedabhushan Exam

वेद भूषण तृतीय वर्ष /प्रथमा- III वर्ष /कक्षा- आठवीं

आदर्श प्रश्न पत्र / Model Question Paper

विषय -सामाजिक विज्ञान

सेट – C

सूचना- एन.सी.ई.आर.टी. एवं वैदिक ज्ञान परम्परा के आधार पर तैयार किया गया आदर्श प्रश्नपत्र

बहु विकल्पीय प्रश्न- 1×10 =10

1. निम्न में ऊर्जा का परम्परागत स्रोत.....है।

अ. पवन ऊर्जा ब. सौर ऊर्जा स. ज्वारीय ऊर्जा द. कोयला

2. निम्न में प्रमुख मक्का उत्पादक राज्य..... है।

अ. कर्नाटक ब. राजस्थान स. बिहार द. आन्ध्र प्रदेश

3. ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी..... भारत आई थी।

अ. 1608 ई. ब. 1615 ई. स. 1833 ई. द. 1857 ई.

4. सतीप्रथा के विरुद्ध कानून.....बनाया था।

अ. विलियम वैंटिक ब. क्लाइव

स. डलहौजी द. रिपन

5. अंग्रेजों ने दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा..... में की थी।

अ. 1911 ई. ब. 1912 ई. स. 1910 ई. द. 1905 ई.

6. राजा रवि वर्मा का जन्म.....में हुआ था।

अ. कर्नाटक ब. राजस्थान

स. बंगाल द. उत्तर प्रदेश

7. 'फूट डालो राज करो' की नीति किसने अपनाई-

अ. गाँधीजी ने ब. सुभाषचन्द्र बोस ने स. जनता ने द. अंग्रेजों ने

8. भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष.....थे।

अ. डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ब. डॉ.भीमराव अम्बेडकर

स. महात्मा गांधी द. सरदार पटेल

9. राज्य स्तर पर.....होते हैं।

अ. ग्राम न्यायालय　　ब. जिला न्यायालय

स. उच्च न्यायालय　　द. सर्वोच्च न्यायालय

10. सरकार जनसुविधाओं के संचालन के लिए लोगों से.....लेती है।

अ. अन्न　　ब.ऋण

स. कर　　द. पैसा

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए-　　2 × 5 =10

11. प्राकृतिक गैस ..... संसाधन है।　　(नवीकरणीय/अनवीकरणीय)

12. सूती वस्त्रों की राजधानी ..... को कहा जाता है।　　(मुम्बई/अहमदाबाद)

13. भारतीय संस्कृति के प्रति ..... आदरभाव रखते थे।　(मैकाले/कॉलब्रुक)

14. अंग्रेजों ने आरम्भ में ..... को अपनी राजधानी बनाया।　(दिल्ली/कलकत्ता)

15. गणतन्त्र दिवस प्रतिवर्ष ..... को मनाया जाता है।　(26 जनवरी/15 अगस्त)

सत्य/असत्य बताइए-　　2 × 5 =10

16. प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम तत्त्वों से बनी है।　　सत्य/असत्य

17. प्लासी का युद्ध 1758 ई. में हुआ था।　　सत्य/असत्य

18. हरा झण्डा बिरसा राज का प्रतीक था।　　सत्य/असत्य

19. चम्पारण बिहार राज्य में स्थित है।　　सत्य/असत्य

20. लोक सभा में बहुमत दल का नेता प्रधानमन्त्री बनता है।　　सत्य/असत्य

सही-जोड़ी मिलान कीजिए-　　2 × 5 =10

21. कर्नाटक	(क) 273
22. नागालैण्ड	(ख) बैंगलौर
23. लोक सभा में सीटें	(ग) 245
24. राज्य सभा में सीटें	(घ) कोहिमा
25. लोक सभा में बहुमत	(ड.) 543

अतिलघुत्तरीय प्रश्न- $2 \times 10 = 20$

26. वनों से हमें क्या लाभ है ?

27. बागानी कृषि किसे कहते है ?

28. ईस्ट इंडिया कंपनी के विस्तार में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी ?

29. भारत की कुल आदिवासी जनसंख्या कितने प्रतिशत है ?

30. सती प्रथा का निषेध कानून कब लागू किया गया था ?

31. 'इण्डियन सोसायटी आफ ओरिएण्टल आर्ट' की स्थापना कब हुई थी ?

32. संविधान सभा में कुल कितने निर्वाचित सदस्य थे ?

33. विश्व का सबसे विस्तृत संविधान किस देश का है ?

34. सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है ?

35. एफ. आई. आर. का पूरा नाम लिखिए।

लघु उत्तरीय प्रश्न- $4 \times 5 = 20$

36. खनिजों के प्रमुख प्रकारों का उल्लेख कीजिए।

37. वाणिज्यिक कृषि किसे कहते है ?

38. अंग्रेजों के राज्य हड़प नीति पर संक्षेप में प्रकाश डालिए।

39. कम्पनी शैली के चित्रों की प्रमुख विशेषताएँ बताईये।

40. नागरिकों के मौलिक अधिकारों का नामोल्लेख कीजिए।

दीर्घउत्तरीय प्रश्न- $10 \times 2 = 20$

41. नील विद्रोह का विस्तार से उल्लेख कीजिए।

42. सर्वोच्च न्यायालय के गठन व कार्यों पर प्रकाश डालिए ।

महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन (म.प्र.)

(शिक्षा मन्त्रालय, भारत सरकार)

द्वारा सञ्चालित एवं प्रस्तावित राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय

महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन (म.प्र.)

(शिक्षा मन्त्रालय, भारत सरकार)

वेदविद्या मार्ग, चिन्तामण, पो. ऑ. जवासिया, उज्जैन - ४५६००६ (म.प्र.)

Phone : (0734) 2502266, 2502254, E-mail : msrvvpujn@gmail.com, website - www.msrvvp.ac.in